अष्टम माला, खंड 15, अंक 21

शुक्रवार, 21 मार्च, 1986
30 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना ज.

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 21, शुक्रवार, 21 मार्च, 1986/30 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
—नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 387, से 390 और 392 से 394	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—257
तारांकित प्रश्न संख्या : 391 और 395 से 408	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3652 से 3695, 3697 से 3707, 3709, 3711 से 3750, 3752 से 3777, 3779 से 3832 और 3834 से 3882	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	257—261
विधेयक पर अनुमति	261
मोटर यान (संशोधन) विधेयक	
ना की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	261—?62
लेखा समिति	262—263
28वां प्रतिवेदन और 30वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य
ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	263—268
(एक) मध्यप्रदेश में महाराजपुर स्टेशन से मांडला किले तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	
श्री एम० एल० झिकराम	263
(दो) राजस्थान के चुरु जिले के सूखा-पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत देने की आवश्यकता	
श्री नरेन्द्र बुदानिया	264
(तीन) खलीलाबाद स्थित आनन्द शुगर मिल्स का प्रबन्ध सरकार द्वारा हाथ में लेने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	264
(चार) प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक विभाग खोलने और आयुर्वेदिक डाक्टरों को एलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता	
डा० प्रभात कुमार मिश्र	265
(पांच) भायिन्दर क्षेत्र को बंबई टेलीफोन निगम में सम्मिलित करने की आवश्यकता	
श्री एस० जी० घोलप	266
(छह) भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने का निदेश देने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	266
(सात) सिक्किम, गंगटोक में एक हवाई पट्टी का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्रीमती डी० के० भंडारी	266

विषय	पृष्ठ
(आठ) देश में, विशेष रूप से दिल्ली में, बंद के दिनों में पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपाय करने की मांग	
श्री हरिहर सोरन	267
(नौ) विभिन्न राज्यों में सरकारी भवनों के उचित अनुरक्षण के लिये योजना व्यय के अंतर्गत धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता	
डा० ए० कलानिधि	268
अनुदानों की मांगें, 1986-87	268—314
विदेश मंत्रालय	
डा० आनन्द गजपति राजू	270
श्री दिनेश सिंह	274
श्री जी० जी० स्वैल	279
श्री सैफुद्दीन चौधरी	285
श्रीमती शीला कौल	290
श्री शरद दिघे	293
डा० ए० कलानिधि	295
श्री डाल चन्द्र जैन	300
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	301
श्री सैयद शाहबुद्दीन	305
श्री के० आर० नारायणन	309
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	314
चौदहवां प्रतिवेदन	
विधेयक—पुरःस्थापित	314
(एक) रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक (धारा 9 में संशोधन)	
प्रो० मधु दंडवते	314

विषय	पृष्ठ
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 394 क का अंत:स्थापन)	
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	315
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985	316—323
नए अनुच्छेद 16 क का अंत:स्थापन, आदि)	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री मूल चन्द डागा	316
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	320
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	324
श्री वाई० एस० महाजन	327
श्री विजय एन० पाटिल	329
डा० गौरी शंकर राजहंस	331
श्री सत्यगोपाल मिश्र	333
श्री केयूर भूषण	336
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	338
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	341
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	345
श्री सोमनाथ चटर्जी	351
राज्य सभा से संदेश	323—324
अंतर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक, ...	324
कार्य मंत्रणा समिति	352
बाईसवां प्रतिवेदन	

लोक सभा

शुक्रवार, 21 मार्च, 1986/30 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी बैंकों की तुलना में भारतीय बैंकों को लाभ-अनुपात

*387. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बकों से संबंधित आय/व्यय, संचालन और स्थापना के व्यय तथा ब्याज भुगतान के सभी लाभ अनुपात विदेशी बैंकों की तुलना में बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो (एक) भारतीय स्टेट बैंक, (दो) पंजाब नेशनल बैंक, (तीन) युनाइटेड कर्मशियल बैंक, (चार) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, और (पांच) यूनियन बैंक आफ इंडिया के संबंध में ये अनुपात कैसे हैं;

(ग) क्या बैंकों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बैंकों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के लाभ अनुपात विदेशी बैंकों के लाभ अनुपातों

की तुलना में कम हैं। वर्ष 1984 के लिए (1) कार्यशील धनराशि, (2) कुल आय, (3) कुल व्यय, (4) ब्याज व्यय, (5) स्थापना व्यय और (6) परिचालन व्यय (ब्याज और स्थापना व्यय से भिन्न) के प्रतिशत के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक आफ इंडिया के लाभ अनुपातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	यूको बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	यूनियन बैंक आफ इंडिया
1. कार्यशील धनराशि के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ	0.09	0.16	0.07	0.05	0.10
2. कुल आमदनी के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ	1.06	1.74	0.77	0.62	1.14
3. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ	1.07	1.77	0.77	0.62	1.15
4. ब्याज व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ	1.61	2.48	1.19	0.91	1.75
5. स्थापना व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ	4.51	8.90	2.99	2.61	4.53
6. परिचालन व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ	1'.31	20.79	8.59	8.23	13.9/

(ग) से (ङ) बैंक अपनी-अपनी प्रशासनिक संरचना अपनी शाखाओं के विस्तार तथा स्वरूप और कारोबार के आकार के अनुरूप अपनाते हैं। बैंक प्रायः अपने अनुभवों तथा आवश्यकताओं के आधार पर अपने-अपने संगठनों का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव तैयार करते हैं। इस समय बैंकिंग प्रणाली का बड़े पैमाने पर कोई पुनर्गठन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

अपने काम में बहुमुखी सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ग्राहक सेवा में सुधार करने, परिचालनों का आधुनिकीकरण करने, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को दोषरहित और सुदृढ़ करने, आंतरिक प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने, लाभ-प्रदत्ता को बढ़ाने आदि जैसे विभिन्न उद्देश्य प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है। बैंकों से अपनी परिचालन कुशलता को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। बैंकों की लाभ प्रदता को बढ़ाने के लिए जो कुछ विशेष कदम उठाये गये हैं उनमें ये शामिल है :—बैंकों के पूंजी आधार का विस्तार करना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा नकद राशियों

पर ब्याज की दर में वृद्धि करना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की कटौती न करना।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वक्तव्य से 1, 2 और 3 के संबंध में निराशाजनक स्थिति प्रकट होती है। मद 1 के मामले में कार्यशील धनराशि पर लाभ का प्रतिशत एक प्रतिशत भी नहीं है, मद 2 के मामले में कुल आमदनी के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ एक प्रतिशत तथा कुछ मामलों में एक प्रतिशत से भी कम है, मद 3 'कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित लाभ' की भी वही स्थिति है। इन बैंकों में काफी मात्रा में लगी सार्वजनिक पूंजी को देखते हुए और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों तथा प्रत्येक बैंक में 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार बैंकिग प्रणाली पर गम्भीरता से ध्यान दे तथा यह कहने के स्थान पर कि बैंकिग प्रणाली में किसी बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है, तथा बैंकों को अपनी संचरना विकसित करने का स्वयं अधिकार है, क्या यह उचित समय नहीं है कि बैंकिग प्रणाली का गंभीरता से अध्ययन किया जाये और दस बड़े बैंकों का विलय कर उसका पुनर्गठन करके अथवा उसे संसदीय नियंत्रण में लाकर उसकी कार्यकुशलता बढ़ाई जाये ?

श्री जनार्दन पुजारी : अच्छा होगा यदि मैं इस बात की व्याख्या करूं कि कार्यशील पूंजी क्या है। बैंक की सभी सम्पत्तियां, भवन, फर्नीचर पूंजी, नकद राशि सभी को उसमें सम्मिलित किया जाता है तथा इसके संबंध में लाभप्रदता दर्शायी गई है। हम यह नहीं कहते कि इसमें काफी सुधार हुआ है। परन्तु उसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बैंकिग सैक्टर को 1984-85 के दौरान 82 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और उम्मीद की जाती है कि वह इस बार बढ़कर 109 करोड़ रुपये हो जायेगा यह वृद्धि 32 प्रतिशत है। माननीय सदस्य ने ठीक बात कही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमें इस तथ्य पर ध्यान रखना है कि हमारी सामाजिक बैंकिग प्रणाली भी है हमें रियायती दरों पर ऋण देने पड़ते हैं। जहां तक बैंकों में जमा धनराशि के एक प्रतिशत का प्रश्न है ये चार प्रतिशत की ब्याज दर से धन देना होता है; आई० आर० डी० पी० के लिये ये 10 प्रतिशत की दर पर ऋण देना होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि निर्यात के लिये भी हमें रियायती दर पर ऋण देना होता है। माननीय सदस्य कहते रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए अधिक रियायत दी जानी चाहिए और हम दे भी रहे हैं। यहां केन्द्रीयकरण की बजाय हम इसका विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। दस बैंकों को मिलाने के स्थान पर हम उनका विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं। बैंकिग व्यवस्था के भीतर विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है। हमने बैंक मैनेजर को अधिक शक्तियां दी हैं, वह आमतौर पर 250 0 रुपये तक ऋण दे सकता है। इस प्रकार हम बैंकों के कार्यकरण पर निगरानी रख रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े लोगों के पास जाने की बजाय हम उपभोक्ताओं से मिलते हैं। उच्च कार्यकारी अधिकारियों को उपभोक्ताओं के पास जाने के लिये कहा गया है और इसके लिये पूरे देश में उपभोक्ता कक्ष स्थापित किये गये हैं। यह प्रश्न पूछने के लिये मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। हम बैंकिग क्षेत्र में काफी सुधार ला रहे हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : उन्होंने मेरे प्रश्न के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश की उपेक्षा की है। मैं समझता हूं कि कार्यकारिणी बैंकों का अच्छा कार्यकरण उतना सुनिश्चित नहीं कर सकती जितना

कि संसदीय नियंत्रण एवं संवीक्षा द्वारा किया जा सकता है। जब सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की संवीक्षा नियंत्रण में रखा गया है तब बैंकों को संसदीय संवीक्षा और नियंत्रण से बाहर क्यों रखा गया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं प्राक्कलन समिति इनको देखती है तथा पिछले वर्ष भी उन्होंने इनका अध्ययन किया था। इतना ही नहीं, संसद में प्रतिदिन तथा प्रत्येक बजट में उन पर चर्चा होती है। हम उनके कार्यकरण पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद ने निर्णय लिया है कि हम दिन-प्रतिदिन के कार्य का विवरण नहीं दे सकते। यह विचार रहा है। यदि संसद चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों की जमा तथा उनके द्वारा लिये जा रहे ब्याज की दरें क्या हैं। यही काफी अधिक लगता है यदि अतिरिक्त धन को ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को रोजगार देने के लिये उपयोग में लाया जाता है। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए बहुत कम बैंक का पैसा खर्च किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : हम आई० आर० डी० पी० के लिए धन देते हैं। जहां तक एन० आर० ई० पी० का संबंध है, बैंकों को उसमें कुछ नहीं करना। उसके लिए बजटीय अनुदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होते हैं। सदस्य जानते हैं कि हमने आवंटन बढ़ा दिया है। परन्तु इसे क्रियान्वित करना राज्य सरकार का काम है।

श्री वाई० एस० महाजन : विदेशी बैंकों में कम्प्यूटरों के प्रयोग से उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है तथा उनके अपने भारतीय प्रतिद्वंदियों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक सक्षम होने की उम्मीद की जाती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे कम्प्यूटरों का उपयोग करेंगे, अथवा क्या उन्होंने उनका प्रयोग शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तथा यह कार्य कहां तक पहुंचा है तथा उससे क्या लाभ हुए हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि कम्प्यूटरीकरण से प्रबन्धक बैंकों में कार्यकुशलता ला पायेंगे। वास्तव में कम्प्यूटरीकरण के अधिक प्रयास किये जा रहे हैं। कर्मचारियों से भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है तथा सरकार इस दिशा में दृढ़ निश्चयी है।

श्री संतोष मोहन देव : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बैंकिंग सेवा के विकेन्द्रीयकरण की चर्चा की है। भारतीय स्टेट बैंक के पांच क्षेत्रीय कार्यालय गोहाटी में ही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें जोरहाट, कछार तेजपुर में विकेन्द्रित करेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इस पर ध्यान दूंगा तथा माननीय सदस्य को लिखूंगा।

बासमती से भिन्न चावल के निर्यात के बदले में खाद्य तेल का आयात

* 388. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी व्यापारियों को बासमती से भिन्न चावल के निर्यात के बदले खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किये जाने का विचार है ; और

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात के बदले निजी व्यापारियों द्वारा खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री पी० शिव शंकर : फिर अनुपूरक प्रश्न कैसे पैदा होता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उसे पैदा कर देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें जानकारी के विभिन्न स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसमें थोड़ी भूल हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने बासमती चावल तथा गैर एस० टी० सी० चावल की निर्यात की निजी व्यापारियों को ओ० जी०एल० के अन्तर्गत निर्यात की अनुमति दी है—खाद्य तेलों के निर्यात की नहीं अपितु बासमती चावल के निर्यात की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी मंजूरी दी जा रही है। यदि हां, तो ऐसे कौन से कृषि उत्पाद हैं जो इस निर्यात के बदले आयात किये जा सकते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं समझता हूं कि प्रश्न में अधिक जोर निजी व्यापारियों द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात के बदले खाद्य तेलों के आयात की अनुमति पर दिया गया है। वास्तव में स्थिति यह है कि गैर-बासमती चावल के बदले खाद्य तेल आयात किया जा सकता है। इसके पीछे भाव यह है कि खाद्य तेलों के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है। अतः उनके बदले खाद्य तेल प्राप्त करने का विचार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरा विशिष्ट प्रश्न था कि क्या गैर-बासमती चावल का निर्यात निजी व्यापारियों द्वारा ओ० जी० एल० के अधीन किया जाएगा ? ऐसा लगता "कि उन्हें अनुमति दी जा रही है अथवा उन्होंने पहले ही निर्यात करना शुरू कर दिया है तथा उसके बदले सरकार खाद्य तेलों का आयात कर सकेगी तथा उससे विदेशी मुद्रा बचेगी। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-से देश में जिन को ये निजी व्यापारी चावल का निर्यात करेंगे तथा क्या वे ऐसे देश हैं – जिनसे बदले में खाद्य तेल आयात किया जा सकेगा। क्योंकि यहां कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से काफी अधिक हैं। क्या इसका

यह अर्थ है कि बाद में निजी व्यापारी उन बाजारों मे माल बेचने के लिए राज सहायता मांगेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस उपाय के द्वारा किस श्रेणी के किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और क्या वे उन्हें राजसहायता दे भी देंगे ताकि वे उन बाजारों में जा सकें।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक गैर-बासमती चावल के निर्यात का सम्बन्ध है, निजी निर्यातकों तथा सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से इसके निर्यात की अनुमति फरवरी, 1986 में दी गई थी। मूल्य के प्रश्न पर जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के 'इकानामिक टाइम्स' को देख रहा था उसमें बम्बई बाजार में 'परमल' चावल का मूल्य 3.0 से 360 रुपए प्रति क्विंटल दिया हुआ है, जबकि निर्यात मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसलिए जहां तक निर्यात से आय का सम्बन्ध है वह यहां प्रचलित मूल्य की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। इस मुद्दे पर चावल के निर्यात के लिए कोई कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने देशों के बारे में विशेष प्रश्न पूछा था। महोदय, वह 'इकानामिक टाइम्स' पर भरोसा कर रहे हैं और मैं भी 'इकानामिक टाइम्स' पर भरोसा कर रहा हूं। उन्हें स्थिति से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, जहां तक देशों के नामों का सम्बन्ध है, वे उपलब्ध नहीं हैं। शायद पूरक, प्रश्नों के अन्त तक मैं नाम दे सकूंगा।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या भारत को खाद्य तेलों में आत्म निर्भर बनाने के लिए कोई भावी योजना है ? खाद्य तेलों के आयात के लिए लगभग कितनी विदेशी मुद्रा आबंटित की गई है और भारत को खाद्य तेलों में आत्म निर्भर बनाने में लागत और लाभ का क्या अनुपात है ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मेरे पास उन देशों के सम्बन्ध में जानकारी है जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। चावल का निर्यात खाड़ी देशों, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस को किया जाता है। तेल का आयात मुख्य रूप से मलयेशिया से किया जाता है।

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कितने मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। 1986-87 के दौरान आयातित खाद्य तेल उसके लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है······

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : माननीय मन्त्री मेरे प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझे हैं। मैं उसे दोहराता हूं। इस वर्ष खाद्य तेल के उत्पादन के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ? क्या भारत को खाद्य तेलों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई भावी योजना है ?'

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसके लिए अलग से नोटिस चाहूंगा। मेरा सम्बन्ध केवल उस प्रश्न से है जो पूछा गया है और वह भी खाद्य तेल के स्थान पर बासमती चावल के अलावा दूसरे चावल के निर्यात के औचित्य के बारे में है।

श्री ए० चार्ल्स : सदन में यह मांग की जाती रही है कि खाद्य तेलों के आयात पर पूरी तरह से

रोक लगा दी जानी चाहिए। नारियल के उत्पादकों को हानि हो रही है। केरल सरकार अनुरोध करती रही है कि नारियल को खाद्य तेल के रूप में माना जाना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसका वितरित किया जाना चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वह इसे खाद्य तेल के रूप में मानने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसका वितरण करने की सम्भाव्यता पर विचार करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं खाद्य तेलों के आयात और निर्यात के बारे में बता रहा था। जहां तक नारियल तेल का सम्बन्ध है उसका बिल्कुल भी आयात नहीं किया जाता। यह प्रश्न कि क्या इसे खाद्य तेल के रूप में माना जाना चाहिए, एक भिन्न विषय है जिस पर विचार किया जा सकता है।

खाद्यान्नों के खरीद मूल्य में वृद्धि

*389. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों के खरीद-मूल्य में हाल में कितनी वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) इन खाद्यान्नों के बिक्री मूल्यों में तदनुसार कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या बिक्री मूल्यों में की गई वृद्धि खरीद-मूल्यों की वृद्धि के अनुसार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) गेहूं के वसूली मूल्य को 157/- रुपये से बढ़ाकर 162/- रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय किया गया है। धान के मामले में, साधारण किस्म के लिए वसूली मूल्य 137/- रुपये से बढ़ाकर 142/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बढ़िया और उत्तम किस्मों के लिए इसी प्रकार की वृद्धियों की इजाजत दी गई है। गेहूं के मामले में, यह वृद्धि 1-4-1986 से प्रभावी की गई है और धान के मामले में यह 1-10-1985 से प्रभावी की गई है।

(ख) गेहूं के केन्द्रीय निगम मूल्य को 172/- रुपये से बढ़ाकर 190/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चावल की साधाण किस्म के मामले में, इसे 217/- रुपये से बढ़ाकर 231/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और बढ़िया तथा उत्तम किस्मों के लिए तदनुरूपी वृद्धियां की गई हैं।

(ग) और (घ) वसूली मूल्यों में वृद्धि होने से, मंडी प्रभारों, ब्याज प्रभारों, आदि जैसे विविध प्रभारों की मूल्यानुसार अन्तर्निहित वृद्धियां होती हैं जोकि अनुपात को बनाये नहीं रख सकती हैं यद्यपि निर्गम मूल्यों में उसी राशि में वृद्धि कर दी जाती है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा उससे यह एकदम स्पष्ट है कि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि एक तरफ तो गेहूं और चावल के वसूली मूल्यों में वृद्धि में और दूसरी ओर उन्हीं वस्तुओं के बिक्री मूल्यों में वृद्धि में असमानता है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कृषि के संबंध में एक अनोखी आर्थिक व्यवस्था का अनुसरण कर रही है···(व्यवधान) एक ओर तो, किसान यह महसूस नहीं करते हैं कि वे उन्हें कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं क्योंकि किसानों को जिस साधन सामग्री की आवश्यकता होती है उसके मूल्यों में आप तेजी से वृद्धि कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप जो भी मूल्य उन्हें देने का प्रस्ताव रखा जाता है, वे महसूस करते हैं कि वह लाभकारी नहीं हैं, और दूसरी ओर आप बिक्री मूल्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। दोनों ही असंतुष्ट हैं। मैं स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा। क्या यह सही नहीं है कि जब भी किसान लाभकारी मूल्य के लिए कहते हैं तो सरकार उनसे यह कहती है कि शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता सस्ते खाद्यान्न की मांग कर रहे हैं इसलिए उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा सकता और जब शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता मांग करते हैं कि बिक्री मूल्य कम होने चाहिए तो उन्हें बताया जाता है कि क्योंकि किसान अधिक खरीद मूल्यों की मांग कर रहे हैं इसलिए सरकार के लिए बिक्री मूल्य कम करना सम्भव नहीं है।

इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या आप कृषि साधन-सामग्री के मूल्यों को नियंत्रित करने की समस्या पर पुन: विचार करेंगे ? केवल तभी आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे।

श्री ए० के० पंजा : वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि यह उनके द्वारा कही गई बात कार्यवाही के लिये अनुरोध है, न कि प्रश्न।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या आप वह 'कार्यवाही' करेंगे।

श्री ए० के० पंजा : हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि किसानों को जो कुछ दिया जा सकता है, यथा सम्भव वह उन्हें दिया गया है। समर्थन मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि हुई है। आपने वह देखा है। परन्तु, तुरन्त इसके साथ बैंक ब्याज, मंडी प्रभार आदि अन्य खर्चों का प्रश्न आता है और इस कारण और बिक्री मूल्यों में समानुपातिक रूप से वृद्धि हो जाती है। गत तीन वर्षों में, दो मौकों के अलावा, जब गेहूं के बिक्री मूल्य में 15 और 12 रुपये की वृद्धि हुई थी, बिक्री मूल्य में कोई पारिणामिक वृद्धि नहीं हुई है। हमें किसानों के हितों की देखभाल करनी होगी और इसके साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की भी। हमें किसानों को बताना होगा कि हमें बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन सुलभ कराना है। हमें दोनों पक्षों के लिए दलील करनी होगी।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ? मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। आप निर्णायक हैं और मैं आपके निर्णय को स्वीकार करूंगा। परन्तु मैं पहले प्रश्न के बारे में संतुष्ट नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : हम गेहूं खा रहे हैं या किसान को खा रहे हैं, इतना ही बता दें। हमें लगता है कि हम किसान को ही खा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, आजकल निर्णायकों को बहुधा पीटा जाता है अत: निर्णायक

मत बनिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नेक सलाह है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश में विचित्र विरोधाभास है ? उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उसी समय हम देखते हैं कि हमारी गरीब जनसंख्या का एक बड़ा भाग आधा भूखा है या वे भुखमरी की स्थिति के निकट हैं। क्या यह सही नहीं है कि यह कई कारणों से हो रहा है जिनमें से एक कारण यह है कि हमारा भारतीय खाद्य निगम वास्तविक रूप से संकट में है ? क्या यह सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम की वास्तविक भंडारण क्षमता से उत्पादन बहुत अधिक है ? क्या यह सही नहीं है कि इन बातों के परिणामस्वरूप उसके घाटे में बहुत वृद्धि हो रही है ? (व्यवधान) चिन्ता मत कीजिये। अध्यक्ष जी प्रभार संभालेंगे। अध्यक्ष जी विकेन्द्रित नहीं हैं।

इन सभी बातों के परिणामस्वरूप क्या यह सही नहीं है कि आर्थिक सहायता के बचने के लिए आप बिक्री मूल्य में वृद्धि के आसान विकल्प को अपना रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाइयां हो रही हैं ? क्या आप इस विकल्प को अपनाने से बचेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पहले तथ्य और तब प्रश्न।

श्री ए० के० पंजा : चूंकि आपने प्रश्न की अनुमति दी है, पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये पांच प्रश्न हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने उनको अच्छी तरह से जोड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : वे इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं कि टूटेंगे नहीं।

श्री ए० के० पंजा : चूंकि आपने इसकी अनुमति दी है। जहां तक अन्तिम प्रश्न का संबंध है मेरा स्पष्ट उत्तर है 'नहीं'। जहां तक भारतीय खाद्य निगम के बारे में पहले प्रश्न का संबंध है, हम और प्रभारी मंत्री श्री शिव शंकर जी दोनों ही एफ० सी० आई० के पूरे कार्यकरण पर अर्थात खरीदने से लेकर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के समूचे कार्य पर, गौर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले भी एक दिन यही प्रश्न पूछा गया था।

श्री ए० के० पंजा : जी, हां। पहले दिन भी हमने इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर दिया था। जहां तक भंडारण और उत्पादन का सम्बन्ध है हम पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और इस वर्ष हमारे पास यह देखने के लिए एक निगरानी प्रणाली है कि लगभग कितना उत्पादन होगा और जहां तक आवश्यक होगा वहां तक भंडारण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं कि कठिन प्रयासों के बावजूद, अधिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण के बावजूद, हमें अनाज की कुछ मात्रा खुले में, न कि खुले आकाश के नीचे, बल्कि 'सी० ए० पी०' प्रणाली के अन्तर्गत रखनी पड़ती है

जहां तक घाटे का सम्बन्ध है इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। घाटे की मात्रा कम होती जा रही है। इसमें संदेह नहीं है कि हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं परन्तु हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है जिसे समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया जा रहा है। आपने वह देखा है। और हम कार्यवाही कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन हम इस पहलू पर बैठकर बातचीत करते हैं ताकि हम कुछ राहत दे सकें।

प्रो० मधु दंडवते : यह उत्तर सही नहीं है। पिछले से पिछले वर्ष यह मात्रा 220 लाख टन थी और पिछले वर्ष 200 लाख टन थी। इस गति से कठिनाइयां बढ़ रही हैं।

अत: जब तक भंडारण की सुविधा में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जायेगी तब तक भंडारण में अधिक हानि होती रहेगी।

श्री ए० के० पंजा : वे जो आंकड़े बताये हैं, वे ठीक नहीं हैं। 1980-81 में कुल मात्रा जो खरीदी और बेची गई अर्थात वसूली से अन्त तक ले जाई गई, वह 2,325.5 लाख मीट्रिक टन थी। श्रीमन् तब मूल्य···(व्यवधान)

क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं, इसकी मात्रा 2,325.5 लाख टन थी···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कैसे हो सकता है जबकि कुल उत्पादन लगभग 1500 लाख टन था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि इसमें पिछला स्टाक ही··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं भंडारण के बारे में कह रहा था···(व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : अगर वह बात सुनने के इच्छुक हैं और अधीर नहीं हैं तो मैं प्रतिशत बताऊंगा। हम 1980-81 के प्रतिशत से प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन मैं यह बता रहा था कि प्रतिवेदन के अनुसार 1980-81 में 2.89 प्रतिशत मूल्य की हानि हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : पंजा जी, वे मात्रा के सम्बन्ध में पूछना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह 232.55 लाख टन नहीं हो सकती, क्योंकि कुल उत्पादन ही लगभग 1510 लाख टन था।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, क्या वह पुराने गणित का प्रयोग कर रहे हैं या आधुनिक अंकगणित का ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल अनुमान लगाने की बात है। ठीक है, चिन्ता मत करिये, उन्हें

उत्तर देने दीजिए।

श्री ए० के० पंजा : यह खरीद तथा बिक्री को मिलाकर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा था और हो सकता है इसमें पिछला बकाया स्टाक भी हो।

श्री ए० के० पंजा : यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कुल खरीद तथा बिक्री को मिलाकर है। हम इस स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं ··

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन कुल उत्पादन 1200 लाख टन है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उन जिम्मेदारियों के बारे में कह रहा था जो भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई थीं। एक साल पहले यह मात्रा 220 लाख टन थी और अगले वर्ष 290 लाख टन हो गई। यह आंकड़े हैं, जो हमें उपलब्ध हैं। (व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : अभी तक हम जो कह रहे हैं वह यह है कि अब तक परिवर्तन के दौरान और भंडारण के दौरान हुए नुकसान को··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम इस सम्बन्ध में बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास यह उपलब्ध है।

(व्यवधान)

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : श्रीमन्, मैं प्रो० दण्डवते द्वारा दिये गये पिछले से पूर्व वर्ष के 220 लाख टन के आंकड़ों से सहमत हूं। उसके बाद यह मात्रा 29 लाख टन हो गई मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह सच है कि भंडारण की जितनी सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम और अधिक भंडारण व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं। इसमे कुछ कठिनाइयां हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : धन का अभाव तथा अन्य कठिनाइयां हैं। हम उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समाप्ति का प्रश्न नहीं है। यहां केवल आंकड़ों का प्रश्न है। इस पर इतना विभंर न करें।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि चूंकि धान और चावल के खरीद मूल्य में की गई वृद्धि केन्द्र प्रशासित अण्डमान और निकोबार महाद्वीप में लागू की गई है, तो क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ये खरीद मूल्य उस दूर-दराज के द्वीप-समह के किसानों को भी मिलें ?

श्री ए० के० पंजा : यह पूरे भारत मे लागू है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : वित्ताभाव तथा भंडारण सुविधाओं के अभाव आदि के कारण सरकार किसानों की सम्पूर्ण कृषि उपज खरीदने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं समझता हूं आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो कुछ भी किसान बेचेगा सरकार उसे खरीदेगी। आप इस बात को मिला क्यों रहे हैं ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : श्रीमन्, अपने वायदों के बावजूद, वे इसे पूरा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री यहां बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि जितने भी धन की आवश्यकता है उतना धन देंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : वायदे के बावजूद वे इसे पूरा नहीं कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आन्ध्र प्रदेश में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमारे राज्य में सरकार खरीद नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात ही पूछनी चाहिए। उसमें मैं आपका साथ दूंगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं निजी व्यापारियों पर छोड़ने के बजाय सरकार स्वयं ही बढ़िया और उच्च कोटि का चावल निर्यात करने की कोशिश क्यों नहीं करती, ताकि देश के किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें। सरकार स्वयं इस कार्य को हाथ में क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि इससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है और कई दूसरी वस्तुओं का आयात करने में उसका उपयोग किया जा सकता है ? सरकार स्वयं इसमें रुचि क्यों नहीं लेती ? क्या सरकार इसमें पहल करेगी ? क्या सरकार अब इस कार्य को करेगी ?

श्री पी० शिव शंकर : इस प्रश्न को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के बजाय मुझे वाणिज्य विभाग सम्बन्धी बात पर आना पड़ेगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्योंकि दोनों ही विभाग आपके पास हैं।

श्री पी० शिव शंकर : जहां खरीद के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय की बात मेरी समझ में स्पष्ट रूप से नहीं आई। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह लेवी मूल्य के आधार पर खरीद की बात है तो

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लेवी सम्बन्धी आदेश जारी किया गया है। तथा उसके आधार पर जितनी भी अधिकतम खरीद की जा सकती है वह की जा रही है। मैं यही बताना चाहता था।

सरकार द्वारा बासमती और गैर-बासमती दोनों प्रकार के चावलों का निर्यात करने के प्रश्न के बारे में—जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा था -- कि अगर कोई फायदा है तो वह व्यापारियों को नहीं जाना चाहिए, मैं यह कहूंगा कि इस बात पर विचार किया जा सकता है तथा हम इस पर विचार करेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : नहीं, चावल के इस निर्यात से किसानों को फायदा होना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : वह मैंने यही कहा है। मैंने कहा है कि मैं इसके आर्थिक पहलू के बारे में विचार करूंगा। इसका अध्ययन करना होगा। इसका जवाब तुरन्त नहीं दिया जा सकता।

सिक्किम में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

*390. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं और उनकी शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के संबंध में उनके क्या कार्यकलाप हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा कृषि-ऋणों के रूप में कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये और कितने लोगों को इससे लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, सिक्किम राज्य में सरकारी क्षेत्र के 3 बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और यूको बैंक कार्य कर रहे हैं और 30 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार इनकी 19 शाखाएं हैं जिनका ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	11
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6
यूको बैंक	2

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक जमा राशियों पर ब्याज देकर और परचों के माध्यम से प्रचार करके और बचत के लाभ दर्शाने के अभियानों द्वारा जनता में बचत की आदत को बढ़ावा देते हैं।

(ग) गत 3 वर्षों के अंत में सिक्किम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिमों की कुल बकाया राशि और ऋण खातों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :—

दिसम्बर के अंत में	खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपए)
1982	747	18.00
1983	2028	41.00
1984	4613	98.02

श्रीमती डी० के० भंडारी : हमने अल्प समयावधि में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों की 19 शाखाएं सिक्किम में खोली हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि सिक्किम के लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की हैं। दूसरे, लोगों को शिक्षित करने के लिए किन भाषाओं में इश्तहार निकाले जाते हैं, और कहां तक इसमें सफलता मिली है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक बचत करने की आदत का संबंध है, हम प्रोत्साहन देते रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छठे और सातवें निर्गमों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य उनके बारे में जानते हैं।

जहां तक जमाराशि का सम्बन्ध है, अगर कोई पांच वर्ष से ज्यादा राशि जमा रखता है, तो उसे 11 प्रतिशत की दर पर ब्याज दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं। प्रचार साधनों तथा प्रचार के दूसरे माध्यमों द्वारा भी हम इस बचत करने की आदत को प्रोत्साहन दे रहे हैं। शाखाओं को लाइसेंस देने तथा शाखा की बात पर आते हुए, जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, अब हमने 17,000 लोगों के पीछे एक शाखा उपलब्ध करा दी है। जहां तक स्थानिक अन्तर का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति प्रति 10 किलोमीटर एक शाखा खोलने की है। इस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं, और इस क्षेत्र में जो धनराशि दी गई है जहां तक प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है, इसके लिए रखे गये 40 प्रतिशत परीक्षण लक्ष्य की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र 1984 में 52 प्रतिशत

राशि के आसपास पहुंच गया है। सीधे कृषि के लिए उधार के विषय में, 14.2 प्रतिशत की तुलना में जो कृषि के क्षेत्र में समस्त भारत का औसत है हम 18.3 प्रतिशत देने में सक्षम रहे हैं।

डी० आर० आई० अग्रिम धन के विषय में, सिक्किम के बारे में कमजोर वर्गों को हम समस्त भारत के औसत आंकड़े 1.17 प्रतिशत की तुलना में उनको 4.9 प्रतिशत की सीमा तक देने में सक्षम रहे हैं।

श्रीमती डी० के० भंडारी : लोगों को शिक्षित करने के लिए वो भाषाएं कौन सी हैं जिनमें इश्तहार निकाले जा रहे हैं ? कहां तक यह सफल है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे सूचना की आवश्यकता है। मैं इस बारे में आपको लिखूंगा।

श्रीमती डी० के० भंडारी : सिक्किम से इन शाखाओं में कितने लड़के और लड़कियों को लगाया गया है ? क्या यह सत्य नहीं है कि सिक्किम केवल दूसरे राज्यों से लोगों की भर्ती का केन्द्र बन गया है ? क्या स्थानीय लड़के तथा लड़कियों को, चाहे वे अप्रशिक्षित हों, सरकार की इन शाखाओं में रोजगार देने की कोई नीति है ? क्या उनको इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना सम्भव है ?

श्री जनार्दन पुजारी : सिक्किम के बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं समस्त भारत का आंकड़ा दे सकता हूं। लगभग 7,50,000 लोग बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर कर रहे हैं (व्यवधान) उन्होंने बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में पूछा है। हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : कृषि के लिए दिए गये ऋण के बारे में पूछा गया था और उत्तर में बकाया धनराशि की बात कही गई है। खेती के लिये ऋण की कुल धनराशि क्या है ? क्या यह सत्य नहीं है कि सिक्किम तथा पूरे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जमा साख अनुपात बाकी सारे देश से उल्टी है, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र में ज्यादा धन खर्च किया जाना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करना था। लोगों द्वारा इन अग्रिम ऋणों की सहायता न लेने का एक कारण उनके द्वारा बैंकिंग आदत आदि का न होना है, वे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी परिचित नहीं हैं। सरकार यह देखने के लिये क्या कदम उठा रही है कि क्या लोग बैंकिंग आदत अपना रहे हैं ? जो अधिकारी वहां भेजे गये हैं, उन्हें लोगों की संस्कृति तथा अन्य पृष्ठ भूमि के बारे में जानना चाहिए और उस संदर्भ में, मेरे विद्वान साथी द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत जरूरी है। यह देखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उन्हीं क्षेत्रों के लोग इन बैंकों में लगाये जाएं, क्योंकि उन क्षेत्रों के लोग, व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध बनाने तथा उनको अच्छी तरह समझाने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि यह एक संगत प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सही है कि इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साख जमा अनुपात निम्न है। मैं स्वयं इस साख जमा अनुपात को उठाने के लिए निगरानी रख रहा हूं और ज्यादा धन कमजोर

वर्ग को दिया जायेगा और हम देखेंगे कि बैंकिंग प्रक्रियाएं और बैंकिंग आदत भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुधरें।

अब उन्हें रोजगार तथा उनको प्रशिक्षण देने पर आता हूं, जिससे वे इस क्षेत्र में उन्हें काम मिल सके, मुझे कुछ सूचना की आवश्यकता है।

केरल में इलायची की विपणन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

*392. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इलायची की प्रारम्भिक विपणन प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या वर्तमान विपणन प्रणाली के अन्तर्गत छोटे उत्पादकों के हितों को नुकसान पहुंचता है;

(ग) यदि हां, तो प्रारम्भिक विपणन प्रणाली में सुधार लाने के लिए इलायची बोर्ड की कोई ऐसी योजना है, जिसके द्वारा उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) इलायची का प्रारम्भिक विपणन अर्थात् उपजकर्ताओं द्वारा थोक बिक्रेताओं को बिक्री, सार्वजनिक नीलामियों की प्रणाली के जरिए 1950 के दशक से किया जा रहा है। सार्वजनिक नीलामियों को विक्रेताओं और क्रेताओं की एक बड़ी संख्या के बीच प्रतियोगिता के जरिए खुले सौदों तथा कीमत निर्धारण के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से लघु उपजकर्ताओं के लिए, लाभकारी समझा जाता है।

इलायची बोर्ड ने नीलामी बिक्री में ऋण के विनियमन के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं। इसने कर्नाटक में सीधी नीलामियां भी शुरू की हैं। आगे सुधार करने की गुंजाइश के संबंध में इलायची के उत्पादन तथा व्यापार में अंतर्ग्रस्त विभिन्न हितों के साथ परामर्श करके निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि नीलामी किसानों के लिए उसी स्थिति में लाभप्रद है जबकि नीलामी में बहुत से विक्रेता और खरीददार हिस्सा

ले रहे हों। यहां समस्या यह है कि विक्रेता तो बड़ी संख्या में हैं जो छोटे उत्पादक हैं परन्तु क्रेता केवल मुट्ठी भर हैं। उनमें से कुछ बाजार में प्रतियोगिता करते हैं, आपसी सांठ-गांठ से वे कीमतें कम कर देते हैं। पहले ही कीमतें बहुत कम हैं और किसान मुसीबत में है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भी निर्यात मूल्य उपलब्ध है हम उसे उत्पादकों तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं। परन्तु जो भी मूल्य उपलब्ध है उसे हमें उत्पादक तक पहुंचाना चाहिए। अब यह सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रेता बहुत कम हैं और परिणामस्वरूप वे कीमतें कम कर देते हैं। इस वर्ष हमने 3,000 टन इलायची का निर्यात किया था। यह सब मुट्ठी भर क्रेताओं द्वारा किया जाता है। सी० टी० सी० एल० ने, जोकि एक इलायची-निर्यातक संस्था है, एक टन इलायची का भी निर्यात नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह इलायची का अधिक मूल्य पाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए भी वह क्या कदम उठा रहे हैं कि जो भी निर्यात-मूल्य उपलब्ध है वह उत्पादकों को दिया जाये।

श्री पी० शिव शंकर : मैं ऐसा समझता हूं—मैं मानता हूं—मैं नहीं जानता, मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इलायची बोर्ड के एक सदस्य हैं और आप उपाय कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इलायची बोर्ड का बिक्री से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका विपणन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रो०पी० शिव शंकर : और वे उपाय कर रहे हैं।

श्री पी० जे० कुरियन : आप हमें अधिकार दीजिए, हमें खरीदने और बेचने की अनुमति तो दीजिए, हम ऐसा करेंगे।

प्रो० पी० शिव शंकर : बात यह है कि जहां तक व्यापारियों का सम्बन्ध है वे व्यापारी इसे बाजार में खरीदते हैं।' वास्तव में आज जो स्थिति है और जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कीमत बेहतर रही है परन्तु जहां पिछले वर्ष की कीमत से इसकी तुलना करने का प्रश्न है, पिछले वर्ष माल की कमी थी और माल की कमी के कारण कीमतें अधिक थीं। क्योंकि इलायची के उत्पादन-क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में फसल अच्छी हुई है इसलिए कीमतें उससे थोड़ी कम हैं। यह मैं मान सकता हूं। लेकिन फिर भी चूंकि नीलामी-प्रणाली शुरू हो गई है इसलिए कीमतें काफी अच्छी हैं जो अन्यथा नहीं होती। यदि माननीय सदस्य महोदय इलायची बोर्ड के एक सदस्य होने के नाते मुझे कुछ सुझाव देने के लिए तैयार हैं कि सर्वोत्तम सुधार कैसे किए जाएं, ताकि उत्पादकों को अच्छी कीमत मिले तो यह मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी से जी नहीं चुराता। लेकिन इलायची बोर्ड के एक सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य कारगर कदम उठा सकते हैं। वह नीलामी पर भी निगरानी रखते हैं। श्रीमान जी वह स्वयं ही इलायची की नीलामी करते हैं। वह स्वयं देख सकते हैं कि किसानों को उचित मूल्य दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब आप स्वयं अपने जाल में फंस गए हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय मंत्री महोदय का, इलायची बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले अच्छे सुझावों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करता हूं। श्रीमान जी आपकी सूचना के लिये इलायची बोर्ड से इलायची के विपणन की आशा नहीं की जाती है। ऐसा वे नहीं करते। यदि इलायची बोर्ड विपणन कार्य और निर्यात कार्य भी शुरू करे तो मैं सहमत हूं कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

परन्तु मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आप सहकारी समितियों के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते और सहकारी समितियों की सहायता क्यों नहीं करते ? किसानों की कुछ समितियां हैं, लेकिन कई कारणों से ये समितियां भली प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं और इलायची के निर्यात के लिये कोई सहकारी समिति नहीं है। क्या आप समितियों की सहायता के बारे में कुछ सोचेंगे और यदि आवश्यक हो तो अन्तर्राज्यीय सहकारी समिति बनाने के बारे में भी ताकि इलायची नीलामी केन्द्रों में प्रतियोगिता हो और इलायची का निर्यात किया जाए ताकि बिचौलियों को समाप्त किया जा सके और निर्यात आय का लाभ किसानों को मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सब ठीक है। अब आपको कहीं तो रुकना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक मैं समझता हूं इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बारे में विभिन्न मत हैं कि क्या सहकारी समितियां खरीद सकने की स्थिति में होनी चाहिये। इसके बारे में विभिन्न मत हैं। लेकिन इलायची बोर्ड अगर इस पर विचार करके सुझाव दे तो मैं इसके पूरे आर्थिक पहलू पर विचार करने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य ने सहकारी समितियों द्वारा बिल्कुल काम न करने का आरोप भी लगाया है। वह इसकी जांच करके उपयुक्त सुझाव दे सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम एक सुझाव देंगे क्या आप उसे मान लेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने कहा था कि मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री सुरेश कुरुप : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पिछले साल की तुलना में इलायची की कीमत कम हुई है पर वास्तव मे यह बहुत ही तेजी से कम हुई है। पिछले साल इसकी कीमत 300 रुपये थी और अब 100 रुपये है। इस तरह इसमे बहुत तेजी से कमी हुई है और इलायची उत्पादक हड़ताल के रास्ते पर आ गये हैं। किसानों की एक मांग यह है कि सरकार को इलायची के निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह इलायची के निर्यात को बढ़ाने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री पी० शिव शंकर : निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोत्साहन दिए गये हैं। कुछ का उल्लेख मैं इसी समय कर सकता हूं। ये इस प्रकार हैं :—

2 किलो तक के उपभोक्ता पैकटों में इलायची के निर्यात पर 10% नकद प्रतिपूरक समर्थन दिया जाता है।

एक किलो या उससे कम साबुत या पिसी इलायची के उपभोक्ता पैकेट पर 5% तक, गरम मसाला तेल पर 3% तथा थोक में साबुत या पिसे गरम मसाले पर 2 प्रतिशत आयाय प्रतिपूर्ति। पैकिंग सामग्री आयात के लिए अनुमति प्राप्त सामग्री है।

विभिन्न अन्य उपाय किये गये हैं। उदाहरण के लिए बाजार सर्वेक्षण/उपभोक्ता अनुसंधान तथा बिक्री एवं अध्ययन के लिये विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना। प्रसार तथा प्रचार के लिए इलायची बोर्ड द्वारा मेलों का आयोजन।

ये विभिन्न उपाय निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये किये गये हैं।

जहां तक लागत और प्राप्त कीमत का संबंध है, कुछ समय पहले मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि उत्पादकों को 90 से 120 रुपये तक लागत पड़ती है जबकि नीलामी में प्रति किलो 140 रुपए कीमत वसूल हुई है।

श्री सुरेश कुरूप : अभी उन्हें केवल 100 रुपये मिल रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : जहां जरूरी हो वहां मैं सीखने के लिये तैयार हूं। मैं कह रहा हूं कि यह कम है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने कारण भी बताये हैं। पिछले साल सूखा पड़ा था; सूखा और उत्पाद के न मिलने के कारण नीलामी में कीमतें बढ़ गईं। लेकिन इस साल रिकार्ड उत्पादन के कारण कीमतों में कमी आई है। बहरहाल कीमतें बहुत कम नहीं हैं। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुरूप : मेरा निवेदन है कि यह गलत है।

श्री के० एच० रंगनाथ : सरकार इलायची बोर्ड के बचाव के लिये आ गई है। कर्नाटक भी इलायची का उत्पादन करने वालों में से है। माननीय सदस्य का कहना है कि इलायची बोर्ड विपणन कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि किन कठिनाइयों के कारण सरकार इलायची बोर्ड का गठन उसी तरह नहीं कर रही जिस तरह काफी बोर्ड का गठन किया गया है जोकि बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। इलायची बोर्ड उत्पादकों से इलायची खरीद कर उसे क्यों नहीं बेचता जिस तरह काफी बोर्ड बेचता है ?

श्री पी० शिव शंकर : इस पर विचार किया जा सकता है लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। बहरहाल सुझाव दिया गया है इसलिये मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक काफी बोर्ड का संबंध है, स्थिति यह रही कि इसके सारे आर्थिक पहलू को देख लेने के बाद यह निष्कर्ष निकला था कि काफी बोर्ड को सारी काफी की खरीद करके उसका विपणन करना चाहिए। चाय बोर्ड सहित अन्य बोर्डों के मामलों में ऐसा नहीं किया गया है। बहरहाल क्योंकि सुझाव दिया गया है इसलिये मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। इसकी व्यवहार्यता की हम निश्चय ही जांच करेंगे। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा। मैं इसकी अवश्य जांच करूंगा।

स्टैण्डर्ड कपड़े का अधिक उत्पादन करने के लिए कपड़ा मिलों को निदेश

*393. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों को अनुदेश जारी करते समय इस बात पर जोर दिया है कि उनके उत्पादन में आम लोगों के उपयोग में आने वाले स्टैण्डर्ड कपड़े का एक निश्चित अनुपात में उत्पादन होना चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़ा मिलों द्वारा इन निदेशों का पालन किया जा रहा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केवल राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें ही नियन्त्रित वस्त्र उत्पादन में लगी हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिलें नियन्त्रित कपड़ा बनाने के काम में लगी हुई हैं, क्या ऐसे उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित हैं, इन मिलों द्वारा कितना कपड़ा तैयार किया जाता है तथा देश को कितने कपड़े की जरूरत है। आप जानते ही हैं कि हाल ही में तैयार और सदन में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय वस्त्र नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि नियन्त्रित वस्त्र को तैयार करने की जिम्मेवारी हथकरघा क्षेत्र को सौंपी जा रही है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन मिलों तथा हथकरघा क्षेत्र द्वारा तैयार किये जाने वाला सारा नियन्त्रित कपड़ा क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक पहुंच रहा है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कपड़े की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक से काम न करने के कारण बहुत से गरीबों को यह कपड़ा मिल नहीं रहा है, और यदि हां तो इस कपड़े के वितरण को सरल और कारगर बनाने के लिये सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, माननीय सदस्य सर्वप्रथम राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। कुल 125 मिले है जिनमें से 102 राष्ट्रीयकृत और शेष सरकारी प्रबन्ध वाली मिले हैं। 1985-86 के लिये 7000 लाख मीटर नियन्त्रित कपड़े का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 2800 लाख मीटर राष्ट्रीय वस्त्र निगम तैयार करेगा और 4200 लाख मीटर हथकरघा क्षेत्र। नियन्त्रित कपड़े और जनता कपड़े का वितरण उक्त निगम और राज्य सरकारें करती हैं। हमारे ध्यान में जब कोई समस्या या शिकायत लाई जाती है तो हम सम्बन्धित राज्य सरकार को उपयुक्त उपाय करने के लिये कहते हैं ताकि जनता वस्त्र उन तक पहुंच सके जिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार को देश में हथकरघा क्षेत्र की खराब हालत की जानकारी है क्योंकि इस समय 20% हथकरघे बेकार पड़े हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए, क्या उनकी समस्याओं को हल करने और नई वस्त्र नीति के

उपबंधों के अनुसार नियंत्रित वस्त्र को तैयार करने का काम उत्तरोत्तर और शीघ्र हथकरघा क्षेत्र को सौंपा जायेगा ? इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है और इस काम को कितनी शीघ्रता से किया जाएगा ? मैं यह भी जानता हूं कि इस साल के बजट में इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राज सहायता राशि निर्धारित की गई है और क्या उक्त राशि जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। तीसरे क्या सरकार के समक्ष अभाव के दौरान जनता कपड़े को तैयार करने के लिए बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम है तथा साधन-सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए क्या रक्षा-उपाय किये गये हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे है। इसलिए सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने सारे नियंत्रित वस्त्र को तैयार करने का काम हथकरघा क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में शुरूआत इसी साल की गई है। 1985-86 में 50 लाख मीटर अतिरिक्त कपड़ा तैयार करने का काम हथकरघा क्षेत्र को सौंपा गया। इसके अलावा हर साल 20% नियंत्रित वस्त्र तैयार करने का काम हथकरघा क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया गया है ताकि सातवीं योजना के अन्त तक कुल 7000 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र करने लगे।

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है, हमने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस साल हथकरघा क्षेत्र को 500 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने का काम उन 20% हथकरघों को दिया जाये जो दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित है और जिनके पास पर्याप्त काम नहीं है। आशा है कि इस 500 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने के काम से उन्हें अतिरिक्त काम मिलेगा और वे साल के अधिकांश समय के लिये अपने करघों को चला सकेंगे क्योंकि पिछले सालों के दौरान वे अपने करघों का पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं।

जहां तक राजसहायता का संबंध है, सहायता दी जा रही है। इस साल मिलों द्वारा तैयार किये गये नियंत्रित कपड़े पर 51.71 करोड़ रुपए और हथकरघा क्षेत्र को 72 करोड़ रुपए राज-सहायता उपलब्ध कराई गई है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मेरा प्रश्न था कि कामगारों के लिए क्या रक्षा उपाय किए गए हैं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री खुर्शीद आलम खां : उन्हें ऋण दिया जा रहा है। उन्हें कच्चा माल दिया जाता है तथा वित्तीय रूप से भी सहायता दी जाती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या यह सच है कि भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय कपड़ा मिलें बहुत घाटे में चल रही हैं ? अगर ऐसा है तो इन मिलों को इस कपड़े को तैयार करने का काम कैसे सौंपा गया जबकि भारी लाभ कमाने वाली निजी क्षेत्र मिलों को इस दायित्व से मुक्त रखा गया है ? महोदय, अगर यह उत्तरदायित्व पूरी तरह से हथकरघा क्षेत्र को सौंपा जा रहा है तो मानक कपड़ा तैयार करने और सम्भावित घाटे को पूरा करने के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : 1964 में जब नियंत्रित कपड़े को तैयार करने का काम शुरू किया

गया था तो उस समय यह दायित्व निजी मिलों को सौंपा गया था लेकिन मालूम पड़ा कि ये मिलें इस दायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए 1981 में सरकार ने निर्णय लिया कि लोगों की जरूरतों के अनुसार इस आवश्यकता को राष्ट्रीय वस्त्र निगम ही पूरा करेगा। जहां तक हथकरघा क्षेत्र का संबंध है हमें पूरा विश्वास है कि जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरा करने में वह समर्थ है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कहा था कि सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय वस्त्र मिलें घाटे में चल रही हैं और यह दायित्व उन्हें सौंपने से घाटे में और वृद्धि ही होगी। भारी लाभ कमा चुकी निजी क्षेत्र की मिलों को इस दायित्व से मुक्त रखा गया है। प्रश्न के जिस भाग पर जोर दिया गया था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : इसके लिए निजी मिलें विशेष उत्पाद शुल्क के तौर पर राज-सहायता का भुगतान कर रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कपड़ा मिलें आम आदमी के लिए अधिक नियंत्रित कपड़ा तैयार कर रही हैं। क्या सरकार ने उन वस्त्र मिलों के संबंध में कोई निर्देश जारी किया है जो कुप्रबंध के कारण अब बन्द होने जा रही हैं। मैं विशेष रूप से कलकत्ता की राष्ट्रीय वस्त्र मिलो की बात कर रही हूं। इन मिलों को क्यों बन्द किया जा रहा है? इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मुझे नहीं मालूम कि मिलों को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बीड़ी पर उत्पाद-शुल्क

*394. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बीड़ी पर कितना केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वसूल किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी पर बीड़ी उपकर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई और बीडी कामगार कल्याण निधि योजना पर मद-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान छोटे बीड़ी निर्माताओं को उत्पाद शुल्क में, प्रति वर्ष कितनी छूट दी गई?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीडी पर वसूल की गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वर्षवार राशि तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उपकर के रूप में वसूल की गई राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	बीड़ियों पर वसूल किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	बीड़ियों पर वसूल किया गया उपकर
1982-83	12094	320
1983-84	12936	346
1984-85	12829	345 (अनन्तिम)

बीड़ी-कामगारों की कल्याण निधि योजना पर मद-वार और वर्ष-वार खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)

	1982-83	1983-84	1984-85
प्रशासन	19.27	23.93	31.48
स्वास्थ्य	83.79	97.77	128.87
शिक्षा	40.16	49.13	51.82
मनोरंजन	3.40	0.21	0.34
आवास	0.66	0.47	0.37
जल आपूर्ति	—	—	—
	146.28	171.51	212.88

(ग) छोटे बीड़ी निर्माताओं द्वारा ली गई छूट की मात्रा के संबंध में कोई हिसाब नहीं रखा

जाता है। इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष बीड़ी उपकर के रूप में स्टेट वाइज कितनी कलैक्शन की गई और इस मद में कितना खर्च हुआ।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं है : मुझे नोटिस की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये की राशि उपकर के रूप में वसूल होती है, जिसमें से बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि पर लगभग दो करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। जो एक करोड़ रुपये की राशि हर साल बची रहती है, उसको बचाने का क्या तात्पर्य है और पूरी राशि श्रमिकों के कल्याण पर खर्च क्यों नहीं की जाती।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : इसे श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किया जाता है। हम प० बंगाल और कर्नाटक में दो अस्पतालों की स्थापना करने जा रहे हैं और इस उद्देश्य से भी धनराशि व्यय की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूतपूर्व रजवाड़ों के शासकों के निजी स्वामित्व वाले महलों, किलों आदि का पर्यटन सम्बन्धी महत्व

*391. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व रजवाड़ों के शासकों के निजी स्वामित्व वाले महलों, राज निवासों तथा किलों के पर्यटन संबंधी महत्व की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी पर्यटन संबंधी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) सरकार को भूतपूर्व रजवाड़ों के शासकों के निजी स्वामित्व वाले महलों, राज-निवासों तथा किलों के पर्यटन महत्व की जानकारी है। पर्यटन विभाग ने विदेश स्थित हमारे कार्यालयों के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटक ब्रोशरों, पोस्टरों और संवर्धनात्मक सामग्री का प्रकाशन कराया है।

कई सुप्रसिद्ध महलों को पहले ही होटलों में परिवर्तित किया गया है जिनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एजेन्सियां व्यावसायिक रूप से प्रबन्ध कर रही हैं। भूतपूर्व महाराजाओं के निजी रेलवे सैलूनों का उपयोग करते हुए "पैलेस आन व्हील्स" नामक एक विशेष रेलगाड़ी का पर्यटन विभाग ने प्रायोजन किया है जिसे रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से चलाते हैं। यह रेलगाड़ी सीजन के दौरान साप्ताहिक रूप से हर बुधवार को चलती है और पर्यटकों को दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर और आगरा ले जाती है जहां वे राजसी शहरों, महलों और किलों की यात्रा करते हैं।

विभिन्न स्थानों की पर्यटन संभाव्यता का मूल्यांकन करना एक पहले से चली आ रही प्रक्रिया है जिसमें पर्यटन विभाग राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यरत है। पर्यटकों द्वारा विभिन्न किलों और महलों की यात्रा करने के लिए सुविधाओं का विकास करने के वास्ते राज्य जो स्कीमें भिजवाएंगे उनकी पर्यटन विभाग केन्द्रीय वित्त-पोषण हेतु स्थान के महत्व, धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए जांच करेगा। किलों और महलों का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन करने के वास्ते कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र और दायित्व के अन्तर्गत आता है जबकि पर्यटकों के लिए सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना केन्द्रीय और राज्य पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी है।

पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का बन्द होना

*395. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ इकाइयां/मिलें निकट भविष्य में बन्द होने जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारण बेरोजगार हो जाने वाले कामगारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के

लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अभी तक किसी मिल को बन्द करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कुद्रेमुख के लौह अयस्क का जापान को निर्यात

*396. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एस० रघुमा रेड्डी } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख के लौह अयस्क का जापान को निर्यात करने के लिए जापान के साथ हाल ही में कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम लि० तथा कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० द्वारा जापानी स्टील मिल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 14 फरवरी, 1986 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 1986-87 में 2.5 मिलियन मे०टन कुद्रेमुख लौह अयस्क सान्द्रणों के निर्यात की व्यवस्था है। इससे लगभग 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है।

रुग्ण उद्योगों को वित्तीय सहायता देने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के संबंध में पुनरीक्षा करने हेतु वित्तीय संस्थानों और बैंकों का सम्मेलन

*397. **श्री के० प्रधानी**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था कि रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता देने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्यों के वित्तीय निगमों और बैंकों के बीच समन्वय करने, लघु उद्योग क्षेत्र में प्रारम्भिक रुग्णता का पता लगाने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए 21 फरवरी, 1986 को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई राज्यों के वित्तीय निगमों और वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और उद्योग मन्त्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा सावधि ऋणों का संयुक्त रूप से अथवा एक साथ मूल्यांकन करने और कार्यशील पूंजी को शीघ्र मंजूर करने का निर्णय लिया गया ताकि इसे उत्पादन शुरू होने से पूर्व 3 महीने के अन्दर एककों को भेजा जा सके।

[हिन्दी]

पर्यटक विश्राम गृहों का निर्माण

***398. श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा में एक पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण करने के लिए प्रबंध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि में ऐसे कितने पर्यटक विश्राम गृह बनाये जाएंगे और उनमें से कौन-कौन से राजस्थान में बनाये जाएंगे ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) :(क) और (ख) निम्न और मध्य आय के पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर्यटन विभाग ने इस श्रेणी के पर्यटकों के लिए यात्री निवासों के निर्माण की एक स्कीम प्रारम्भ की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम अवस्था में प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक यात्री निवास का निर्माण करने का प्रस्ताव है। अभी तक इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके प्रयोजनार्थ, 4 मामलों में धन-राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है। अन्य प्रस्ताव कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पर्यटन विभाग ने हरियाणा के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र में एक यात्री निवास का निर्माण करने की एक स्कीम पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू और उदयपुर में एक-एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। उनसे अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में केवल एक परियोजना का चयन करने तथा कुछ और ब्यौरे भी भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया है; इनके प्राप्त हो जाने पर इस मामले में आगे की कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कताई मिलें

*399. श्री हुसैन दलवाई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कुल कितनी कताई मिलें चल रही हैं;

(ख) इन मिलों में से कितनी मिलें (एक) गैर-सरकारी क्षेत्र में और (दो) सहकारी क्षेत्र में हैं; और

(ग) सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में कताई मिलों की कुल संख्या तथा उनके क्षेत्रवार ब्यौरे :—

(1) निजी क्षेत्र	20
(2) सहकारी क्षेत्र	26
(3) सरकारी क्षेत्र	1
	47

(ग) महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में नयी कताई मिलें स्थापित करने के विषय में कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

काले धन और करों की चोरी का पता लगाने के लिए केरल में कालीकट जिले में मारे गये छापे

*400. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन और करों की चोरी का पता लगाने के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान केरल में आय-कर सम्बन्धी कितने छापे मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कालीकट जिले में कितने छापे मारे गए; और

(ग) कालीकट जिले में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है और इस तरह कितनी धनराशि का पता लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 अर्थात् 1-4-1985 से 28-2-1986 के दौरान, आयकर विभाग ने केरल में 156 तलाशियां ली थीं। इसी अवधि के दौरान विभाग ने कालीकट जिले में 24 तलाशियां ली थीं और प्रथम-दृष्ट्या लगभग 21.40 लाख रुपए मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं।

सिंगापुर की एक फर्म द्वारा ऋण राशि लौटाई न जाने के कारण छः भारतीय बैंकों को वित्तीय हानि

*401. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर की एक फर्म द्वारा 18 मिलियन डालर का "सिंडिकेटड इयूज मार्क" ऋण वापस न किए जाने के कारण छः बड़े भारतीय बैंकों को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समाचार 21 फरवरी, 1986 के "इक्नामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) तीन भारतीय बैंकों, तीन भारतीय बैंकों के स्वामित्व वाली हांगकांग की एक वित्तीय कम्पनी और एक विदेशी बैंक के सिंडिकेट ने सिंगापुर की एक जहाजी कम्पनी को आस्थगित अदायगी गारंटी सुविधा दी थी। गारंटी की मांग करने पर, बैंकों के सिंडिकेट को गारंटी की पूरी रकम अदा करनी पड़ी। बैंकों के सिंडिकेट ने गारंटी के अन्तर्गत परिसम्पतियां प्राप्त कर ली हैं और वह इन परिसम्पत्तियों को उचित दाम पर निपटाने के लिये कदम उठा रहा है। इस सौदे में हानि की राशि का परिसम्पत्तियों का अन्तिम रूप से निपटान कर दिये जाने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रिक प्रतिष्ठानों तथा एकाधिकारी घरानों की आय तथा लाभ में वृद्धि

*402. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में बहु-राष्ट्रिक प्रतिष्ठानों तथा एकाधिकारी औद्योगिक घरानों की आय तथा लाभ में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उन्होंने इसके अनुपात में आयकर की कितनी राशि का भुगतान किया है; और

(ग) यदि उन्होंने आयकर का भुगतान नहीं किया है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बड़े औद्योगिक घरानों का कर पूर्व लाभ वर्ष 1975 में 675.10 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1984 में बढ़ कर 1191.71 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि, बहु-राष्ट्रिक प्रतिष्ठानों के लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) दी गई आयकर की राशि को, विभिन्न कानूनी छूटों के कारण लाभों में हुई वृद्धि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

[अनुवाद]

भारत में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

*403. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की किन्हीं परियोजनाओं के लिए ऋण अथवा वित्त प्राप्त करने के लिए हाल ही के महीनों में विश्व बैंक के साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ इसके राजकोषीय वर्ष 1986 (पहली जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक) के दौरान बातचीत की गई थी, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ अमेरिकी डालरों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत	ऋण/उधार की राशि जिसके लिए बातचीत की गई		बातचीत करने का समय
			अ० पु० अं० वि० और वि०बैंक	संघ	
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात नगर विकास	13.051	—	6.20	अक्तूबर-नवम्बर, 1985

1	2	3	4	5	6
2.	राष्ट्रीय कृषि अनु-संधान-II	11.093	—	7.21	अक्तूबर, 1985
3.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-I (नाबार्ड)	535·56	—	37.50	नवम्बर, 1985
4.	सीमेंट ऊर्जा बचत	46.98	20.00	—	दिसम्बर, 1985
5.	औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी)	100.00	25.00*	—	अगस्त-सितम्बर, 1985
6.	आन्ध्र प्रदेश संयुक्त सिंचाई-II	45.11	14.00	13.10	जनवरी, 1986
7.	कम्बाइंड साइकिल विद्युत परियोजना	116.43	48.50	—	फरवरी, 1986

*9 करोड़ अमरीकी डालर भारत सरकार के लिए

16 करोड़ अमरीकी डालर, जिसके लिए भारत सरकार की गारंटी है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के लिए।

उड़ीसा को पामोलीन (ताड़ तेल संघटक) और रेपसीड (तोरिया) तेल की पूर्ति

*404. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार से कुल कितने पामोलीन (ताड़ तेल संघटक) और रेप सीड (तोरिया) तेल की मांग की है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उड़ीसा को उपरोक्त प्रत्येक मद की कुल कितनी मात्रा में पूर्ति की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उड़ीसा सरकार ने तेल वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 (नवम्बर से अक्तूबर तक) के लिए आयातित खाद्य तेलों की

अपनी आवश्यकता इस प्रकार सूचित की है :

(मात्रा मी० टनों में)

तेल का नाम	तेल वर्ष 1984-85	तेल वर्ष 1985-86
पामोलीन तेल	48,000	28,800
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	12,000	शून्य
योग :	60,000	28,800

(ख) उड़ीसा सरकार को आवंटित की गई तथा उनके द्वारा उठाई गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा इस प्रकार है :

(मात्रा मी० टन में)

तेल का नाम	तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर-अक्तूबर)		तेल वर्ष 1985-86 (नवम्बर, 85 से मार्च, 86 तक)	
	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा
पामोलीन तेल	6,250	3,038	3,500	2,730
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	8,650	शून्य		
आर०बी०डी० ताड़ का तेल	1,500	शून्य		
योग :	16,400	3,038	3,500	2,730 (8.3.86 तक)

प्रमुख शराब निर्माताओं द्वारा कर अपवंचन

*405. श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने हाल ही में देश में कुछ प्रमुख शराब

निर्माताओं पर छापे मारे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये छापे कर-अपवंचन के संबंध में थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय ने 9.7.1985 को युनाइटिड ब्रीवरीज ग्रुप के मामलों में तलाशियां ली थीं और इन तलाशियों में आयकर विभाग को भी शामिल किया गया था। इन तलाशियों के दौरान, आयकर विभाग ने मैसर्स युनाइटिड ब्रीवरीज के अध्यक्ष श्री विजय माल्लया के बम्बई स्थित आवासीय परिसरों से लगभग 9.35 लाख रुपये के जेवर-जवाहरात पकड़े थे।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर अदायगियों के अपवंचन के लिए कोई तलाशी नहीं ली जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की जांच करने हेतु आयोग की मांग

*406. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों के कार्यकरण के बारे में ग्राहकों की शिकायतों में निरन्तर वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों के सेवा-प्रभारों और उनके सेवा-स्तर की पूर्ण रूप से जांच करने तथा उनमें व्यापक सुधार लाने के बारे में सरकार से मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार से इस संपूर्ण मामले की जांच करने हेतु कोई आयोग गठित करने के संबंध में भी मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के वास्ते कई उपाय किये हैं जिससे ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जा सके। हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई जा रही सेवा प्रभार अनुसूची के अनुसार अपने सेवा प्रभार बढ़ा दिये हैं। सेवा प्रभारों की यह अनुसूची भारतीय बैंक संघ द्वारा लागत के संबंध में किये गये एक अध्ययन पर आधारित है। आशा है कि सेवाएं प्रदान करने में बैंकों को आने वाली लागत काफी हद तक वसूल हो सकेगी।

सरकार को बैंक सेवा प्रभारों का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के बारे में कुछ सुझाव मिले हैं। जैसाकि पहले बताया गया है, बैंकों द्वारा स्वीकार किये गये सेवा प्रभार भारतीय बैंक संघ की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये लागत अध्ययन पर आधारित हैं। जहां तक ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का सवाल है, राष्ट्रीय अनुप्रयोग अनुसंधान परिषद द्वारा कुछ अध्ययन करवाए जा रहे हैं ताकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में ग्राहक सेवा केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रिया और कुछ अन्य चुने हुए नगरों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके।

[अनुवाद]

पूर्वी आंचल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के साथ कारोबार करने वाले व्यापारियों के कथित कदाचार

*407. श्री अनिल बसु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1986 के "दि टेलिग्राफ" में ट्रेडर्स फ्लीसिंग एन० टी० सी०" (व्यापारी रा० क० नि० को चूस रहे हैं) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) व्यापारियों के कथित कदाचारों के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियंत्रक कम्पनी) को उक्त समाचार में उल्लिखित आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे कोई कपटपूर्ण सौदे सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सऊदी अरब के प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में पूंजी-निवेश के अवसर

*408. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब और अन्य देशों के प्रवासी भारतीयों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने भारत में पूंजी-निवेश करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) "प्रवासी भारतीयों के लिए आर्थिक मंच" ने जिसकी स्थापना जद्दाह अरब, में हुई है, हाल ही में कुछ भारतीय कम्पनियों के लिए आनुषंगिक एककों को स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है। तथापि, इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव जब भी प्राप्त होगा उस पर तभी भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के निवेश के लिए निर्धारित नीति और मार्गनिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चोरी

3652. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम से वहां के कर्मचारियों ने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से चीनी के 380 कट्टे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम था, चोरी कर लिये;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए संबंधित प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या इस चोरी सहित सभी चोरियां पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हैं तथा उनके परिणामस्वरूप निगम को कितनी हानि हुई है; और

(घ) इन चोरियों के लिये जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) दिसम्बर, 1985 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजे गए विशेष दल द्वारा मौके पर जांच करने के दौरान भारतीय खाद्य निगम के नई दिल्ली में स्थित एक डिपो में आयातित चीनी के 360 कट्टे कम पाए गए थे। प्रारंभिक जांच से पता चला था कि यह एक गबन का मामला है।

(ख) जिन अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से लिप्त हुआ पाया गया था, मुअत्तल कर दिया गया है और उनका तबादला कर दिया गया है। यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी विस्तृत जांच करने के लिए भेज दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिए गए हैं और भण्डारों की अभिरक्षा करने के लिए विश्वसनीय अधिकारियों को तैनात किया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के डिपुओं में हुई चोरियों और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया जाता है :

(1) 3.2.83 को लगभग 360/-रुपये के मूल्य के गेहूं की दो बोरियों की चोरी करने का प्रयास किया गया। इस मामले में लिप्त पहरेदार को सेवा से निकाल दिया गया है।

(2) 13.3.84 को पहरेदार द्वारा (लगभग) 86/-रुपये मूल्य के 50 किलोग्राम गेहूं की चोरी की गई थी। इस मामले में लिप्त पहरेदार को प्रमुख सजा देने के लिए आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) 7.10.84 को पहरेदार द्वारा (लगभग) 80/-रुपये के मूल्य के 45 किलोग्राम गेहूं की चोरी का प्रयास किया गया था। इस मामले में लिप्त पहरेदार के वेतन में दो वर्षों के लिए दो चरणों में कमी कर प्रमुख सजा दी गई है।

सरकारी व्यय पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

3653. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल की वृद्धि के कारण उनके विभिन्न प्रकार के वाहनों के सम्बन्ध में सरकारी व्यय पर पड़े प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मूल्यांकन क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में जो जानकारी मांगी गई है उसे कुछ समय के बाद ही देना सम्भव हो सकेगा जबकि स्टाफ कारें बढ़ी हुई दर पर पेट्रोल की खपत कर लेंगी।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

3654. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की जाने वाली चमड़े की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत से निर्यात किये जा रहे चमड़ा माल में शामिल हैं फुटवियर, फुटवियर संघटक, परिधान, हैंड बैग, बैलेट्स, सेडलरी तथा हार्नेस आदि।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र में चमड़े के फुटवियर तथा अन्य चमड़ा माल तैयार करने के लिए नए एककों की स्थापना और विद्यमान एककों के विस्तार के लिए लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण, अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों की सुलभ उपलब्धता, मशीनों, कच्चे माल तथा संघटकों पर आयात शुल्क में कमी, इस उद्योग में लगी मानव-शक्ति को प्रशिक्षण आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो इस उद्योग के विकास के लिए उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में चिल्का झील में पर्यटन सुविधाओं का विकास

3655. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में चिल्का झील में पर्यटन क्षमता के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई और पूरी की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या पर्यटकों के संचार और मनोरंजन के विकास के लिए कोई परियोजना आरम्भ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या चिल्का झील के प्राकृतिक सौन्दर्य और विदेशो से आ रहे पक्षियों का चिल्का झील में विहार करने के बारे में एक वृत्त चित्र तैयार करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग राज्य से प्राप्त अलग-अलग परियोजना के लिए राज्य सरकारों को धन-राशि का आबंटन मूल्यांकन, परस्पर प्राथमिकता और धन-राशि की उपलब्धता के आधार पर करता है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र द्वारा चिल्का झील पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए तीन अलग-अगल स्कीमें प्रारंभ की गई हैं :

I. 2.14 लाख रुपए की लागत पर नौका दौड़ का आयोजन

II. 8.25 लाख रुपए का अनुमानित लागत पर चिल्का के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और

III. 2.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर चिल्का में जलक्रीड़ाओं के लिए उपकरणों सहित नौकाओं की खरीद।

(ग) राज्य सरकार द्वारा निर्मित "उड़ीसा-ए लैंड ऑफ अन फारगैटेबल मेमोरीज" शीर्षक फिल्म की, जिसमें चिल्का झील भी शामिल है, 50 प्रतियां खरीद ली गई हैं और भारत तथा विदेश स्थित केन्द्रीय पर्यटक कार्यालयों में प्रदर्शन के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या

3656. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों विशेषकर दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार उनमें ठहरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी;

(ख) अशोक ग्रुप के होटलों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम रही है;

(ग) दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों के नाम क्या हैं जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम रही है; और

(घ) इन होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उनके अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन (बोनस आदि) के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम (अशोक ग्रुप) होटलों की आकुपैंसी दर को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(घ) विवरण-दो संलग्न है।

विवरण-एक

क्रम सं०	होटलों का नाम	82-83 %	83-84 %	84-85 %
1	2	3	4	5
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	50	43	47
2.	होटल अशोक बंगलौर	50	50	36
3.	अकबर होटल, नई दिल्ली	69	44	34
4.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	42	40	43
5.	कुतब होटल, नई दिल्ली	74	54	57
6.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	44	39	47

1	2	3	4	5
7.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	53	50	54
8.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	41	32	43
9.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	92	86	79
10.	होटल वाराणसी अशोक	28	38	35
11.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	50	43	47
12.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	54	56	45
13.	लोधी होटल, नई दिल्ली	83	66	65
14.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	82	55	59
15.	होटल हसन अशोक, हसन	52	37	31
16.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	73	72	63
17.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामल्लापुरम	42	34	43
18.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	79	72	46
19.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	32	30	30
20.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	32	30	24
21.	होटल औरंगाबाद अशोक	36	37	43
22.	होटल खजुराहो अशोक	28	23	23
23.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	44	39	40
24.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	50	88	66

विवरण-दो

1982-83 से 1984-85 के गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के अलग-अलग होटल यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों को दिए गए बोनस की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	यूनिट का नाम	दिए गए बोनस की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
		1982-83	1933-84	1984-84	
1	2	3	4	5	6
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	20	20	8.33	—

1	2	3	4	5	6
2.	होटल अशोक, बंगलौर	8.33	8.33	8.33	—
3.	अकबर होटल, नई दिल्ली	70	20	8.33	—
4.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	8.33	8.33	8.33	—
5.	कुतब होटल, नई दिल्ली	8.33	8.33	8.33	—
6.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	8.33	8.33	8.33	—
7.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	8.33	8.33	8.33	—
8.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	—	—	—	प्रारंभिक अवधि के कारण बोनस का भुगतान नहीं किया गया
9.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	20	20	20	—
10.	होटल वाराणसी अशोक	8.33	8.33	8.33	—
11.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	—	—	—	प्रारंभिक अवधि के कारण बोनस का भुगतान नहीं किया गया
12.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	—	—	—	—वही—
13.	लोधी होटल, नई दिल्ली	20	20	20	—
14.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	8·33	19.18	8.33	—
15.	होटल हसन अशोक, हसन	8.33	8.33	8.33	—
16.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	20	8.33	20	—
17.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामल्लापुरम	8.33	8.33	8.33	—
18.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	8.33	8.33	8.33	—
19.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	8.33	8.33	8.33	—
20.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	8.33	8.33	8.33	—

1	2	3	4	5	6
21.	होटल औरंगाबाद अशोक	8.33	8.33	8.33	—
22.	होटल खजुराहो अशोक	8.33	8.33	8.33	—
23.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	8.33	8.33	8.33	—
24.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	—	—	—	प्रारंभिक अवधि के कारण बोनस का भुगतान नहीं किया गया

नोट : बोनस संदाय अधिनियम 1965 में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों को उपलब्ध आबंटनीय अधिशेष के आधार पर बोनस देय होता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिलनाडु में खाद्यान्नों की खरीद

3657. श्री एन० डेनिस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रत्येक राज्य में विशेषकर तमिलनाडु में खाद्यान्नों की प्रत्येक किस्म की कुल खरीद की मात्रा सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने बाजार से खरीदे गये प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्न की किस्म के लिये कमी, टुकड़ा, मिलावट आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों/प्रतिशत के बारे में किन मार्ग-निदेशों का पालन किया ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) विवरण-एक संलग्न है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों का पालन करता है। विनिर्दिष्टियों की एक प्रति संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

विपणन मौसम 1984-85 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे वसूल किए गए खाद्यान्न

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	गेहूं
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1783	—
असम	15	—
बिहार	—	—
गुजरात	—	—
हरियाणा	910	418
जम्मू तथा काश्मीर	—	—
कर्नाटक	101	—
केरल	--	—
मध्य प्रदेश	336	30
महाराष्ट्र	—	—
उड़ीसा	102	—
पंजाब	3835	1295
राजस्थान	46	217
तमिलनाडु	—*	—*
उत्तर प्रदेश	13	289
पश्चिम बंगाल	96	नग०
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—

1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	3	—
चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	5	—
दिल्ली (प्रशा०)	—	3
पांडिचेरी	6	—
	7251	2252

*तमिलनाडु सरकार की ओर से तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वसूली की जाती है।
नग०=500 मीटरी टन से कम।

विवरण-दो

सभी किस्मों के भारतीय गेहूं के लिए एक समान विनिर्दिष्टियां (विपणन मौसम 1984-85 और 1985-86)

गेहूं :

(क) देशी लाल, दड़ा, अन्य मैक्सिकन और बढ़िया देशी फार्म किस्मों का शुष्क तैयार अनाज होगा अर्थात् ट्रिटिकम वलगारे, टी० काम्पेक्टम, टी० फैरोकोक्कम, टी० डूरूम, टी० एस्टीबम और टी० डिकोक्कम।

(ख) स्वाभाविक आकार, रूप और रंग का होगा।

(ग) मीठा, साफ-सुथरा, पूर्ण और फफूंद, जीवित कीड़ों, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण जिसमें विषाक्त खरपतवार बीज और अन्य अशुद्धियां शामिल हैं लेकिन जिसमें निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर, मुक्त होगा।

(घ) ठोस व्यापारिक हालत में होगा; और

(ङ) उसमें पेस्टीसाइड्स, फुंगीसाइड्स और कोई बदबूदार, हानिकारक तथा विषाक्त पदार्थ नहीं होंगे।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप होगा।

विभिन्न बर्तनों की अधिकतम अनुमेय सीमा को बताने वाली अनुसूची

ग्रेड	विजातीय पदार्थ %	अन्य खाद्यान्न%	क्षतिग्रस्त अनाज %	मामूली क्षतिग्रस्त अनाज %	सिकुड़ा हुआ और टोटा अनाज%
1.	0.75	6.00	2.00	5.00	6.00
2.	1.50	10.00	3.00*	10.00	12.00

* गेहूं-2 में क्षतिग्रस्त अनाज की प्रतिशतता 3 प्रतिशत होगी। तथापि, गेहूं के उस स्टाक के मामले में जिसमें करनाल बंट से प्रभावित अनाज शामिल होता है, करनाल बंट से प्रभावित अनाज सहित क्षतिग्रस्त अनाज की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट :

1. ग्रेड-2 का मूल्य ग्रेड-1 के मूल्य की तुलना में 2/- रुपये प्रति क्विंटल कम होगा।

2. 12 प्रतिशत से अधिक लेकिन 14 प्रतिशत तक की नमी की पूर्ण मूल्य पर कटौती की जायेगी।

3. नमी के लिए मूल्य कटौती ग्रेड कटौती के अलावा होगी।

4. घुने हुए अनाज के मामले में, अन्य कटौतियों के अलावा, निम्नलिखित मूल्य कटौतियां की जाएंगी :—

(1) मौसम की शुरूआत से अगस्त के अन्त तक, प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए एक रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।

(2) पहली सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक एक प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन इससे किसी प्रकार की अधिकता होने की दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए 1/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।

(3) पहली नवम्बर से मौसम के अन्त तक 2 प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन उससे किसी प्रकार की अधिकता होने के कारण प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए 1/-रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जायेगी।

(4) जिस स्टाक में 3 प्रतिशत से अधिक घुना हुआ अनाज होगा, उसे रद्द कर दिया जायेगा।

5. जिस स्टाक में जीवित कीडे होते हैं, उसके मामले में प्रधूमन प्रभारों के रूप में पचास पैसे प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जायेगी।

परिभाषा :

विजातीय पदार्थ :

इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में रेत, कंकड़, कूड़ा, रोड़े, पत्थर, मिट्टी, चिकनी मिट्टी के ढेले और लोहे के जर्रे आदि शामिल होंगे। कार्बनिक पदार्थ में भूसी, खरपतवार बीज, तिनके और खाने योग्य अन्य अनाज शामिल होंगे।

सिकुड़ा अनाज :

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जो पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं।

टोटे :

गिरियों के टुकड़े जोकि पूर्ण गिरियों के आकार के तीन चौथाई से भी कम आकार के होते हैं।

घुना हुआ अनाज :

वे गिरियां आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खाई हुई होती हैं।

मामूली क्षतिग्रस्त अनाज :

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जोकि सतही तौर पर क्षतिग्रस्त अथवा बदरंग हो जाते हैं लेकिन जिसके कारण पदार्थ की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता।

क्षतिग्रस्त अनाज :

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े, जो हीट-माइक्रोब्स, नमी अथवा मौसम के कारण अंकुरित हो जाती हैं अथवा अन्दर से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

अन्य खाद्यान्न :

गेहूं के अलावा कोई भी खाद्यान्न।

धान की सभी किस्मों की एक समान विनिर्दिष्टियां

धान ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठी, शुष्क, साफ-सुथरी, अच्छ खाद्य-मान की सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगी और फफूंदी, घुनों, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण, अथवा रंग देने वाले पदार्थों से मुक्त होगी और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानकों के अनुरूप होगी।

धान का वर्गीकरण बहुत बढ़िया, बढ़िया और साधारण समूहों में किया जायेगा (बालासुब्रमण्यन की रिपोर्ट के अनुसार) तथापि, वसूली करने के प्रयोजन हेतु, प्रत्येक समूह को निम्न अनुसूची के अनुसार दो ग्रेडों अर्थात् ग्रेड-1 और ग्रेड-2 में विभाजित किया जायेगा :—

(क) विभिन्न बर्तनों की अनुसूची (विपणन मौसम 1984-85 और 1985-86)

क्र० सं०	आशुद्धियों आदि के सम्मिश्रण के संघटक	अधिकतम सीमा ग्रेड-1	अधिकतम सीमा ग्रेड-2
1	2	3	4
1.	**विजातीय पदार्थ**		
	(क) अकार्बनिक पदार्थ	1.0	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0	2.0

1	2	3	4
2.	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुना हुआ अनाज	2.0	4.0
3.	कच्चा, सिकुड़ा अनाज	2.0	4.0
4	निम्नतर किस्मों का सम्मिश्रण	15.0	20.0
5.	नमी	18.0	18.0

(ख) प्रति क्विटल ग्रेड कटौती :—

(क) बढ़िया और साधारण	कोई कटौती नहीं 2.00 रुपये
(ख) बहुत बढ़िया	कोई कटौती नहीं 2.50 रुपये

नोट : 1. उपर्युक्त वर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक संस्था की विधियों, भारतीय मानक 4333 (भाग-I), भा० मा० 4333 (भाग-II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा० मा० : 2813-1970 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

2. नमूने लेने की विधियों का अनाजों और दालों के नमूने लेने के लिए भारतीय मानक विधियों आधार पर अनुपालन करना होगा—भा० मा० 2814-1964।

चावल की बढ़िया और साधारण किस्मों की एक समान विनिर्दिष्टियां

चावल ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठा, शुष्क, साफ-सुथरा, अच्छे खाद्य-मान का सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगा और फफूंद, घुनों, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों और नीचे अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानकों के अनुरूप होगा।

वर्तनों की अनुसूची

(विपणन मौसम (1984-85 और 1985-86)

क्र० सं०	सम्मिश्रण अथवा अशुद्धियों आदि के संघटक	सहन सीमा (टी०एल०)%	निरस्तीकरण सीमा (आर० एल०)%	सहन सीमा से अधिक वर्तनों के लिए लगाई गई गुणवत्ता कटौतियों की दर
1	2	3	4	5
1.	टोटे-कच्चा	20.0	25.0	$\frac{1}{4}$ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
	सेला	17.0	22.0	—वही—

1	2	3	4	5
2.	विजातीय पदार्थ कच्चा/सेला	0.5	1.0	सम्पूर्ण मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
3.	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त अनाज			
	कच्चा	2.0	5.0	½ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
	सेला	3.0	5.0	—वही—
4.	बदरंग अनाज-कच्चा	2.0	4.0	¼ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
	सेला	4.0	8.0	—वही—
5.	चाकी अनाज-कच्चा	8.0	12.0	⅛ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
6.	लाल अनाज कच्च/सेला	6 0	10.0	¼ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
7.	निम्नतर श्रेणियों का सम्मिश्रणअर्थात बढ़िया में साधारण कच्चा/सेला	10.0	20.0	¼ मूल्य की दर पर 10 प्रतिशत से ऊपर लेकिन 20 प्रतिशत निरस्तीकरण से अधिक साधारण से निचले ग्रेड/बढ़िया।
8.	भूसीरहित अनाज कच्चा/सेला	10.0	15.0	⅛ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
9.	नमी की मात्रा कच्चा/सेला	14.0	15.0	सम्पूर्ण मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०

नोट : 1. उपर्युक्त बर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के "विश्लेषण की भारतीय मानक संस्था की विधियों"—संख्या भारतीय मानक : 4333 (भाग-I), 1967 और भा० मा० 4333 (भाग-II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा० मा० 2813—1978 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाता है।

2. भारतीय मानक "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" सं० भा० मा० 2814-1964 में दी गई नमूने लेने की विधि का अनुसरण किया जाना होगा।

3. पूर्ण गिरी के आकार के ⅛ से भी कम टोटों को कार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जाएगा। ⅛ से ¼ के आकार के टोटे 5·0 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिएं।

4. किसी भी ढेर में अकार्बनिक विजातीय पदार्थ 8.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि वह इससे अधिक होता है। तो उस दशा में स्टाक को साफ किया जाना चाहिए और उसे सीमा के अन्दर लाया जाना चाहिए।

5. सेला चावल के मामले में, जिसे प्रेशर पारबायलिंग तकनीक से तैयार किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेला बनाने की सही प्रक्रिया अपनाई जाती है अर्थात दिया गया दबाव, जितने समय के लिए दबाव दिया गया, उचित श्लेषीकरण, वातन, कुटाई से पूर्व शुष्कीकरण पर्याप्त होना चाहिए ताकि सेला चावल का रंग और उसे पकाने का समय सही हो और अनाज पपड़ी से मुक्त हो।

बहुत बढ़िया चावल की एक समान विनिर्दिष्टियां

चावल ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठा, शुष्क, साफ-सुथरा, अच्छे खाद्य-मान का सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, बदबू बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों और नीचे अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धियों से मुक्त होकर और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानकों के अनुरूप होगा।

वर्तनों की अनुसूची (विपणन मौसम 1984-85 और 1985-86)

क्र० सं०	सम्मिश्रण अथवा अशुद्धियों आदि के संघटक	सहन सीमा (टी०एल०)%	निरस्तीकरण सीमा (आर० एल०)%	सहन सीमा से अधिक वर्तनों के लिए लगाई गई गुणवत्ता कटौतियों की दर
1	2	3	4	5
1.	टोटे-कच्चा सेला	18.0 13.0	23.0 18 0	$\frac{1}{4}$ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
2.	विजातीय पदार्थ कच्चा/सेला	0.5	1.0	सम्पूर्ण मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
3.	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त अनाज कच्चा/सेला	2.0	4.0	$\frac{1}{2}$ मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
4.	बदरंग अनाज कच्चा	2.0	3.0	1/4 मूल्य की दर पर आर० से टी० आर०
	सेला	3.0	5.0	—वही—
5.	चाकी अनाज कच्चा	4.0	8.0	1/8 मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०

1	2	3	4	5
6.	लाल अनाज कच्चा/सिला	3.0	6.0	1/ : मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
7.	निम्नतर श्रेणियों का सम्मिश्रण कच्चा/सेला	10.0	20.0	1/4 मूल्य की दर पर 10 प्रतिशत से ऊपर लेकिन 15 प्रतिशत तक 1/2 मूल्य की दर पर !5 प्रतिशत से ऊपर 20 प्रतिशत तक। निरस्तीकरण सीमा से अधिक होने पर दर्जा घटाना।
8.	भूसी रहित अनाज कच्चा/सेला	10.0	15.0	1/8 मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
9.	नमी की मात्रा कच्चा/सेला	14.0	15.0	सम्पूर्ण मूल्य पर आर० एल० से टी० एल०

नोट : 1. उपर्युक्त वर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के "विश्लेषण की भारतीय मानक संस्था की विधियों" संख्या भारतीय मानक : 4333 (भाग-I) 1967 और भा० मा० 4333 (भाग-II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा० मा० 2813—1970 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

2. भारतीय मानक "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" सं० भा० मा० 2814-1964 में दी गई नमूने लेने की विधि का अनुसरण किया जाना होगा।

3. पूर्ण गिरी के आकार के 1/8 से भी कम टोटों को कार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जाएगा। 1/8 से 1/4 के आकार के टोटे 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिएं।

4. किसी भी ढेर में अकार्बनिक विजातीय पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि वह इससे अधिक होता है तो उस दशा में स्टाक को साफ किया जाना चाहिए और उसे सीमा के अन्दर लाया जाना चाहिए।

5. सेला चावल में मामले में, जिसे प्रेशर पारबायलिंग तकनीक से तैयार किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सेला बनाने की सही प्रक्रिया अपनाई जाती है अर्थात दिया गया दबाव, जितने समय के लिए दबाव दिया गया, उचित श्लेषीकरण, वातन, कुटाई से पूर्व शुष्कीकरण पर्याप्त होना चाहिए ताकि सेला चावल का रंग और उसे पकाने का समय सही हो और अनाज पपड़ी से मुक्त हो।

बासमती चावल की एक समान विनिर्निष्टियां

चावल ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठा, शुष्क, साफ-सुथरा, अच्छे खाद्य-मान का सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों और नीचे अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानकों के अनुरूप होगी।

वर्तनों की अनुसूची (विपणन मौसम 1984-85 और 1985-86)

क्र० सं०	सम्मिश्रण अथवा अशुद्धियों आदि के संघटक	सहन सीमा (टी०एल०) %	निरस्तीकरण सीमा (आर०एल०)%	सहन सीमा से अधिक वर्तनों के लिए लगाई गई गुणवत्ता कटौती की दर
1	2	3	4	5
1.	टोटे कच्चा	18.0	23.0	1/4 मूल्य की दर पर आर०
	सेला	13.0	18.0	एल० से टी० एल०
2.	विजातीय पदार्थ			सम्पूर्ण मूल्य की दर पर आर०
	कच्चा/सेला	0.5	1.0	एल० से टी० एल०
3.	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त अनाज			
	कच्चा/सेला	2.0	4.0	1/2 मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
4.	बदरंग अनाज कच्चा	2.0	3.0	1/4 मूल्य की दर पर आर०
	सेला	3.0	5.0	एल० से टी० एल०
5.	चाकी अनाज			1/8 मूल्य की दर पर आर०
	कच्चा	4.0	8.0	एल० से टी० एल०
6.	लाल अनाज			1/4 मूल्य की दर पर आर०
	कच्चा/सेला	3.0	6.0	एल० से टी० एल०
7.	निम्नतर श्रेणियों का सम्मिश्रण अर्थात बढ़िया में साधारण कच्चा/सेला	10.0	20.0	(क) 1/4 मूल्य की दर पर 10% ऊपर लेकिन 25% तक 1/2 मूल्य की दर पर 15% से 20% तक (ख) निरस्तीकरण सीमा से बाहर होने पर इसे बासमती चावल के रूप में नहीं खरीदा जायेगा।

1	2	3	4	5
8.	भूसी रहित अनाज कच्चा/सेला	10.0	15.0	1/8 मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०
9.	नमी की मात्रा कच्चा/सेला	14 0	15.0	सम्पूर्ण मूल्य की दर पर आर० एल० से टी० एल०

नोट : 1. उपर्युक्त बर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के "विश्लेषण की भारतीय मानक संस्थान की विधियों" संख्या भारतीय मानक : 4333 (भाग-I) 1967 और भा० मा० 4333 (भाग-II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा० मा० 2813—1970 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

2. भारतीय मानक "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" सं० भा० मा० 2814-1964 में दी गई नमूने लेने की विधि का अनुसरण किया जाना होगा।

3. पूर्ण गिरी के आकार के 1/8 से भी कम टोटों को कार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जायेगा। 1/8 से 1/4 के आकार के टोटे 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिएं।

4. किसी भी ढेर में अकार्बनिक विजातीय पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि वह इससे अधिक होता है तो उस दशा में स्टाक को साफ किया जाना चाहिए और उसे सीमा के अन्दर लाया जाना चाहिए।

5. सेला चावल के मामले में, जिसे प्रैशर पारबायलिंग तकनीक से तैयार किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सेला बनाने की सही प्रक्रिया अपनाई जाती है अर्थात दिया गया दबाव, जितने समय के लिये दबाव दिया गया, उचित श्लेषीकरण, बातन, कुटाई से पूर्व शुष्कीकरण पर्याप्त होना चाहिए ताकि सेला चावल का रंग और उसे पकाने का समय सही हो और अनाज पपड़ी से मुक्त हो।

ग्रामीण बैंकों के निलम्बित कर्मचारियों को गुजारा भत्ता

3658. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निलम्बित कर्मचारियों को दिये जाने वाले गुजारा-भत्ते की राशि बढ़ाने के लिये तत्संबंधी अधिनियम में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजारा-भत्ते में वृद्धि करने वाला उक्त अधिनियम ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर लागू होता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए गुजारा भत्ते का लाभ देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुशासन और अपील विनियमों के उपबन्धों या द्विपक्षीय समझौतों की शर्तों में, जिनके द्वारा इस समय इन बैंकों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के गुजारे भत्ते की अदायगी नियंत्रित होती है, अभी हाल में कोई संशोधन नहीं किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी संबंधित बैंकों के कर्मचारी विनियमों के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नई नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना

3659. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद प्रतिपूर्ति सहायता को 1 अप्रैल, 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये लागू होने वाली नई योजना में औद्योगिक उत्पादों के सम्बन्ध में नकद प्रतिपूर्ति सहायता दरों को निर्धारित करने में कराधान के क्रमिक ढांचे को ध्यान में रखा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) नकद प्रतिपूर्ति सहायता दरें किस प्रकार निर्धारित की जाएंगी और उत्पादों अथवा बाजार के उतार-चढ़ाव के लिये किन परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति दी जायेगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) नकद मुआवजा सहायता सम्बन्धी नई योजना 1 जुलाई, 1986 से प्रभावित होगी, जो 3 वर्षों की अवधि के लिये वैध होगी। नकद मुआवजा सहायता दरों के निर्धारण सम्बन्धी इस नई योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) औद्योगिक उत्पादों के सम्बन्ध में, बिना लौटाये गये अप्रत्यक्ष करों की पुन: वापसी, नकद मुआवजा सहायता दरों को निर्धारित करने के लिये मुख्य घटक बनी रहेगी। तथापि, कराधान की प्रपाती संरचना को भी ध्यान में रखा जाएगा;

(2) उत्पाद/विपणन के लिये मुआवजा क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर केवल बहुत ही चयनात्मक ढंग से दिया जायेगा;

(3) फल तथा सब्जियों जैसी कृषिगत मदों के सम्बन्ध में जोकि खराब हो जाती हैं, भारत

के भीतर परिवहन की ऊंची लागत के लिये मुआवजे के एक विशेष तत्व की व्यवस्था की जायेगी ;

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के सम्बन्ध में श्रम द्वारा मूल्यवर्धन नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक मुख्य घटक समझा जायेगा।

(5) नकद मुआवजा सहायता देने के सम्बन्ध में मूल्यवर्धन के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति न दिये जाने, अर्थात् आर० ई० पी० हकदारी कम करके एफ० ओ० बी० प्राप्त (पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत) का प्रतिबंध जारी रहेगा ;

(6) भारत के भीतर कतिपय श्रेणियों की सप्लाइयों पर नकद मुआवजा सहायता देने की वर्तमान नीति, जिसमें उन्हें माने गये निर्यातों के रूप में लिया जाता है, जारी रहेगी।

शुल्क वापसी प्रणाली को सरल बनाने के लिए सुझाव

3′(0 **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातों में बहुत कम वृद्धि हुई है और निर्यातक कम्पनियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार शुल्क वापसी प्रणाली को सरल बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के सुझाव प्राप्त हुये हैं कि निर्यात संवर्धन प्रयासों में तेजी लाते हुये तथा बाहर के बाजारों में भारत में उत्पादित वस्तुओं के नाम को बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी दक्षिण एशियाई देशों के संगठन के लिये रुपया अदायगी योजना का विस्तार करते समय ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाये जिनमें आयात से बचा जा सकता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बीच इन सुझावों पर विचार किया गया है और क्या अब तक उन पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) 1 फरवरी, 1986 से सभी प्रमुख सीमा शुल्क सदनों और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क वापसी के भुगतान की एक समान सरलीकृत प्रक्रिया आरम्भ की गई है। सिले-सिलाये परिधानों, चमड़ा तथा फुटवियर उद्योग के लिये शुल्क वापसी की दरों को भी सुव्यवस्थित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

3661. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले एक वर्ष के दौरान बैंकों की शाखाएं खोलने के लिये कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नई शाखाएं खोलने के लिये उनके मंत्रालय ने मंजूरी दी है, और इन शाखाओं में कब से काम शुरू होने की सम्भावना है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय नई शाखाओं को खोलने के मामले में पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को वरीयता देता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसे क्षेत्रों में किन-किन स्थानों से नई शाखाएं खोलने के लिए आवेदनपत्र मिले हैं और इनमें से कितने स्थानों में बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं और कितने स्थानों में इस वर्ष नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश में शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस मंजूर करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक सक्षम प्राधिकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 के बीच वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उत्तर प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए 221 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) संलग्न विवरण-एक में उत्तर प्रदेश के उन 139 केन्द्रों का ब्योरा दिया गया है जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि में आवंटन किये गये थे। इन केन्द्रों में से, बैंकों ने 85 केन्द्रों में पहले ही अपनी शाखाएं खोल दी हैं। यह बताना सम्भव नहीं है कि बाकी केन्द्रों में कब तक शाखाएं खोल दी जाएंगी क्योंकि शाखाओं का खोला जाना उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता आदि पर निर्भर करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों, बिरली आबादी वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा और इन इलाकों में अपेक्षाकृत उदारता से शाखाएं खोली जाएंगी।

(घ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के उन केन्द्रों, जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इन आवेदनों में से बैंकों को आवंटित केन्द्रों के नामों का ब्योरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि इन लाइसेंसों की वैधता अवधि एक वर्ष होगी और बैंकों से इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व शाखाएं खोल लेने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण-एक

उत्तर प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान किया गया आवंटन

जिला	केन्द्र का नाम
1	2
1. आगरा	बाह, पिनहाट, अछुएरा और फतेहाबाद
2. अलीगढ़	हाथरस
3. अल्मोड़ा	बसंत, मछौर, कंधार और अल्मोड़ा
4. आजमगढ़	रानी की सराय और दोहराघाट
5. बलिया	सिकंदरपुर, चित्त बड़ागांव और बिलथारा रोड मार्किट
6. बरेली	जिओरा-कल्याणपुर, बिलासपाड़ा, परभापुर, फरांसगंज और सैनीदा
7. बस्ती	कुरूजर महोदव।
8. बुलन्दशहर	खुर्जा, जी० आ० रोड, मुरारीनगर।
9. चमौली	तपोवन
10. देहरादून	भोगपुर, नयागांव, उद्दीवाला कौलागढ़, शामपुर, मखती पोखरी, धाजरा और सतनारायण।
11. देवरिया	सालेमपुर हाला, नुनखार, बढ़हा, सोरोरा, नारायणपुर, पिपरही बारकुलवा, कोटाथा और पिपरा बजरंग।
12. इटावा	बिदुना
13. फैजाबाद	अयोध्या
14. फर्रूखाबाद	कैमगंज
15. फतेहपुर	अमोली, धोता और खजुआ
16. पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी और अगरोडा

1	2
17. गाजीपुर	दिलदारनगर, मनीहारी
18. गोण्डा	तुलसीपुर, बल्लिपुर और मनकपुर
19. जौनपुर	जम्बलतारा, नेहरूनगर और हरीपुर
20. झांसी	कोच्छाभावार, अम्बाबाई, इशागढ़, भांद्रा, बम्होरी और शाहजहांपुर।
21. लखीमपुर खीरी	मोहमदी, पलिया कलां
22. ललितपुर	मातातिला
23. मैनपुरी	प्रतापपुर
24. मेरठ	सरधना, मवाना, काल्नद, बड़ौत, जाहीदपुर और सरूरपुर कलां
25. मुरादाबाद	उझारी सादत और गजरौला (औद्योगिक क्षेत्र)
26. मुजफ्फरनगर	शामली, खतौली
27. नैनीताल	रानीबाग, देवलचौर, अममढ़ी, हेमपुर, समायल, भटेलिया, दौलतपुर, सकोनिया, हरिपुर, हरसन, नथूआखान, खेमपुर, मलधानचौक, नोकूछताल, नैनीताल और तनकपुर।
28. पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ रोड
29. प्रतापगढ़	संग्रामगढ़, लालगंज, रामगंज, बाबूगंज
30. रायबरेली	पकासरवन, बनावन
31. रामपुर	सिमारिया, रास डंडिया, सैधा खेड़ा, चौखंडी, नया सागरपुर, नौरखेड़ा, सुमाल्ली लालबाला बाग, मछुकर, पंजाबनगर, सोहापट्टी भोलानाथ, सौर और शाहबाद।
32. सहारनपुर	खाजौरी अकबरपुर, नहलीपुर, खेड़ा मुगल, कुग्गावाला, लैबोली, गुन्ना, हसनपुर-

1	2
	मिल्कपुर (औद्योगिक क्षेत्र), तलीवाला, लम्बेहाटाचंद, घनौरी, सिखरोहा, भलसुवागंज, दुदला, अमेईकलां, दूधगढ़, देवबंद, खुरदी, दतौली, रानगढ़, वधाकायस्थ, गदर हेदी, मातादीन दीयालपुर, शाहजहांपुर, अधीयाना, रनदौल और नौगांव।
33. शाहजहांपुर	गंगसारा
34. सीतापुर	चन्द्रासैनी
35. सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
36. टिहरी गढ़वाल	नगरी
37. उन्नाव	मोरावन, अचलगंज, भगवन्तनगर और नवाबगंज।

विवरण-दो

(क) उन केन्द्रों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जिनके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

क्रम सं०	जिला	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	नैनीताल	गदरपुर, बरहरी, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज
2.	देहरादून	मसूरी, ऋषिकेष, देहरादून, जखन, मस्ती, पोखरी, झाजरा, लक्ष्मणदल, हरबुतपुर, छिद्दरवाला, सतनारायण, उत्तरकाशी, थानू, रायवाला, दकसा, समीवाला, कवानू, पैंजीथी, लेगी, जोली ग्रांट
3.	अल्मोड़ा	बसंत, चिलियानाला, मछार, क्वराला, चिताई, घेरीगारूतोला, सदर बाजार, मनीला, कंधार,
4.	पौड़ीगढ़वाल	पौड़ी, कोटद्वार, लैंसडाउन, दोषड्डा, नौगांवखाल, अरोडा, बाजार, लोवली, खंखरा, कमलेश्वर,

1	2	3
		चिपलाघाट, किरखुमर्किगोरीखाल, सिघखाल, कोत्सीसैंण, दुरगांवखाल, कालाघाटी, गवानी, बैजनू, लक्ष्मणझूला ।
5.	पिथौरागढ़	पलेटा, गुरना, दघुनाघाट, लोहाघाट, चम्पावत, बलुवाखेत, धरचुला, मोवानी ।
6.	उत्तरकाशी	दिछी, चाजुल, पीपली रजक, बैणीघाट, नेतवार ।
7.	चमोली	गोपेश्वर, जोशीमठ, चमौली, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, तिलवाड़ा, तपोवन, हेलंग, घोल्तीर, सिमली ।
8.	टिहरी गढ़वाल	घनौल्ती, देवप्रयाग, नागनी, टिहरी, दुगड्डा, तपोवन, कोटी, बछेरीखाल, आगराखाल, कमंद ।

(ख) उपर्युक्त में से बैंकों को आबंटित केन्द्रों के नाम

जिला	केन्द्र का नाम
अल्मोड़ा	क्वेराला, कंधार, बसंत, मछौर
गढ़वाल	अमरोडा
चमोली	तपोवन
देहरादून	मख्ती ोखरी, झाजरा, सत नारायण
टिहरीगढ़वाल	नागनी
पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी

[अनुवाद]

विदेशी और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रीय चैक क्लियरिंग प्रणाली लागू करना

3662. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विदेशी और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी राष्ट्रीय चैक क्लियरिंग प्रणाली शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बम्बई और नई दिल्ली के बीच बाहरी चैकों के समाशोधन की राष्ट्रीय योजना अप्रैल/मई, 1986 में आरम्भ करने का विचार है। तत्पश्चात, यह सुविधा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के चार महानगरों के बाहरी चैकों के समाशोधन के लिए लागू करदी जाएगी। विदेशी बैंकों सहित सभी बैंक इस योजना में भाग लेंगे।

तम्बाकू का उत्पादन

3668. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में तम्बाकू का कितना वार्षिक उत्पादन होता है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात करने और सिगरेट निर्माता कम्पनियों को बेचने के लिए तम्बाकू की खरीद की जा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1983 में राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की कुछ मात्रा की खरीद की गई थी जिसका कुछ भाग निर्यात किया गया और कुछ भाग स्थानीय बाजार में सिगरेट विनिर्माताओं/निर्यातकों को बेचा गया था। इस समय राज्य व्यापार निगम केवल निर्यातों पर ध्यान दे रहा है।

विवरण

प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्यों के नाम तथा 1984-85 के

दौरान उत्पादित तम्बाकू की मात्रा

क्रमांक	राज्य का नाम	मात्रा (हजार मे० टन)
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	171.7
2	बिहार	13.4
3	गुजरात	173.5

1	2	3
4	कर्नाटक	30.5
5	तमिलनाडु	16.7
6	उत्तर प्रदेश	26.5
7	प० बंगाल	16.5
	समस्त भारत	472.8

चांदी और सोने के आभूषणों को उत्पाद शुल्क से छूट देना

3664. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1 अगस्त, 1985 के अपने असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 181/85 द्वारा चांदी और सोने के आभूषणों और उनसे बनी वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी थी;

(ख) क्या उसके बाद महाराष्ट्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने व्यापार सूचना जारी की कि चूंकि केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना में सोने और चांदी के तारों, पतरों और प्लेटों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए उस पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोने और चांदी के तार, पतरे और प्लेटें किसी अधिनियम के अंतर्गत बेची जाने वाली निर्मित वस्तुएं नहीं हैं, क्या सरकार का विचार एक नई अधिसूचना जारी करने का है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि इन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नहीं लगाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 1-8-1985 की अधिसूचना संख्या 181/85-के० उ० शु० के द्वारा आभूषणों और सोने अथवा चांदी अथवा दोनों से बनी हुई वस्तुओं को, चाहे उनमें रत्न, मणियां अथवा मोती जड़े हों अथवा नहीं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई थी।

(ख) बम्बई में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने सोने की तारों, छड़ों और प्लेटों का निर्माण करने वाले कतिपय एककों को यह कहते हुए पत्र जारी किये थे कि दिनांक 1-8-85 की अधिसूचना स० 181/85-के० उ० शु० के अधीन छूट ऐसे उत्पादों पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिये वे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही ऐसे माल की निकासी करें। चांदी

की तारों, छड़ों और प्लेटों के संबंध में कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया था, जिन्हें एक अलग अधिसूचना के तहत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है।

(ग) आभूषणों तथा उनके हिस्सों के निर्माण में प्रयोग की गई छड़ों, तारों, शीटों, प्लेटों और सोने की पन्नियों को छूट देते हुए दिनांक 11-3-1986 को अधिसूचना सं० 194/86-के० उ० शु० जारी कर दी गई है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दिनांक 1-11-1982 की तत्कालीन टैरिफ की अधिसूचना संख्या 234/82-के० उ० शु० के० तहत चांदी की तारों, छड़ों और प्लेटों और पन्नियों को उपलब्ध छूट को नई टैरिफ में दिनांक 10-2-86 की अधिसूचना संख्या 53/86-के० उ० शु० के तहत जारी रखा गया है।

चीनी का आयात बन्द करने का निर्णय

3665. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी का आयात बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशनकार्ड धारियों को दी जा रही चीनी की मात्रा में कमी आएगी; और

(ग) क्या दोहरी मूल्य नीति और चीनी की खुली बिक्री जारी रहेगी ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) आन्तरिक खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्वदेशी चीनी की उपलब्धता की कमी की मात्रा तक ही चीनी का आयात सीमित रखा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चालू मौसम 1985-86 के लिये दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के साथ आंशिक नियंत्रण की नीति की घोषणा पहले ही कर दी गई है।

निर्यातकों को उनके उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन

3666. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को लाभ के बजाये उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन और उन्हें विदेशी मुद्रा का कुछ अंश अपने पास रखने की अनुमति देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) कारोबार पर आधारित किन्हीं नए प्रोत्साहन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने निर्यातकों को अर्जित विदेशी मुद्रा के एक अंश को रखने के लिए अनुमति देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान गन्ने के मूल्य के बारे में दी गई सलाह

3667. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान गन्ने के मूल्य के बारे में क्या सलाह दी गई तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन, केन्द्रीय सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। 1985-86 मौसम के लिये गन्ने का मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर, लेकिन जिसमें 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था है। 16.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चीनी फैक्ट्रियों को अधिक मूल्य देने के लिए सलाह दे रही हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों का निर्धारण करने में अन्तर्ग्रस्त नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार, प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों के संबंध में स्थिति नीचे दी जाती है :—

राज्य	प्रति क्विंटल मूल्य
1	2
आंध्र प्रदेश	8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 19.50 रुपये
असम	22.00 रुपये
गुजरात	सलाह नहीं दी है।
हरियाणा	24.00 रुपये साधारण किस्म के लिए। 26.00 रुपये सी० ओ० 7314 और 7717 किस्मों के लिए। 27.00 रुपये सी० ओ० जे० 64 के लिए।
कर्नाटक	8.5% की रिकवरी पर 18.50 रुपये

1	2
केरल	20.50 रुपये से 25.00 रुपये
महाराष्ट्र	20.00 रुपये का अग्रिम मूल्य (खेत पर)
पंजाब	24.00 रुपये साधारण किस्म के लिये 27.00 रुपये सी० ओ० जे० 64 किस्म के लिए
तमिलनाडु	8.5% की रिकवरी पर 19.50 रुपये
उत्तर प्रदेश	
पूर्वी उत्तर प्रदेश	23.00 रुपये
पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश	24.00 रुपये
पश्चिम बंगाल	25.00 रुपये
बिहार	23.00 रुपये

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल फिल्म विकास निगम को ऋण का रोका जाना

3668. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जो पश्चिम बंगाल फिल्म विकास निगम को साल्ट लेक में 5.5 करोड़ रुपये की कलर लेबोरेटरी परियोजना के लिए 2.64 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए सहमत हो गया था, अचानक धन देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भुगतान रोक देने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप परियोजना में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) पश्चिम बंगाल फिल्म विकास निगम को भुगतान जारी रखने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि धन की कमी के कारण परियोजना में विलम्ब न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि उसने अप्रैल 1984 में पश्चिम बंगाल फिल्म विकास निगम (डब्ल्यू० बी० एफ० डी० सी०) को साल्ट लेक, कलकत्ता में रंगीन फिल्म प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 264 लाख रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था। भारतीय

औद्योगिक विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल फिल्म विकास निगम के प्रवर्तकों के 192 लाख रुपये के अंशदान के मुकाबले परियोजना के लिये अब तक 220 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है। ऋण समझौते की सामान्य शर्त यह है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भुगतान प्रवर्तकों द्वारा अंशदान किये जाने के बाद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल फिल्म विकास निगम के मामले में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस शर्त में ढील दे दी थी और 264 लाख रुपये के ऋण में से 220 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा चुका है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा शेष रकम का भुगतान प्रवर्तकों के उपयुक्त अंशदान के अनुरूप और धन राशियों की आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

उड़ीसा में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

3669. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा में किन-किन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में बातचीत हुई है;

(ख) क्या विश्व बैंक को पर्याप्त जानकारी और योजनाएं उपलब्ध न कराए जाने के कारण कुछ परियोजनाओं को त्याग दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व बैंक के साथ उड़ीसा के लिए जिन परियोजनाओं के बारे में बातचीत की गई और जिनका अनुमोदन किया गया, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व बैंक के साथ उड़ीसा के लिए जिन परियोजनाओं के बारे में बातचीत की गई और जिनका अनुमोदन किया गया उनका ब्यौरा

(लाख अमेरिकी डालर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	करार की तारीख	अ० पु० वि० बैंक	अ० वि० संघ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	महानदी बराज	5-12-80	—	830	

1	2	3	4	5	6
2.	सुवर्णरेखा सिंचाई	9-11-82	—	1270	इसमें बिहार और उड़ीसा भागीदार राज्य हैं।
3.	अपर इन्द्रावती पन बिजली	8-6-1983	1564	1700	
4.	उड़ीसा सिंचाई-II	16-9-1983	—	1050	
5.	एन० सी० डी० सी०-III	12-10-1984	—	2200	इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान भागीदार राज्य हैं। इसमें उड़ीसा का भाग 106 लाख डालर है।
6.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार	12-12-1984	—	391	इस परियोजना में उड़ीसा, 9 भागीदार राज्यों में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत 13.7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 7800 ग्रामीण गोदामों में से 2.62 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 1225 गोदामों का निर्माण उड़ीसा में किया जायगा। जिनकी लागत 23.47 करोड़ रुपए होगी।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात में वृद्धि

3670. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अंत तक भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना में कितने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) छठी योजना के अंत में, पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, पर्यटक आगमनों की दर, 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सातवीं योजना सम्बन्धी प्रस्तावों में 1990 तक, प्रति वर्ष 25 लाख, पर्यटक आगमन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है ।

(घ) जो पहलकदमी की गई है उसके अन्तर्गत भारत को, विदेशी पर्यटकों का अन्तर्प्रवाह बढ़ाने हेतु, उपभोक्ता-प्रचार पर जोर देते हुए प्रचार अभियानों का पुनर्विन्यास, विदेशी मीडिया एजेंसियों, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं के साथ जन-सम्पर्कों को बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शिनियों में भाग लेना, आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास और परिवहन प्रणालियों का सुधार करना शामिल है ।

पश्चिम बंगाल में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

3071. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की शाखाओं के लिए नए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों पर कोई प्रतिबन्ध लगाए हैं; और

(ख) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नई शाखायें खोली गईं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक खंड के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 17 हजार की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना है । इस नीति का उद्देश्य स्थानिक दूरियों को भी दूर करना है ताकि प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर-अंदर एक बैंक कार्यालय सुनिश्चित किया जा सके । भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों/अग्रणी बैंकों को संभावित विकास केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है । इन केन्द्रों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कियाजाएगा और राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए केन्द्रों की सूचियां भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाएंगी । तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक नीति की शर्तों के अनुरूप चुने गये केन्द्र बैंकों के नाम आबंटित करेगा । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जिलों में पता लगाये गये केन्द्रों के आबंटन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तरजीह दी जाएगी । जिन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हैं वहां पर आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधित्व के आधार पर केन्द्रों का आबंटन किया जाएगा । महा-

नगरों और शहरी केन्द्रों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा की अर्थक्षमता, केन्द्र की स्पष्ट रूप से स्थापित आवश्यकता जैसी बातों को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर लाइसेंस दिये जाएंगे।

(ख) 1 जनवरी, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 के दौरान पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

बैंक/बैंक समूह	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	56
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	3
20-राष्ट्रीयकृत बैंक	235
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	146
जोड़	440

दिल्ली में कार्यरत चिट-फंड कम्पनियां

3672. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास अधिनियम के अंतर्गत राजधानी में कार्यरत चिट-फंड वित्त कम्पनियों का ब्योरा क्या है;

(ख) राजधानी में ऐसी कितनी कम्पनियां बन्द हुई हैं; और

(ग) उन वास्तविक अंशदाताओं को, जिन्होंने इन बन्द हो गई चिट-फंड कम्पनियों में पैसा जमा किया था, मुआवजा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली के चिट फंड कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने बताया है कि 15 मार्च, 1986 तक की स्थिति के अनुसार, मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 के अधीन संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में 1152 चिट फंड कम्पनियां कार्यरत थीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के चिट फंड कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1973 से 1985 की अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 11 चिट फंड कम्पनियां बन्द हो गयी थीं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र में लागू मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाली चिट फंड कम्पनियों से चिट की आधी रकम चिट चलाने की प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार आफ चिट

फंड के पास सुरक्षित ढंग से जमा करवानी होती है। रजिस्ट्रार आफ चिट फंड के पास जमा करवाई गई प्रतिभूति की रकम न्यायालय द्वारा विधिवत नियुक्त किये गए परिसमापक (लिक्वीडेटर) को सौंप दी जाती है जो अभिदाताओं को देय रकम का भुगतान करने के संबंध में निर्णय लेता है।

"बहु रेशा" समझौता

3673. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रवृत्त "बहु रेशा" समझौते के मुख्य उपबन्ध क्या हैं;

(ख) वर्तमान समझौता किस तारीख को समाप्त होगा;

(ग) विकासशील देशों के लिए न्यायोचित व्यवहार प्राप्त करने हेतु इस समझोते के किन-किन प्रमुख उपबन्धों में संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(घ) नये समझौतों के लिये बातचीत किस फोरम के माध्यम से की जायेगी और कब की जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) बहुरेशा करार (एम०एफ०ए०) के प्रमुख उपबन्ध संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) बहुरेशा करार की वर्तमान अवधि 31 जुलाई, 1986 को समाप्त होनी है।

(ग) चूंकि बहुरेशा करार टैरिफ तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गाट) के उपबन्धों के स्थान पर अस्थायी प्रबन्ध के रूप में किया गया था इसलिए विकासशील देश यह चाहते हैं कि वस्त्र तथा क्लोदिंग का व्यापार गाट के सामान्य अभेदमूलक नियमों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

(घ) गाट वस्त्र समिति बहुरेशा करार के भविष्य की वार्ताओं के लिए मंच है, वार्ताएं 31 जुलाई, 1986 से पहले पूरी किये जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

बहुरेशा करार (एम०एफ०ए) के मुख्य उपबन्ध निम्नोक्त प्रकार हैं :—

अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि एम० एफ०ए० के उद्देश्य व्यापार का विस्तार, अवरोधों की कमी और वस्त्रों के व्यापार को उत्तरोत्तर उदार बनाना है और साथ ही इस प्रकार के व्यापार के सुव्यवस्थित और न्यायोचित विकास को तथा आयातक और निर्यातक दोनों देशों में विघटनकारी प्रभावों को दूर करना सुनिश्चित करना है।

अनुच्छेद 3 में उन प्रतिबन्धों को छोड़कर जो निर्धारित उपबन्धों के अनुरूप है, वस्त्रों के आयातों पर नये प्रतिबन्धों के लागू किए जाने का प्रतिषेध दिया गया है। इसमें केवल तभी विशेष

स्रोतों से नये प्रतिबन्धों को प्राधिकृत किया गया है यदि आयातों से आयातक देश के बाजार का विघटन होता है। ये प्रतिबन्ध द्विपक्षीय करारों या एक पक्षीय कार्यवाहियों का रूप ले सकते हैं। 'बाजार विघटन' की स्थिति के निर्धारण की परिभाषा अनुबंध "क" में दी गई है। अनुच्छेद में सम्बन्धित पक्षकारों के बीच परामर्श अवधि और वस्त्र निगरानी निकाय को रिपोर्ट करने की आवश्यकताओं की व्यवस्था है। यदि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तो प्रतिबन्धों के स्तर की व्यवस्था अनुबन्ध "ख" में की गई है। अनुबंध "ख" में वार्षिक वृद्धि की भी व्यवस्था की गई है यदि रोक की समय-सीमा एक वर्ष से ऊपर बढ़ा दी जाती है और साथ ही स्विंग, कैरीओवर और कैरीफार्वर्ड के रूप में कोटों के उपयोग से सम्बन्धित कुछ लचीलेपन की भी व्यवस्था है। इस प्रकार की कार्यवाहियों की समीक्षा वस्त्र निगरानी निकाय करता है।

अनुच्छेद 4 में परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर द्विपक्षीय करारों को बहुरेशा ढांचे के अन्तर्गत सम्पन्न करने की अनुमति है ताकि बाजार विघटन का वास्तविक खतरा दूर हो सके और वस्त्रों के व्यापार का विस्तार और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत द्विपक्षीय करार अनुच्छेद 3 में व्यवस्था किए गए उपायों से विकास और लचीलेपन सहित समग्र रूप से अधिक उदार होगा।

अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि अनुच्छेद 3 और 4 के अन्तर्गत प्रतिबन्धों को लचीलेपन और न्यायोचित ढंग से लागू किया जायेगा और अधिक वर्गीकरण से बचा जाएगा। प्रतिबन्ध मात्रा सम्बन्धी यूनिटों में निर्धारित किये जाएंगे।

अनुच्छेद 6 में निर्यातकों के अधिक अनुकूल व्यवहार की व्यवस्था है जोकि विकासशील देश हैं विशेष रूप से यदि वे नए प्रवेशकर्ता हैं, सूती वस्त्रों के छोटे सप्लायर या उत्पादक हैं। अनुच्छेद में प्रोसेस किए जाने वाले और बाद में पुनः आयात किए जाने वाले उत्पादों के लिए विशेष और भिन्न व्यवहार का भी उल्लेख है।

अनुच्छेद 10 और 11 में क्रमशः वस्त्र निगरानी निकाय के विचारार्थ विषयों को निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 11 में वस्त्र समिति, गाट परिषद या संविवादकारी पक्षकारों के सामने कुछ स्थायी समस्याएं लाने की संभावना की भी व्यवस्था है।

अनुच्छेद 12 में एम० एफ० ए० के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 'वस्त्रों' की परिभाषा दी गई है। हथकरघा उत्पादों और परम्परागत लोक कुटीर उद्योग उत्पादों को एम०एफ०ए० के कार्यक्षेत्र से मुक्त रखा गया है।

एम० एफ० ए० के कार्यकाल को 1 जनवरी 1982 से 31 जुलाई, 1986 तक बढ़ाने वाले 22 दिसम्बर, 1981 के समय बढ़ाने वाले संलेख में 22 दिसम्बर, 1981 को वस्त्र समिति की बैठक में निकाले गए निष्कर्ष दिये गये हैं जिनमें भाग लेने वालों की उस समय प्रचलित मुख्य चिन्ताओं और उनके समंजन के लिए उनके द्वारा दिये गये वचनों को दर्शाया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण हेतु स्वयंसेवी उपभोक्ता एजेंसी

3674. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण हेतु दिल्ली में बारह स्वयं-सेवी उपभोक्ता एजेन्सियों को सांविधिक पर्यवेक्षीय अधिकार दिये गये हैं; जैसाकि दिनांक 19 जनवरी, 1986 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार की शाखाओं, मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना के सप्लाई डिपुओं के संबंध में भी यह अधिकार दिया जायेगा; और

(घ) क्या राजधानी में सड़कों/बसों/रेल, वायु, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली परिवहन निगम, टेलीफोन, अस्पतालों, डाक एवं तार नागरिक सेवाओं सहित केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों के सहकारी क्षेत्र के यूनिटों द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी यह अधिकार दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) खाद्य और आपूर्ति आयुक्त, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 1981 के खण्ड 25 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में सर्किल संख्या 13, 21, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 व 38 में खाद्य और आपूर्ति विभाग से लाइसेंस प्राप्त उचित दर की दुकानों और मिट्टी के तेल तथा कोयले के डिपुओं का निरीक्षण करने के लिए 14 व्यक्तियों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्राधिकृत किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कपास उत्पादकों की शिकायतें

3675. श्री सी० सम्बु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में उप्पूगंडुर के कपास उत्पादकों को भारतीय कपास निगम के क्रय केन्द्रों पर परेशान किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादकों द्वारा केन्द्रों पर लाई गई कपास को वहां दो महीने से अधिक समय तक रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप वह सड़ जाती है;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम द्वारा महीने से भी अधिक का असामान्य कपास उत्पादकों को अदायगी में दो महीने से भी अधिक का असामान्य विलंब किया जाता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय कपास निगम के अधिकारियों की बिचौलियों के साथ सांठ-गांठ है; और

(ङ) यदि हां, तो कपास उत्पादकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ऐसी किन्हीं घटनाओं की सूचना नहीं मिली है।

(ख) भारतीय रुई निगम बाजार यार्ड में प्रतिदिन फेयर एवरेज क्वालिटी अथवा मामूली से निम्न स्तर की रुई खरीद रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में बुनकरों को हथकरघे का लाभ न मिलना

3676. **श्री सलाउद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिहार में हथकरघे का लाभ बुनकरों की बजाए मध्य श्रेणी के लोगों को मिल रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक उत्पादन शुल्क प्रकटन योजना

3677. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्वैच्छिक उत्पादन शुल्क प्रकटन योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति वर्ष कितने उत्पादन शुल्क की चोरी होती है;

(घ) क्या यह योजना आयकर प्रकटीकरण योजना की तरह की ही होगी; और

(ङ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी धनराशि एकत्र होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रतिवर्ष होने वाली उत्पादन शुल्क की चोरी का कोई अनुमान बताना संभव नहीं है। फिर भी पिछले तीन वर्षों में जिस उत्पादन शुल्क की चोरी का पता लगाया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1983	5515.99 लाख रुपये
1984	6448.96 लाख रुपये
1985	34083.14 लाख रुपये (अनन्तिम)

(घ) और (ङ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवार्य पूर्ति कार्यक्रम के बारे में योजना आयोग की रिपोर्ट

3678. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अनिवार्य पूर्ति कार्यक्रम संबंधी अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता और कार्यकरण के सुधार के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सुझाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन सिफारिशों से वर्तमान प्रणाली में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यकुशलता में सुधार और उपभोक्ताओं को मिली राहत का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ पर्याप्त मात्रा में आबादी के कमजोर वर्गों को प्राप्त हो रहे है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के गरीब वर्गों को इस प्रणाली के तहत लाने का मूलभूत लक्ष्य काफी हद तक पूरा हो रहा है। रिपोर्ट में सुझाई गई कार्यवाही योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण

में दिया गया है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करें।

(ग) और (घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जो उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना आयोग की सिफारिशों पर भी केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

विवरण

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा सुझाई गई कार्यवाही योजना का ब्यौरा

(1) कार्यक्रम में उल्लिखित राज-सहायता का लाभ समूचे रूप में गरीबों को प्राप्त होना चाहिए। उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली होनी चाहिए।

(2) दालें, कपड़े धोने का साबुन, चाय की पत्तियां तथा मोटे अनाज जैसी वस्तुएं भी उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध की जानी चाहिए।

(3) सरकार को विलम्ब को कम से कम करने और उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं निर्धारित अंतरालों पर उपलब्ध कराने के लिए उपाय करने चाहिए।

(4) सुविधाजनक स्थलों पर पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। राज्य से जिले तक तथा वहां से उचित दर की दुकानों तक वस्तुओं की तेजी से ढुलाई के लिए ढुलाई का कार्य एक ही प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिए।

(5) कारगर क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के जरिए वस्तुओं की घटिया क्वालिटी होने की घटनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(6) उचित दर की दुकानों से गेहूं तथा चावल 5, 10 तथा 20 किलोग्राम की पहले से पैक की गई यूनिटों में बेचा जाए।

(7) अलग-अलग उचित दर की दुकान के दुकानदारों के बारे में ऋण पात्रता निर्धारण की प्रणाली के आधार पर सीमित मात्रा में ऋण देने की एक प्रणाली, जो आवर्ती स्वरूप की हो, विचार करके तैयार की जा सकती है।

(8) दुकानदारों को अपने निवेश पर उचित लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दर की दुकानों के समूचे ढांचे की गहराई से जांच की जानी चाहिए।

(9) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने में बल दूर-दराज, पिछड़े तथा औद्योगिक क्षेत्रों की ओर दिया जाना चाहिए।

व्यर्थ व्यय में कमी करना

3679. डा० टी० कल्पना देवी
डा० जी० विजय रामा राव
श्री मानिक रेड्डी
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने सातवीं लोक सभा में सरकार तथा उसके नेताओं द्वारा बधाई पत्र भेजने बन्द करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया है, यदि हां, तो इससे अब तक कितनी बचत होने का अनुमान है; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य व्यर्थ व्यय विशेषकर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा गलत और व्यर्थ आधार पर कार्य समय के एक घंटा पहले कार्यालय आने और कार्य समय के एक घंटा बाद तक कार्यालय में रहने के बहाने सरकारी वाहनों का व्यापक दुरुपयोग कम करने के लिए भी कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों द्वारा बधाई कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाते हुए 1971 में जो हिदायतें जारी की गई थीं उनका सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए उन्हें हाल ही में फिर से दोहराया गया है।

यदि बधाई कार्डों की छपाई पर प्रतिबंध न होता तो उस पर जो खर्चा होता उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) अनावश्यक और परिहार्य व्यय में कटौती करने के उपाय करना सरकार के लिए एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें सरकारी वाहनों के प्रयोग पर होने वाले व्यय भी शामिल हैं। वर्तमान मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सरकारी वाहनों के प्रयोग के बारे में भी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

हथकरघा के निर्यात के लिए नई नीति

3680. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा के लिए नई नीति इस समय विद्यमान पूर्ति-उन्मुखी के बजाय मांगोन्मुखी होगी और सुनियोजित विपणन योजना पर आधारित होगी; और

(ख) क्या हाल ही में इंग्लैंड का दौरा करने वाले सरकारी शिष्टमण्डल ने भारतीय टैक्सटाइल की अन्तर्भूत गुणवत्ता और अपनी परम्परागत साख में से इसकी उच्च गुणवत्ता और मांग के बावजूद मन्द और मलिन निर्यात काय-निष्पादन के कारणों का विश्लेषण किया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद हथकरघा उत्पादकों को विदेशों में बदलते फैशन के बारे में आवश्यक जानकारी दे रही है ताकि हमारे हथकरघा मदों का उत्पादन मांग के अनुकूल हो।

(ख) हथकरघा निर्यात निष्पादन के विश्लेषण के उद्देश्य से हाल ही में किसी भी शासकीय प्रतिनिधिमण्डल ने ब्रिटेन का दौरा नहीं किया। तथापि, विद्युत करघा तथा मिल निर्मित फैब्रिक्स, जोकि विशिष्ट सीमा के अधीन हैं, के लिए बाजार अध्ययन करने के लिए हाल ही में एक प्रतिनिधिमण्डल ने ब्रिटेन का दौरा किया था।

केरल में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय

3681. श्री टी० बशीर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय स्टेट बैंक के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं; और

(ख) केरल में भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय केरल राज्य में भारतीय स्टेट बैंक का त्रिवेन्द्रम में एक क्षेत्रीय कार्यालय है।

(ख) त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक है जिसके नियन्त्रणाधीन पांच क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधकों को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं ताकि निर्णय जल्दी लिये जा सकें। भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी बताया है कि बैंक, केरल में एक और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की सम्भावना पर भी विचार कर रहा है ताकि इसके कार्य को दोषरहित बनाया जा सके।

[हिन्दी]

देवरिया (उत्तर प्रदेश) जिले में देवरिया और श्री सीताराम शुगर मिल्स

3682. श्री राम नगीना मिश्र
श्री राम बहादुर सिंह } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देवरिया शुगर मिल्स और श्री सीताराम शुगर मिल्स दोबारा उनके मालिकों को सौंप दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान इन मिलों को सरकार द्वारा चलाए जाने पर पहले की तुलना में अधिक घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस घाटे के क्या कारण हैं और क्या इस बारे में जांच की गई है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सरकार ने जुलाई, 1985 में मालिकों को कुछ शर्तों पर मिलें वापस करने का निर्णय किया था। तथापि, मालिकों ने प्रस्तावित शर्तों पर मिलें वापस लेने से इन्कार कर दिया था।

(ग) और (घ) चूंकि मिलें लेने से पूर्व की अवधि के लाभ और हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मिलें लेने से पूर्व और केन्द्रीय सरकार के प्रबंध की अवधि के दौरान हुई हानियों की तुलना नहीं की जा सकती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के प्रबंध की अवधि के दौरान हुई हानियों के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं : —

(1) मिलों से गन्ने का राज्य द्वारा सुझाया गया अधिक मूल्य देने की अपेक्षा की गई थी;

(2) गन्ने की कम उपलब्धता होने के कारण क्षमता का कम उपयोग किया जाना;

(3) पुराने और जीर्ण-शीर्ण संयंत्र तथा मशीनरी होना; और

(4) मिलों को लेने के समय उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होना।

विभिन्न बाधाएं होने के बावजूद भी, छः वर्षों, जिनके लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध हैं, में से श्री सीताराम शुगर मिल्ज ने 1979-80 के दौरान लाभ कमाया था और देवरिया शुगर मिल्ज ने वर्ष 1979-80 और 1980-81 में लाभ कमाया था।

विदर्भ क्षेत्र (महाराष्ट्र) में धान के लिए गोदामों का निर्माण

3683. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, धान उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के फलस्वरूप इस क्षेत्र में धान के

उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धान-भण्डारण के लिए इन क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने का है, यदि हां, तो कब और कितने तथा कितनी भण्डारण क्षमता के ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) विदर्भ क्षेत्र में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है।

(ग) इस समय विदर्भ क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के पास धान सहित खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए दोनों अपनी और किराए की ढकी हुई भण्डारण क्षमता लगभग 2.54 लाख मीटरी टन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का विदर्भ क्षेत्र में 0.72 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3684. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान, उसे निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क के लिए करार, अनुबंधित कीमत से कम में कीमत का भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुबन्ध कीमत से कम कीमत स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में भारत को किस सीमा तक घाटा होने की संभावना है;

(घ) घाटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नही। जापानी स्टील मिल द्वारा दी गई कीमत संविदाओं के उपबन्धों के अनुसार है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत खोपरा का आयात

3685. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

सरकार 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत खोपरा के आयात को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : 1985-88 की आयात तथा निर्यात नीति के अनुसार खोपरे का आयात पहले से ही भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०)/हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के मार्फत सरणीबद्ध है।

वनस्पति उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य तेल

3686. श्री सुरेश कुरूप : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उत्पादन में किन खाद्य तेलों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित नियम हैं कि वनस्पति उत्पादन में किसी विशेष खाद्य तेल का ही प्रयोग किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इन खाद्य तेलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वनस्पति उत्पादन में नारियल के तेल के प्रयोग करने के बारे में सरकार का विचार उचित नियम बनाने का है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) वनस्पति तेल उत्पाद (गुणता मानक) आदेश, 1975 के अनुसार वनस्पति के उत्पादन के लिए निम्नलिखित खाद्य तेलों के प्रयोग की अनुमति दी गई है :—

1. बिनौले का तेल
2. महुए का तेल
3. तिल्ली का तेल
4. रेपसीड तेल (आयातित)
5. ताड़ का तेल
6. चावल की भूसी का तेल
7. सोयाबीन का तेल
8. तरबूज के बीज का तेल

9. पामोलीन

10. साल बीज का तेल, 10% से अधिक नहीं

11. सरसों/रेपसीड विलायक निष्कर्षित तेल, 10% से अधिक नहीं

12. सरसों/रेपसीड एक्सपेलर तेल, 30% से अधिक नहीं।

(घ) वनस्पति के उत्पादन के लिए नारियल के तेल के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि अन्य तेलों, जिनके हाइड्रोजनीकरण पर प्लास्टिक फैट (वनस्पति) उत्पन्न होता है, के विपरीत नारियल के तेल से चमकदार सफेद भंगुर (ब्रिटल) उत्पाद पैदा होता है, जो सम्भवतः वनस्पति के परम्परागत उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकार न किया जाए।

पर्वतीय क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर प्रति व्यक्ति खर्च की गई धनराशि

3687. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के बाद, प्रति व्यक्ति सबसे कम धनराशि खर्च की गई;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक ऋण देने में अप्रभावी रहे;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या बैंक तथा ब्लाक अधिकारियों की सांठ-गांठ से राजसहायता की धनराशि का दुरुपयोग करने के अनेक मामले सामने आये हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाठिनी चाय एस्टेट की जल निकासी प्रणाली

36·8. **श्री सुदर्शन दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के करीमगंज जिले में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम और भारतीय

चाय व्यापार निगम द्वारा संचालित पाठिनी चाय एस्टेट की जल निकासी प्रणाली रखरखाव व्यवस्था के न होने के कारण खराब हो गई है जिससे पौधों को भारी नुकसान होता है; और

(ख) यदि हां, तो जल निकासी प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) पाठिनी चाय एस्टेट भारत-बंगलादेश सीमा पर स्थित है तथा ऐसा बताया गया है कि सीमा की तरफ पाठिनी से मुख्य निकास कई वर्षों पहले तटबंधों का निर्माण करके बंद कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के पाठिनी चाय एस्टेट तथा अन्य एस्टेटों के कुछ क्षेत्र जलग्रस्त हैं।

शेष चाय एस्टेट के लिए जल निकासी प्रणाली के रखरखाव का क्रमबद्ध कार्यक्रम है जिसे हर वर्ष चलाया जा रहा है।

बैंकों द्वारा गरीब/पिछड़े वर्ग के परिवारों को गृह-निर्माण के लिए सहायता

3689. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में जिन गरीब/पिछड़े वर्ग के परिवारों को गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई थी वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपना घर बनाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों को उन्हें गृह-निर्माण के लिए ऋण देने के अनुदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इस स्थिति का पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कई गरीब/पिछड़े वर्ग के परिवार गृह निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपना घर नहीं बना पाए हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आवास वित्त के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है :—

(क) प्रत्यक्ष वित्त

डी० आई० सी० जी० सी० कवच के बिना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को गृह निर्माण के लिए मंजूर किये गये 5000 रुपये तक के ऋण।

(ख) अप्रत्यक्ष वित्त

(i) केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और निम्न आय वर्गों के वास्ते मकान बनाने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी को ऋण सहायता जिसमें ऋण का अंश प्रति इकाई 5000 रुपये से अधिक न हो।

(ii) ऊपर वर्णित अन्य शर्तों के अधीन किसी भी सरकारी एजेंसी को झुग्गी झोपड़ी हटाने और इनके निवासियों के पुनर्वास के लिए ऋण सहायता।

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसके अनुषंगी निगम गरीब/पिछड़े वर्गों के परिवारों को मकान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण सहायता नहीं देते। अलबत्ता, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम, हुडको, शीर्षस्थ सहकारी गृह निर्माण समितियों और राज्य सरकारों की ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं को ऋण प्रदान करते हैं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एकक

3690. **श्री नारायण चौबे**
श्री आर० एम० भोये } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में (एक) बड़ी, (दो) मध्यम और (तीन) लघु पैमाने के रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान (एक) उद्योग के आकार-वार और (दो) क्षेत्रवार सरकारी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया और ऋण तथा उस पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि इन रुग्ण एककों से वसूल नहीं की जा पा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1983 और दिसम्बर, 1984 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों के सहायता पोर्ट-फोलियों में गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े रुग्ण एककों की कुल संख्या इस प्रकार थीं :—

	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984
गैर सरकारी क्षेत्र	391	413
सरकारी क्षेत्र	83	101

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना पद्धति से मध्यम और छोटे पैमाने के रुग्ण एककों की क्षेत्रवार

सूचना प्राप्त नहीं होती। जहां तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, उनके (भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को छोड़कर) सहायता पोर्ट-फोलियों में दिसम्बर, 1983 के अंत में 314 और दिसम्बर, 1984 के अंत में 447 रुग्ण औद्योगिक एकक थे।

दिसम्बर, 1983 और दिसम्बर ,1984 के अन्त में बड़े, मध्यम और लघु रुग्ण एककों के नाम बैंकों के ऋणों की बकाया ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(रकम करोड़ रुपए)

		दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984
बड़े एकक	सरकारी क्षेत्र	491.79	477.99
	गैर सरकारी क्षेत्र	1370.41	1672.38
मध्यम एकक		357.97	428.58
लघु एकक		728.99	879.69

जहां तक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को छोड़कर) की रुग्ण औद्योगिक एककों के नाम बकाया राशियों का सम्बन्ध है, वे दिसम्बर, 1983 के अंत में 244.7 करोड़ रुपये और 1984 के अंत में 349.87 करोड़ रुपये थीं।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की सहायता से औद्योगिक इकाइयों को फिर से चलाना

3691. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक औद्योगिक इकाइयों को फिर से चलाने में मुख्य ऋण और पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की सहायता से कितनी औद्योगिक इकाइयों को फिर से चलाया गया है;

(ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने इन इकाइयों को फिर से चलाने के लिए कितनी धनराशि दी है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1982-83 (जुलाई-जून) से वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) की अवधि

के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की सहायता से 108 इकाइयों को फिर से चलाया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा 30 जून, 1985 तक इन एककों को 138.46 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई। जून, 1985 के अंत तक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने जितनी इकाइयों को सहायता प्रदान की थी उनमें से फिर से चालू हो गई इकाइयों की संख्या 41.2 प्रतिशत बैठती है।

विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए सिले-सिलाए कपड़ा उद्योग का पता लगाया जाना

3692. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सिले-सिलाये कपड़ा उद्योग का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने यह महसूस किया है कि सिले-सिलाये कपड़े का उद्योग देश में और निर्यात दोनों के लिए विकास हेतु भारी अवसर प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक सिले-सिलाये कपड़े के उद्योग को कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) सिले सिलाए कपड़े उद्योग द्वारा विश्व बैंक के इस ऋण को किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का आयात

3693. **श्री शांति धारीवाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अखबारी कागज के मूल्य विश्व बाजार में चल रहे मूल्य से अधिक न होने देने को सुनिश्चित करने के लिये अखबारी कागज के आयात के संबंध में राज्य व्यापार निगम के एकाधिकार को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बड़े समाचार पत्रों के भविष्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने और पत्रकारिता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई तर्कसंगत नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अखबारी कागज के वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार एक नीति तैयार कर रही है जोकि इस क्षेत्र में विद्यमान कुछ कमियों को दूर करेगी। तथापि, इस ओवरहालिंग के एक भाग के रूप में राज्य व्यापार निगम की मार्फत अखबारी कागज के आयात को असरणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक प्रस्तावित नीति में दिए जाने वाले परिवर्तनों के स्वरूप का सम्बन्ध है, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

बैंकों में सुरक्षा प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाना

3694. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में दिन दहाड़े डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों में सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने बैंकों में ये उपकरण लगाये गये हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सुरक्षा प्रबन्धों की बारीकी से जांच करने के लिये, सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त दल का गठन किया गया था। उक्त दल ने बैंकों में उपयुक्त अलार्म व्यवस्था करने सहित कई सिफारिशें की थीं। इस दल की रिपोर्ट की प्रतियां सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अमल में लाये जाने के लिये भेज दी गयी थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंक इन सिफारिशों को विभिन्न चरणों में देश भर में लागू कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लगभग सभी बैंकों ने उपयुक्त अलार्म व्यवस्था लगवा ली है। बैंकों ने बताया है कि कुल मिलाकर अलार्म-व्यवस्था संतोषजनक रूप से काम कर रही है।

[अनुवाद]

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक की दिल्ली की हेमकान्त कालोनी स्थित शाखा में धन का दुर्विनियोग

3695. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक की दक्षिण दिल्ली की हेमकान्त कालोनी स्थित शाखा में एक करोड़ रुपये का दुर्विनियोग किया गया है;

(ख) इसमें कौन-कौन लोग अन्तर्ग्रस्त हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या धन बरामद कर लिया गया है; और

(घ) सरकार ने विभिन्न बैंको में बार-बार किये जा रहे दुर्विनियोग को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने हेमकुण्ट, नयी दिल्ली स्थित अपनी शाखा में कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखा-धड़ियों की सूचना दी है। बैंक ने पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इस संबंध में बैंक के दो अधिकारी गिरफ्तार किये गये थे। बैंक ने इन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। सम्बन्धित खातों में लगभग 4.5 लाख रुपये की रकम बैंक में जमा/पुनर्ग्रहणाधिकार अधीन है।

(घ) बैंकों से अपने-अपने संगठनों में सतर्कता-तंत्र को चुस्त बनाने और अपनी प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों में सुधार करने के लिये अनुदेश दिये गये हैं ताकि धोखाधड़ियों से बचा जा सके। तदनुसार, बैंकों ने अपने नियंत्रण तंत्रों को मजबूत बनाने और प्रबन्ध सूचना प्रणालियों में सुधार करने तथा कारगर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये कदम उठाये हैं। लेखा पुस्तकों के मिलान, अन्तर शाखा खातों और अन्य बातों के मिलाने के बकाया काम को पूरा करने के लिये भी सतत आधार पर कार्रवाई की जा रही है ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों से बचा जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों में ऐसी जानकारी भी परिचारित की जाती है जिसमें धोखाधड़ियों के नये-नये तरीकों का ब्यौरा दिया गया होता है तथा उनसे बचने के लिये आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह भी दी जाती है। बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों में अनुदेश पुस्तक भी परिचारित की जाती है जिनमें धोखाधड़ियों से बचने के लिये सावधानियों/जांच-पड़ताल का विवरण होता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सागर (मध्य प्रदेश) जिले में दिये गये ऋण

3697. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के सागर जिले में दिये गये ऋणों की राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों के कितने लोगों को तथा सामान्य वर्गों के कितने लोगों को ऋण दिये गये;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा सामान्य वर्गों के लोगों को, अलग-अलग, कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा सामान्य वर्गों के लोगों के, अलग-अलग ऋणों के लिये कुल कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये अथवा लौटा दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान सागर जिले में राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों द्वारा 17.63 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये, जिनका बैंक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	संवितरित राशि
1	2	3
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	289.78
2.	भारतीय स्टेट बैंक	185.33
3.	बैंक आफ बड़ौदा	108.87
4.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	92.13
5.	पंजाब नेशनल बैंक	59.68
6.	इलाहाबाद बैंक	27.19
7.	बैंक आफ इण्डिया	26·95
8.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	14.18
9.	यूको बक	25.99
10.	केनरा बैंक	4.51
11.	सिंडिकेट बैंक	13.41
12.	स्टेट बैंक आफ इन्दोर	12.20
13.	देना बैंक	8.87
14.	इण्डियन बैंक	19.11
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4.94
16·	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	151.96

1	2	3
17.	भूमि विकास बैंक	140.96
18.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	577.00
	जोड़ :	1763.06

(ख) आलोच्य अवधि के दौरान 25291 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई जिनमें से 7486 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे।

(ग) कुल 17.63 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों का भुगतान किया गया जिसमें से 1.55 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को दिये गये।

(घ) रद्द किये गये/लौटाये गये कुल ऋण आवेदनों की संख्या 2316 थी, जिसमें से 65 आवेदन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के थे।

[अनुवाद]

भारत तथा कनाडा के बीच व्यापार

3698. श्री के० वी० शंकर गौड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष में किये गये और आगामी वित्त वर्ष में किये जाने वाले करारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान निम्नलिखित करार हुए :

परियोजना	करार की तारीख	राशि
1. चमेरा हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट*	3.8.1984	कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा 217 मिलियन कनैडियन डालर का ऋण।
2. परामर्शी प्रबंधों के लिए आंध्र प्रदेश सोशल फारेस्ट्री प्रोजेक्ट	12-10-1984	2 मिलियन कनैडियन डालर।

*इसके अतिरिक्त, कनाडा निर्यात विकास निगम ने चमेरा प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाइडल

प्रोजेक्ट कारपोरेशन को 403 मिलियन कनैडियन डालर का ऋण दिया है।

18-12-85 को दो संलेखों पर हस्ताक्षर हुए। प्रथम संलेख के अनुसार, तेल तथा गैस की खोज तथा विकास से संबंधित माल तथा सेवाओं की कनाडा से खरीद की वित्त व्यवस्था करने के लिए कनाडा 198 मिलियन कनैडियन डालर की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करने के लिये राजी हो गया है। द्वितीय संलेख के अनुसार, कनाडा कतिपय तकनीकी क्षेत्रों में कनाडा और भारत में भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत की वित्त व्यवस्था करने के लिए 5 मिलियन कनैडियन डालर का अनुदान देने पर राजी हो गया है। इन दोनों संलेखों को जल्दी ही 1986-87 के दौरान औपचारिक करारों का रूप दे दिया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम के अधीन घाटे में चल रही चावल मिलें

3699. प्रो० के० वी० थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अधीन इस समय कितनी चावल मिलें चल रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं; और

(ग) घाटे में चल रही चावल मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 25

(ख) ये सभी यूनिट आर्थिक और परिचालन दृष्टि से सक्षम नहीं हैं।

(ग) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिये कई एक पग उठाये गये हैं जिनमें धान का पर्याप्त स्टाक रखना, विद्युत की नियमित सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना, सहारे के रूप में डीजल जेनरेटर लगाना, योग्यता-प्राप्त पर्यवेक्षी स्टाफ लगाना, भूसी से जलने वाली भट्टियां लगाना आदि शामिल हैं।

भारतीय खाद्य निगम में सुरक्षा कर्मचारी

3700. श्री ए० चार्ल्स : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में सुरक्षा कार्य ठेके के आधार पर सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) केरल में भारतीय खाद्य निगम के वेतन पर (एक) अंशकालिक सफाई वाला, (दो) दिहाड़ी कर्मचारी, और (तीन) नैमित्तिक श्रमिक श्रेणियों में कुल कितने सुरक्षा कर्मचारी हैं; और

(घ) उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों को हर महीने किस दर से मजूरी दी जाती है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केरल में भारतीय खाद्य निगम की पूंजी में शामिल पहरा और निगरानी स्टाफ का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) चौकीदार	:		454
(2) अंशकालिक सफाई वाला	:	सफाईवाला	24
		स्केवेंजर	9
		माली	1
		जोड़ :	34
(3) दिहाड़ी कर्मचारी		शून्य	
(4) नैमित्तिक श्रमिक		शून्य	

(घ) अंशकालिक कामगारों को अदा की गई मासिक मजदूरी की दर 60/-रुपये से 140/-रुपये प्रति माह के रेंज में है।

निजी पार्टियों द्वारा गैर-बासमती चावल का निर्यात

3701. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्रीमती किशोरी सिंह } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निजी पार्टियों को गैर-बासमती चावल के निर्यात की जिस पर अभी तक प्रतिबन्ध था, अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निर्यात का एक भाग, आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए अदायगी हेतु चावल के

एकमुश्त सौदे पर आधारित होगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक अभिकरणों की स्टाक स्थिति तथा उपलब्ध निर्यात योग्य अधिशेषों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति, 4000/- रुपए प्रति मैट्रिक टन एफ०ओ०बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन केवल 100% पुष्टिकृत अपरिवर्तनीय साख-पत्र के आधार पर ही पहले आओ पहले पाओ आधार पर दी जाए।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम तोलना

3702. श्री गुरुदास कामत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम तोलने के मामले सरकार की जानकारी में लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सही तोल को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम के घावेरा डिपो में कम तौल की एक घटना को हाल ही में सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के तौल और माप विभाग ने 30-:-1986 को भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने घावेरा डिपो से उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी की गई 30 बोरियों में से 0 बोरियों का अचानक तौल किया था और उनमें 24.5 किलो की मात्रा कम पाई थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए गए हैं कि वे बोरियों का मानकीकरण करना और जारी किए गए स्टाक का 100 प्रतिशत तौल करना सुनिश्चित करें।

कर्नाटक में छापे

3703. श्री बी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों के दौरान आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और अन्य निगमित करों के प्रवर्तन स्कंधों ने कर्नाटक में प्रमुख व्यापारियों के व्यापारिक और रिहायशी भवनों पर छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों में कितना काला धन पकड़ा गया और जब्त किए गए अभियोग संबंधी दस्तावेजों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन स्थानों पर छापे मारे गए उनका ब्यौरा क्या है और सरकार का मामले पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जहां तक संभव है, सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गोवा में यात्री निवास के निर्माण का प्रस्ताव

3704. **श्री शांता राम नायक :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश के किन-किन स्थानों को यात्री निवास का निर्माण करने के लिए चुना है;

(ख) क्या चुने गये स्थानों की सूची में गोवा को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गोवा में "यात्री निवास" का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को उनके राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में प्रत्येक में कम से कम एक यात्री निवास के निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभी तक 20 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। गोवा, पोर्टब्लेयर, कुरूक्षेत्र और कांचीपुरम, चार मामलों में राशियां पहले ही रिलीज की जा चुकी हैं और अन्य मामलों पर कार्यवाही चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) गोवा में 28.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से यात्री निवास के निर्माण पर अनुमोदन दे दिया गया है और प्रस्ताव के लिए 10.00 लाख रुपयों की अग्रिम राशि रिलीज की जा चुकी है। संघशासित क्षेत्र सरकार निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर रही है।

उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादन शुल्क के प्रावधानों की व्याख्या में भिन्नता

3705. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "नो प्रिसाइज डेफनिशन आफ एक्साइज ड्यूटी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई उत्पादन शुल्क के प्रावधानों की विभिन्न व्याख्या के कारण संबंधित कम्पनियों ने कितने मामलों में न्यायालय में मुकदमे दायर किए हैं;

(ग) उत्पादन शुल्क की कितनी राशि अभी तक बकाया है; और

(घ) उक्त बकाया राशि में से कितनी राशि के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और उक्त में से कितनी राशि के उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कारण देय हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार रियायती दरों पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिए ट्रकों के निर्धार्य मूल्य के निर्धारण और वर्गीकरण से संबंधित है। पहले मामले के संबंध में संबंधित कम्पनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस मामले में शुल्क की ग्रस्त राशि लगभग 80 लाख रु० है। दोनों मामलों में ग्रस्त और बकाया शुल्क की कुल राशि लगभग 14.70 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में जोन-वार लाभ/घाटा

3706. डा० ए० के० पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को पिछले तीन वर्षों में जोन-वार कितना लाभ/घाटा हुआ है;

(ख) क्या पिछले वर्ष घोषित कपड़ा नीति के कार्यान्वयन के बाद लाभ/घाटे की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की प्रत्येक मिलों में पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ; और

(घ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और देश के हित में इन मिलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों के सहायक निगम-वार लाभ/हानि के वर्षवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

1982 सें 1985 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत प्रबन्धित मिलों का लाभ/हानि नीचे दी गई है :—

वर्ष	लाभ/हानि स्थिति	(करोड़ रु०)
1982-83	(—)	17.87
1983-84	(—)	27.18
1984-85	(—)	50.10

(ख) जुलाई, 1985 से नवम्बर 1985 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत मिलों की औसत मासिक निवल हानियां 9.76 करोड़ रु० थीं जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान 14.36 करोड़ रु० थीं। प्रबंधित मिलों के मामलों की तुलना में उपरोक्त अवधि के दौरान औसत मासिक निवल हानियां 4.52 करोड़ रु० थीं जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान 4.18 करोड़ रु० थीं।

(ग) 1982 से 1985 वर्षों के दौरान एन०टी०सी० मिलों द्वारा उत्पादित वर्षवार कपड़े का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादित कपड़ा मिलियन मीटर में
1982-83	760.50
1983-84	902.00
1984-85	920.00

(घ) एन०टी०सी० के अन्तर्गत मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सीमित साधनों के अन्दर उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(2) ऐसी हानियों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है।

(3) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए स्वयं बिजली पैदा करने की क्षमता की व्यवस्था की गई है।

(4) परिणामोन्मुख लाभों के लिए सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अपनाया गया है।

(5) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत कम करने के लिए लागत नियन्त्रण उपायों को लागू किया गया है।

(6) गैर-प्रचालन संबंधी प्रशासनिक का खर्चों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) ऊंची उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबंध में श्रमिक भागीदारी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(8) लागतों को घटाने, कार्यकुशलता तथा क्वालिटी में सुधार करने के लिए एन०टी०सी० के कार्य निष्पादन की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण

1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के वर्षों के दौरान सहायक निगम-वार लेखा परीक्षित लाभ/हानि की स्थिति

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	सहायक निगम का नाम	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	एन०टी०सी० (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान) लि०	— 7.85	— 10.14	— 12.12
2.	एन०टी०सी० (मध्य प्रदेश) लि०	— 13.78	— 16.15	— 17.36
3.	एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) लि०	— 7.92	— 11.79	— 17.64
4.	एन०टी०सी० (साउथ महाराष्ट्र) लि०	— 7.60	— 15.69	— 19.17
5.	एन०टी०सी० (नार्थ महाराष्ट्र) लि०	— 11.11	— 16.29	— 23.75
6.	एन०टी०सी० (गुजरात) लि०	— 4.61	— 12.83	— 21.55

1	2	3	4	5
7.	एन०टी०सी० (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा माहे) लि०	— 12.26	— 15.51	— 22.77
8.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पांडिचेरी) लि०	+ 0.51	— 2.51	— 5.52
9.	एन०टी०सी० (पूर्वी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा) लि०	— 11.59	— 37.04	— 32.93
10.	एन०टी०सी० (होल्डिंग कम्पनी) नई दिल्ली (श्री शारदा मिल्स सहित)	— 1.84	— 0.59	+ 0.45
		— 78.05	— 137.36	— 172.36

बम्बई में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

3707. श्री शरद दिघे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में तेरह कपड़ा मिलों का, जिनका प्रबन्ध 1983 में सरकार ने अपने हाथ में लिया था राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इन मिलों का राष्ट्रीयकरण रोक रखने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण होने तक के लिए बम्बई के 13 वस्त्र उपक्रमों के प्रबन्ध अधिग्रहण की व्यवस्था है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट तारीख बताना संभव नहीं है।

(ग) उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही की संभाव्यताओं तथा रूपात्मकताओं की जांच पूरी की जानी है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

3709. श्री नरसिंह मकवाना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कृषि उत्पादों का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है तथा इन उत्पादों का निर्यात किन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) क्या इन उत्पादों का निर्यात करने वाली गैर-सरकारी व्यापारिक कम्पनियों पर नजर रखने के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं कि निर्यात योग्य उत्पाद पैदा करने वाले किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जिन कृषि उत्पादों का निर्यात करने का विचार है उन्हें खली, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद, काजू गिरी, मसाले, खाद्यान्न, फल तथा सब्जियां, साधित खाद्य पदार्थ, रुई, मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं, अरण्डी का तेल एवं उससे बनी वस्तुएं आदि के रूप में मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकांश कृषि उत्पादों का निर्यात निजी व्यापार के माध्यम से किया जाता है। कुछेक चुनिन्दा मदें नेफेड अथवा

एस०टी०सी० के माध्यम से वर्गीकृत हैं।

(ख) वस्तु बोर्ड तथा निर्यात संवर्धन परिषदें नियमित रूप से विभिन्न वस्तुओं के निर्यातों की मोनीटरिंग करती हैं। इसके अतिरिक्त किए जाने वाले सभी निर्यात सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराये जाते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) बहुत-सी कृषि वस्तुओं के निर्यातों की अनुमति न्यूनतम निर्यात कीमत पर दी जाती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्यात योग्य मदें उत्पादित करने वाले किसानों को उनके उत्पादों के लिए समुचित कीमतें मिल सकें। कृषि मंत्रालय महत्वपूर्ण कृषि फसलों की कीमत संबंधी कार्यवाही का संचालन करता है।

मैसर्स एल० डी० टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अंकलेश्वर द्वारा सीमाशुल्क की धोखाधड़ी

3711. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मैसर्स एल०डी० टैक्सटाइल, अंकलेश्वर, के विरुद्ध 20 करोड़ रुपये की राशि के सीमाशुल्क और माल के आयात के संबंध में कुछ कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मै० एल०डी० टैक्सटाइल्स, अंकलेश्वर पर अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत पालियस्टर स्टेपल फाइबर के आयात के संबंध में 16 करोड़ रुपये की राशि के सीमाशुल्क का अपवंचन किए जाने का संदेह है। मैसर्स एल०डी० टैक्सटाइल्स के मुख्य कार्यकारी श्री योगेश मेहरा को सीमाशुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें दिनांक 4-2-86 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-रोधी अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था। न्याय निर्णयन की कार्यवाही पहले ही से आरम्भ की जा चुकी है तथा कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

नई नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना का प्रभाव

3712. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के लिए नई नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना लागू करने की सरकार की नीति का विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने में कहां तक सहायक होगी;

(ख) क्या नई नकद प्रतिपूर्ति सहायता, निर्यात किए जा सकने वाले उत्पादों की कीमतों तथा वेदेशों में इन उत्पादों के मौजूदा मूल्यों में अन्तर की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता नई योजना का उद्देश्य निर्यातों का संवर्धन करना और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। यह योजना निर्यातकों की विभिन्न अलाभों के लिए क्षतिपूर्ति करने और उनके निर्यातों को विदेशी बाजारों में प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यापार घाटा

3713. **श्री वित्त महाता** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में व्यापार घाटा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए व्यापार घाटे से अधिक होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) कच्चे तेल का निर्यात जोकि छठी योजनावधि के दौरान पर्याप्त था, वास्तव में मई 1985 से घरेलू परिशोधन क्षमता के विकास के कारण बन्द हो चुका है। इसके अतिरिक्त, ऐसा विचार है कि, बल्क आयातों की घरेलू आवश्यकताएं जिसमें अन्य चीजों के साथ-साथ पैट्रोलियम, तेल तथा लुब्रिकेन्ट, धातु, अखबारी कागज तथा खाद्य तेल शामिल हैं, सातवीं योजना अवधि के दौरान और बढ़ेंगी।

(ग) व्यापार घाटा कम करने की दृष्टि से विगत हाल में प्रभावशाली संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं, हमारे निर्यातों को बढ़ाना, हमारे उत्पादकता आधार में विविधता लाना, हमारे उत्पादकता संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना, हमारी औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों में उपांतर तथा समय-समय पर संशोधन आदि। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में आयात योग्य वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिंथेटिक्स उद्योग और पटसन उद्योग की तुलना

3714. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय पटसन मिल्स संघ के अध्यक्ष के इस कथन की ओर

दिलाया गया है कि सिंथेटिक्स उद्योग पटसन उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है जैसा कि 27 फरवरी, 1986 के "इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंथेटिक्स उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय उपलब्ध कच्चे पटसन पर आधारित उद्योगों की तुलना में सिंथेटिक्स उद्योग को प्रोत्साहित करना सस्ता पड़ता है; और

(घ) सिंथेटिक्स की लागत के बारे में तथा जूट पर आधारित पैकिंग के स्थान पर सिंथेटिक्स पर आधारित पैकिंग के लागत लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विभिन्न संगत कारणों पर निर्भर रहते हुए पटसन बोरों तथा संश्लिष्ट बोरों के बीच कीमत अंतर घटता बढ़ता रहा है। लगभग 4 मिलियन किसान तथा 2.5 लाख पटसन मिल कामगार अपनी आजीविका के लिए पटसन उद्योग पर निर्भर हैं।

बैंकों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को ऋण

3715. **श्री अजय मुशरान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अपनी निजी बचत से अपनी व्यवहार्य परियोजनाएं चलाने हेतु अचल सम्पत्ति या सावधि जमा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर ऋण न देने के लिए सलाह देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्य प्रणाली सम्बन्धी छोटी-छोटी औपचारिकताएं समाप्त करने के लिए भी सलाह देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत बैंको को लघु उद्योगों को 25,000 रुपये तक के, जिसमें 25,000 रुपये की राशि शामिल है, ऋण पर सांपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी की गारंटी नहीं मांगनी होती है। बैंकों से भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने की योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र सांपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी की गारंटी के बिना मंजूर करने के लिए भी कहा गया है बशर्ते कि प्रस्ताव अन्यथा अर्थक्षम हों।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण मंजूर करने से पहले बैंकों को निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रिया का पालन करना होता है।

मलेशिया को भारतीय परियोजनाओं का निर्यात

3716. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया को भारतीय परियोजनाओं का निर्यात किया जा रहा है और हाल ही में 7 करोड़ मलेशियाई डालर मूल्य की नई परियोजनाओं के आर्डर बुक किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं में मलेशिया में एक पन-बिजली परियोजना के लिए भारतीय पूंजी और विशेषज्ञता भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां। भारतीय परियोजनाएं मलेशिया को निर्यात की जा रही हैं परन्तु 70 मिलियन मलेशियाई डालर मूल्य की नयी परियोजनाओं के लिए आर्डर विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं तथा अभी तक बुक नहीं किए गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विचार-विमर्श चल रहा है।

सूखे मेवों के मूल्यों में वृद्धि

3717. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूखे मेवों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अधिकांश सूखे मेवों की कीमतें बढ़ती रही हैं। कीमतों मे स्थिरता लाने के लिए उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु कदम उठाये गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में आदिवासियों के लिए गेहूं और चावल की पूर्ति सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता योजना

3718. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने आदिवासी खण्डों और लगभग कितने लोगों को आदिवासियों के

लिए गेहूं और चावल की पूर्ति सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को पहचान-पत्र जारी कर रही है;

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने लाभार्थियों को सहायता प्राप्त खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाया गया है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में आदिवासी खण्डों में इस योजना के लिए कितनी सहायता राशि देने का अनुमान है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार को आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी खंडों में दो रुपये प्रति किलो की दर पर सहायता प्राप्त चावल की पूर्ति की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) आंध्र प्रदेश में 8 समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत 21.64 लाख की आबादी (1981 की जनगणना के अनुसार) वाले 27 पूर्व खंडों को और 32 आंशिक खंडो को लाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी किए खाद्यान्नों पर दी गई राज सहायता की राशि 11.56 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) भारत सरकार ने यथा उल्लिखित राज्य योजना को बन्द करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में "ड्यूटी फ्री" दुकानें

371 . **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन होटलों में "ड्यूटी फ्री" दुकानें कब से चल रही हैं और ये दुकानें किन-किन होटलों में हैं;

(ख) उक्त दुकानों को उनके खोले जाने की तारीख से अब तक कितनी आय हुई है और प्रत्येक होटल का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन होटलों को वर्ष 1983-84, 1984-85 और अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक क्रमश: आवास, खान-पान और यात्राओं और पर्यटन से हुई आय का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त होटलों को उक्त मदों से लाभ हो रहा है अथवा घाटा और प्रत्येक स्थिति के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कोई शुल्क मुक्त दुकानें नहीं चलाई जा रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना इस प्रकार है :—

	1983-84		1984-85		1985-86 (अप्रैल—दिसम्बर, 1985 अनुमानित)	
	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि
	(रुपए लाखों में)					
आवास						
केटरिंग (होटल)	3708.91	—87.09	3999.57	—55.47	3510.70	48.34
ट्रैवल एण्ड टूअर्स						
(अशोक ट्रैवल एण्ड टूअर्स)	540.72	—26.80	535.29	—22.95	407.00	—7.43

हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) व्यस्त पर्यटन अवधि के दौरान देश में गड़बड़ी के हालात के कारण पर्यटक यातायात आदि में सामान्य गिरावट।

(2) दिल्ली में तीन नए होटलों का निर्माण जो अभी संचालन की प्रारम्भिक अवस्था (जेस्टेशन पीरियड) में हैं और जिन पर अधिक ब्याज और मूल्यह्रास के कारण अत्यधिक वित्तीय भार है।

(3) कई शहरों में अतिरिक्त होटल आवास।

(4) मात्र संवर्धनात्मक प्रयोजनों के लिए होटलों की अवस्थिति।

(5) भारत पर्यटन विकास निगम की तुलना में कम स्थापना खर्चों वाले प्राइवेट परिवहन प्रचालकों के साथ अलाभकर प्रतिस्पर्धा।

(6) अलाभकर परिवहन यूनिटों का परिचालन।

बम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मजदूरों का पुनर्वास

3720. डा० दत्ता सामन्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम और अन्य कपड़ा मिलों के कुल कितने मजदूरों को कपड़ा मजदूरों की पिछली हड़ताल के बाद पुनः काम पर नहीं लिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा उन मजदूरों को पुनः काम पर लेने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने कपड़ा नीति में यह आश्वासन दिया है कि आधुनिकीकरण के कारण बेरोजगार होने वाले मजदूरों को समुचित मुआवजा दिया जाएगा और उनका पुनर्वास किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) इस नीति के अनुसार कितने मिल मजदूरों को अब तक मुआवजा दिया गया है और पुनर्वास किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) यद्यपि यह अनुमान लगाया गया है कि बम्बई की मिलों में कामगारों का प्रतिदिन रोजगार हड़ताल-पूर्व रोजगार की तुलना में घटकर लगभग 49,000 हो गया है, परन्तु कार्य पर वापिस आने वाले परन्तु कार्य पर वापिस न लिए गए कामगारों की सही संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) अधिकतर कामगारों को, जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, मिलों के पुनः खुलते ही वापिस ले लिया गया था। विभिन्न मिलों द्वारा अलग-अलग कामगारों की बहाली अब प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

(ग) वस्त्र नीति मे बताया गया है "कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, कामगारों के हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें।" इस प्रयोजन के

लिए सरकार द्वारा कोष के सृजन का विचार नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दीर्घकालिक मुद्रा नीति

3721. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित दीर्घकालिक नीति वित्त की तरह एक दीर्घकालिक मुद्रा नीति की हाल ही में घोषणा किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान पर्यटक गांव की स्थापना

3722. श्री हरीश रावत : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटक गांवों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने पर्यटक गांवों की स्थापना करने का विचार है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन गाँवों में पर्यटन सुविधा के विकास के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, पर्यटन विभाग के पास पर्यटक गांवों का निर्माण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभाग ने शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में एक पर्यटक गांव का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी जो चालू योजनावधि में अब पूरा होने वाला है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की नीलामी

3723. श्री अनूपचन्द शाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की बिक्री बम्बई में उपभोक्ता सहकारी समितियों को सीधे न करके अनेक एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान नीति के कारण उसे जब्त की गई वस्तुओं के मूल्य के 4.5 प्रतिशत की हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बम्बई में इन एजेंसियों आदि के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जब्त किए गए उपभोक्ता माल के निपटान का अनुमोदित तरीका यह है कि उसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एन० सी० सी० एफ०) जो बदले में उसे विभिन्न बाजारों के जरिए, जिनमें सुपर बाजार भी शामिल हैं, बेचता है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, राज्य सहकारी महासंघों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत रूप से पंजीकृत सहकारी समितियों, सैनिक तथा अर्द्ध-सैनिक केन्टीनों को सीधे ही बेच दिया जाता है और ऐसे माल को सीमाशुल्क विभाग द्वारा चलाई जा रही खुदरा दुकानों के माध्यम से जनता को सीधे बिक्री करके भी बेचा जाता है।

(ग) और (घ) जब्त किए गए उपभोक्ता माल को बिक्री की शर्तों के अनुसार, मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित उचित कीमतों पर एन० सी० सी० एफ० को 14.5% और माल उठाने वाली अन्य प्राधिकृत एजेंसियों को 10% छूट दी जाती है ताकि वे अपने ऊपरी खर्चों की पूर्ति कर सकें।

बम्बई में निम्नलिखित एजेंसियों को जब्त किया गया माल बेचा जाता है :—

(i) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ;

(ii) सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत अलग-अलग उपभोक्ता सहकारी समितियां;

(iii) सैनिक और अर्द्ध-सैनिक कैंटीनें;

(iv) सीमाशुल्क विभाग के खुदरा काउंटरों के माध्यम से जनता को सीधे बिक्री।

दिल्ली में होटल के कमरों से सोने के बिस्कुटों का बरामद होना

3724. श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री सुभाष यादव
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 21 फरवरी, 1986 को दिल्ली में होटल के दो कमरों से 99 सोने के बिस्कुट बरामद किए गए हैं जिनका वजन 11.6 किलोग्राम और उनका मूल्य 24.36 लाख रुपए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। मामले के बारे में तथ्य इस प्रकार हैं :—

दिनांक 19 फरवरी, 1986 को सीमा शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने पहाड़गंज, नई दिल्ली-55 स्थित होटल और निजी गैस्ट हाउस के परिसरों से 23.03 लाख रुपये के मूल्य का, 11.5 कि०ग्रा० विदेशी मार्क का सोना बरामद अभिगृहीत किया। सोना स्टील के दो रोलरों और खजूरों के तीन पोलीथीलीन पैकेटों में छुपाया हुआ पाया गया था। इसके अतिरिक्त, 4070/- रु० की भारतीय मुद्रा, 150 अमेरिकी डालर, 105 साउदी संयुक्तगण राज्य अरब के दिरहम और एक साउदी अरब रियाल की विदेशी मुद्रा, अपराधरोपण्नीय दस्तावेजों के साथ विविध माल अभिगृहीत किया गया था।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में, चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में रखा गया। छान-बीन पूरी होने पर विभागीय न्यायानिर्णयन और न्यायालय में मुकदमे दायर चलाए जाने के लिए उचित कारंवाई की जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

3725. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1000 रुपये और उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को उस समय कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है जब महंगाई भत्ते की केवल एक ही

किश्त दी जाती है बाकी महंगाई भत्ते की दो किश्तें दी जाने पर ही उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों, जब भी जारी की जाएं, का भुगतान करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और भारत सरकार द्वारा आगे और सुधारी गई वर्तमान महंगाई भत्ते की योजना के अनुसार विभिन्न वेतन-श्रेणियों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी निम्न प्रकार से औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 8 अंकों की तीन किश्तों के चक्र के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) तीन किश्तों के चक्र में 8 अंकों की वृद्धि होने पर पहली किश्त प्रतिमाह 1000/- रु० के वेतन तक देय होती है।

(2) 1000/-रु० से अधिक और 1600/-रु० प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तब दिया जाता है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तीन किश्तों के चक्र में 16 अंकों की वृद्धि हो जाती है। 1000/-रु० से अधिक और 1600/-रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारी दूसरी किश्त देय होने की तारीख से दोनों किश्तों का संचित लाभ प्राप्त करते हैं।

(3) 1600/-रु० प्रतिमाह से अधिक और 2750/-रु० तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तब दिया जाता है जब तीसरी किश्त देय होने की तारीख से सभी तीनों किश्तों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तीनों किश्तों के चक्र में 24 अंकों की वृद्धि हो जाती है।

(4) 2750/-रुपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तीन किश्तों के चक्र में 24 अंकों की वृद्धि होने पर 150/-रुपये प्रति माह की दर पर महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विनिमय दर बाजार को स्थिर बनाना

3726. **डा० के० जी० अदियोड़ी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विनिमय दर बाजार स्थिर बनाने के लिए वर्ष 1985-86 में कोई परिवर्तन किया है क्योंकि अन्य देशों की आर्थिक वसूली अमेरिकी डालर के बराबर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो विनिमय दर बाजार पर अपने रुपया-डालर में अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में मिरिक तथा गोआ का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

3727. **श्री रेणु पद दास** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मिरिक तथा गोआ को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटक केन्द्रों का प्रत्यक्ष रूप से विकास नहीं करता बल्कि पर्यटकों के लिए आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है। राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त स्कीमों और प्रस्तावों पर उनके महत्व और धन-राशि की उपलब्धि पर आधारित रहते हुए मंजूरी प्रदान की जाती है। पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित पर अपनी मंजूरी प्रदान की है :—

1. मिरिक और रविन्द्रसागर में नौकाओं के लिए 1.71 लाख रु०।
2. गोआ में मोटर लांच और नौकाओं के लिए 39.65 लाख रु०।
3. गोआ में छः स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था करने के लिए 6.50 लाख रु०।
4. गोआ में एक यात्री निवास के लिए 28.70 लाख रु०।

सातवीं योजना के दौरान गोआ में एक राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना भी की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन

3728. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्तमान निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आम प्रथा से भिन्न कार्यवाही करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल

करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम फैसला कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 और 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीयकरण स्कीमों के उपबन्धों के संदर्भ में ऐसे गैर-सरकारी निदेशकों के नामों की, जिन्होंने निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली थी, तीन वर्ष पूरे कर लिए जाने की तारीख से निदेशक न रहने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन रिक्तियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। चूंकि छः गैर-सरकारी निदेशकों ने 3 वर्ष पूरे नहीं किये हैं, इसलिए वे अपने-अपने बैंक के बोर्डों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सम्भवतः प्रश्न का आशय राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति से है। राष्ट्रीयकरण की दोनों स्कीमों में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के गठन को नियन्त्रित करने वाले उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मकार कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में नियुक्त किया जाता है। इनका चयन बैंक की प्रतिनिधि यूनियन द्वारा सरकार को 3 कर्मकार कर्मचारियों के भेजे गए नामों की सूची में किया जाता है। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में ऐसे निदेशक हैं।

कमजोर वर्गों के लिए सामान्य बीमा निगम की पालिसियां

3729. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनी ने कमजोर वर्गों के लिए अनेक पालिसियां शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

(ग) जनता दुर्घटना पालिसी, ग्रामीण दुर्घटना पालिसी और मछुआ पालिसी का लाभ कितने व्यक्तियों को मिलेगा; और

(घ) वर्ष 1982 से क्या लाभ या घाटा हुआ है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा उद्योग ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए मवेशी/पशुधन/मुर्गीपालन बीमा, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ग्रामीण दुर्घटना बीमा, पशु-गाड़ी बीमा, पैडल साईकिल बीमा, रेशम कीट बीमा, मधुमक्खी बीमा, मत्स्य ताल बीमा, झोंपड़ी (हट) बीमा, कृषि पम्पसैट बीमा आदि जैसे आवश्यकता अनुसार विभिन्न बीमा कवच प्रदान किए हैं।

(ग) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रामीण दुर्घटना बीमा पालिसियों के अन्तर्गत सम्मिलित

व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	
	जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	ग्रामीण दुर्घटना बीमा
1982	20.16	1.30
1983	30.75	1.74
1984	35.10	3.04
1985 (अनन्तिम)	43.59	6.38

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के उक्त आंकड़ों में मछेरों की पालिसियों के बारे में आंकड़े भी शामिल हैं।

(घ) यद्यपि उक्त श्रेणियों की पालिसियों के बारे में लाभ या हानि से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते, तथापि उनके दावों के अनुपात की स्थिति निम्नलिखित है :—

वर्ष	दावा-अनुपात	
	जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	ग्रामीण दुर्घटना बीमा
1982	84.49%	34.29%
1983	50.96%	36.02%
1984	57.23%	44.09%
1985	लेखे संकलित किए जा रहे हैं और उनकी लेखा परीक्षा की जा रही है।	

[हिन्दी]

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के विकास के लिए नई योजना

3730. श्री निर्मल खत्री : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई नई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को मंजूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : *(क) से (ग) जी, हां।* पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। (1) अयोध्या को सुन्दर बनाना और वहां मार्गस्थ सुख-सुविधाएं प्रदान करना (2) अयोध्या घाटों को सुन्दर बनाना और उनका विस्तार करना तथा (3) अयोध्या पुल के अनुप्रवाह गाइड बंध का विस्तार। विभाग अयोध्या में मार्गस्थ सुविधाएं मुहैया करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है। तथापि, अन्य प्रस्ताव, पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे सामान्य कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते।

बीमा कम्पनियों के पास लम्बित पड़े पशुधन, फसलों आदि के बीमों के दावे

3731. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 जनवरी, 1986 को विभिन्न बीमा कम्पनियों के पास बैंकों के माध्यम से दिए गए ऋणों के लाभार्थियों के पशुधन और फसल आदि के बारे में सामान्य बीमे के कितने दावे लम्बित थे;

(ख) क्या यह सच है कि ये दावे सामान्यतः पिछले दो या तीन वर्षों से लम्बित हैं; और

(ग) इन दावों को इतने लम्बे समय तक न निपटाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों के जरिए दिए गए ऋणों के लाभभोगियों के पशुधन और फसल बीमा सम्बन्धी अनिर्णित दावों की स्थिति 31 जनवरी, 1986 को इस प्रकार है :—

		अनिर्णित दावों की संख्या
(i)	पशुधन बीमा दावे	51136
(ii)	फसल बीमा दावे	204

(ख) जी, नहीं।

(ग) पशुधन बीमा संबंधी दावों के अनिर्णित रहने का मुख्य कारण दावों से संबंधित कागजों का प्राप्त न हो पाना है। जहां तक फसल बीमा दावों का संबंध है, प्रायोगिक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उड़ीसा का 1984-85 की रबी की फसल का एक दावा राज्य सरकार से फसल के बारे में अंतिम उत्पादन आंकड़े प्राप्त न होने के कारण अनिर्णित पड़ा हुआ है। 31-1-86 को अनिर्णित पड़े शेष 203 दावे 1985 के खरीफ मौसम से लागू की गई व्यापक फसल बीमा योजना से संबंधित है। इन दावों को अक्तूबर/नवम्बर, 1985 में ही पेश किया गया है और अंतिम उत्पादन संबंधी आंकड़ों की, जो साधारण बीमा निगम को संबंधित राज्य सरकारों से आजकल प्राप्त हो रहे हैं, जांच पड़ताल

की जा रही है और उनका सत्यापन किया जा रहा है ताकि दावों का निपटान किया जा सके।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में लेखा-परीक्षक

3732. श्री श्रीराममूर्ति भट्टम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या मानदन्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह लेखा-परीक्षा ऐसे चार्टर्ड एकाउंटैंटों द्वारा की जाती है जिनके पास पांच वर्षों का अनुभव भी नहीं होता है और इस तरह प्रतिष्ठित फर्मों की उपेक्षा की जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सरकारी उपक्रमों के लेखा-परीक्षा का कार्य केवल सुप्रतिष्ठित और अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटैंटों को ही दिया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी उपक्रमों के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) में यह व्यवस्था है कि सरकारी कम्पनी के लेखा-परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर की जाएगी। सरकारी उपक्रमों के लिए लेखा-परीक्षकों की सिफारिश करने के लिए नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मोटे तोर पर निम्नलिखित व्यापक निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं :—

(1) कम्पनी का स्थान;

(2) लेखा-परीक्षा की जाने वाली कम्पनी की प्रकृति और उसकी जटिलता;

(3) चार्टर्ड लेखाकार की फर्म का स्थान;

(4) लेखा-परीक्षा के लिए शुल्क;

(5) चार्टर्ड लेखाकारों की फर्म की संगठनात्मक संख्या; और

(6) उनके कार्य और अनुभव का रिकार्ड।

(ख) और (ग) लेखा-परीक्षा का कार्य या तो पार्टनरशिप फर्म को सौंपा जाता है जिसमें कम से कम एक पार्टनर को पांच वर्ष से अधिक का अनुभव हो या एक मात्र स्वामित्व वाली फर्म को सौंपा जाता है जिसमें मालिक को पांच वर्ष से अधिक का अनुभव हो। इस प्रकार, लेखा-परीक्षा कार्य केवल प्रतिष्ठित और अनुभवी चार्टर्ड लेखाकारों को ही सौंपा जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों और चीनी के भण्डारण के लिए गोदाम किराये पर लेना

3733. श्री डी० बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों और चीनी के भण्डारण के लिए गोदाम किराए पर लिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1983-84, 1984-85, अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक इस प्रकार कितने गोदाम किराए पर लिए गए;

(ग) उक्त अवधि के लिए कुल कितना किराया दिया गया;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में वार्षिक किराया अधिक है और यह इस प्रकार से किराए पर लिए गए गोदामों की कीमत का 25 प्रतिशत है; और

(ङ) यदि हां, तो इतने अधिक किराए पर गोदाम लेने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों और चीनी का भण्डारण करने के लिए गोदाम किराए पर लिए जाते हैं।

(ख) निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों की संख्या 31-3-1984 को 1359, 31-3-1985 को 156: और 31-12-1985 को 1486 थी।

(ग) निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों के लिए अदा किया गया किराया 1983- 4 के लिए 29.65 करोड़ रुपये और 1984-85 के लिए 43 09 करोड़ रुपये था। अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक के लिए अदा किए गए किराए की राशि का, निगम द्वारा वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद वित्तीय वर्ष के अन्त में पता चलेगा।

(घ) और (ङ) किराए के गोदामों की निर्माण लागत के बारे में निगम को कोई जानकारी नहीं है। अतः ऐसे गोदामों की लागत की तुलना में वार्षिक किराए की प्रतिशतता के बारे में जानना सम्भव नहीं है।

व्यापार असन्तुलन कम करने के लिए उपाय

3734. श्री वाई० एस० महाजन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों, खाद्य तेलों और चीनी के आयात के

बढ़े हुए बिल के कारण व्यापार असन्तुलन अधिक हो गया है और इससे भुगतान शेष की स्थिति काफी प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के अलावा, व्यापार असन्तुलन को कम करने के लिए इन वस्तुओं और अन्य अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं, जिनका आयात किया जा रहा है के उपभोग को कम करने के लिए लोगों को अपनी खानपान सम्बन्धी आदतों को बदलने के लिए शिक्षित करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान आयातों की ऊंची दर, मुख्य रूप से बल्क वस्तुओं, जिनमें कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्य तेल तथा चीनी शामिल हैं, के आयातों में हुई वृद्धि के कारण है। अलौह धातुओं, इस्पात, मशीनरी तथा परिवहन उपस्करों के आयात में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि खाद्य तेल के आयात को कम किया जा सके। साथ ही साथ, बनस्पति उद्योग को सरसों के तेल की बढ़ी हुई मात्राओं का उपयोग करने के लिए भी अनुमति दी गई है ताकि कम से कम आयातित तेल से काम चला सकें। नाइट्रोजेनस उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को सातवीं योजनावधि में छः नये संयंत्र स्थापित करके तेजी से बढ़ाया जा रहा है; थाल-वाशिल तथा हजीरा में प्रथम दो संयंत्र पहले ही शुरू हो गए हैं।

विदेशों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की मांग

3735. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी देशों ने भारत से पनीर, मुरमुरा (पफूडका राइस) और अन्य सब्जियों तथा गैर-शाकाहारी पदार्थों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के आयात में जिनकी हमारे देश में भी उत्पादन क्षमता है, रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में फलों तथा सब्जियों, गैर-शाकाहारी मदों जैसे

मांस तथा मांस उत्पादों और अनाज उत्पादों जैसे मुरमुरा आदि के उत्पादन में वृद्धि करने की क्षमता है। इन उत्पादों की पश्चिमी देशों के लिए निर्यात की सम्भावनाएं हैं।

(ग) फलों तथा सब्जियों और मांस उत्पादों के निर्यात की अनुमति है।

वनस्पति संयंत्रों की स्थापना

373६. श्री हरिहर सोरन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का क्या नाम है, जहां वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में भी कुछ वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में वनस्पति संयंत्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) वनस्पति के उत्पादन के लिए उपलब्ध क्षमता, कुल मिलाकर पर्याप्त है। तथापि, उन राज्यों में, जहां मांग की तुलना में उत्पादन क्षमता कम है, क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिए यदि कभी कोई आवश्यकता पड़ी तो अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

(ग) से (ङ) एक लाइसेंस मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (आई० पी० आई० सी० ओ० एल०) भुवनेश्वर को मंजूर किया गया है। उक्त संयंत्र कटक में स्थापित किया जा रहा है।

कोचीन केरल में वेलिंगटन द्वीप समूह में भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

3737. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन (केरल) में वेलिंगटन द्वीप समूह में भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने तथा मत्तानचेरी पुल के स्थान पर एक पुल निर्माण करने के लिए सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते के निष्कर्ष क्या हैं तथा सहायता कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के विभागीय श्रमिकों की छटनी

3738. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम (एफ० सी० आई०) केन्द्रीय सरकार की सलाह पर अपनी माल चढ़ाने-उतारने की लागत में अधिकतम कटौती करने के लिए 7000 विभागीय श्रमिकों के (एफ० सी० आई०) अपने समस्त श्रमिक दल की भारी छटनी कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस भारी छटनी से भारतीय खाद्य निगम केवल 23 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत करेगा;

(ग) क्या छटनी किए गए श्रमिकों को रोजगार देने के लिये कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार ने प्रमुख बन्दरगाहों पर कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के केवल विभागीय श्रमिकों की छंटनी करने की स्वीकृति दे दी है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के आयात और निर्यात विषयक परिचालनों में काफी कमी हो गई है।

(ख) इससे लगभग 23 करोड़ रुपये की बचत होगी जिसे निगम प्रतिवर्ष इन बेकार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने पर व्यय कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, श्रमिकों को बन्दरगाहों पर अन्य हैन्डलिंग एजेन्सियों से या गोदी श्रमिक बोर्ड या अन्य कहीं भी रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुद्रेमुख से लौह अयस्क की खरीद

3739. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में विभिन्न लौह अयस्क खानों से कुल कितना लौह अयस्क खरीदा है;

(ख) क्या लौह अयस्क का निर्यात करने के प्रयोजन से कर्नाटक में कुद्रेमुख और अन्य लौह अयस्क खानों से और अधिक मात्रा में लौह अयस्क खरीदने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० (एम० एम० टी० सी०) ने गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में स्थित खानों से निम्नलिखित मात्रा में लौह अयस्क खरीदा (कुद्रेमुख अयस्क को छोड़कर)।

वर्ष	खरीदी की मात्रा (लाख मे० टनों में)
1982-83	32.30
1983-84	34.59
1984-85	41.42
1985-86 (जनवरी, 86 तक)	41.92

(ख) और (ग) कुद्रेमुख उद्भव के लौह अयस्क सांद्रणों का निर्यात कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० (के० आई० ओ० सी० एल०) के माध्यम से सरणीबद्ध है। एम० एम० टी० सी० निर्यात के लिए कुद्रेमुख सांद्रण नहीं खरीदता ; परन्तु जापान, युगोस्लाविया आदि देशों को इसका निर्यात करने के लिए आर्डर हासिल करने में इसने सहायता दी है।

तथापि, एम० एम० टी० सी० कर्नाटक राज्य में स्थित, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र निगम, जैसे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, की अन्य खानों से लौह अयस्क खरीदता है। एम०एम० टी० सी० ने लौह अयस्क के बिक्री योग्य ग्रेडों की खरीद नीति को उदार बनाते हुए खरीद बढ़ाने हेतु पहले से ही प्रभावी कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भण्डार में आई गिरावट के कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए कदम

3740. **श्री कुंवर राम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा के भण्डार में गिरावट हुई है; और

(ख) यदि हां, तो घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों को सहायता

3741. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक प्रस्तावित/प्रत्याशित लघु उद्यमियों को मशीनों, संयंत्रों आदि की खरीद के लिए लघु उद्योगों/प्रस्तावित लघु उद्योगों को ऋण देकर उनकी सहायता करते हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मापदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की कोई शर्त है कि लघु उद्योग को पंजीकृत/गैर-पंजीकृत आदि होना चाहिए; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में बैंक-वार ऋणों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदकों को ऋण दिया गया (मंजूर की गई/वितरित की गई राशि सहित) ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से संयंत्रों और मशीनों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए लघु उद्योगों को रियायती शर्तों पर सावधि ऋण देने के लिए कहा गया है। इन ऋणों के ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों में 12.5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 13.5 प्रतिशत की वार्षिक होती है और ये ऋण कम से कम 3 वर्षों के लिए होते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक धनराशियों की लागत/उपलब्धता, प्रशासनिक लागत और अर्थ-व्यवस्था कुछ वांछित क्षेत्रों तथा पिछड़े या अन्य इलाकों पर बल देने जैसे कई तथ्यों को ध्यान में रखकर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न प्रयोजनों/क्षेत्रों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों के बारे में समय-समय पर निदेश जारी करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए किसी लघु उद्योग का पंजीकृत होना पूर्व शर्त नहीं है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उड़ीसा के लघु उद्योगों को अनु-

सूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

दिसम्बर का अन्तिम शुक्रवार	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपये)
1981	44092	3994
1982	47051	4722
1983	55270	6415
1984	59051	8606

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का बन्द होना

3742. श्री सोमनाथ रथ
श्री प्रकाश बी० पाटिल } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं को बन्द करने की सोच रही है क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रिफाइन्ड-तेलों की कीमतों में वृद्धि

3743. श्री प्रकाश बी० पाटिल
श्री सोमनाथ रथ } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट प्रस्तुत किये जाते ही रिफाइन्ड तेलों की कीमतें बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो बजट के पश्चात विभिन्न किस्मों के खाद्य तेलों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कुछ मामलों में काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : परिष्कृत तेल के कुछ ब्रांडों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) परिष्कृत तेलों की कुछ किस्मों के खुदरा मूल्यों में प्रति कि० ग्रा० 1.30 रुपये से 1.50 रुपये के बीच वृद्धि हुई है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आयातित परिष्कृत खाद्य तेल जिस निर्गम मूल्य पर सप्लाई किये जा रहे हैं, वह 15-11-85 से उसी स्तर पर बना हुआ है।

बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र

3744. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के निदेशों के अनुसार देश के विभिन्न भागों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कार्य कुशलता सुधार पर बल देते हुए बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सेवाओं से कार्य कुशलता में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश जारी नहीं किए हैं। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं। इनमें पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्र भी शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1-11-1985 को बैंकों के 208 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र थे जिनका बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाना और उन्हें काम को बेहतर ढंग से निपटाने के योग्य बनाना होता है। यह एक निवेश है और कार्यकुशलता को बढ़ाने के संदर्भों में इसके योगदान का हिसाब आंकड़ों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन काम के तरीके/काम के निपटाने में इसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है।

विवरण

बैंकों के स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र

क्रम सं०	बैंक का नाम	देश में स्थापित बैंक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और उनका स्थान
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	3 शीर्ष स्तर प्रशिक्षण कालेज—एक गुड़गांव में और 2 हैदराबाद में तथा 48 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं : अलीपुर रोड कलकत्ता, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बांद्रा बम्बई, पुणे, अकोला, नासिक, औरंगाबाद, पणजी (गोआ), बंगलौर, त्रिचुरापल्ली, किलपाक, मद्रास, बेलगांव, नागापट्टनम, अंबालापेट्ठ, पीरामबूर, मद्रास, नई दिल्ली, देहरादून, मेरठ, अजमेर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, नैनीताल, बड़ौदा, अहमदाबाद, अपीरपेट, हैदराबाद, सिकंदराबाद, काकीनाडा विजयनग्राम, पासूलिपट्टनम, सोमालीगुंडी, हैदराबाद, पटना, रांची, भोपाल, इन्दौर, बिलासपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, राऊरकेला जम्मू, चण्डीगढ़, अमृतसर, गुवाहाटी, शिलांग।
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	तीन प्रशिक्षण केन्द्र—दो सिकन्दराबाद में और एक गुलबर्गा में।
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	दो प्रशिक्षण केन्द्र—दोनों इंदौर में।
4.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	तीन प्रशिक्षण केन्द्र—जयपुर, बीकानेर और उदयपुर में एक-एक।
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	तीन प्रशिक्षण केन्द्र जिनमे से दो बंगलौर में और एक मैसूर में।
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	तीन प्रशिक्षण केन्द्र जिनमें से पटियाला, चंडीगढ़ और पंचकुला प्रत्येक में एक-एक।

1	2	3
7.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	दो प्रशिक्षण केन्द्र जिनमें से एक त्रिवेन्द्रम में और एक एर्नाकुलम में।
8.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	दो प्रशिक्षण केन्द्र जिनमें से एक राजकोट में और एक भावनगर में।
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	दो प्रशिक्षण संस्थान—एक बम्बई में और एक दहानू में। निम्नलिखित स्थानों पर 12 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र—अहमदाबाद, बम्बई, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास, पटना, पुणे और मुजफ्फरपुर।
10.	बैंक आफ इण्डिया	बैंक आफ बड़ोदा के सहयोग से चल रहे हैं। एक कालेज सहित 15 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति निम्न प्रकार है : बम्बई में दो और अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पटना, पुणे और सिकन्दराबाद प्रत्येक में एक-एक।
11.	पंजाब नेशनल बैंक	14 प्रशिक्षण केन्द्र – एक स्टाफ प्रशिक्षण कालेज दिल्ली में। 11 आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र—बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, देहरादून, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, नागपुर और पटना में एक-एक लखनऊ और लुधियाना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रशिक्षण के दो केन्द्र।
12.	बैंक आफ बड़ोदा	13 प्रशिक्षण केन्द्र—अहमदाबाद, बम्बई और लखनऊ में प्रत्येक में दो-दो और बड़ौदा, कलकत्ता, नई दिल्ली, जयपुर, मद्रास, पुणे तथा पटना में एक-एक।
13.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	4 प्रशिक्षण केन्द्र—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और जयपुर में एक-एक।
14.	केनरा बैंक	एक प्रशिक्षण कालेज और नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र। कालेज बंगलौर में है और प्रशिक्षण केन्द्र आगरा, बंगलौर, बम्बई, कलकता, हैदराबाद, मद्रास, मदूरे, मंगलौर और त्रिवेन्द्रम में हैं।
15.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	दो स्टाफ कालेज—एक कलकत्ता में और एक भुवनेश्वर में।

1	2	3
16.	देना बैंक	एक संयुक्त स्टाफ प्रशिक्षण कालेज, दो आंचलिक और सात क्षेत्रीय केन्द्र—संयुक्त स्टाफ प्रशिक्षण कालेज बम्बई में, आंचलिक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई और अहमदाबाद में, क्षेत्रीय स्टाफ प्रशिक्षण कालेज राजकोट, सूरत, पुणे, बंगलौर, कलकत्ता, भोपाल और नई दिल्ली में।
17.	सिंडिकेट बैंक	नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र—उडुपी, बंगलौर, बेलगाम, नई दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई, एर्नाकुलम और अहमदाबाद में।
18.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	बंगलौर में एक स्टाफ कालेज और सात स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र अहमदाबाद, आलवेइ, बंगलौर, बोर्ड, भुवनेश्वर, लखनऊ और गाजीपुर में स्थित हैं।
19.	इलाहाबाद बैंक	दो प्रशिक्षण केन्द्र एक कलकत्ता और एक लखनऊ में।
20.	बैंक आफ महाराष्ट्र	एक स्टाफ प्रशिक्षण कालेज पुणे में और पांच प्रशिक्षण केन्द्र पुणे, बम्बई, नागपुर, बेलगांव और नई दिल्ली में स्थित हैं।
21.	इंडियन बैंक	एक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र मद्रास में स्थित है और पांच स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में स्थित हैं।
22.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	11 प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, मदुरई और त्रिवेन्द्रम और मद्रास और तंजौर में ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थित हैं।
23.	आन्ध्र बैंक	एक प्रशिक्षण कालेज और तीन स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र जिन में दो हैदराबाद में और एक विशाखापत्तनम औविर जय वाड़ा में स्थित है।
24.	पंजाब और सिंध बैंक	तीन प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली, चंडीगढ़, (आवासीय) और चंडीगढ़ (स्थानिक)
25.	न्यू बैंक आफ इंडिया	दो स्टाफ प्रशिक्षण कालेज फरीदाबाद और चंडीगढ़ में हैं।

1	2	3
26.	विजया बैंक	दो प्रशिक्षण केन्द्र—बंगलौर और मुल्की (दक्षिणी कन्नड़ जिला) में है।
27.	कारपोरेशन बैंक	तीन प्रशिक्षण केन्द्र मंगलौर, बंगलौर और बम्बई में हैं।
28.	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	एक प्रशिक्षण केन्द्र न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली में है।

विभिन्न कर श्रेणियों में आय-कर निर्धारण

3745. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान विभिन्न कर श्रेणियों और (एक) 50,000 रु० तक (दो) 50,000 रु० से 1,20,000 रु० (तीन) 1,20,000 रु० से 5 लाख रुपये (चार) 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और (पांच) 10 लाख रुपये और अधिक वार्षिक आय विवरणियां भरने वाले आयकर निर्धारितियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में इन विभिन्न श्रेणियों के कर-निर्धारितियों से कितना कर एकत्र किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त वर्षों में आयकर की कितनी राशि बकाया थी और एकत्र किए गए कुल आयकर में इन श्रेणियों का प्रतिशत-वार अंशदान कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय शिपर्स को निर्यात में वृद्धि हेतु सुविधा देने के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना

3746. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिपर्स को अपने निर्यात में वृद्धि करने की सुविधा देने हेतु नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस योजना के संबंध में कुछ सुझावों सहित एक ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जिन सुझावों को सरकार ने अस्वीकार कर लिया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) नकद मुआवजा सहायता की एक नई योजना आरम्भ की जाएगी जो 1 जुलाई 1986 से प्रभावी होगी। नकद मुआवजा सहायता योजना का उद्देश्य निर्यातों का संवर्धन करना है। इस नई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) औद्योगिक उत्पादों के सम्बन्ध में, बिना लौटाए गए अप्रत्यक्ष करों की पुन: वापसी, नकद मुआवजा सहायता दरों को निर्धारित करने के लिए मुख्य घटक बनी रहेगी। तथापि, कराधान की प्रपाती संरचना को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(2) उत्पाद/विपणन विकास के लिए मुआवजा क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर केवल बहुत ही चयनात्मक ढंग से दिया जाएगा।

(3) फल तथा सब्जियों जैसी कृषिगत मदों के सम्बन्ध में जोकि खराब हो जाती हैं, भारत के भीतर परिवहन की ऊंची लागत के लिए मुआवजे के एक विशेष तत्व की व्यवस्था की जाएगी।

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के सम्बन्ध में श्रम द्वारा मूल्यवर्धन नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक मुख्य घटक समझा जाएगा।

(5) नकद मुआवजा सहायता देने के सम्बन्ध में मूल्यवर्धन के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति न दिए जाने, अर्थात् आर० ई० पी० हकदारी कम करके एफ० ओ० बी० प्राप्ति (पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत) का प्रतिबंध जारी रहेगा।

(6) भारत के भीतर कतिपय श्रेणियों की सप्लाइयों पर नकद मुआवजा सहायता देने की वर्तमान नीति, जिसमें उन्हें माने गए निर्यातों के रूप में लिया जाता है, जारी रहेगी।

दिल्ली में बैंक डकैतियां

3747. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में बढ़ती डकैतियों की ओर ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप भारी धन की हानि और आम जनता को परेशानी हुई है;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बैंक डकैतियों और लूटपाट के मामलों का ब्यौरा

क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1983, 1984 और 1985 में दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में हुई बैंक लूटपाट/डकैती की घटनाओं तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त रकमों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं। वर्ष 1986 में, अब तक, दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक में लूटपाट/डकैती की घटना नहीं हुई है।

(ग) दिल्ली में बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों और दिल्ली के पुलिस आयुक्त की एक बैठक हुई थी। बैंकों के लिए निम्नलिखित हिदायतें दोहरायी गईं :

(1) शाखाओं के साप्ताहिक अवकाश का दिन वह रखा जाए, जिस दिन उस इलाके का बाजार बन्द हो।

(2) प्रत्येक शाखा में एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड होना चाहिए।

(3) बैंक की प्रत्येक शाखा में दाखिल होते ही एक कोलेप्सेबल गेट होना चाहिए जिसमें जंजीर लगी हो और ताला लगा हो।

(4) कैशियरों के लिए जाली की एक केबिन होनी चाहिए जिसका ताला अपने आप ही बन्द हो जाता हो।

(5) शाखाओं में एक अलार्म की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह अलार्म कमजोर नहीं बल्कि ऊंची आवाज वाला होना चाहिए।

(6) बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा उपायों की जांच की जानी चाहिए।

दिल्ली में बैंकों की अधिकतर शाखाओं ने उपर्युक्त सुरक्षा-प्रबन्धों पर अमल कर लिया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1983, 1984 और 1985 में, दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में हुई लूटपाट/डकैती की घटनाओं तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त रकमों से संबंधित सूचना

क्रम सं०	बैंक और शाखा का नाम	घटना की तारीख	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
	1983		
1.	भारतीय स्टेट बैंक, खुरेजी खास, दिल्ली	15-2-83	0.28
2.	भारतीय स्टेट बैंक, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली	29-2-83	0.63
3.	पंजाब नेशनल बैंक, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली	17-11-83	53.1
			6.22
	1984		
1.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, कनाट सर्कस	6-2-84	1.25
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली	4-6-84	3.90
3.	सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली, नरेला	7-6-84	10.00
4.	यूनियन बैंक आफ इंडिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली	19-6-84	1.51
5.	इलाहाबाद बैंक, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	21-11-84	5.54
		जोड़	22.20
	1985		
1.	यूनियन बैंक आफ इंडिया, आनन्द निकेतन, दिल्ली	4-3-85	0.45
2.	भारतीय स्टेट बैंक, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली	14-3-85	4.19

1	2	3	4
3.	बैंक आफ इंडिया, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, दिल्ली	21-5-85	—
4.	न्यू बैंक आफ इंडिया, मस्जिद मोठ, पंचशील एन्क्लेव	10-7-85	3.02
5.	बैंक आफ इंडिया, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	21-8-85	4.19
6.	इंडियन बैंक, सफदरजंग एन्क्लेव	4-10-85	2.88
		जोड़	14.73

(आंकड़े अनन्तिम)

उड़ीसा का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक

3748. **श्री बृज मोहन महंती :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने विदेशी पर्यटकों द्वारा उड़ीसा का दौरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उनकी आवास की आवश्यकता और विमान यात्रा की व्यवस्था के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) और (ख) विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े राज्यवार या स्थान-वार संकलित नहीं किये जाते ; तथापि, विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार, भारत आने वाले पर्यटकों में से 1.6 प्रतिशत पर्यटकों ने इस वर्ष उड़ीसा में कम से कम एक रात बिताई।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा उड़ीसा राज्य में आवास संबंधी आवश्यकता और हवाई यात्रा प्रबंधों के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किये गये ऋण

3749. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने ग्रामीण बैंक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों ने कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की वसूली की स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों का लाभ उठाने वाले छोटे किसानों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल तमिलनाडु में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् पांडियन ग्राम बैंक और अधीयमान ग्राम बैंक हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि अधीयमान ग्राम बैंक की स्थापना हाल ही में 27 दिसम्बर, 1985 को की गई है। जहां तक पांडियन ग्राम बैंक का सम्बन्ध है, गत तीन वर्षों के दौरान इसके बकाया अग्रिमों और इन ऋणों की वसूली की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

को समाप्त अवधि	(लाखों रुपये) बकाया ऋण	मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत
जून 1983	1825.32	59.00
जून 1984	2174.60	39.00
जून 1985	2754.57	63.00

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पांडियन ग्राम बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले छोटे किसानों की संख्या यह है :

जून 1983	164749
जून 1984	123949
जून 1985	190640

केरल में ऋण शिविर

3750. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से ऋण वितरण के लिये केरल में किन्हीं स्थानों पर ऋण शिविर आयोजित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केरल को इससे वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के समग्र उपायों के एक अंग के रूप में ऋण शिविर लगाते हैं। ये शिविर ऐसे ऋण वितरणों के लिये सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। ये ऋण शिविर आमतौर पर बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाते हैं और इन पर अलग से निगरानी रखना न तो व्यवहार्य और न ही जरूरी समझा जाता है। केरल में मार्च, 1983 के अन्त तक समाज के कमजोर वर्गों को दिये गए ऋणों की बकाया रकम 198 करोड़ रुपये थी जो दिसम्बर, 1984 के अन्त में बढ़कर 257 करोड़ रुपये हो गयी।

केरल में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले

3752. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान केरल में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) वर्ष 1985 में केरल में उक्त प्रकार के कितने मामलों में दोष सिद्ध हुए; और

(ग) केरल में 1984 अथवा उससे पहले उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों में अभी मुकदमा चलाया जाना बाकी है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985 के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने केरल में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने से संबंधित 632 मामले दर्ज किये थे।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान केरल में 29 मामलों में दोष सिद्ध हुए।

(ग) 4 मामलों में, जिनमें वर्ष 1984 में अथवा उससे पूर्व अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई थी, केरल के न्यायालयों में विचारण के लिये पड़े हैं।

आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटन को आघात पहुंचना

3753. **श्री अनंत प्रसाद सेठी**
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटन को भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में, आने वाले पर्यटकों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) 1985 के दौरान पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) हमारे देश में प्रतिकूल हालात के सिलसिले के कारण जिसमें आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं, 1984-85 में विदेशी पर्यटकों के प्रवाह में गिरावट आई थी। पर्यटन विभाग ने इन्हें निष्प्रभावी बनाने के लिए जो कार्रवाई की है उसके अन्तर्गत ये उपाय शामिल हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि को ऐसे महाद्वीपीय आयाम वाले देश के रूप में उजागर करने के लिए यह पुनराश्वासन अभियान चलाना कि कुछेक स्थानों पर आतंकवाद की गतिविधियों के फैलने के बावजूद भी इसके अधिकांश भाग कानून और व्यवस्था संबंधी अशांति से मुक्त रहते हैं, भारत में सामान्य स्थिति का स्वयं जायजा लेने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों को भारत की यात्रा पर आमंत्रित करना। विश्वास जगाने के विचार से विदेशों में संवर्धनात्मक शिष्ट-मंडल भेजना और ट्रेवल मार्ट, आदि का आयोजन करने के साथ-साथ बहुत से घटनापरक आयोजन किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान पर्यटकों से प्राप्त होने वाली विदेशी-मुद्रा आय के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

उद्योग में रुग्णता का निर्धारण करने के लिए मानदण्ड

3754. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्योग में रुग्णता के निर्धारण के लिए दो सापेक्ष मानदण्ड बनाए हैं और बैंकों के लिए कठिनता से अथवा वसूल न होने वाले ऋणों का पता लगाने के लिए 9-सूत्री नियंत्रण सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्णता और कठिनता से अथवा वसूल न होने वाले ऋणों का निर्धारण करने के लिए तैयार किए गए नये मानदण्डों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान परिभाषा के अनुसार वह एकक रुग्ण है जिसे एक वर्ष से नकद हानि हो रही हो और वित्त-पोषक बैंक के विवेकानुसार उसे चालू वर्ष तथा अगले वर्ष भी नकद हानियों की आशंका हो और उसकी वित्तीय संरचना में चालू अनुपात के एक से कम होने और ऋण-ईक्विटी अनुपात के बिगड़ने जैसे असंतुलन विद्यमान हों। अतः वाणिज्यिक बैंक रुग्ण एककों के निर्धारण के प्रयोजन से, अपने पोर्टफोलियो

में उधार खातों का पता लगाने के लिये इस परिभाषा को लागू कर रहे हैं। अग्रिमों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में, अग्रिमों को अलग-अलग ग्रेडों में रखने के लिये एक व्यापक और एक समान प्रणाली आरंभ की है। तदनुसार बैंकों से अपने ऋण खातों को आठ विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की अपेक्षा की गई है जैसे संतोषजनक; अनियमित; रुग्ण; सहायता कार्यक्रम के अधीन अर्थक्षम रुग्ण, अर्थक्षम नहीं/अवरुद्ध; मांगे गए अग्रिम; मुकदमें दायर किये गये खाते; डिक्री प्राप्त कर्जे और खातों के स्वास्थ्य के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋण।

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार

3755. **श्री के० प्रधानी**
श्रीमती जयन्ती पटनायक
: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उपायों पर पिछले महीने जकार्ता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने के लिए किन किन प्रमुख उत्पादों को चुना गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) **इंजीनियरिंग क्षेत्र** : वस्त्र मशीनरी तथा हिस्से पुर्जे, आटो हिस्से पुर्जे, साइकिल तथा हिस्से पुर्जे, सीमलेस पाइप तथा ट्यूब, पाइप तथा ट्यूब फिटिंग्स, दस्ती औजार तथा कटाई औजार पम्प तथा कम्प्रेसर, मशीनी औजार तथा अनुषंगी सामान, टायर तथा ट्यूब के लिए वाल्व, औद्योगिक वाल्व, बियरिंग्स, विद्युत मोटर तथा हिस्से पुर्जे, विविध विद्युत मदें तथा मशीनरी वैज्ञानिक तथा मापन उपस्कर, इलैक्ट्रोनिक संघटक, फोर्जिंग्स तथा कास्टिंग्स, ट्रैक्टर तथा उपकरण, पावर जनरेशन मशीनरी (गैर विद्युत), खाद्य संसाधन मशीनरी।

गैर इंजीनियरिंग क्षेत्र : रसायन, ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स रंजक तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, भेषज, रोगन व वार्निश, प्लास्टिक माउलडेड उत्पाद, एलूमिना, कपास, गेहूं, लौह अयस्क पैंलेट्स, सोडा एश, पशु चारा सामग्री, एक्स-रे फिल्में तथा सिनेमाटोग्राफिक फिल्में।

जनता कपड़ा जारी करने के लिए दिशा निर्देश

3756. **श्री के० प्रधानी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में जहां जनजातियों के गरीब व्यक्ति भी बसते हैं, जनता कपड़ा जारी करने के लिये कोई मानदंड दिशा निर्देश बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा को ऐसा कितना कपड़ा सप्लाई किया गया और यह उनकी मांग की तुलना में कितना था ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े का उत्पादन के लिए लक्ष्य कतिपय मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं जैसे कि जनता कपड़े के उत्पादन में लगे करघों की संख्या, राज्य का विगत निष्पादन इत्यादि। खपत के लिए हकदारी निर्धारित करते समय जनजाति जनसंख्या के लिए कोई अलग महत्व नहीं दिया जाता है।

(ग) इस आधार पर उड़ीसा को 1985-86 और साथ ही 1986-87 के लिए 30 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। यह कुल मिलाकर पूरे देश में अथवा राज्यों में कुल मांग की मात्रा से जुड़ा हुआ नहीं है।

उड़ीसा में बालासोर में वनस्पति संयंत्र की स्थापना

3757. **श्री के० प्रधानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बालासौर में वनस्पति संयंत्र की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार की परियोजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय यह किस अवस्था में है; और

(घ) उनके मंत्रालय को इसे मंजूर करने और आशय पत्र जारी करने के लिये इसे उद्योग मंत्रालय को भेजने में क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० ए० के० पंजा) : (क) मैसर्स उड़ीसा स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि० ने बालासौर में एक वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है।

(ख) से (घ) इस आवेदन को, उड़ीसा से प्राप्त अन्य आवेदनों की तुलनात्मक प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद ही उद्योग मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

छठी योजना के दौरान गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलना

3758. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में गांवों में कितनी शाखाएं खोली गई थीं; और

(ख) इन बैंकों द्वारा ग्रामीणों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की (भारतीय स्टेट समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) ग्रामीण शाखाओं का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मार्च, 1985 के अंतिम शुक्रवार को इन शाखाओं के बकाया अग्रिमों की राशि 5386 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी।

विवरण

31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में (1971 की जनगणना) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) की शाखाओं की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1528
2.	असम	319
3.	बिहार	1399
4.	गुजरात	1307
5.	हरियाणा	429
6.	हिमाचल प्रदेश	371
7.	जम्मू और कश्मीर	110
8.	कर्नाटक	1144
9.	केरल	487
10.	मध्य प्रदेश	1293
11.	महाराष्ट्र	1585
12.	मणिपुर	25

1	2	3
13.	मेघालय	52
14.	नागालैण्ड	37
15.	उड़ीसा	569
16.	पंजाब	968
17.	राजस्थान	825
18.	सिक्किम	14
19.	तमिलनाडू	1183
20.	त्रिपुरा	31
21.	उत्तर प्रदेश	2287
22.	पश्चिम बंगाल	900
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9
24.	अरुणाचल प्रदेश	33
25.	चण्डीगढ़	19
26.	दादर और नगर हवेली	5
27.	दिल्ली	62
28.	गोवा दमन और दीव	175
29.	लक्ष-द्वीप	5
30.	मिजोरम	12
31.	पाण्डिचेरी	26
	जोड़	17209

देहरादून में इलाहाबाद बैंक की शाखा में कृषि ऋणों के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र

3759. श्री साइमन तिग्गा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में इलाहाबाद बैंक की शाखा में कृषि ऋणों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उनमें कितनी-कितनी धनराशि के ऋण मांगे गये हैं;

(ग) विचाराधीन पड़े ऋण के लिए आवेदन-पत्रों का निपटान करने के लिए बैंक अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस बैंक द्वारा वर्ष 1982 से आज तक दिये गये ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सस्ती किस्म के चावल का निर्यात

3760. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सस्ती किस्म के चावल के निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चावल की कितनी मात्रा का और किस दर पर निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) कौन-कौन से देश सस्ती किस्म का चावल आयात करने के इच्छुक हैं;

(घ) क्या इसका हमारी मांग पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी की खपत

3761. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान (रक्षा आवश्यकता सहित) चीनी की खपत का आयातित और स्वदेशी चीनी के ब्यौरे सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : एक विवरण संलग्न है जिसमें स्वदेशी चीनी और आयातित चीनी के सम्बन्ध में चीनी वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान चीनी की राज्यवार खपत का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

चीनी वर्ष 1983-84 और 1984-85 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी की राज्यवार खपत को बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

1983-84

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वदेशी चीनी	(अनन्तिम) स्वदेशी चीनी	आयातित चीनी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	453 £	361	100
2.	असम/अरूणाचल प्रदेश	157	143	8
3.	बिहार	425	401	40
4.	गुजरात/दादर नगर हवेली	598	579	60
5.	महाराष्ट्र	1188	1 50	123
6.	केरल/लक्षद्वीप	332	281	63
7.	मध्य प्रदेश	428	439	25
8.	तमिलनाडु	501	446	92
9.	कर्नाटक	381	364	41
10.	उड़ीसा	144	118	44
11.	पंजाब	454	482	20
12.	हरियाणा,	225	220	20
13.	राजस्थान	389	323	48
14.	उत्तर प्रदेश	1008	915	102

1	2	4	4	5
15.	पश्चिम बंगाल	531 £	471	133
16.	जम्मू और कश्मीर	38	45	3
17.	दिल्ली	152	148	41
18.	हिमाचल प्रदेश	37	40	2
19.	मणिपुर	6	7	नग०
20.	त्रिपुरा	11	10	1
21.	पांडिचेरी/करायकल/माहे/यनम	7	8	नग०
22.	गोआ, दमन दीव	20	19	2
23.	नागालैंड	9	7	नग०
24.	चण्डीगढ़	21	20	1
25.	मिजोरम	—	नग०	नग०
26.	मेघालय	4	4	1
27.	अण्डमान/निकोबार	--	—	नग०
28.	सिक्किम/भूटान	3	4	नग०
29.	रक्षा	24	45	--
	जोड़ :	7546*	7050	970

$=नग०=500 मीटरी टन से कम आयातित चीनी

*इसमें निर्यात एजेन्सी द्वारा आन्तरिक खपत के लिए पत्तनों से भेजी गई कुछ मात्रा शामिल नहीं है।

नये चीनी कारखानों से और विस्तार परियोजना के सम्बन्ध में प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त दावे

3762. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को नये चीनी कारखानों से और विस्तार परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रोत्साहनों के लिए पृथक्-पृथक् कितने दावे प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने दावों पर अन्तिम प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं;

(ग) कितने दावे अन्तिम निर्णय किये जाने के लिये लम्बित पड़े हैं और वे कितने समय से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन दावों पर अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 15-3-1986 की स्थिति के अनुसार, नई चीनी फैक्ट्रियों से 93 और विस्तार परियोजनाओं से 65 दावे प्राप्त हुए हैं।

(ख) 61 नई चीनी फैक्ट्रियों और 50 विस्तार परियोजनाओं को पक्के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

नई चीनी फैक्ट्रियों के 5 दावे अन्तिम रूप दिये जाने की प्रगामी अवस्था में हैं।

नई चीनी फैक्ट्रियों के 4 दावों और विस्तार परियोजनाओं के 9 दावों को रद्द कर दिया गया था।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों के 23 दावों और विस्तार परियोजनाओं के 6 दावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	नई फैक्ट्रियां	विस्तार परियोजनाएं
1981	3	1
1982	2	1
1984	3	1
1985	14	3
1986	1	—

(घ) 1975 की प्रोत्साहन योजना के प्रति पूर्व में प्राप्त हुए पिछले बचे दावों के बारे में

नवम्बर, 1980 में संशोधित प्रोत्साहन योजना की घोषणा होने के बाद तथा उसके तौर-तरीकों को अन्तिम रूप देने के बाद ही कार्रवाई की जा सकी थी। इसके अलावा, प्रोत्साहन दावों का निपटान करने के लिए तकनीकी और लेखा ब्यौरों की जांच करने हेतु फैक्ट्रियों का मौके पर निरीक्षण करना अपेक्षित होता है। नई चीनी फैक्ट्रियों के मामले में, उनकी हकदारी के एक अथवा दो स्लैब नीचे प्रोत्साहन के रूप में अनन्तिम तौर पर मुक्त बिक्री की निर्मुक्तियां की जाती हैं ताकि वे पक्के प्रमाणपत्र जारी होने से पूर्व अपनी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पा सकें।

नये चीनी कारखाने और विस्तार परियोजनाओं को खुली बिक्री की चीनी की सप्लाई

3763. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से वर्षवार नये चीनी कारखानों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन के रूप में खुली बिक्री की कितनी चीनी जारी की गई है;

(ख) उक्त कारखानों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्षवार खुली बिक्री के चीनी के कोटे की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या उन कारखानों को प्रोत्साहन के रूप में खुली बिक्री की चीनी जारी करने में कोई गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कारखानों की क्षतिपूर्ति कब की जाएगी ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) और दो विवरण क्रमश: विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं जिनमें 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के मौसमों के उत्पादन में से प्रोत्साहन के रूप में निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा और एक नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए और दूसरी विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना के अधीन हकदारी के अनुसार मुक्त बिक्री के कोटे की प्रतिशतता का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन के रूप में मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्ति उनकी हकदारी के अनुसार की जाती है।

विवरण एक

नई चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन मुक्त बिक्री के रूप में निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा के ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम	प्रोत्साहन मुक्त बिक्री के रूप में निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा (मीटरी टनों में)			प्रोत्साहन योजना के अधीन हकदारी के अनुसार के मुक्त बिक्री के कोटे की प्रतिशतता		
		मौसम	मौसम	मौसम	मौसम	मौसम	मौसम
1	2	3	4	5	6	7	8
		(प्रेषणों पर आधारित)	(निर्मुक्तियों पर आधारित)				
1.	मोदीनगर*	15840.1	14735.8	6659.9	89	89	60
2.	रमाला	11684.6	12147.6	7947.2	100	100	65
3.	खतौली*	16084.9	16111.3	16270.1	64	64	64
4.	अनूपशहर	10955.7	8180.7	4665.3	85	85	59
5.	ननोटा	11261.0	9821.4	11309.5	82	82	55
6.	छाता	7583.7	5679.8	2846.9	78	78	55
7.	हरदुआगंज	4027.3	3357.7	1386.9	71	71	71
8.	चान्दपुर	9987.4	8077.8	2568.4	78	78	55
9.	बिलासपुर	9303.8	9643.7	6217.8	100	100	65
10.	तिलहर	5063.8	3186.0	3732.8	75	75	75
11.	नदेही	12944.3	12769.9	7314.0	100	100	65
12.	बिसालपुर	8719.5	8624.8	6320.1	100	100	65
13.	बिलरायां	7353.2	5200.0	6919.7	75	75	75
14.	बदायूं	7926.2	7514.2	3783.0	100	100	65
15.	महमूदाबाद	—	2232.0	4829.6	—	82	82

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	नन्दगंच	2543.8	2323.3	366.0	78	78	55
17.	हरियापुर	5951.7	4265.6	1476.8.6	78	78	55
18.	करनाल	8749.0	8022.0	6433.1	77	77	77
19.	सोनीपत	8058.9	6809.7	4632.2	77	77	77
20.	गुरदासपुर	1092.4	10284.6	13365.8	79	79	79
21.	जीरा	8185.9	7504.2	9983.9	81	81	81
22.	बरलाई	6155.2	4997.7	2847.2	82	82	55
23.	भीमासिंघी	3022.3	2193.9	—	63	63	—
24.	मेटपल्ली	4251.5	2193.9	2409.3	64	64	64
25.	तिरूपति	4404.1	2173.6	3208.8	93	93	60
26.	कुडुप्पा	1795.2	630.6	—	58	58	—
27.	हिन्दुपुर	4044.2	1157.5	2537.4	75	75	51
28.	मिरियालगुडा	3468.2	688.8	394.2	71	71	51
29.	केवूर	2888.5	3519.7	1381.0	85	85	59
30.	नन्दयाल	1920.5	731.8	430.6	78	78	78
31.	महुआ	10668.0	10008.0	7082.7	78	78	55
32.	सयान	16207.9	14976.8	7446.8	93	93	60
33.	कच्छार	941.6	—	200.7	79	79	79
34.	वाल्साड	16606.2	11509.0	3871.8	89	89	60
35.	तलाला	6224.4	7806.2	7312.2	93	93	60
36.	मरोली	8451.8	8340.3	8951.6	64	64 30-6-84 तक और 89 1-7-84 से	(89

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	कर्मवीर	3224.8	1762.8	1774.6	46	43	42
38.	कदवा	2529.3	1237.0	3543.9	52	47	45
39.	पालसे	3475.9	1471.2	844 6	49	45	43
40.	सोनाई	6735.6	4090.7	4329.1	57	51	48
41.	पैठान	4807.7	2450.0	6581.9	57	51	48
42.	भीमा	6049.7	2884.4	5835.8	57	51	48
43.	विट्ठल	6695.7	2684.[illegible]	10137.6	57	51	48
44.	वैराग	4775.1	592.[illegible]	3228.8	57	51	48
45.	मेहोल	6642.5	2463.3	521.5	63	57	51
46.	गाँधिगलाज	7572·3	3510.9	7478.0	57	51	48
47.	कायमगंज	—	—	—	—	—	—
48.	कागल	6104.8	2446.1	4076.9	57	51	48
49.	शंकरनगर (गोदावरी मानव)	6486.6	1493.1	5776.1	67	60	53
50.	जय भवानी	3653.6	1814.7	3133.4	49	45	43
51.	कसोदा	2896.3	—	—	46	—	—
52.	फैजपुर	3719.2	—	—	46	—	—
53.	बेलगंगा	2284.5	1858.3	—	45	45	—
54.	पठारी	5366.7	1271.4	5084.4	67	60	53
55.	बस्मावनगर	5731.9	1046.0	3321.5	67	60	53
56.	कादा	5056.5	1234.6	2302.4	57	51	48
57.	रायबाग	2330.4	1015.5	985.8	44	41	40
58.	गोकाक	3859.2	1339.6	3439.0	57	51	48

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	गंगावती	2099.8	392.3	—	44	41	40
60.	सिरूगुप्पा	3812.4	1059.7	854.20	49	46	44
61.	भद्रा	4832.3	3021.4	1619.2	65	56	52
62.	श्रीरामा	3394.5	—	1033.6	57	51	48
63.	कोल्लेगल	1146.8	—	—	46	—	—
64.	तिरूपत्तूर	7095.9	2252.3	206.9	74	74	—
65.	विल्लौरे	9618.2	8517.0	—	78	78	—
66.	उल्लून्दरपेट	6824.2	10821.0	4957.0	85	85	59
67.	थजावुर	7930	7273.5	—	78	78	—
68.	पेरामबलूर	13484.7	10008.9	6213.20	96	96	63
69.	मजरौला	—	—	7993.9	—	—	82
70.	हनुमान	—	2715.0	3566.40	—	78	78
71.	जीरी (बुरहानपुर)	—	—	2827.1	—	—	85
72.	बिन्द्रें (अजींकयात्रा)	—	—	5805.7	—	—	82
73.	हुतात्मा	—	—	4129.2	—	—	82
74.	भद्रा	—	—	1619.2	—	—	52
75.	भद्रावती	—	—	3793.9	—	—	82
76.	पोन्नी	—	—	17217.6	—	—	93
77.	सुल्तानपुर	—	—	1278.4	—	—	85
78.	तिरूत्तन्नी	—	—	5081.4	—	—	93
79.	विजयनगर (संजय)	—	—	1722.1	—	—	82

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	पडरौना (न्यायालय मामला)	—	—	1528.0	—	—	64

नोट : उपर्युक्त विवरण में दी गई निर्मुक्तियों/प्रेषणों के आंकड़े कुछ मामलों में उस मौसम विशेष के उत्पादन में से पूर्ण रूप से हकदारी के अनुसार नहीं हो सकते हैं क्योंकि हकदारी, प्रतिशतता आदि में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप पूर्व के वर्षों में की गई कम/अधिक सुपुर्दगियों के सम्बन्ध में समायोजन किये जाने अपेक्षित हैं।

* न्यायालय के आदेशों के तहत नये यूनिटों के रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

विवरण-दो

उन चीनी फैक्ट्रियों को, जिन्होंने लाइसेंसशुदा विस्तार कार्यान्वित किए हैं, प्रोत्साहन मुक्त बिक्री के रूप में निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा को बताने वाला विवरण

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम	प्रोत्साहन मुक्त बिक्री के रूप में निमुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा (मीटरी टन में)			प्रोत्साहन योजना के अधीन, अतिरिक्त उत्पादन पर, हकदारी के अनुसार मुक्त बिक्री के कोटे की प्रतिशतता		
		मौसम	मौसम	मौसम	मौसम	मौसम	मौसम
1	2	3	4	5	6	7	8
	विस्तार फैक्ट्रियां	(प्रेषणों पर आधारित)	(निर्मुक्तियों पर आधारित)				
1.	दौराला	4788.0	1858.5	292.5	50	50	50
2.	मवाना	5513.6	2498.2	2398.0	50	50	50
3.	ऐरा	598.5	336.3	598.5	50	50	50
4.	बलरामपुर	760.1	799.3	84.7	50	50	50
5.	कैप्टनगंज	3258.5	2252.4	238.7	60	50	50
6.	तुलसीपुर	1163.8	—	—	60	50	50

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरिनगर	4443.2	208.6	228.5	90	75	70
8.	रोहतक	1922.7	1245.4	—	75	70	60
9.	यमुनानगर	4896.0	4614.3	3060.0	75	70	60
10.	चोदावरम	350.9	—	168.0	50	50	50
11.	इतिकोप्पका	430 5	—	39.0	50	50	50
12.	दूयूरू	4488.8	2359.0	1392.0	50	50	50
13.	बारडोली	6118.0	—	—	—	—	—
14.	चलथान	1496.3	1533.2	1496.3	50	50	50
15.	गनदेवी	4322.5	1783.3	997.5	50	50	50
16.	परवरानगर	806 5	—	—	41	—	—
17.	संगमनेर	354.4	354.4	354.6	40	40	40
18.	अकलुज	984.4	678.2	875.0	40	40	40
19.	सदाशिवनगर	784.1	359.4	354.5	40	40	40
20.	वाल्वा	590.6	482.7	590.6	40	40	40
21.	इचालकरंजी	787.5	757.6	1711.7	40	40	40
22.	बिद्री	629.8	—	—	40	40	40
23.	शिरोल	590.7	590.6	571.2	40	40	40
24.	उग्रखुर्द	787.5	125.5	639.1	40	40	40
25.	शिमोगा	88.5	—	—	40	40	40
26.	मांडया	223.8	—	—	40	40	40
27.	समीरवाडी	787.5	—	427.7	40	40	40
28.	मदुरोकलकम	1496.3	1678.7	691.0	50	50	50
29.	नेल्लीकुप्पम	1866.3	—	—	50	50	50
30.	अरूणा	4185.4	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	कल्लाकुरिची	1496.3	181.3	646.8	50	50	50
32.	सालेम	1496.3	520.4	821.5	50	50	50
33.	अमरावती	1496.3	—	—	50	50	50
34.	अलन्गनल्लूर	997.5	638.3	997.4	50	50	50
35.	मझौलिया	—	1166.3	4861.7	90	75	70
36.	संजीवनी	—	2105.4	297.9	40	40	40
37.	सिम्भावली	—	—	7388.4	—	—	50
38.	देवबन्द	—	—	7097.5	—	—	50
39.	सरसावा	—	—	2793.0	—	—	50
40.	बाजपुर	—	—	9467.6	—	—	50
41.	गोला	—	—	10272.7	—	—	50
42.	पानीपत	—	—	1679.0	—	—	60
43.	मौरिण्डा	—	—	14699.6	—	—	60
44.	होस्पेट	—	—	13.6	—	—	40
45.	टनुकु	—	—	687.7	—	—	50

नोट : उपर्युक्त विवरण में दी गई निर्मुक्तियों/प्रेषणों के आंकड़े कुछ मामलों में उस मौसम विशेष के उत्पादन में से पूर्ण रूप से हकदारी के अनुसार नहीं हो सकते हैं क्योंकि हकदारी, प्रतिशतता आदि में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप पूर्व के वर्षों में की गई कम/अधिक सुपुर्दगियों के सम्बन्ध में समायोजन किए जाने अपेक्षित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अवरोधन योजना के अन्तर्गत भुगतानों के लिए दिशा निर्देश

3764. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन मुख्य आयात और निर्यात नियन्त्रक के अधीन संगठनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अवरोधक योजना के अन्तर्गत भुगतानों के लिए क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा दावों की जांच और उनका भुगतान किस प्रकार किया जाता है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इस योजना पर वापसी अथवा नकद प्रतिपूरक योजनाओं जिनकी कुछ खामियों का हाल ही में औद्योगिक घरानों ने दुरुपयोग किया, जैसे किन्हीं नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) योजना इस तरह से तैयार की गई है जिससे कि इसका दुरुपयोग न हो सके।

विवरण

प्रतिपूर्ति सम्बन्धी आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ई०ई०पी०सी०) के उन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाता है जहां कि निर्यातक पंजीकृत हो। परिषद् दावों की संवीक्षा करके आवेदन-पत्र के दो सेट संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेज देती है। ई०ई०पी०सी० से आवेदन-पत्र प्राप्ति हो जाने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्राप्ति दावों के सम्बन्ध में निर्धारित जांच करता है और तब वह एक सेट पर ई०ई०पी०सी० को भुगतान आदेश जारी करता है। इसके पश्चात् ई०ई०पी०सी० को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत रकम का चैक जारी किया जाता है। ई०ई०पी०सी० द्वारा भुगतान किए जाने के लिए ई०ई०पी०सी० के खाते में आवश्यक निधियों की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार उपलब्ध कराई गई निधियां ऐसे स्थानों पर बैंक खाते में अलग से रखी जाती है जहां पर ई०ई०पी०सी० के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हों और यह खाता उन स्थानों पर ई०ई०पी०सी० द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा चलाया जाता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच निम्नोक्त प्रकार होगी :—

1. कि आवेदन-पत्र पूर्ण हो और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो;

2. कि सभी निर्धारित दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हों और वे पूर्ण हों तथा क्रम में लगे हों।

3. कि आवेदक ई०ई०पी०सी० में पंजीकृत हो और आर०सी०एम०सी० निर्यातों की उन तारीखों के लिए वैध हो जिन पर आर्थिक सहायता हेतु दावा किया गया हो। इसे ई०ई०पी०सी० द्वारा प्रत्येक दावे पर दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र में देख लिया जाए;

4. यह कि तीसरी पार्टी के निर्यातों के मामले में बैंक द्वारा सत्यापित लदान-पत्र अथवा बीजक पर आवेदक तथा अन्य पार्टी का नाम अंकित हो। ऐसे मामलों में यह भी देखा जाना है कि आवेदक ने अन्य पार्टी से निर्धारित फार्म में उचित दावा त्याग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है;

5. यह कि आवेदनों में कवर हुए निर्यात किये गए हैं। इसे आवेदक द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस्पात कीमत उपदान के लिए आवेदनों में कवर किये गये उन्हीं निर्यातों के आधार पर प्रस्तुत किए गए सी०सी०एस०/आई० ई०पी० दावों में रखे शिपिंग बिलों से चैक किया जाना है। जहां कोई आर० ई० पी०/सी०सी०एस० दावे नहीं किए गए हों वहां इसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शिपिंग बिल की फोटोकापी के आधार पर चैक किया जाना है।

6. पत्तन कार्यालयों में उन्हीं निर्यातों के लिए उपलब्ध सी०सी०एस०/आर०ई०पी० फाइल में शिपिंग बिलों के संदर्भ में निर्यातों की तारीखों की जांच करें और जहां ऐसी कोई फाइल हो, वहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिपिंग बिलों की फोटोकापी की जांच करें। लदान-पत्रों की तारीख और मेट्स रसीद की तारीख जो भी बाद में हो, निर्यात की तारीख होगी जैसा कि आयात नीति में निहित है।

7. यह चैक करें कि निर्यातों को तारीखों पर अनुमेय दरों पर उपदान का हिसाब लगाया गया है;

8. यह कि आवेदन पत्र ऐसे आवेदनों के प्रस्तुत करने की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

9. यह कि जहां कहीं ऐसे मानदण्ड उपलब्ध हैं, इस्पात की मात्रा की खपत डी०जी० टी०डी० द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हैं। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा डी०जी०टी०डी० से खपत के मानदण्डों की सूची प्राप्त कर ली जाए। यह जांच प्रतिशत आधार पर की जाती है और प्रतिशतता की सीमा अनुभव के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इस समय 25 प्रतिशत की प्रतिशतता जांच संयोगिक आधार पर अपनाई जाए।

10. यह कि निवल उपदान राशि पर पहुंचने के लिए ई०ई०पी०सी० द्वारा की गई गणना ठीक है;

11. पुनर्भुगतान के दावे इस्पात की केवल उन मदों के लिए किए गए हैं जो योजना में कवर होती हैं।

9-2-1981 को हुई कीमत वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण के लिए योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए दावों की जांच के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच वैसी ही होगी जैसा उपरोक्त पैरा-2 में बताया गया है। इसके अलावा, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह भी जांच करनी है कि क्या निर्यातक द्वारा की गई निविदा वास्तव में सम्बन्धित आपात नीति की शर्तों के अनुसार पंजीकृत की गई थी।

जांच करने के बाद यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि ई०ई०पी०सी० द्वारा

पाई गई उपदान राशि ठीक है, तो वह आवश्यक भुगतान आदेश जारी करेगा। तथापि, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी, ई० ई० पी० सी० द्वारा प्रमाणित राशि से कम राशि स्वीकृति योग्य पाता है तो वह कम राशि का, जो उसने स्वीकृति योग्य पाई है, भुगतान आदेश जारी करेगा। ऐसा भुगतान आदेश लेखा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा। दावों की जांच स्वयं लेखा अधिकारी और उसके नीचे कार्य कर रहे लेखाकार द्वारा भी की जाएगी। जहां ऐसे दावों की जांच के लिए कोई लेखा अधिकारी/लेखाकार नहीं है वहां दावों की जांच नियन्त्रक तथा उप मुख्य नियन्त्रक आयात व निर्यात द्वारा की जाएगी और भुगतान आदेश उप मुख्य नियन्त्रक आयात व निर्यात के हस्ताक्षर से जारी किया जाए।

मुख्य नियन्त्रक आयात व निर्यात ने इच्छा व्यक्त की है कि इस्पात की कीमतों के विरुद्ध इंजीनियरी माल के निर्यातकों के संरक्षण के लिए योजना से संबंधित दावे उच्च प्राथमिकता आधार पर निपटाए जाएं और इस संबंध में कुछ बकाया नहीं रहना चाहिए।

मेहतापुर ऊना जिले (हिमाचल प्रदेश) में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने की मंजूरी

3765. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मेहतापुर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलने की मंजूरी दी गई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह शाखा कब तक खोली जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो यह शाखा खोलने के लिए किस तारीख तक लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को मेहतापुर, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश में एक शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। मई, 1985 में भारतीय स्टेट बैंक को जारी लाइसेंस की वैधता अवधि दिनांक 30 जून, 1986 तक बढ़ा दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक से इस अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी शाखा खोलने के लिए कह दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

3766. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कार्यरत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने अभी तक अपनी शाखा नहीं खोली है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान शाखाएं

खोलने के लिए लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के, जिला-वार, नाम क्या हैं जहां के लिये लाइसेंस दिये गये थे; और संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 30 जून, 1986 तक सभी ऐसी शाखाएं खोल दी जाएंगी जिससे लोगों को आवश्यक बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1982-8: की शाखा लाइसेंसिंग नीति और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के वास्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम जो लाइसेंस/प्राधिकार पत्र जारी किए गए थे, उनमें से बैंक निम्नलिखित केन्द्रों पर अपनी शाखाएं नहीं खोल सके : –

जिले का नाम	बैंक का नाम	केन्द्र जहां बैंक शाखाएं नहीं खोली गई हैं
हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक	1. डेरा परोल
		2. जंगल बेरी
		3. धनेड
		4. लम्बलू
शिमला	पंजाब नेशनल बैंक	1. सरीन
शिमला	यूको बैंक	1. कुप्वी
ऊना	पंजाब नेशनल बैंक	1. थाना कलान
		2. सलोह

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ये सभी 8 केन्द्र अधिक बैंक शाखाओं वाले खण्डों में हैं। फिर भी, रिजर्व बैंक ने शिमला जिले के सरीन और कुप्वी के दो केन्द्रों के मामले में लाइसेंसों की अवधि विशेष मामले के रूप में दिनांक 30 जून, 1986 तक बढ़ा दी है। आशा है बैंक इन केन्द्रों में इस तारीख से पहले अपनी शाखाएं खोल लेंगे।

हिमाचल प्रदेश में और अधिक ग्रामीण बैंक स्थापित करना

3767. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में एक पर्वतीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्षेत्राधिकार सहित बैंक के कार्यकरण की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और यह कौन-सी तारीख को स्थापित किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के ग्रामीण बैंक स्थापित करने का है जो दो वर्तमान बैंकों अर्थात् हिमाचल ग्रामीण बैंक (मंडी) और पर्वतीय ग्रामीण बैंक (चम्बा) के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-सी तारीख तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में ग्रामीण क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 2 नवम्बर, 1985 को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पर्वतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु और सीमान्तिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को, जिनकी वार्षिक आय 6500 रुपए से अधिक न हो, वित्तीय सहायता देगा।

(ग) और (घ) नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए स्थानों का पता लगाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रकार के स्थानों का निर्धारण उस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं, लघु/सीमान्तिक किसानों और अन्य कमजोर वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के अन्तर और क्षेत्र में राज्य सहकारी ऋण ढांचे को मद्दे नजर रखते हुए किया जाता है। इस समय हिमाचल प्रदेश में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

उड़ीसा में ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न

3768. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण संबंधी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के कितने जिलों में ग्रामीण परिवारों के कितने लोगों को अधिसूचित किया जायेगा; और

(ख) उड़ीसा के आवंटित किए गए गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा): (क) उड़ीसा के 9 जिलों के समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों (3 पूर्ण रूप से शामिल और 6 आंशिक रूप से शामिल), जिनकी आबादी 72.29 लाख (1981 की जनगणना के अनुसार) है, को इस योजना का लाभ पहुंचने की आशा है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा सरकार को इस योजना के अधीन वितरित करने के लिए 12 मार्च, 1986 तक 2095 मीटरी टन गेहूं और 1,868 मीटरी टन चावल की कुल मात्रा जारी की गई है।

सिक्किम में इलायची का उत्पादन

3769. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में स्थापित इलायची बोर्ड के कार्यकलाप क्या हैं;

(ख) क्या उस राज्य में बोर्ड की स्थापना से इलायची के उत्पादन में वृद्धि हुई है और इलायची की किस्म में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय उस राज्य में इलायची का कितना उत्पादन होता है और देश में हुए उत्पादन की तुलना में अभी उसकी प्रतिशतता कितनी है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सिक्किम में इलायची बोर्ड के कार्यकलाप मुख्य रूप से बड़ी इलायची की उत्पादकता, क्वालिटी और इसके विपणन में सुधार करने की योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) इलायची बोर्ड के कार्यकलापों से क्वालिटी और उत्पादन में धीरे-धीरे सुधार आने की आशा है क्योंकि आधुनिक जुताई और फसल पद्धतियां अपनाने में कुछ समय लगता है।

(घ) भारत में बड़ी इलायची उत्पादन में सिक्किम का 88% भाग है। चालू वर्ष के उत्पादन का मोटे तौर पर अनुमान 2900 मे०टन है।

केरल में अलाभप्रद टेक्सटाइल एककों का विस्तार

3770. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलाभप्रद टेक्सटाइल एककों के विस्तार संबंधी आवेदनों को उद्योग मन्त्रालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत किया जा रहा है कि वे पिछड़े क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्यत्र ऐसे विस्तार की अनुमति न देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या इस निर्णय से औद्योगिक एकक अलाभप्रद तथा रुग्ण बने रहेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) स्थान संबंधी विद्यमान नीति मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य स्थिति में कताई क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना श्रेणी "क" पिछले क्षेत्रों के लिए सीमित है। तथापि उन राज्यों में ऐसे क्षेत्र नहीं हैं, श्रेणी "ख" पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी नए लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त स्थान सम्बन्धी नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि देश में पर्याप्त कताई क्षमता पहले से है। अस्वीकृति के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन का एक अवसर दिया जाता है और ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों से वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर

3771. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर क्या है;

(ख) क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरों में कोई असमानता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत भर में लघु क्षेत्र के सभी उद्योगों से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरों में समानता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग, एककों को दिए अग्रिमों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर नीचे दी गई है :—

	ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
लघु उद्योग	
25,000 रुपए तक के संयुक्त ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.0
(ख) अन्य क्षेत्र	12.0

अल्पावधिक ऋण

(क) 2 लाख रुपए तक और उसके सहित	14.0 से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख तक	16.5 से अधिक नहीं
(ग) 25 लाख रुपए से अधिक	13.5 से अधिक नहीं

3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सावधि ऋण

(क) पिछड़े क्षेत्र	12.5
(ख) अन्य क्षेत्र	13.5

(ख) और (ग) बैंक कार्यशील पूंजी पर 14.0 से 17.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज ले सकते हैं। ऋण मंजूर करते समय बैंक कारोबार की स्थिति, अन्तर्ग्रस्त जोखिम, ऋणकर्ता के खाते का परिचालन, वित्तीय अनुशासन का पालन, कारोबार में प्रतिकूल तत्वों का अभाव आदि जैसी सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक धनराशियों की लागत/उपलब्धता, प्रशासनिक लागत और अर्थ-व्यवस्था कुछ वांछित क्षेत्रों तथा पिछड़े या अन्य इलाकों पर बल देने जैसी कई तथ्यों को ध्यान में रखकर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न प्रयोजनों क्षेत्रों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों के बारे में समय-समय पर निदेश जारी करता है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के घरों पर छापे

3772. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन छापों में कुल कितनी सम्पत्ति बरामद की गई; और

(ग) अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रा (श्री पी० शिव शंकर) : (क) फरवरी, 1986 मास के दौरान सी० बी० आई० द्वारा सारे देश में वाणिज्य मंत्रालय के आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों के निवास/कार्यालय स्थानों पर आय के उनके ज्ञात

स्रोतों से कहीं अधिक परिसम्पत्तियों के उनके पास होने, धोखा देने तथा अपराधी कदाचार के आरोप पर सी० बी० आई० की विभिन्न शाखाओं द्वारा पंजीकृत 7 मामलों के अन्वेषण के सम्बन्ध में 12 तलाशियां ली गई।

(ख) तलाशियों के दौरान वित्तीय सौदों तथा चल/अचल सम्पत्तियों में निवेश से सम्बन्धित कई अपराध में फंसाने वाले कई दस्तावेज बरामद हुए। तलाशियों के दौरान बरामद हुए चल/अचल दोनों मदों का विवरण निम्नोक्त प्रकार है :

1. नकदी, बैंक शेष, एफ० डी० आर०, एन०एस० सी०, शेयर आदि	7,49,257.00 रु०
2. चल परिसम्पत्तियाँ, जैसे आभूषण, वी० सी० आर०, टी० वी०, कीमती इलैक्ट्रिकल गेडगेट्स आदि।	7,25,575.00 रु०
3. अचल परिसम्पत्तियां, जैसे मकान, प्लाट तथा भूमि आदि।	35,42,500.00 रु०

(ग) जिन मामलों में तलाशियां ली गयीं, उन सभी की जांच की जा रही है। मंत्रालय द्वारा दो अधिकारियों को निलम्बित किया गया है।

[हिन्दी]

बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय

3773. श्री शांति धारीवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों, कालीन, सिले-सिलाए वस्त्र, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों विश्व व्यापी कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के उद्यमियों को उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि कोई ऐसा उपाय करने का विचार नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सितम्बर, 1985 तक इन मदों के निर्यातों में वृद्धि हुई है।

(ख) इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में हैं,

आयातित अन्तनिर्विष्ट साधनों की उदार प्राप्ति, बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने, उत्पाद विकास के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सहायता का प्रावधान जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों को प्रायोजित करना तथा उनकी वित्त व्यवस्था करना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विभिन्न क्षेत्रों में राज सहायता पर खर्च की गई धनराशि

3774. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में राज सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि किए बिना राज सहायता को समाप्त करने की कोई संदर्शी योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बजट में प्रमुख आर्थिक सहायताओं (सब्सिडीज) के लिए की गई व्यवस्था इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

1985-86		1986-87
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
3959	4921	4741

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रय शक्ति

3775. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) मूल्यों में हुई इस वृद्धि का लोगों की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) प्रति व्यक्ति आय जो कि लोगों की क्रय-शक्ति की सूचक है, स्थिर (1970-71) मूल्यों पर 1979-80 के 664.7 रुपये से बढ़कर 1984-85 में 771.5 हो गई अथवा इसमें 16.1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

जीवन बीमा निगम संबंधी दावों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना

3776. **डा० चिन्ता मोहन**
डा० जी० विजय रामा राव
श्री सी० माधव रेड्डी
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के प्रस्तावकों, पालिसीधारियों और मृत पालिसी-धारियों की सभी तरह की शिकायतों को दूर करने हेतु पालिसी-धारियों और मृत पालिसी-धारियों के दावेदारों की समस्याओं से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने के बारे में सातवीं लोक सभा की याचिका समिति के समक्ष सिद्धांत रूप में सहमत हो गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने याचिका समिति के समक्ष यह कहा था कि सरकार का विचार अन्य बातों के साथ-साथ पालिसी-धारियों और दावेदारों की समस्याओं से संबंधित मामलों पर विचार के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करने के बारे में उपबंध करने वाले एक विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो दावा न्यायाधिकरण की स्थापना अभी तक न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सातवीं लोक सभा की याचिका समिति को सूचित किया गया था कि सरकार का संसद में एक विधेयक पेश करने का विचार है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पालिसी-धारकों और जीवन बीमा पालिसियों के दावाकारों की समस्याओं पर विचार करने के लिए अधिकरणों की स्थापना करने की व्यवस्था होगी। जीवन बीमा निगम विधेयक, 1983 को बाद में 1983 में ही पेश कर दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दावा अधिकरणों के गठन की व्यवस्था भी शामिल थी, लेकिन सातवीं लोक सभा के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया था। बाद में सरकार ने इस मामले पर फिर से विचार किया और यह निर्णय किया कि विधेयक को पेश करने के मामले में आगे कार्रवाई न की जाए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है जीवन बीमा विधेयक को पेश करने के सवाल पर और आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लेने के बाद स्थित में जो परिवर्तन हुआ उसे देखते हुए अधिकरणों की

स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार ने नए सिरे से विचार किया। मृत्यु दावों की कुल संख्या की तुलना में अस्वीकृत दावों का प्रतिशत नगण्य है और इससे अलग दावा अधिकरणों की स्थापना करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। पालिसीधारकों की शिकायतों को दूर करने की मौजूदा व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करके उन्हें और सुदृढ़ कर दिया गया है। फिलहाल सरकार का दावा अधिकरणों की स्थापना करने का विचार नहीं है।

सिक्किम में रोमांचक पर्यटन आरम्भ करने का प्रस्ताव

3777. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को सिक्किम में रोमांचक पर्यटन आरम्भ करने के लिए सिक्किम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय का उस राज्य में इस प्रकार का पर्यटन आरम्भ करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्किम सरकार ने ट्रेकर्स हट्स के निर्माण और राज्य में विभिन्न ट्रेक-रूट्स के साथ-साथ प्रयोग हेतु ट्रेकिंग उपकरणों की खरीद के वास्ते वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भिजवाये थे। विभाग ने उपर्युक्त कार्यों के लिए क्रमश: 15.86 लाख रुपये और 3.88 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। 10.49 लाख रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर अधिनियम की धारा 35 ग ग के उपबन्धों को बहाल करना

3779. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परति भूमि के वनरोपण कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि पर आयकर छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर अधिनियम की धारा 35 ग ग में तदनुसार संशोधन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 35

ग ग ख के मोजूदा उपबंधों के अंतर्गत. कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के किसी कार्यक्रम को चलाना है जिसमें बंजर भूमि में वनरोपण का कार्यक्रम भी शामिल है, किसी रकम की अदायगी के रूप में व्यय करता है, तो इस प्रकार अदा की गई रकम को उस स्थिति में कटौती के रूप में स्वीकार किया जायेगा यदि ऐसे संगम या संस्था द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उक्त रकम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए संगम या संस्था की विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है जो इस मामले में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। मौजूदा उपबंधों में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

इलायची की नीलामी के बारे में शिकायतें

3780. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इलायची की नीलामी को वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इलायची बोर्ड ने उपजकर्ताओं के अनुरोध पर नीलामी में बिक्रियों पर नीलामियों में बिक्रियों पर दिये जाने वाले ऋण पर प्रतिबन्ध में ढील दी थी, ताकि चालू वर्ष में प्रचुर मात्रा में सप्लाई को देखते हुए मांग बढ़ सके तथा मूल्यों में स्थिरता आ सके। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में प्रतिदेय भुगतानों में कुछ वृद्धि हुई है। जिन उपजकर्ताओं के नाम में परमिट दिए गये हैं, उनके अलावा उपजकर्ताओं द्वारा राज्य कृषि आयकर पंजीकरक परमिटों के अभिकथित प्रयोग के भी समान्तर हैं।

(ग) दोषी निर्यातकों/व्यापारियों/नीलामकर्ताओं को इलायची बोर्ड के कारण बताओ नोटिस दिए हैं और इलायची बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि अतिदेय राशियों को चुका दिया जाए। नीलामकर्ताओं को केवल वास्तविक विक्रेताओं के नाम में बिक्रियां रजिस्टर करने का निदेश दिया गया है और इलायची बोर्ड उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार से भी सम्पर्क बनाए हुए है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्टेण्डर्ड कपड़े का उत्पादन

3781. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सामान्य लोगों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टैण्डर्ड कपड़े का उत्पादन करने के आदेश दिए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम और उसकी सहायक मिलों द्वारा कितने स्टैण्डर्ड कपड़े का उत्पादन किया गया है; और

(ग) उपभोक्ताओं को किस किस्म का कपड़ा और किस मूल्य पर बेचा गया था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करती है, जोकि मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के लिए होता है।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा सूचित नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	
1983-84	294.99 मिलियन वर्गमीटर (काटन किस्में)
	8·00 मि० मीटर (पोलिस्टर काटन ब्लैंडिड शटिंग)
1984-85	245.73 मि० वर्ग मीटर (काटन किस्में)
	7.00 मि० मीटर (पोलिस्टर काटन ब्लैंडिड शटिंग)

इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़ा योजना के अंतर्गत नियंत्रित कपड़े की 4 किस्मों अर्थात् धोती, साड़ी, लट्ठा तथा पोलिस्टर काटन ब्लैंडिड शटिंग का उत्पादन होता है। ऐसे कपड़े की विभिन्न किस्मों का उपभोक्ता मूल्य 2.65 रु० प्रति लीनियर मीटर से 12 रु० प्रति लीनियर मीटर के बीच होता है।

सातवीं योजना के दौरान निर्यात को बढ़ाने का प्रस्ताव

3782. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मूल्य के सामान का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार सातवीं योजना अवधि में निर्यात को बढ़ावा देने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू कीमतों पर भारत के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	भारत के निर्यात
1980-81	6710.71
1981-82	7805.90
1982-83	8803.58
1983-84 (अ)	9872.10
1984-85 (अ)	11656.93

(पी०) अनन्तिम तथा संशोधन हो सकता है।

स्रोत: डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, 1984-85 की कीमतों पर निर्यात कुल 60.700 करोड़ रु० पर परियोजित किये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) निर्यातों में वृद्धि करना हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण करना, उत्पादक साधनों का आधुनिकीकरण करना उन कदमों में से कुछ हैं जो सरकार द्वारा उठाये गये हैं। हमारी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन तथा समय-समय पर संशोधन करना भी समय-समय पर उठाये गये अतिरिक्त कदम हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में मछली व्यवसाय और बिजली के पंखों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर छापे

3783. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री बनवारी लाल पुरोहित
} : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1986 के "द टाइम्स आफ इण्डिया" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आयकर अधिकारियों ने कलकत्ता में मछली का कारोबार करने वाले तथा बिजली के पंखों के व्यवसाय में लगे कुछ व्यक्तियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और कालाधन तथा आभूषण पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) इन फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग ने कलकत्ता में दिनांक 18-2-1986 को बिजली के पंखों के व्यापारियों, फूलचंद शॉ और अन्य मछलियों के थोक व्यापारियों, श्रीमती जुलेखा खातून और अन्य के मामले में तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों में पंखा व्यापारियों के मामलों में प्रथमदृष्ट्या लगभग 20.01 लाख रुपये की और मछली व्यापारियों के मामलों में 3.72 लाख रुपए की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं।

(ग) इन तलाशियों के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि आयकर अधिनियम में तलाशी के परिणामत: गिरफ्तारी की व्यवस्था नहीं है।

(घ) प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कारंवाई शुरू कर दी गई है।

भारत और पोलंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता

3784. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री यशवंतराव गडाख पाटिल
श्री के० बी० शंकर गौडा
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्रीमती जयन्ती पटनायक

: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1986 के तीसरे सप्ताह में भारत और पोलैंड के बीच एक पंचवर्षीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच किन-किन प्रमुख उत्पादों का निर्यात और आयात किया जाता है और उनका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जी हां। 1-1-86 से 5 वर्षों की आगामी अवधि के लिए रुपया भुगतान प्रबन्धों का नवीकरण करने के लिए भारत तथा पोलैंड के बीच एक नया व्यापार तथा भुगतान करार 22 फरवरी, 1986 को वारसा में सम्पन्न हुआ। इस नए करार के उपबन्ध वास्तव में वही हैं जो कि पिछले करार में दिए गए हैं। इस करार में दोनों देशों के बीच सभी वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक लेन-देन को परिवर्तनीय भारतीय रुपयों में निपटाने की व्यवस्था है। दोनों देशों के बीच व्यापार द्विपक्षीय तथा सन्तुलित आधार पर किया जाता रहेगा अर्थात, आयात तथा निर्यातों को कुछ समय में सन्तुलित किया जाएगा। नए करार में जो एक परिवर्तन किया गया है वह पोलैंड से भारत को किए जाने वाले आयातों के लिए संविदाओं के बीजक बनाने से सम्बन्ध रखता है जोकि जैसा कि पहले अमरीकी डालर में होता था उसकी बजाय 1-1-1986 से भारतीय रुपयों में किया जायेगा। निर्यातों के बीजक भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते रहेंगे।

पोलैंड को निर्यात की प्रमुख मदें हैं, मूंगफली, निस्सरण. तेलरहित खली, चाय, अभ्रक, काली मिर्च, तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं, कपास, पटसन निर्मित माल, सूती वस्त्र आदि। पोलैंड से आयात की प्रमुख मदें हैं 3, गंधक, रेपसीड तैल, कुकिंग कोल, पावर स्टेशनों के लिए मशीनें, रेलवे के लिये उपस्कर, खनन मशीनें, वस्त्र मशीनें, जहाज के इंजन, इस्पाती उत्पाद, आदि।

इन मदों के निर्यात/आयात की मात्रा/मूल्य का वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर विशिष्ट वार्षिक व्यापार संलेखों के माध्यम से प्रोग्राम बनाया जाएगा।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण

3785. श्री हुसैन दलवाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर शुरू में नियन्त्रण रखा जाता है परन्तु पेट्रोलियम, टायरों के मूल्य और रेल भाड़े में वृद्धि के कारण इन वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ जाती है;

(ग) सरकार का विचार उपभोक्ताओं को आधार मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की पुरानी प्रणाली अपनाने का है?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) सरकारी नीति में मुख्य जोर आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम हैं, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। आवश्यकता होने पर घरेलू आपूर्ति की अनुपूर्ति के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है, कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई गई है और/अथवा उसे नियमित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा चोरबाजारियों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही की जा रही है। गांवों में रहने वाले गरीबों को विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के तहत सस्ते मूल्यों पर चावल तथा गेहूं मिलता रहेगा।

(ख) विभिन्न वस्तुओं, जिनमें आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, के उपभोक्ता मूल्य कई बातों, जिनमें निवेश लागत, कर, भाड़ा और वसूली व वितरण की लागत शामिल है, पर आधारित होते हैं।

(ग) और (घ) सरकार का निरन्तर यह प्रयास है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रण में रखा जाये और उन्हें उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध किया जाये। केन्द्रीय सरकार ने सात आवश्यक वस्तुओं, अर्थात गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, साफ्ट कोक तथा कंट्रोल के कपड़े की अधिप्राप्ति तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सप्लाई करने की जिम्मेदारी ले रखी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले चावल, गेहूं तथा कंट्रोल के कपड़े के लिए सरकार द्वारा पहले ही राज-सहायता दी जा रही है।

भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा सप्लायर ऋण की उधार की दर का कम किया जाना

3786. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने सप्लायर ऋण की अपनी उधार दर कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा किस उद्देश्य से किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने दिनांक 21 फरवरी, 1986 से सप्लायर ऋण पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। यह कटौती निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये की गई है :—

(i) भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देना और भारतीय निर्यातकों को जिस स्पर्धा का सामना

करना पड़ता है उसका उस सीमा तक मुकाबला करना जितना वित्तपोषण द्वारा किया जा सकता है।

(ii) अपनी ब्याज दरों को अन्य देशों की प्रतियोगी निर्यात वित्तपोषण एजेन्सियों की ब्याज दरों के अनुरूप करना।

अमरीका में रह रहे भारतीयों को दोहरे कराधान से बचाने के सम्बन्ध में बातचीत

3787. प्रो० के० के० तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में रह रहे भारतीयों को दोहरे कराधान से बचाने के प्रश्न पर हाल के वर्षों में अमरीका के साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आय के दोहरे कराधान के निवारणार्थ अर्थात् एक ही करदाता की एक ही आय पर दोनों देशों में कर लगने से बचाने के लिए एक करार करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। बातचीत का अन्तिम दौर जुलाई 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी यह बता पाना सम्भव नहीं है कि इसका अन्तिम परिणाम क्या होगा।

हांगकांग और सिंगापुर से रंगीन टी०वी० सैटों और वीडियो कैसेट रिकार्डरों का लाया जाना

3788. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ सुगठित व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) अपने प्रतिनिधियों को रंगीन टी० वी० सैट और वीडियो कैसेट रिकार्डर लाने के लिए जो भारत में लाभ पर बेचे जाते हैं, पर्यटकों के रूप में हांगकांग और सिंगापुर भेजते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में प्रतिदिन औसतन कितने रंगीन टी० वी० सैट और वी०सी०आर० देश में लाये गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ऐसे सिंडिकेटों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। तथापि, केवल वास्तविक यात्रियों को ही असबाब-छूटें प्रदान की जाती हैं और सीमा शुल्क अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे शुल्क मुक्त मोक नामंजूर कर सकते हैं और/अथवा दुरुपयोग के मामले में माल को जब्त कर सकते हैं। असबाब के

रूप में आयातित वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबन्ध भी हैं और ऐसे मामलों में वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है। वर्ष 1985 के दौरान प्रति दिन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के जरिए असबाब के रूप में लाए गए रंगीन टेलीविज़नों और वीडियो कैसेट रिकार्डरों की औसत संख्या लगभग 250 थी।

(ग) असबाब नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है ताकि शुल्क मुक्त मोक सुविधा को 500/- रुपए तक सीमित किया जा सके जिसे शुल्क वसूल करने के लिए रंगीन टेलीविज़नों, वीडियो कैसेट रिकार्डरों, वीडियो कैसेट प्लेयरों और वीडियो कैमरों के मूल्य के प्रति समायोजित किया जा सके। इसके अलावा, दिनांक 1-3-86 से 36 से० मी० से बड़े आकार के स्क्रीन वाले रंगीन टेलीविजन सेटों पर 1500/-रु० प्रति सेट के हिसाब से और 30 सें० मी० से अनधिक आकार के स्क्रीन वाले सेटों पर 1000/-रु० प्रति सेट के हिसाब से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया गया है। ये उपाय ऐसी गतिविधियों को निरुत्साहित करने के उपाय के रूप में कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

सरकारी विभागों को पैट्रोल की खपत कम करने के लिए अनुदेश

3789. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों और सरकारी विभागों को पैट्रोल की खपत कम करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं तथा इस बात पर जोर दिया गया है कि इन अनुदेशों का एक विशेष तारीख तक पालन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों का ब्यौरा क्या है तथा ये किस तारीख से लागू किए गए;

(ग) उन मंत्रालयों/विभागों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जो पैट्रोल की अधिकतम/न्यूनतम खपत कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक मंत्रालय द्वारा उपयोग किए गए पैट्रोल का महीनेवार ब्यौरा तथा सरकार द्वारा इस बारे में वहन की गई खर्च की कुल राशि के सम्बन्ध में एक विवरण पटल पर रखेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1978-79 के दौरान वाहनों द्वारा की गई पैट्रोल की खपत का स्टाफ कारों सहित गैर-प्रचलनात्मक वाहनों के लिए 66-2/3% और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रचलनात्मक वाहनों के लिए 85% तक पैट्रोल की खपत सीमित करने के लिए सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को 22 मई, 1979 को सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे। मंत्रियों और उनके वैयक्तिक स्टाफ द्वारा प्रयुक्त कारों के मामले में भी इससे पहले निर्धारित प्रति तिमाही 900 लीटर की खपत को घटाकर प्रति तिमाही 750 लीटर कर दिया गया था।

(ग) और (घ) सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है और न ही उसे यथोचित-समय में एकत्र कर सकना सम्भव है।

[अनुवाद]

हथकरघा वस्त्रों तथा अन्य वस्त्रों का उत्पादन और निर्यात

3790. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र, तैयार किए गए और 'मेडअप्स फैब्रिक्स' का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) उनके प्रमुख उत्पादन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1985 में हथकरघा वस्त्रों का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(घ) भारतीय हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया तथा प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में, कितने मूल्य के और किन-किन उत्पादों का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हथकरघा क्षेत्र में सिले-सिलाए परिधानों, तैयार वस्त्रों तथा फैब्रिक्स के उत्पादन के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1984-85 में हथकरघा कपड़े का कुल उत्पादन अन्तिमतौर पर अनुमानतः 3514 मिलियन मीटर है।

(ख) महत्वपूर्ण हथकरघा उत्पादन केन्द्र तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश उत्तरी पूर्वी राज्यों आदि में स्थित हैं।

(ग) 1985 में हथकरघा निर्यातों का मूल्य अनुमानतः 258.80 करोड़ रु० है सभी उत्पादों के लिए मात्रा की इकाइयां एक सी न होने के कारण कुल मात्रा देना सम्भव नहीं है।

(घ) हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातकों और निर्यातों का मूल्य दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1985 के दौरान भारत से हथकरघा कपड़े तथा तैयार वस्त्रों के प्रमुख आयातक

देश	मूल्य (करोड़ रु०)
1	2
सं० रा० अमरीका	78.93

1	2
यू०आ० समुदाय	36.26
जापान	20.99
आस्ट्रेलिया	7.27
सिंगापुर	9.78
सोवियत संघ	12.99
स्वीडन	6.72
मलयेशिया	4.75
हांगकांग	उपलब्ध नहीं
दुबई	5.85

.985 के दौरान भारत से हथकरघा परिधानों के प्रमुख आयातक

देश	मूल्य (करोड़ रु०)
संयुक्त राज्य अमरीका	6.43
यू०आ० समुदाय	1.75
कनाडा	17.72
स्वीडन	0.13
आस्ट्रिया	0.54
जापान	9.71

स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद
और
अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास जमा पड़े कपड़े और धागे का भण्डार

3791. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास कपड़े और धागे का कुल कितना भण्डार जमा पड़ा है;

(ख) क्या जमा पड़े भण्डार के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हानि हो रही है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार एन०टी०सी० के अधीन राष्ट्रीयकृत मिलों का कपड़े तथा यार्न का कुल जमा स्टाक निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

स्टाक की मद	(स्टाक अनन्तिम) वास्तविक	मानदण्ड
कपड़ा (पैकड तथा लूम्स)	65.73	
बाजार यार्न (पैकड)	20.88	
	86.61	81.43

(ख) एन०टी०सी० स्टाकों के उत्पादन में प्रयोग होने वाली निधियों पर ब्याज वहन करती है।

(ग) समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) स्थानीय/देहात में सक्रिय रूप से विपणन तथा थोक विक्रेताओं/अर्ध थोक विक्रेताओं के लिए लक्ष्य/प्रोत्साहन योजना पर विचार किया।

(ii) उपभोग केन्द्रों में यार्न डिपुओं को खोलना।

(iii) डी० जी० एस० एण्ड डी०, रक्षा तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को संस्थागत बिक्रियां बढ़ाकर बाजारों का विविधकरण करना तथा निर्यात प्रयासों को बढ़ाया।

(iv) संकेन्द्रित उत्पाद प्रचार।

(v) सजावट/प्रदर्शन में सुधार करना तथा खुदरा प्रदर्शन आदि का अनुरक्षण।

रायल बैंक आफ कनाडा द्वारा भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

3792. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायल बैंक आफ कनाडा ने भारत में पहली बार अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला है।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके खोले जाने से रायल बैंक आफ कनाडा भारत में अपने कारोबार में वृद्धि करने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के बैंक खोलने से दोनों देशों के बीच व्यापार में किस सीमा मदद मिलेगी;

(घ) क्या रायल बैंक आफ कनाडा की भारत में विभिन्न परियोजनाओं को ऋण सुविधा देने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो रायल बैंक आफ कनाडा द्वारा किन-किन परियोजनाओं में सहायता दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने रायल बैंक आफ कनाडा को नई दिल्ली में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति द दी है। इस कार्यालय ने अभी काम करना आरम्भ नहीं किया है।

(ख) बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय को किसी भी बैंककारी अथवा वाणिज्यिक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं/कार्यालय और विदेशों मे भारतीय बैंकों की शाखाएं/कार्यालय, संबंधित देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोले जाते हैं।

(घ) और (ङ) बताया गया है कि रायल बैंक आफ कनाडा ने विश्व में फैली अपनी शाखाओं में कई भारतीय कम्पनियों आदि को सुविधाएं प्रदान की हैं।

टैक्सटाइल मशीनों का आयात

3793. श्री के० बी० शंकर गौडा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टैक्सटाइल मशीनों का उदार रूप से आयात करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने यह कहा था कि सरकार उन्हीं टैक्सटाइल मशीनों का आयात करेगी जो देश में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार टैक्सटाइल मशीनरी उद्योग की पुनर्स्थापना और इसके आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सभी साज सामान उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है कि वस्त्र उद्योग में हथकरघा जैसे कमजोर क्षेत्र को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाये ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) इस समय वस्त्र मशीनरी उद्योग सूती वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित लगभग सभी प्रकार की मशीनरी को पूरा करने की स्थिति में है। तथापि, चल रही आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति है। केवल वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति होती है, जो कि अति-आधुनिक होती है तथा जिसके लिए कोई स्वदेशी दृष्टिकोण नहीं होता है। आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोक्ता उद्योग को कोई हानि न हो।

(घ) हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कई हथकरघा वस्त्र मदें केवल इसी क्षेत्र में पूरी तौर पर उत्पादन के लिए आरक्षित की हैं।

भारतीय खाद्य निगम के सब-डिपो समाप्त करने का प्रस्ताव

3794. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के सब-डिपो को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक गोदाम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक गोदाम के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) :

(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य सरकारों की तरफ से खुदरा वितरण के कार्य को न करने का निर्णय किया है, क्योंकि यह उनका सामान्य कार्य नहीं हैं। इसके फलस्वरूप, जिन वितरण केन्द्रों/डिपुओं की इस प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं है उन्हें बन्द अथवा वापस किया जा सकता है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 बजट अपेक्षा के दौरान केरल राज्य में हो रहे निर्माण कार्य की प्रगति, 12/85 तक किए गए खर्च और 3/86 तक किए जाने वाले सम्भावी खर्च को बताने वाला विवरण।

क्रम सं०	केन्द्र/क्षमता (हजार मीटरी टन में)	3/85 तक हुआ खर्च (लाख रुपयों में)	1985-86 के लिए बजट प्रावधान (लाख रुपयों में)	31-12-85 तक किया गया खर्च (लाख रुपयों में)	1-1-85 से 31-3-86 तक के दौरान किया जाने वाला सम्भावी खर्च	1985-86 के दौरान किया जाने वाला कुल सम्भावी खर्च	31-3-1986 तक प्रगामी जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
	केरल क्षेत्र				(लाख रुपये)	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
1.	ओलवाकोट-I (25)	73.28	15.72	3.58	12.14	15.72	89.00
2.	ओलवाकोट-II (7.5)	22.68	7.91	3.38	4.53	7.91	30.59
3.	चिक्कोड़ी-I (20)	74.06	6.49	3.70	2.79	6.49	80.55
4.	चिक्कोड़ी-II (10)	21.52	15.28	0.56	14.72	15.28	36.80
5.	चिक्कोड़ी-III (10)	35.02	14.98	14.80	0.18	14.98	50.00
6.	करुनागापल्ली (20)	148.36	20.45	20.45	—	20.45	168.81

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	काजाकुट्टम-I (13.34)	54.41	15.59	4.06	11.53	15.59	70.00
8.	काजाकुट्टम-II (12)	52.41	5.68	4.39	1.29	5.68	58.09
9.	अंगामाली-II (10)	29.34	71.96	12.96	59.00	71.96	101.30
10.	अवनश्वरम (5)	3.09	26.51	11.63	14.88	26.51	29.60
11.	अवनश्वरम (5)	—	58.00	7.07	50.93	58.00	58.00
12.	मुला किनायुकम (1.92)	—	13.00	3.42	9.58	13.00	13.00
13.	क्यूलोन	—	8.30	5.73	2.57	8.30	8.30
14.	चिऊगावनम	—	4.65	2.32	2.33	4.65	4.65
15.	ओलवाकोट (रेलवे साइडिंग)	—	128.47	128.47	—	128.47	128.47
16.	यिक्कोड़ी (रेलवे साइडिंग)	—	32.76	32.76	—	32.76	32.76
	जोड़	514.17	445.75	259.28	186.47	445.75	959.92

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम द्वारा ऋणों का आबंटन

3795. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में 90.19 करोड़ रुपए के ऋणों का आबंटन मंजूर किया था जो वर्ष 1985-86 में घटकर 86.30 करोड़ रुपये रह गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तावित आबंटन कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से (ग) राज्यों की आयोजनाओं में समाजोन्मुख कार्यक्रमों के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा आबंटित रकम इस प्रकार है :

1984-85 — — — — 339.4 करोड़ रुपये

1985-86 -- — — — 382.96 करोड़ रुपये

उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1986-87 के लिए योजना आयोग ने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम से 418.16 करोड़ रुपये का आबंटन किया है।

बैंक डकैतियां

3796. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 में कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं और प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी;

(ख) कितने मामलों को सुलझाया गया है और अभी तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) क्या बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1984 और 1985 में बैंक लूटपाट/डकैतियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्तराशि नीचे दी गई है :

वर्ष	बैंक लूटपाट/डकैतियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1984	84	145.02
1985	78	163.32

(आंकड़े अनन्तिम)

(ख) वर्तमान आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली से सुलझाए गये और लम्बित पड़े मामलों की संख्या के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना उपलब्ध नहीं होती। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1970 से 1985 की अवधि में लूटपाट/डकैतियों के 356 मामलों में से 75 मामले सुलझाए गये हैं।

(ग) राज्य सरकारों से, जो मूलतः कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं, बैंक डकैती/लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिये उचित निरोधक उपाय करने का अनुरोध किया गया है। बैंकों की सुरक्षा-व्यवस्था की बारीकी से जांच करने और उसमें सुधार करने के लिये सुझाव देने के वास्ते सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार, बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ, प्रबन्धकों को सुरक्षा उपायों पर सलाह देने के लिये मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर बैंकों ने सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर शाखाओं का पता लगा लिया है और परिसर की सुरक्षा को मजबूत करने और सुरक्षा-गार्ड तैनात करने के लिए विभिन्न चरणों में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक भी बुलायी थी और उसमें बैंक परिसरों के अन्दर अनेक सुरक्षा-प्रबन्धों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया गया था। इस बैठक में बैंकों को जोखिम के अनुसार अपनी शाखाओं को वर्गीकृत करने और अधिक जोखिम वाली शाखाओं में उन्नत सुरक्षा प्रबन्ध करने की सलाह दी गयी है।

बैंक अधिकारियों के यहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

3797. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के यहां वर्ष वार कुल कितने छापे मारे गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि ब्यूरो ने वर्ष 1983 में 64, 1984 में 55 और 1985 में 57 बैंक अधिकारियों के कार्यालयों/घरों की तलाशियां ली थीं।

केन्द्रीय सहायता के माध्यम से उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास

3798. **श्री के० प्रधानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी उपभोक्ता सहकारी भंडारों के विकास के लिए 62 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत तेईस प्रस्तावों को अभी तक उनके मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही-वर्ष 1986-87 के दौरान की जाएगी और इसके लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और छठी पंचवर्षीय योजना से चल रही इन योजनाओं को स्वीकृत करने में क्या अवरोध हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को 61.69 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने हेतु उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए 23 प्रस्तावों में से 4 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है। 7 उपभोक्ता भंडारों के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी जा सकी, क्योंकि इन भंडारों के अनार्थिक कार्यकरण के कारण उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया। शेष 12 प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से आगे और सूचना, जैसे संभाव्यता रिपोर्ट, व्यवसाय परिसर की उपलभ्यता तथा लेखा-परीक्षित लेखे मांगे गए है, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

इन प्रस्तावों पर 1986-87 के दौरान, जैसे ही और जब अपेक्षित सूचना/कागजात प्राप्त होंगे, विचार किया जाएगा।

खाद्यान्न के भण्डारण सम्बन्धी मानदण्ड और भण्डारण में भारतीय खाद्य निगम को होने वाला नुकसान

3799. श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री आर० एम० भोये
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अवधि निश्चित की है जिसके बाद भण्डारों में रखा गया खाद्यान्न मानव खपत के योग्य नहीं रहता;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भण्डारण से नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस नुकसान को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में रखे खाद्यान्न के भण्डार की गुणवत्ता के जांच के लिए उचित व्यवस्था की है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना तथा कितने मूल्य का खाद्यान्न मानव खपत के अयोग्य हुआ है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ हानियां शुष्कन, बहु-हैंडलिंग, आदि के कारण हुई हैं। भंडारण हानियों को कम करने के लिए उठाए गये पगों में, दोनों प्राप्ति और निर्गम के समय 100 प्रतिशत तौल करना, बोरियों के भराई वजन में कमी करना, मशीन से अधिक सिलाई, करना प्राप्ति और निर्गम केन्द्रों पर स्क्वाडो द्वारा अचानक जांच करना, स्टाक का बेहतर परिरक्षण और वैज्ञानिक भंडारण करना, आदि शामिल हैं।

(ङ) जी, हां। स्टाक का नियमित निरीक्षण करने और कीटाणु जन्तुबाधा को रोकने के लिए रोग-निरोधी और रोगनाशक उपचार करने के लिए डिपुओं पर योग्यता प्राप्त गुण नियंत्रण स्टाफ तैनात किया जाता है। इसके अलावा, खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोदामों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हुए खाद्यान्नों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

अवधि	अच्छी हालत के खाद्यान्नों की जिस मात्रा को क्षतिग्रस्त हुआ करार दिया गया। (लाख मीटरी टन)	मूल्य (वसूली योग्य मूल्य काटने के बाद करोड़ रुपये में)	स्टाक रखने की औसत की तुलना में क्षति की प्रतिशतता
1	2	3	4
1982-83	0.48	3.26	0.50
1983-84	1.01	9.95	0.85
1984-85	0.65	7.77	0.40

सातवीं योजना में वनविश्राम गृहों का निर्माण

3800. श्री शांताराम नायक : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने वनविश्राम गृहों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने वनविश्राम गृहों के निर्माण के लिये कौन से स्थान चुने हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वन्य जीव विहार स्थल मनास में वन-गृह के निर्माण के लिए निधि प्रदान की हैं।

धांगरी (कार्बेट), दुधवा, मदुमलाई, पोंग डैम और रेणुका विहार-स्थलों पर वन गृह निर्मित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बेतला, रणथम्बोर, नन्दनकानन, एंजल, सिमिलिपाल और बांधवगढ़ विहार स्थलों में इसी तरह की परियोजनाओं के लिए भी निधियों की व्यवस्था की जा रही है।

अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रस्ताव भेजें, जिन पर विभाग द्वारा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विचार किया जाएगा।

भारत को विकास योजनाओं के लिए रियायती सहायता

3801. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० ए०-8 के अन्तर्गत भारत की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए रियायती सहायता प्राप्त करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) आई० डी० ए०-7, आई० डी० ए०-6 और आई० डी० ए०-5 के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता की तुलना में आई० डी० ए०-8 के अन्तर्गत सहायता की स्थिति क्या है और संबंधित सहायता योजनाओं के अन्तर्गत भारत को दी जाने वाली सहायता का हिस्सा कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०-8) का आठवां पुनर्भरण कार्यक्रम जुलाई, 1987 से प्रभावी होगा। पेरिस में प्रमुख दाता देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक होने के साथ ही जनवरी, 1986 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-8 के सम्बन्ध में विचार-विमर्श आरम्भ हो गए हैं। उस बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-8 के आकार के बारे में किसी निर्णय की सूचना नहीं मिली है। भारत प्रमुख दाता देशों के साथ इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहा है।

(ख) राजकोषीय वर्ष 1978 से .980 के सम्बन्ध में 9 अरब डालर राशि के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-V में से भारत को 367.85 करोड़ डालर की राशि प्राप्त हुई थी जो 40.87 प्रतिशत बैठती है। राजकोषीय वर्ष 1981 से 1984 के सम्बन्ध में कुल मिलाकर 12 अरब डालर राशि के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-VI में से भारत को 4.245 अरब डालर की राशि प्राप्त हुई थी जो कि कुल राशि की 35·38 प्रतिशत बैठती है। राजकोषीय वर्ष 1985 से 1987 के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय

विकास संघ-VII की कुल राशि 9 अरब डालर है जिसमें से वर्ष 1985 में भारत को 67.29 करोड़ डालर की राशि प्राप्त हुई है। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-VII 30 जून, 1987 तक प्रचालन में रहेगा, इसलिए अभी यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि तीन वर्ष की अवधि में भारत को कितना हिस्सा मिलेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में बैंकों में धोखाधड़ी

3802. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान दिल्ली में कितने बैंकों में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत में धोखाधड़ी के मामले हुए हैं और उसके लिए कितने व्यक्ति जिम्मेदार पाए गए हैं;

(ख) उन बड़े बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी धोखाधड़ी हुई है; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि वर्ष 1985-86 के दौरान, दिल्ली में 34 बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठ-गांठ से धोखाधड़ी की 33 घटनाएं हुई।

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों में धोखाधड़ियां होने की सूचना मिली हैं उनके नाम निम्नानुसार हैं :—

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया

बैंक आफ इंडिया

पंजाब नेशनल बैंक

बैंक आफ बड़ौदा

केनरा बैंक

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

सिंडिकेट बैंक

इलाहाबाद बैंक

इण्डियन बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

न्यू बैंक आफ इंडिया

कारपोरेशन बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक आफ पटियाला

(ग) बैंकों ने बताया है कि 22 दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है और एक अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। चार अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कारंवाई आरंभ कर दी गयी है। तीन मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो पुलिस को जांच के लिये सौंप दिये गये हैं।

दिल्ली में नवविकसित कालोनियों में बैंक सुविधाएं

3803. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों में मध्यम श्रेणी के लोगों की कालोनियों में बैंक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली की नवस्थापित कालोनियों में बैंक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वहां हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 में स्थापित यमुना विहार कालोनी में बैंक सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस कालोनी के लोगों को बहुत असुविधाएं हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वहां बैंक सुविधा कब तक हो जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1985-90 की अवधि के लिए चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में, जो सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के साथ समाप्त होती है, महानगरीय केन्द्रों में शाखा विस्तार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामूहिक और चयनात्मक ढंग से आबादी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, आवासीय और वाणिज्यिक खण्डों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) 1982-85 की पूर्व शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंक रहित/कम बैंक वाले स्थानों का पता लगाने के लिए प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों के एक कार्यकारी दल द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली महानगरीय केन्द्रों का सर्वेक्षण किया गया था। कार्यकारी दल ने 50 ऐसे स्थानों का पता लगाया था, जिनमें 32 केन्द्र विभिन्न बैंकों को आवंटित किये गये थे। 1985-90 की चालू शाखा लाइसेंसिंग

नीति के अन्तर्गत हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) बैंक शाखाएं खोलने के स्थानों में यमुना विहार का चयन नहीं किया गया था। 1982-85 की पूर्व शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत यहां पर शाखा खोलने के लिए किसी बैंक ने आवेदन भी नहीं किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यमुना विहार में बैंक शाखा खोलने के लिए इस इलाके के कुछ निवासियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक 1985-90 की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में उस स्थान पर बैंक शाखा खोलने के प्रश्न पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा।

[अनुवाद]

छापा मारे गए व्यापार गृहों द्वारा आय कर अधिकारियों को धमकी

3804. श्री सनत कुमार मंडल }
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यापार गृहों द्वारा, जिनको आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य करों तथा शुल्क वापसी सम्बन्धी गलत दावों जैसे कदाचारों के लिए हाल ही में पकड़ा गया था, अपने बचाव में समाचार पत्रों में दिए गए अनेक वक्तव्यों को देखा है और उनमें से कुछ ने अधिकारियों पर मुकदमा चलाने तक की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इन धनी लोगों द्वारा दी गई इस प्रकार की कार्यवाहियों और दी गई धमकियों से निबटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रश्न में उल्लिखित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार छापे मारे जाते हैं/ तलाशियां ली जाती हैं और सरकार को इस प्रकार की कार्यवाहियां करने से नहीं रोका जा सकता। तथापि सरकार का यह इरादा नहीं है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, जैसा कि भारतीय संविधान में आश्वासन दिया गया है। फिर भी, आरोपित पार्टियों की अपराधिकता अथवा अन्यथा का निर्णय न्यायालय/उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा और न कि समाचार पत्रों द्वारा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने के लिए कार्यवाही योजना

3805. **श्री शरद दिघे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त करने वाली उचित दर दुकानों की वर्तमान संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी सलाहकार परिषद की सातवीं बैठक में सार्वजनिक वितरण' प्रणाली के सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने सम्बन्धी कार्यवाही योजना पर विचार-विमर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो उस कार्यवाही योजना में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) अब तक कितने सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) इस समय देश में 3,25,081 उचित दर की दुकान हैं, जो उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं तथा चावल बेचती हैं। अधिकतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों अथवा राज्य विपणन/उपभोक्ता संघों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं तथा चावल उठाने के लिए नामित कर रखा है, जो बाद में इन खाद्यान्नों की आपूर्ति उचित दर दुकानों को करते हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद की 29-10-85 को नई दिल्ली में आयोजित सातवीं बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उसका विस्तार करने हेतु किसी विशिष्ठ कार्यवाही योजना पर विचार नहीं किया गया था। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इन जरूरतों के बारे में बल दिया गया था कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वास्त विक उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं, अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएं तथा उसका विस्तार करें, आवश्यक वस्तुओं के वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाएं, उचित दर की दुकानों में बिक्री के लिए अधिक वस्तुएं शामिल करके उनकी आत्मनिर्भरता में सुधार करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन करें, राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर पर एक समुचित परिवीक्षा प्रणाली विकसित करें तथा प्रवर्तन कार्यवाहियों को कड़ा करें। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी कहा गया है कि वे अपेक्षित आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने, उचित दर की दुकानें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने तथा अपनी वितरण व्यवस्था को सुप्रवाही बनाने के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार करें।

मद्रास तथा बंगलौर में जाली आय-कर दावों सम्बन्धी घोटाले का पता लगाना

3806. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मद्रास तथा बंगलौर में जाली आय-कर दावों सम्बन्धी घोटालों का पता लगा है;

(ख) क्या इसमें वेतन भोगी कर्मचारी तथा सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल पाये गये हैं;

(ग) कितनी राशि का पता लगाया गया है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा कपड़ों का निर्यात

3807. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हथकरघा कपड़े खरीदने वाले देशों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 में अब तक और आज तक कितनी राशि के भारतीय हथकरघा कपड़े का निर्यात किया गया;

(ग) फर्निसिंग फैब्रिक्स गैर-होजरी सामान और कपड़े के अन्य घरेलू सामान जैसी गैर-परम्परागत मदों के निर्यात के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) निर्यात उत्पादन के लिए उचित दामों पर सूत न मिलने व बढती उत्पादन लागत में वृद्धि और विदेशों में हुई फैशन की प्रवृत्ति की समस्याओं को पता लगाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ऐसे लगभग 120 देश हैं जो कि भारतीय सूती हथकरघा उत्पादों का आयात कर रहे हैं।

(ख) 1984-85 के दौरान सूती हथकरघा वस्त्रों तथा मेड अप्स का कुल निर्यात 168.36 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का था। अप्रैल, 85 से जनवरी, 86 के दौरान निर्यात 136.46 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के हुए।

(ग) (i) देश से निर्यातित हथकरघा वस्त्र उत्पादों पर नकद मुआवजा सहायता की अनुमति होती है। इन दरों में 1-1-1984 से उल्लेखनीय वृद्धियां की गईं जो कि 1985 के दौरान जारी रहीं। इन दरों को 31 दिसम्बर, 86 तक लागू किया गया बशर्ते कि 31 मार्च, 1986 से पहले इनकी समीक्षा की जाए।

(ii) आयात तथा निर्यात नीति, 1985-88 के अन्तर्गत आर० ई० पी० लाइसेंस नीति के परिशिष्ठ 17 के अधीन दिए जाते हैं जिनमें निर्यातों के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल को आयात करने की अनुमति है। सरकार नये उत्पादों तथा नये बाजारों को निर्यातों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती रही हैं। इस प्रयोजन के लिए 10 प्रतिशत अधिक आर० ई० पी० की अनुमति होती है। लैटिन अमरीका तथा अफ्रीकी बाजारों में निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए भी अनुदानों की ऊंची दरों की अनुमति होती है।

(iii) सरकार बाजार अध्ययनों, क्रेता-बिक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों को प्रायोजित करने तथा उनका वित्त पोषण करने के लिए उदार रूप से सहायता प्रदान करती रही है।

(iv) सरकार द्वारा निर्यात-अभिमुख उत्पादन कार्यक्रमों को भी संचालिय किया जाता है।

(घ) इस समय यार्न न्यायोचित कीमतों पर उपलब्ध है। तथापि, यार्न डिपुओं तथा लच्छी यार्न बाध्यता से यार्न की उपलब्धता में सुधार हुआ है। सरकार ने फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों की सप्लाई

3808. श्री विजय एन० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दालों के माध्यम से आवश्यक प्रोटीन आम आदमी की पहुंच के भीतर लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उचित दर की दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर दालों की सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो आम आदमी को उचित दामों पर प्रोटीन की सप्लाई करने सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा :

(क) से (ग) सरकारी नीति में मुख्य बल दालों की खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाकर, दालों की बीच की फसल उगाकर दाल के उन्नत बीजों का वर्धनतथा उपयोग कर और कटाई बाद उन्नत प्रौद्योगिकी अपना कर दालों का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में दालों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खुलेआम लाइसेंस के माध्यम से दालों का आयात करने की अनुमति भी दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम आदमी को दालों के माध्यम से आवश्यक प्रोटीन प्राप्त हो।

केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सात आवश्यक वस्तुओं, अर्थात गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, कंट्रोल का कपड़ा, साफ्ट कोक और मिट्टी के तेल की अधिप्राप्ति और आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले रखी है। सरकार की, दालों की अधिप्राप्ति करने और उन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने की जिम्मेदारी लेने की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे आम खपत की अतिरिक्त वस्तुएं जिन्हें वे आवश्यक समझें और जिनकी वे स्वयं अधिप्राप्ति कर सकें, इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दालें भी वितरित की जा रही हैं।

प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण देने के लिए विधान

3809. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्तुओं और दी गई सेवाओं का उपयोग करने वालों तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण देने के लिए कर्नाटक में पुरःस्थापित विधेयक जैसा एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब प्रस्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी नमूना-कानून, जिसे प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, के मसौदे में, कर्नाटक में प्रस्तुत किए गए अधिनियम की तरह, वस्तुओं को तो शामिल किया गया है, लेकिन सेवाओं को नहीं।

(ख) नमूना-कानून के मसौदे में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता कार्य निदेशालय तथा उपभोक्ता विवाद निपटान मंच की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य, उपभोक्ता के हितों की रक्षा तथा उनका संवर्धन करना और उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्रता से तथा कम खर्च पर दूर करने के लिए मंच प्रदान करना है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद

उपभोक्ता के अधिकारों का संवर्धन तथा उनकी रक्षा करेगी, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार तथा कुछ विनिर्माताओं/व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का बेईमानी द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह परिषद उपभोक्ताओं को जानकारी तथा शिक्षा देने तथा उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को विकसित करने हेतु कार्यक्रम आरम्भ करेगी। उपभोक्ता कार्य निदेशालय उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करेगा। उपभोक्ता विवाद निपटान मंच उपभोक्ताओं के विवादों को शीघ्रता से तथा कम खर्च पर निपटाने के लिए एक न्यायिक-कल्प (क्वासी जूडिशल) तंत्र होगा।

(ग) नमूना कानून के शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

केरल राज्य में अल्लेपी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3810. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार केरल राज्य में पूर्व का वेनिस कहे जाने वाले अल्लपी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यटकों को वहां उस समय आमन्त्रित करने का है जब वहां सर्प नौका दौड़ (स्नेक बोट रेस) आयोजित की जाती है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राज्य सरकार के अनुरोध पर, पर्यटन विभाग ने 10.28 लाख रुपये की कुल लागत पर आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करने सम्बन्धी एक परियोजना पर पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 4.00 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में रिलीज कर दिये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2.56 लाख रुपये की एक राशि ओनम पर्व मनाने के लिए भी रिलीज की गई है।

(ख) राज्य सरकार ने इस वार्षिक पर्व पर एक वृत्त-चित्र का निर्माण किया है जिसे यात्रा अभिकर्ताओं को भेजा जा रहा है ताकि अल्लपी में आयोजित की जाने वाली सर्प-नौका दौड़ की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

पर्यटक यातायात को दक्षिण भारत की ओर मोड़ना

3811. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतिकूल मौसम हो जाने के कारण उत्तर भारत में जब पर्यटन का मौसम नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पर्यटकों को दक्षिण भारत की ओर विशेषकर केरल की ओर मोड़ देने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : भारत सरकार पर्यटक कार्यालय केरल सहित भारत के सभी राज्यों का वहां वर्ष भर के मौसम के हालात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन-संवर्धन करते हैं।

राष्ट्रीय जमा योजना के माध्यम से काले धन को सफेद धन में बदलना

3812. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का यह निश्चित विचार है कि दीर्घावधि वित्त नीति में प्रस्तावित नई राष्ट्रीय जमा योजना से काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी;

(ख) क्या प्रस्तावित जमा योजना व्यय कर की ओर प्रमुख कदम था;

(ग) यदि हां, तो यह नई योजना वित्तीय स्थिति में सुधार करने में कहां तक सहायक सिद्ध होगी; और

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दीर्घकालिक वित्तीय नीति में दी गई योजना के अनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली राशि कर-निर्धारिती की घोषित आय का एक भाग होगी। इस योजना की अघोषित आय को परिवर्तित करने के साधन के रूप में कल्पना नहीं की गई है। इस योजना को व्यय कर से सम्बन्धित समिति के पास भेजा गया है।

(घ) कर अपवंचन को रोकने के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

सूती कपड़े का निर्यात

3813. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 में सूती कपड़ों के निर्यात में वृद्धि होने के बाद अब अनिश्चितता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1984-85 में सूत सहित सूती कपड़ों का तथा निर्मित कपड़ों का निर्यात मूल्य 472 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जो एक रिकार्ड है;

(ग) यदि हां, तो क्या 1985-86 में प्रथम छः महीनों के दौरान निर्यात मूल्य गिरकर 222

करोड़ रुपए रह गया है;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान रुई सूती कपड़े के निर्यात में और गिरावट आने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं; और

(च) 1986-87 के लिए सूती कपड़ों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिल निर्मित तथा बिजली करघा सूती वस्त्रों के निर्यात लगभग गत वर्ष के स्तर पर ही है। 1984-85 के दौरान 472 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे और 1985-86 के पहले 6 महीनों में 222 करोड़ रु० के निर्यात हुए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सूती वस्त्रों के निर्यात निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(2) उन अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के संबंध में जिनका कि स्वदेश में विनिर्माण सही हो रहा है, ओ० ज० एल० पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(3) अधिक अर्ज वाले शटल रहित करघों और रोटर कताई मशीनों के आयात की अनुमति, निर्यात दायित्व से सम्बद्ध रियायती आयात शुल्क पर दी गई है।

(4) 1 जनवरी, 84 से वस्त्र मदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नकद मुआवजा सहायता (सी० सी० एस०) की दरों का अर्द्धमुखी संशोधन कर दिया गया है। 4 जुलाई, 1984 से सिलाई/एम्ब्रायडरी धागे भी नकद मुआवजा सहायता के पात्र कर दिए गये हैं। यह नीति 1985 के दौरान जारी रही। नकद मुआवजा दरें 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दी गई किन्तु इस संबंध में समीक्षा की जाएगी जिसे 31 मार्च, 1986 तक पूरा किया जाएगा।

(5) 100% निर्यात अभिमुख एककों सम्बन्धी एक योजना चल रही है जिसमें विभिन्न वस्त्र मदें शामिल की गई हैं। 100% निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोनों में स्थापित एकक पूंजीमाल के कर-मुक्त आयात कच्चे माल तथा संघटकों आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के पात्र हैं।

(6) सरकार उत्पाद तथा क्षेत्रों के अनुसार हमारे निर्यातों में वृद्धि तथा विविधीकरण करने के उद्देश्य से बाजार अध्ययनों क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों का प्रायोजन तथा वित्तपोषण कर रही है।

(7) भारत से वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए आयात निर्यात नीति और अधिक उदार बना दी गई है।

नए कृषि तथा तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना

3814. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक नए कृषि तथा तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्राधिकरण द्वारा विभिन्न देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा;

(घ) निर्यात से जनसाधारण की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) निर्यातों की अनुमति सरकार द्वारा तैयार की गई निर्यात नीति के अधीन दी जाती है। नीति तैयार करते समय घरेलू खपत, उत्पादकों को यथोचित प्रति लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता आदि जैसी विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है।

विवरण

(ख) कृषि तथा साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष

2. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार।

3. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि सदस्य।

4. तीन संसद सदस्य--दो लोक सभा तथा एक राज्य सभा द्वारा चुना गया।

5. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के कृषि तथा ग्रामीण विकास, वाणिज्य, वित्त, उद्योग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, नागरिक विमानन और जहाजरानी तथा परिवहन से संबंधित आठ प्रतिनिधि-सदस्य।

6. राज सरकारों और संघ क्षेत्रों के पांच प्रतिनिधि-सदस्य।

7. सात सदस्य जो निम्नोक्त का प्रतिनिधित्व करेंगे—

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्;

2. राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड;

3. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन;

4. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान;

5. भारतीय पैकेजिंग संस्थान;

6. मसाला निर्यात संवर्धन परिषद्; और

7. काजू निर्यात संवर्धन परिषद्।

8. 12 सदस्य जो निम्नोक्त का प्रतिनिधित्व करेंगे—

1. फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग;

2. मांस, कुक्कुट तथा डेयरी उत्पाद उद्योग;

3. अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग;

4. पैकेजिंग उद्योग;

9. कृषि तथा साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों के कृषि अर्थशास्त्र तथा विपणन क्षेत्र में दो सदस्य विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक।

प्राधिकरण, अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों के विकास तथा निर्यात संवर्धन के लिए उपाय करेगा। उपायों में ये शामिल होंगे—सर्वेक्षण तथा संभावता अध्ययन आयोजित करना, संयुक्त उद्यमों में सहभागिता निर्यात-उत्पादों के लिए मानक तथा विनिर्देशन निर्धारित करना, बूचड़-खानों में मांस तथा मांस उत्पादों का निरीक्षण, प्रोसेसिंग संयंत्र, पैकेजिंग तथा विपणन में सुधार,

निर्यात-अभिमुख उत्पादन का संवर्धन।

(ग) प्राधिकरण, कृषि तथा साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के अधीन निम्नोक्त मदों के विकास तथा निर्यात संवर्धन के लिए उपाय करेगा— (1) फल, सब्जियां तथा उनके उत्पाद, (2) मांस तथा मांस उत्पाद, (3) कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद, (4) डेयरी उत्पाद, (5) मिष्ठान्न बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद, (6) शहद, उत्पाद तथा चीनी उत्पाद (7) कोकोला तथा इसके उत्पाद, सभी प्रकार की चाकलेट, (8) अल्कोहल युक्त तथा बिना अल्कोहल वाले, पेय (9) अनाज उत्पाद, (10) काजू, मूंगफली, पीनटस तथा अखरोट, (11) अचार, चटनियां तथा पापड़, (12) ग्वार-गोल (13) पुष्पोत्पादन तथा पुष्प-उत्पाद तथा (14) औषधियां जड़ी-बूटियां।

इंजीनियरिंग सहायक एककों को ऋण का वितरण

3815. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में इंजीनियरिंग सहायक एककों को 7 करोड़ डालर का ऋण वितरित करने की शर्तों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये शर्तें इंजीनियरिंग एककों के लिए, विशेषकर ऋण के पुनर्भुगतान के मामले में कितनी अनुकूल हैं;

(ग) क्या सरकार ने शर्तों को उदार बनाने के लिए यह मामला विश्व बैंक के साथ उठाया है ताकि एकक ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) ऋण प्राप्त करने वाले एककों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा आन्ध्र प्रदेश में स्थित इन एककों की संख्या कितनी है; और

(च) यदि आंध्र प्रदेश में कोई एकक नहीं है तो उसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद) परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 21-1-1986 को कुल 25 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण के लिए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे जिनमें से 9 करोड़ अमरीकी डालर भारत सरकार के लिए और 16 करोड़ अमरीकी डालर, जिसके लिये भारत सरकार की गारंटी है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के लिये हैं। भारत सरकार को दिये गये 9 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण में से 7 करोड़ डालर चार भागीदारी बैंकों, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा केनरा बैंक को लघु इंजीनियरी सहायक फर्मों को उनके विस्तार, आधुनिकीकरण तथा विशिष्टीकरण प्रयासों हेतु दिये गये ऋणों के विदेशी मुद्रा भाग के वित्तपोषण के

लिए इक्विटी के रूप में दिये जाएंगे।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इंजीनियरी सहायक फर्मों को दिये जाने वाले ऋण पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा तथा इसकी परिपक्वता की अवधि 3 से 10 वर्ष की होगी जिसमें 1 से 3 वर्ष तक की रियायती अवधि भी शामिल है। ब्याज की यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले सावधिक ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर-रियायती दर के बराबर है।

(ङ) और (च) इस बारे में कोई राज्यवार आबंटन नहीं है और बैंक सभी पात्र उद्यमों को वित्त उपलब्ध करवाएंगे।

भारतीय टेलीफोन उद्योग और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बांडों को जनता का समर्थन न मिलना

3816. श्री वी० तुलसी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रथम दो बांडों को जनता का समर्थन नहीं मिला है जैसाकि 16 फरवरी, 1986 के इकनोमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आम जनता में बांडों के अलोकप्रिय होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) सरकार को इससे कितना घाटा होगा; और

(घ) सरकार द्वारा बांडों को लोकप्रिय बनाने अथवा जनता से आवश्यक धनराशि एकत्र करने के लिये कुछ अन्य उपाय ढूंढने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के बांड्स के सावंजनिक निर्गम के प्रत्युत्तर में जारी पूंजी से अधिक पूंजी का अभिदान प्राप्त हुआ है अतः जनता में इनके लोकप्रिय न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) इनको कंपनियों द्वारा उपर्युक्त निर्गमों से सरकार को कोई घाटा उठाना नहीं पड़ा।

(घ) इन बांडों के लिये सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में कुछ आकर्षक विशेषताएं, जैसे कि सुविधापूर्ण हस्तान्तरणीयता और कर लाभ जैसी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जारी बांड

3817. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा हाल ही में जारी बांड हस्तान्तरणीय हैं;

(ख) क्या इन्हें पृष्ठांकन द्वारा भी हस्तान्तरित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में उनके मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों और कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध अन्तर-विरोधी है जैसाकि 27 फरवरी, 1986 के इकनोमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) दूर संचार तथा विद्युत क्षेत्रों के सरकारी उपक्रमों द्वारा बांड जारी करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने जो मार्ग-निर्देश जारी किये हैं, उनसे केवल इसी बात का पता चलता है कि इन बांडों को पृष्ठांकन तथा सिपुर्दगी के माध्यम से अंतरित किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। इन मार्ग-निर्देशों को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निदेश नहीं माना जाना चाहिये। पृष्ठांकन तथा सिपुर्दगी के जरिये अंतरण की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए, सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक अधिसूचना भी उपस्थापित की है, जिसमें इस आशय का निदेश विहित किया गया है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 108 की उप-धारा (1) के उपबन्ध, जहां तक कि इनसे यह अपेक्षा की गई है कि अंतरण के लिए एक अन्तरण-पत्र निष्पादित किया जाना चाहिये जिस पर विधिवत रूप से स्टाम्प लगा हुआ हो और जिस अन्तरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से तथा अन्तरिती द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से निष्पादित किया गया हो, एक सरकारी कम्पनी द्वारा जारी किये गये बांडों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि अन्तरिती द्वारा कम्पनी को, बांडों से सम्बद्ध प्रमाण-पत्र के साथ और यदि ऐसा प्रमाण-पत्र न हों तो बांडों के आबंटन-पत्र के साथ संगत सूचना भेज दी गई हो, जिसमें अन्तरिती ने अपना नाम, पता तथा व्यवसाय, यदि कुछ हो, लिख भेजा हो।

कृषि की आधुनिक तकनीकों की पटसन के किसानों को जानकारी देना

3818. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन द्वारा किये गए प्रदर्शन के अनुसार आधुनिक तकनीक के प्रयोग से पटसन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पटसन मिलों को यह कहा जाएगा कि वे इन आधुनिक तकनीकों की जानकारी पटसन के किसानों को देने में सहायता करें;

(ग) क्या पटसन के किसानों और पटसन मिलों के बीच कोई सहयोग कार्यक्रम विद्यमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे कार्यक्रमों के लिये पहल करेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) हालांकि जूट किसानों और जूट मिलों के बीच सहयोग का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है, फिर भी भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संगठन ने रेशे की क्वालिटी को अप-ग्रेड करने के लिये एक तकनीक का विकास किया है और उपज में सुधार के लिये कतिपय उपाय शुरू किये हैं।

जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ने रिबनिंग के यांत्रिक डिकार्टिकेशन की भी तकनीक विकसित की है किस में कम से कम पानी में नियंत्रित रूप से गलाने का कार्य किया जा सकता है और कुछ हद तक उससे हस्त-निष्कर्षण का काम बच सकता है।

कच्चे जूट के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिये कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के गहन जूट विकास कार्यक्रम जैसे प्रचलित कार्यक्रम हैं। हाल में पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना में गाइघाट विकास खण्ड में प० बंगाल की राज्य सरकार से परामर्श करके कच्चे जूट की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक प्रायोजिक योजना भी आरम्भ की गई है। इस परियोजना को वित्त व्यवस्था पूरी तरह से जूट विनिर्माण विकास परिषद द्वारा अपनी उपकर निधि से की जाएगी और उसका संचालन राज्य सरकार के सहयोग से भारतीय जूट निगम द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बैंक सहायता

3819. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 के दौरान विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए बैंक सहायता राशि बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को कितनी बैंक सहायता दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में और कुल बकाया ऋणों में उनका हिस्सा क्रमश: 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से कम न रहे। नवीनतम अनन्तिम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1984 के अंत में मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों से सम्बन्धित 7.56 लाख खातों के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि .09.32 करोड़ रुपये थी। यह रकम सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 24.8 प्रतिशत बैठती है।

मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

3820. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक का पिछड़े राज्यों में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के रायगढ़ और अन्य पिछड़े जिलों में वर्ष 1986-87 के दौरान कितने बैंक शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए रायगढ़ जिले में किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ङ) वर्ष 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30 नवम्बर, 1985 को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की 561 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) से (ङ) 1985 से 1990 तक की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कुछ मानदण्डों के अनुसार बैंक कार्यालय खोलने के लिए सम्भावित केन्द्रों का पता लगाना होता है। प्रत्येक खण्ड की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक शाखा खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य विभिन्न बैंकों को मध्य प्रदेश राज्य में अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त होने और उपर्युक्त नीति के सन्दर्भ में दिए जाएंगे। शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए राज्यवार या बैंकवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

जल प्रदाय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा नगर पालिकाओं/निगमों को ऋण दिया जाना

3821. श्री अजय मुशरान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम विभिन्न नगर पालिकाओं/निगमों को उनकी जल प्रदाय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की गारंटी से ऋण देता है;

(ख) ऐसे ऋण देने की क्या प्रक्रिया है;

(ग) मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के निगम/नगर पालिकाओं को इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अब तक दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार योजना आबंटनों के अनुसार राज्य सरकारों को एक मुश्त ऋण देकर उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें नगर पालिकाओं/निगमों को ऋण देने और उन्हें ऋणों की वसूली करने के लिए जिम्मेदार बनाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों या राज्य-स्तर के बोर्डों, जहां कहीं वे गठित हों से प्राप्त सरकार की तकनीकी और प्रशासनिक रूप से अनुमोदित स्कीमों के लिए ऋण के आवेदन पत्रों की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छानबीन की जाती है तथा ऋण की स्वीकृति देने से पहले उस स्कीम के औचित्य और वित्तीय सक्षमता की जांच कर ली जाती है। ऋणकर्ता द्वारा करार के निष्पादन तथा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा गारंटी दस्तावेज के पश्चात, विद्यमान स्कीम की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को देखते हुए, योजना आयोग द्वारा किये गये आबंटनों के अनुसार, ऋणों की किस्तों में वितरित किया जाता है।

पालिसी-धारकों के समग्र हित को देखते हुए, जीवन बीमा निगम के लिए यह आवश्यक है कि वह, धन के उचित उपयोग और नगर पालिकाओं आदि द्वारा दिये गये बराबर के अंशदानों के उचित उपयोग को भी सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक स्कीम की वास्तविक प्रगति पर नजर रखे। जीवन बीमा निगम द्वारा जबलपुर नगर निगम को दिये गये ऋणों को ब्यौर इस प्रकार है :—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	वर्ष	राशि (लाख रुपये)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	जल आपूर्ति	1965-66	40	1979-80 से किस्तों में दिया गया, 5 लाख रुपये की अन्तिम किस्त चालू
2.	जल आपूर्ति परियोजना पहला चरण	1978-79	265	वित्त वर्ष (1985-86) में दी गई थी।

1	2	3	4	5
3.	जल आपूर्ति परियोजना द्वितीय चरण	1985-86 (चालू वर्ष)	270	उचित किस्तों में जारी किया जायेगा। नगर निगम और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात 150 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी जायेगी।

गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं की जमा धनराशियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश

3822 **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अपनी जमा धनराशियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश दिये हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किये जाने के कार्य पर नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रखा जाता है। इन निर्देशों में ऐसी कम्पनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किये जाने को विनियमित करने का प्रयास किया जाता है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अलग-अलग व्यक्तियों, फर्मों और व्यक्तियों के अन्य गैर-निगमित संघों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किये जाने के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 अध्याय III ग के उपबन्धों द्वारा विनियमित किये जाते हैं। उक्त अध्याय के उपबन्धों के संदर्भ में, इन गैर-निगमित निकायों को निर्धारित संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने की मनाही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्याय III ग के उपबन्धों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है जिसमे दो वर्ष तक की कैद या अधिनियम के अनुसार कैद के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों को अध्याय III ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और अधिनियम के अनुसार उन पर कानूनी कार्रवाई करने की समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं।

इनमें से कुछ गैर-निगमित निकायों ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय रिजर्व बैंक

अधिनियम के अध्याय III ग के उपबन्धों की वैधता को चुनौती दी थी। ये याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं लेकिन, उनमें से कुछ याचियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की हैं और मामला न्यायाधीन है।

सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर आदि के रूप में केरल से प्राप्त धनराशि

3823. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार को सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर आदि के रूप में केरल से प्राप्त हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार को केरल से प्राप्त सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा आयकर आदि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)	
सीमा शुल्क	उत्पादन शुल्क	आयकर
479.46	1148.24	364.91

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल सरकार को दी गई रकम का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)	
अप्रत्यक्ष कर	प्रत्यक्ष कर
645.51	208.74

काफी बोर्ड में छोटे किसानों के प्रतिनिधि

3824. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड में छोटे किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का काफी बोर्ड में छोटे किसानों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) काफी बोर्ड में लघु उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या, पहले ही 25 अगस्त, 1984 से, जब बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

आयातित अखबारी कागज की टैरिफ की दरें

3825. श्री सुरेश कुरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित अखबारी कागज की टैरिफ की दरों में पुनः निरूपण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अभी हाल में अखबारी कागज पर 550 रुपये प्रति टन की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है। फिर भी समाचार उद्योग द्वारा सरकार को दिए गए प्रतिवेदनों और अन्य सम्बन्धित कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अखबारी कागज पर सीमा शुल्क लगाये जाने के बारे में समीक्षा की जाती है।

प्रगति मैदान में स्थान का आवंटन

3826. श्री मूल चन्द डागा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के दौरान स्थान/स्टाल आवंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन स्थानों/स्टालों के लिए कितना किराया वसूल किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि प्राधिकरण द्वारा वसूल किये जाने वाला किराया बहुत अधिक है इसके कारण प्रदर्शनी स्टाल वाले अपनी वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य वसूल करते हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ङ) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में कितने सरकारी विभागों ने मेला प्राधिकरण से स्थायी आधार पर किराये पर स्थान लिए हैं; और

(च) ये स्थान किस प्रयोजन से लिए गए हैं और प्राधिकरण उनसे कितना मासिक किराया लेता है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारतीय

व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में स्थान/स्टाल का आबंटन सामान्यत: "पहले आओ पहले पाओ आधार" पर किया जाता है। तथापि, फर्म की स्थिति तथा क्षमताओं जैसी अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) विद्यमान किराये निम्नोक्त प्रकार हैं :—

छतदार	—	700 रु० प्रति वर्ग मीटर
खुला खंडला	—	250 रु० प्रति वर्ग मीटर
खुला स्थान	---	200 रु० प्रति वर्ग मीटर

विशेषीकृत वस्तु मेले

(i) छतदार स्थान, फ्लोर कवरिंग फेशिया टाइरिंग तथा पार्टीशन दीवार जैसी सुविधाओं सहित स्टाल का आन्तरिक निर्माण करना भाग लेने वालों की जिम्मेदारी है।	250 रु० प्रति वर्ग मीटर
(ii) मानक पैटर्न पर स्टाल के आन्तरिक निर्माण सहित छतदार स्थान, साथ ही पार्टीशन दीवार, फेशियां राइटिंग, फ्लोर कवरिंग जैसी सुविधाओं सहित।	400 रु० प्रति वर्ग मीटर

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा भाग लेने वालों से ली जाने वाली दरें उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को देखते हुए न्यायोचित हैं और इसलिए प्रदर्शकों द्वारा इस सम्बन्ध में अधिक शुल्क लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी तक ऐसे अध्ययन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है।

(ङ) और (च) 19 राज्य सरकारों, 9 केन्द्रीय मंत्रालयों तथा 2 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वस्तु बोर्डों के पास प्रगति मैदान में स्थायी मंडप है और उनके द्वारा इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति दर्शाने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिये किया जाता है। इसके लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाइसेंस फीस ली जाती है।

मूल्य अंकित करने सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली में खामियां

3827. श्री मूल चन्द डागा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को कपडों पर मूल्यांकित करने की वर्तमान प्रणाली में कई खामियों के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए है जिनमें मूल्य अंकित करने की वर्तमान नीति का उल्लंघन किया गया है;

(घ) क्या उल्लंघन करने के मामले बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उल्लंघन के मामले सबसे अधिक हैं;

(च) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या सरकार का विचार आम जनता की सहायता के लिए वर्तमान प्रणाली की पुनरीक्षा करने और नई नीति अपनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो कब से ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ज) वर्तमान मूल्य अंकित करने वाली प्रणाली में कतिपय मुख्य खामियां हैं जिनकी वजह से उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही करना कठिन हो गया है। नये वस्त्र नियन्त्रण आदेश व अन्तर्गत एक संशोधित योजना आरम्भ करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण सिगरेटों की बिक्री में कमी

3828. श्री दत्ता सामन्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण सिगरेटों की बिक्री में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो बिक्री में कितनी गिरावट आई है;

(ग) वर्ष 19 3, 1984 और 1985 में देश में सिगरेटों के उपयोग का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सिगरेटों की बिक्री में, गिरावट होने के कारण राजस्व का कितना घाटा हुआ ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शाखाएं खोलने के लिए नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लाइसेंस जारी करना

3829. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान शाखाएं खोलने के लिए नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और ये लाइसेंस किन-किन स्थानों के लिए जारी किए गए हैं; और

(ग) वहां पर इन शाखाओं के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वर्ष 1986-87 में नई शाखाएं खोलने के लिए अब तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 'शो रूम'

3830. श्री हरीश रावत : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ 'शो रूम' खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शो रूम खोले जायेंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पर्वतीय क्षेत्रों में शोरूम खोलने पर मांग का मूल्यांकन तथा गत वर्ष खोले गए दो शो रूमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि, 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई शो रूम खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

पिथौरागढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाइसेंस जारी करना

3831. **श्री हरीश रावत :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से 1986-87 के दौरान अपनी शाखाएं खोलने के लिए कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) किन स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और ये शाखाएं कब तक खोल दी जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी भी बैंक से, वर्ष 1986 में जिला पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में शाखाएं खोलने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3832. **श्री हरीश रावत :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश को गेहूं, चावल, चीनी और लेवी सीमेंट की प्रति माह कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को चीनी और लेवी सीमेंट के आबंटन में लगातार कमी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

मास	चावल	गेहूं	चीनी	लेवी सीमेंट
	(मात्रा हजार	मी०टनों में)	(मात्रा मी० टनों	में)
1985				
अक्तूबर	50.00	45.00	50,466*	2,55,500**
नवम्बर	50.00	45.00	50,466	
दिसम्बर	50.00	45.00	50,466*	
1986				
जनवरी	50.00	45.00	50,466	2,55,500**
फरवरी	50 00	45.00	50,466	
मार्च	50.00	45.00	50,466	

*अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के महीनों के लिए 8067 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा दी गई।

**लेवी सीमेंट केवल त्रैमासिक आधार पर आबंटित किया जाता है।

[अनुवाद]

केरल में खाद्य "प्रोसेसिंग" एकक की स्थापना का प्रस्ताव

3834. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन खाद्य प्रोसेसिंग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

3835. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) कितनी राशि आय कर के रूप में वापस प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कोई ऐसी मांग की गई है कि महंगाई भत्ते पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते/तदर्थ महंगाई भत्ते के रूप में अदा की गई कुल राशि लगभग 3040 करोड़ रुपए है।

(ख) स्त्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को भिन्न मद के रूप में माना जाता बल्कि "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत महंगाई भत्ता आय का भाग बन जाता है।

(ग) और (घ) कुछ प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के कारण सरकार महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते को पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

मूल्य वर्द्धित निर्यात प्रणाली लागू करना

3836. **श्री के० जी० प्रदियोडी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य वर्द्धित निर्यात प्रणाली लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और वर्ष 1985 86 के दौरान दिसम्बर, 1985 के अन्त तक हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मूल्य वर्द्धित रूप में वस्तुओं तथा अन्य मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात को विभिन्न नीति उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें शामिल है आयात निर्यात नीति, शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों से सम्बन्धित योजनाएं और राजकोषीय प्रोत्साहन। मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यातों में धीरे-धीरे वृद्धि होने की आशा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की पूर्वी क्षेत्र की अनुषंगी कम्पनी द्वारा कपड़े तथा सूत की सीधी बिक्री

3837 **श्री रेणुपद दास** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पूर्वी क्षेत्र की अनुषंगी कम्पनी द्वारा अपने कपड़े तथा सूत भंडारों की सीधी बिक्री करने का लिया गया निर्णय, संकट में पड़ गया है·

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का विपणन प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी०ओ०) कपड़े की बिक्री इडेंटिंग एजेन्टों की मार्फत तथा यार्न की बिक्री स्थानीय व्यापारियों की मार्फत करता है। कपड़े की सीधी बिक्री करने के लिए कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, स्टाक के जमा हो जाने के मामले में विगत में कुछ अवसरों पर सीधी बिक्री का आश्रय लिया गया है। हाल में सहायक निगम द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि एजेन्टों तथा व्यापारियों के साथ-साथ सीधे क्रेताओं के प्रयासों द्वारा जमा स्टाक को ऐसी कीमतों पर, जो कि समय-समय पर सहायक बिक्री समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से कम न हों, समाप्त किया जाये। चूंकि इस निर्णय को हाल ही में किया गया है, अतः अब तक किसी भी स्थान से कोई समस्या नहीं बताई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) इस समय एन०टी०सी० द्वारा विपणन की प्रणाली में कोई परिवर्तन किये जाने का विचार नहीं है।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा धन राशि प्राप्त करना

3838. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1983-84 के दौरान गैर-बैंकिंग कम्पनियों और अनुसूचित बैंक द्वारा जनता से नियमित नकदी जमा धनराशि आकर्षित करने और विकास की दर के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन से कौन-सी मुख्य बात सामने आई है;

(ग) क्या लगभग गत तीन वर्षों के दौरान गैर-बैंकिंग कम्पनियां बैंकों की तुलना में जनता से अधिक जमा धनराशियां प्राप्त कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बैंक इस सम्बन्ध में पीछे न रह जाये इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई

है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवतः प्रश्न का आशय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा जुटाई गई जमा राशियों से हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित गैर-बैंककारी कम्पनियों की जमाराशियों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अन्तिम सर्वेक्षण 31 मार्च, 1984 तक की स्थिति से सम्बन्धित है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित गैर-बैंककारी कम्पनियों की जमाराशियों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऐसी कंपनियों की जमाराशियां 31 मार्च, 1983 को 1977.5 करोड़ रुपये थीं जो 31 मार्च, 1984 को बढ़कर 2334.5 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् इनमें 357 करोड़ रुपये अर्थात् 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में, वर्ष 1983 में 17.4 प्रतिशत थी और वर्ष 1984 में 17.9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ग) जी नहीं। मार्च, 1984 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, गैर-बैंककारी कम्पनियों की कुल जमाराशियां (छूट प्राप्त जमाराशियों को छोड़कर) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों का केवल 3.8 प्रतिशत हिस्सा बैठती है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन के पद पर बार-बार परिवर्तन

3839. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन के पद पर पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न व्यक्तियों की बार-बार नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पद पर कितनी बार नियुक्ति की गई है और इसके क्या कारण हैं और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस सरकारी उपक्रम के कार्यकरण पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विगत 10 वर्षों में एस० टी० सी० के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्तियों के नाम, उनके कार्यकाल आदि की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। एस०टी०सी० के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) 1975-76 से 1984-85 तक के 10 वर्षों की अवधि के दौरान कुल कारोबार 981.00 करोड़ रु० से बढ़कर 2365·53 करोड़ रु० का और कर-पूर्व लाभ 14.5 करोड़ रु० से बढ़कर 61.13 करोड़ रु० हो गया है।

विवरण

विगत वर्षों के दौरान एस०टी०सी० के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए रहे :—

क्रम सं०	नाम	से	तक	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री वी० वी० पारेख	8-6-1973	31-3-77	पूर्ण कालिक
2.	श्री पी० के० कौल तत्कालीन अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	31-3-77	11-8-77	अतिरिक्त कार्य-भार
3.	डा० एस०सी० भट्टाचारर्जी	1-8-1977	31-1-1981	पूर्ण कालिक
4.	श्री पी० के० कौल	1-2-1981	11-8-1981	अतिरिक्त कार्य-भार
5.	श्री आबिद हुसैन तत्कालीन सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	11-8-1981	22-5-1982	अतिरिक्त कार्य-भार
6.	श्री पी० के० दास गुप्ता	22-5-1982	27-8-1983	पूर्ण कालिक
7.	श्री पी० सी० लूथर	27-8-1983	1-8-1985	पूर्णकालिक श्री लूथर 4-7-85 से 31-7-85 तक छुट्टी पर रहे और 1-8-85 को अध्यक्ष-पद कार्य-भार से मुक्त हो गये।

1	2	3	4	5
8.	श्री एस०वी०एस० राघवन, अध्यक्ष, एम०एम०टी०सी०	8-7-1985	10-2-1986	अतिरिक्त कार्यभार
9.	श्री आर० के० डांग अपर सचिव, वाणिज्य सचिव	10-2-1986	बने हुए हैं	अतिरिक्त कार्यभार

इस समय इस पद पर श्री आर० के० डांग हैं और उन्हें यह अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

चुनिन्दा अफ्रीकी देशों को निर्यात और निर्यात बढ़ाने के उपाय

3840. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 से आज तक वर्ष-वार अफ्रीकी देशों अर्थात् नाइजीरिया, जाम्बिया, केन्या, और तन्जानिया को कितने मूल्य का सामान निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान कितने मूल्य का सामान निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि इन देशों को सामान के निर्यात में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन देशों में भारत की बहुत अधिक पूंजी रुकी हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1983-84 से अप्रैल-सितम्बर, 1985-86 तक नाइजीरिया, जाम्बिया, केनिया तथा तन्जानिया को हुए भारतीय निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

देश	1983-84	1984-85	1985-86 अप्रैल-सितम्बर*
1	2	3	4
नाइजीरिया	39.92	35.89*	8.03

1	2	3	4
जाम्बिया	15.55	10.22	4.47
कीनिया	16.78	28.37	12.01
तन्जानिया	12.39	15.92	70.7

*अनन्तिम

(ख) निर्यात कई बातों पर निर्भर करता है तथा उनमें बहुमुखी प्रवृति की सम्भावना है।

(ग) और (घ) नाइजीरिया तथा जाम्बिया को हुए भारतीय निर्यातों में गिरावट आई है। भारतीय निर्यातों में जो गिरावट आई है वह प्रमुख रूप से इन देशों में सूखा प्राथमिक वस्तु की कीमतों में गिरावट और विदेशी मुद्रा अभाव उत्तरदायी है। निर्यातों में सुधार लाने के लिए प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना, विशेष द्विपक्षीय प्रबन्धों की व्यवस्था जैसे कई उपाय किये जा रहे हैं।

(ङ) और (च) भारतीय अवरुद्ध पूंजीनिवेश के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(छ) सरकारी तथा वित्तीय संस्थान स्तरों पर वार्ताएं चल रहीं हैं।

[हिन्दी]

अफीम की खपत और निर्यात

3841. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राजस्थान के कोटा और चितौड़गढ़ जिलों में और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है;

(ख) क्या जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में अफीम का उपयोग किया जाता है;

(ग) देश में अफीम की कितनी खपत है तथा इसका निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है तथा प्रत्येक देश को अफीम का कितना निर्यात किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अफीम के लिए अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने का है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अफीम के व्युत्पन्न सामान्यतः दर्द से छुटकारा देने और खांसी का उन्मूलन करने वाली औषधियों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं।

(ग) अल्कालायडों आदि के निर्माण के लिए, देश में उपभोज्य अफीम की मात्रा अलग-अलग वर्ष में अलग-अलग होती है और वर्ष 1984-85 के दौरान 90° गाढ़ेपन पर 94 मी० टन थी। उन देशों का नाम, जिनको यह निर्यात की जाती है और वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक देश को निर्यातित मात्रा निम्नानुसार है : —

	देश का नाम	वर्ष 1984-85 के दौरान निर्यात की गई मात्रा
		(90° सी० पर मी० टन में)
1.	अमरीका	382.650
2.	सोवियत संघ	150.000
3.	जापान	60.000
4.	फ्रांस	35.000
5.	यू० के०	57.175
		684.825*

(*अनन्तिम)

(घ) जी, हां।

भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा राशि

3842. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विस बैंकों में जमा पूंजी का लगभग 20 प्रतिशत भारतीयों द्वारा जमा कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राशि का भारत में निवेश करने के उद्देश्य से उन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम उत्पादकों का शोषण किये जाने की शिकायतें

3843. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम उत्पादकों का शोषण किये जाने की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं;

(ख) क्या चितौड़गढ़ और मन्दसौर जिलों के अफीम उत्पादकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोई अन्य जांच दल गठित करने का है जिससे कि किसानों का शोषण रोका जा सके;

(ङ) अफीम उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) समय-समय पर अफीम के काश्तकारों से नारकोटिक विभाग के स्टाफ के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिन पर आवश्यक और समुचित कार्यवाही की जाती है। हालांकि, विशिष्ट शिकायतों की बारीकी से जांच की जाती है और समुचित उपचारी, प्रशासनिक और अन्य उपाय किए जाते हैं, परन्तु इस संबंध में किसी जांच दल के गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2. अफीम उपजाने वालों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक एकक में शिकायत सेलों का गठन भी कर दिया गया है।

3. चित्तौड़गढ़ और मंदसौर जिलों में केवल उन अफीम काश्तकारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं जो सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम अर्हता औसत उपज नहीं दे सके अथवा लाइसेंस दिए जाने के लिए सिद्धान्तों के अनुसार अन्यथा पात्र नहीं थे।

फैजाबाद में अवध के नवाबों के स्मारकों का विकास

3844. श्री निर्मल खत्री : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद जिले में अवध के नवाबों के समय से सम्बन्धित स्मारकों का विकास करने

का कोई प्रस्ताव है जिनमें गुलाबबाड़ी और बहुबेगम का मकबरा, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फैजाबाद में अवध के नवाबों के स्मारकों के विकास हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के बीमा दावों को निपटाने में विलम्ब

3845. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी बीमा कंपनियां सामान्य बीमा व्यवसाय में कार्यरत हैं;

(ख) मंडल स्तर पर तथा जिला स्तर कार्यालय रखने वाली कंपनियों के अलग-अलग नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश बीमा कंपनियों के कार्यालय जिला स्तर पर न होने के कारण बैंकों के माध्यम से लाभ-ग्राहियों के दावे वर्षों तक निपटाए नहीं जाते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इसके कारण डी० आर० डी० पी० के अधिकांश लाभ-ग्राहियों को कार्यक्रम के पूरे लाभ नहीं मिल रहे, अर्थात् बैल जैसे पशु के मर जाने के मामले में पिछले दावों का भुगतान न होने के कारण दूसरा पशु नहीं मिल सकता; और

(ङ) यदि हां, तो उस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पांच (भारतीय साधारण बीमा निगम सहित)।

(ख) साधारण बीमा निगम की सभी चार सहायक कंपनियों, अर्थात् "नेशनल", "न्यू इंडिया", "ओरिएन्टल" तथा "यूनाइटेड इंडिया" के कार्यालय मंडलीय स्तर पर देश भर में स्थित हैं। तथापि, जिला स्तर पर उपरिलिखित सहायक कंपनियों में से एक या अधिक कंपनियों के देश के 441 जिलों में से 435 जिलों में कार्यालय हैं।

(ग) से (ङ) जिला स्तर पर कार्यालयों के न होने से बैंकों के माध्यम से लाभग्राहियों के दावों का निपटान अनिर्णीत नहीं रहता है क्योंकि अगर किसी भी स्थान पर किसी कंपनी विशेष का कार्यालय स्थित नहीं है तो उस जिले में बीमा सेवा का कार्य पास के जिला-कार्यालय के माध्यम से किसी अन्य

निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इन दावों के निपटान में देरी होने का मुख्य कारण दावों से सम्बन्धित अपेक्षित कागजातों का प्राप्त न होना है। बीमा कंपनियां, अपनी ओर से सम्बन्धित पक्षों के साथ इन मामलों का निपटान करने की कोशिश में रहती हैं।

जहां तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के लाभग्राहियों का सम्बन्ध है बीमा कंपनियां जब दावों का भुगतान बैंकों को करती हैं तो वे साथ ही आई०आर०डी०पी० के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे देती हैं ताकि मरे हुए पशु के बदले और पशु शीघ्र लिया जा सकें। ऐसे दावों के निपटान शीघ्र करने की दृष्टि से, मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आदि की आवश्यकता से छुटकारा देकर दावों की निपटान संबंधी प्रक्रियाओं को अब सरल बना दिया गया है और अब बीमा कंपनियां दो ग्रामीण अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाण-पत्र को ही स्वीकार कर लेती है।

[अनुवाद]

ओमन में आभूषणों की प्रदर्शनी

3846. श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा फरवरी, 1986 में ओमन में आभूषणों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी;

(ख) प्रदर्शनी में कितनी बिक्री हुई और उस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रदर्शनी असफल रही और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या उपयुक्त प्रदर्शनकर्ता चुने गए थे और क्या उन्हें इस बारे में उचित जानकारी थी तथा उन्हें प्रदर्शनी से पूर्व सर्वेक्षण रिपोर्ट भी दी गई ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शनी के दौरान कुल बिक्रियां 40 लाख रु० की हुई और कुल खर्च 6.74 लाख रु० था।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

महाराष्ट्र में विद्युतचालित करघा एककों का बन्द होना

3847. श्री डी० बी० पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति के कारण महाराष्ट्र में अनेक विद्युतचालित करघा एकक बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1986 से अब तक कितने विद्युतचालित करघा एकक बन्द हुए हैं;

(ग) इन विद्युतचालित करघा एककों के बन्द हो जाने से बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या क्या है; और

(घ) इन श्रमिकों को पुनः रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत की निर्यात परामर्शी सेवाएं

3848. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परामर्शी सेवाओं के निर्यात के मामले में विकसित और विकासशील देशों, विशेषकर चीन की तुलना में भारत का स्थान कौन सा है;

(ख) परामर्शी सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस समय किस प्रकार की परामर्शी सेवाओं का निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले कुछ दशकों में भारत ने विविध क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं देने का अनुभव और क्षमताएं प्राप्त कर ली हैं। इस समय विशेषीकृत क्षेत्रों में कार्य कर रहे अलग-अलग परामर्शियों के अलावा इस क्षेत्र में 200 से अधिक परामर्शी संगठन कार्य कर रहे हैं जिनमें 20,000 से अधिक व्यवसायी काम कर रहे हैं। जबकि अन्य विकसित/विकासशील देशों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विशेषता का सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है. भारतीय परामर्शी सेवाएं सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से तुलनीय हैं।

(ख) भारतीय परामर्शी संगठनों को निम्नलिखित प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं :

(1) वे परामर्शी सेवा निर्यातक, जिनकी सेवाओं के निर्यात के जरिये वार्षिक विदेशी मुद्रा आय 5 लाख रु० से कम नहीं हैं, व्यवसाय विकास, निविदा दस्तावेजों की खरीद, कमीशन की अदायगी, बोली बन्ध पत्रों आदि के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं के पात्र हैं ।

(2) तकनीकी परामर्शी फर्मों, निर्माण अभिकरणों और डिजाइन इंजीनियरिंग फर्मों से डिजाइनों तथा ड्राइंग्स, कार्यालय उपस्कर, उपकरणों, औजारों तथा सहायक सामान और अन्य मदों के आयात के लिए तदर्थ आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है।

(3) जोखिमों के सम्बन्ध में संरक्षक के उद्देश्य से निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम ने सेवा निर्यातों के विशिष्ट सौदों के संरक्षक के लिए नीतियां बनाई हैं।

(4) बाजार अध्ययन करने, विदेशी कार्यालय खोलने, प्रचार अभियानों और व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए उन परामर्शी संगठनों को विपणन विकास सहायता प्रदान की जाती है जो भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के यहां पंजीकृत हैं।

(5) आयकर अधिनियम की धारा 80-0 के अधीन परामर्शी संगठन कुल आय का परिकलन करने में निवल विदेशी मुद्रा आय के 50% तक कटौती के हकदार हैं।

(6) एक्जिम बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत भारत से सम्पन्न किये जाने वाले परामर्शी कार्यों के सम्बन्ध में एक्जिम बैंक से आस्थगित भुगतान सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) भारत से निर्यात की जाने वाली परामर्शी सेवाओं की किस्मों में शामिल हैं :—तकनीकी परामर्श, आर्थिक परामर्श प्रबन्धकीय परामर्श और वित्तीय परामर्श।

काफी की देश में बिक्री और निर्यात

3849. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान देश में बिक्री के लिए कितनी मात्रा में काफी जारी की गई थी;

(ख) देश में बिक्री के लिए जारी की गई काफी की प्रति इकाई मूल्य कितना है;

(ग) इन वर्षों के दौरान औसत निर्यात मूल्य कितना था;

(घ) सोवियत संघ द्वारा कितनी मात्रा में काफी खरीदी गई; और

(ङ) उन वर्षों के दौरान प्रति इकाई निर्यात शुल्क कितना था ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

	विवरण		
मद	1983	1984	1985
1. आन्तरिक बिक्री के रिलीज की गयी मात्रा (मे० टन में)	62770	57824	69100
2. घरेलू नीलामियों में मुख्य किस्मों के लिए प्राप्त मध्यमान औसत कीमतें (प्रति मे० टन रु० में) बागान "ए"	13665	15620	17025
ए आर० चेरी "ए बी"	11455	14830	14990
रो व० चेरी "ए बी"	11245	16635	14585
3. निर्यातों पर औसत इकाई मूल्य प्राप्ति (प्रति मे० टन रु०	21006	25898	23963
4. सोवियत रूस को निर्यात ग्रीन काफी (मे० टन में)	27000	18500	35000
5. कच्ची काफी के समतुल्य में परिवर्तित इन्सटेंट काफी (मे० टन में)	3942.3	3237.7	2639.3
6. प्रचलित प्रति मे० टन निर्यात शुल्क की दरें	रु० की दर से 5300	1.1.84 से 6.5.84 रु० की दर से 5300 7.5.84 से 8.10.84 रु० की दर से 6400 9 10.84 से 31.12.84 रु० की दर से 7200	1.1.85 28.4.85 रु० की दर से 7200 29.4.85 तक 9.6.85 रु० की दर से 5700 10.6.85 तक 1.8.85 रु० की दर से 4150 2.8.85 से 31.12.85 रु० की दर से 3000

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा खोलना

3850. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार-जनता को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में शाखा खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंक का पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में एक कार्यालय है और यह कार्यालय पश्चिम बंगाल के पूरे राज्य की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आना

3851. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में गत दो वर्षों के दौरान विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या भी कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य स्तर पर पर्यटन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) भारत में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को, जब भी उन्हें समय मिले, भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पिछले तीन वर्षों के

दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर) के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	संख्या
1983	884,731
1984	835,503
1985	836,908

(ख) इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विदेशी पर्यटक आगमनों में कमी का मुख्य कारण, भारत में वर्ष 1984 के उत्तरार्द्ध में और वर्ष 1985 के पूर्वार्द्ध के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का प्रतिकूल मीडिया कवरेज था।

(घ) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने हेतु मूल दृष्टिकोण केन्द्रीय व राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थानों और प्राइवेट उद्यमकर्त्ताओं के संसाधनों को संघटित करना है।

(ङ) स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के लिए और निम्न/माध्यम आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार-संरचना सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में की गई एक पहल के रूप में पर्यटक महत्व के विभिन्न स्थानों पर यात्री निवासों का निर्माण करने की एक स्कीम आरम्भ की गई है। राज्य पर्यटन निगमों को भी सस्ती एकमुश्त यात्राएं आयोजित करने के लिए कहा गया है और बहुत से निगम पहले ही ऐसी एकमुश्त यात्राओं का परिचालन कर रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगमों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

3852. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1985 में कितने मामले दर्ज किये गये थे;

(ख) कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया; और

(ग) इस समय कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 609

(ख) 42

(ग) 954 (31-1-1986 को)

भारतीय खाद्य निगम में तुला सेतु लगाना)

3853. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने देश में कितने तुला-सेतु लगाये हैं;

(ख) ये तुला-सेतु लगाने पर कितनी अनुमानित लागत आई है;

(ग) क्या सरकार को इनके लगाये जाने से कुछ धनराशि की बचत होने की आशा है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में कितने तुला-सेतु लगाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 28-2-1986 तक 257 तुला-सेतु लगाए गए हैं।

(ख) अब तक लगाए गए सभी तुला-सेतुओं का अनुमानित मूल्य 3 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) तुला-सेतु लगाने से स्टाक का 100% तौल सुनिश्चित होगा जिसके फलस्वरूप परिचालन सम्बन्धी हानियों पर प्रभावी नियन्त्रण होगा जिससे काफी बचत होगी। तथापि, इस सम्बन्ध में बचत की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में 17 तुला-सेतु लगाए जा चुके हैं।

कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय विपणन केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव

3854. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय विपणन केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस विपणन केन्द्र के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में पर्यटन का विकास

3855. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में पर्यटन के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान कर्नाटक में कौन-कौन सी पर्यटन योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन के लिए 700.00 लाख रु० निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें हैं—पर्यटक आवास का सृजन और पर्यटक गृहों की प्रबन्ध-व्यवस्था, क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय और सूचना केन्द्र खोलना, पर्यटक सांख्यिकीय कक्षों तथा पर्यटन प्रशिक्षण संस्थानों का सृजन, प्रचार सामग्री का प्रकाशन तथा प्रदर्शनियों का आयोजन, हम्पी का पुनरुत्थान, समुद्रतट विहार-स्थलों का विकास, खेल पर्यटन, राजमार्गों पर पर्यटक आधार-संरचनात्मक सुविधाओं और मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था, एक-मुश्त यात्राओं का आयोजन और पर्यटक परिवहन के लिए स्थल सुविधाओं का विकास।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा विदेशी मत्स्य नौकाओं का निरीक्षण

3856. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं कि हमारी बन्दरगाहों में विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं का निरीक्षण किया जाता है;

(ख) क्या विदेशी बन्दरगाहों के लिए उनकी रवानगी से पहले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनकी निरीक्षण करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है; और

(ग) विदेशी नौकाओं की अवैध गतिविधियां रोकने के हेतु समुचित और प्रभावी सुरक्षोपाय करने के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह बताया गया है

कि कृषि मन्त्रालय के एक निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विदेशी मत्स्य नौकाओं का निरीक्षण किया जाना होता है। पकड़ी गई मछलियों की समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की जाती है तथा उनके द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र के आधार पर निर्यात दस्तावेजों में की गई घोषणा की, विदेशी मत्स्य जलयानों के प्रस्थान करने से पूर्व सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। लेकिन सीमा शुल्क अधिकारी, तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के उपाय के रूप में जलयानों की याद्दच्छिक जांच करते हैं।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बैल्जियम के व्यापार शिष्टमण्डल की यात्रा

3857. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैल्जियम के व्यापार शिष्टमण्डल ने हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो व्यापार दल के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत हुई; और

(ग) बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बैल्जियम के विदेश व्यापार राज्य मन्त्री के नेतृत्व में ऊर्जा सम्बन्धी एक बैल्जियम मिशन ने 3-7 मार्च, 1986 को भारत का दौरा किया। मिशन का उद्देश्य भारत-बैल्जियम सहयोग के सम्भव क्षेत्रों तथा ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अन्तरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का था।

पंजाब में बैंकों को लूटना

3858. **श्री सोमनाथ रथ**
श्रीप्रकाश वी० पाटिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में स्थित बैंक प्राय: उग्रवादियों द्वारा लूट लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 से आज तक पंजाब में बैंकों की विभिन्न शाखाओं में अब तक कितनी धनराशि लूट ली गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी, 1985 से फरवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में हुई बैंक लूटपाट/डकैती और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा करने और उसमें सुधार करने के सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया गया था। दल की रिपोर्ट सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वियन के लिए भेजी गई थी। बैंक शाखाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अलार्म प्रणाली लगाने और जहां कहीं आवश्यक हो वहां उच्च प्राथमिकता के आधार पर सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात करने सहित पंजाब में अपनी शाखाओं में सुरक्षा प्रबन्ध मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फरवरी, 1985 और फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में हुई बैंक लूटपाट/डकैती और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि के सम्बन्ध में सूचना

क्रम सं०	बैंक और शाखा का नाम	घटना की तारीख	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
	1985		
1.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, सिख नेशनल कालेज, एक्सटेंशन काउंटर, डोवल	16-1-85	0.08
2.	न्यू बैंक आफ इण्डिया, मानकवहाड, जिला जालन्धर	12-2-85	0.11
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, जलालडीवाल जिला संगरूर	2-5-85	0.54
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट फ्रांसिस स्कूल, अमृतसर	11-6-85	0.10

1	2	3	4
5.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खिला कलां, जिला अमृतसर	21-6-85	0.14
6.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बंरुडी, जिला लुधियाना	5-7-85	0.27
7.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, भंगोवानी कुंजोर, जिला गुरदासपुर	15-10-85	0.10
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक, लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र	6-12-85	1.52
9.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ढंढार तहसील मोगा, जिला फरीदकोट	19-12-85	0.10
10.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, गोनैना, भटिंडा	22-12-85	2.90
	जोड़		5.86
		1986 (फरवरी, 1986 तक)	
1.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, भूचकलां जिला भटिण्डा	1-2-86	0.37
2.	न्यू बैंक आफ इंडिया, तरन तारन जिला अमृतसर	8-1-86	4.00
3.	पंजाब नेशनल बैंक, शाहपुर जजान, गुरदासपुर	30-1-86	0.36
4.	केनरा बैंक, बूटा मंडी, जिला जालन्धर	8-2-86	0.98
5.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नत्थूवाला पश्चिम जिला फरीदकोट	26-2-86	0.62
		कुल	6.33

(आंकड़े अनन्तिम)

गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग कम्पनियों के कार्यकरण पर नियन्त्रण

3859. श्री टी० बाल गौड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा धनराशि वाली कितनी गैर-सरकारी, गैर-बैंकिंग कम्पनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इन कम्पनियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) उक्त संस्थाओं के कार्यकरण पर नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कोई कम्पनियां जनता को धोखा दे रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा नागरिकों के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इन संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध एवं कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें

3860. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें किन-किन तारीखों से देय हुईं;

(ख) इन किश्तों की घोषणा करने और स्वीकृत करने की तारीखें क्या हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते की देय तारीख और उसे स्वीकृत करने की तारीख के बीच जीवन निर्वाह सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की निम्नलिखित किश्तें मंजूर की गई थीं :—

तारीख जिससे किश्तें देय हुई	तारीख जिसको महंगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी संबंधी आदेश जारी किये गये
1-5-1985	2-9-1985
1-8-1985 1-11-1985	15-1-1986
1-1-1986	28-2-1986

(ग) किश्त की देय तारीख तथा किश्त की मंजूरी की तारीख के बीच की अवधि के दौरान निर्वाह लागत सूचकांक में वृद्धि के सम्बन्ध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का स्तर जिस पर महंगाई भत्ता देय हो गया	उस तारीख को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का स्तर जब देय किश्त मंजूर की गई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि
594 (1-5-1985)	618	24 अंक
615 (1-8-1985)	630	15 अंक
625 (1-11-1985)	630	5 अंक
630 (1-1-1986)	फरवरी, 1986 के महीने का— उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी उपलब्ध नहीं है।	

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

3861. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्येक शाखा प्राप्त होने वाली आवेदनों की संख्या, उनको दी गई मंजूरी और उनके द्वारा वितरित की गई धनराशि के बारे में एक आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है;

(ख) क्या जिला प्रशासन को ऋण दिये जाने की प्रगति पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया है; और

(ग) क्या जन प्रतिनिधि ऋण दिए जाने सम्बन्धी पर्यवेक्षण से सम्बद्ध रहते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की

शाखाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृत, संवितरित तथा लम्बित आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट, अपने नियन्त्रक कार्यालयों तथा अग्रणी बैंक को भेजनी होती है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के सम्बन्ध में बैंकों को ये आंकड़े क्रमश: जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और जिला उद्योग केन्द्रों को भेजने होते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों की प्रगति पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और इसकी स्थायी समिति की समय-समय पर बैठकें होती हैं।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों के सहज प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के वास्ते राज्य सरकारों को खंड स्तर पर सदस्य के रूप में स्थानीय विधायकों की सलाहकार समितियां गठित करने का परामर्श दिया गया था। जिला स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति को वार्षिक कार्य आयोजना के अन्तर्गत ऋण प्रवाह की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत भूटिया, लेप्चा को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3862. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को यह मालूम है कि आदिवासी उप-योजना, जिसके अन्तर्गत भूटिया और लेप्चा समुदाय के आदिवासियों को राज सहायता प्राप्त दर पर गेहूं और चावल मिलता है, में केवल 50 प्रतिशत आदिवासी जनता लाभान्वित होती है; और

(ख) यदि हां, तो अधिसूचित (भूटिया लेप्चा) निर्वाचन क्षेत्रों में रहने रहने वाले आदिवासियों और बिखरे हुए गांवों में रहने वाले अन्य लोगों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए क्या रियायती प्रस्ताव हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की योजना फिलहाल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता तक ही सीमित रखी गई है। अन्य चल रही योजनाओं के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए लागू किया गया है और तरुणों, गर्भवती महिलाओं और धाय माताओं के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त समर्थन के रूप में लागू किया गया है।

लोह अयस्क के निर्यात मूल्य में वृद्धि

3863. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

लौह् अयस्क के निर्यात में मूल्य वृद्धि

(क) देश में लौह्-अयस्क का विक्रय मूल्य क्या है;

(ख) जापान और दूसरे देशों को लौह् अयस्क का निर्यात किस दर पर किया जाता है;

(ग) क्या परिवहन की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए लौह् अयस्क के निर्यात मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम सम्बन्धित क्षेत्रों के आधार पर घरेलू इस्पात संयंत्रों को 67.50 रु० से 99.00 रु० प्रति डी० एम० टी० कीमत पर लौह् अयस्क की सप्लाई करता है।

(ख) विभिन्न देशों को भारतीय लौह् अयस्क की निर्यात कीमतें निर्यात किए जाने वाले अयस्क के ग्रेड, आयातक देश में उतरने की कीमत के अनुसार प्रतियोगिता क्षमता, भारत में लदान पत्तन आदि के आधार पर अलग-अलग होती है। जापान को निर्यात के लिए 1985-86 के लिए एम०एम०टी०सी० की कीमतें बैलाडीला फाइन्स के लिए 26.23 अमरीकी सैंट और बैलाडीला लम्प्स के लिए 30.73 अमरीकी सैंट प्रति डी० एल० टी० एफ० ई०एफ०ओ० बी० के प्रति एक प्रतिशत है। जापान तथा अन्य देशों को निर्यात के लिए सभी अन्य ग्रेडों और क्षेत्रों के लौह् अयस्क की कीमतें आमतौर पर अन्य सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कीमतों से निकाली जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह् अयस्क की सप्लाई मांग से कहीं अधिक है। जिसके परिणामस्वरूप कड़ी प्रतियोगिता है और मंदी की कीमतें हैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए हमारी कीमतें ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रमुख उत्पादकों द्वारा आफर की गई कीमतों के अनुरूप होनी चाहिए।

नयी नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना

3864. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए एक नई नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ की जाएगी;

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन प्रमुख उत्पाद समूहों को शामिल किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) नई योजना की मुख्य विशेषता क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1986

(ग) नकद मुआवजा सहायता की नई योजना के अधीन कवर किये जाने वाले प्रमुख उत्पाद-समूह ये होंगे। इंजीनियरी माल, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, प्लास्टिक का माल, साधित खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, कृषि उत्पाद, चमड़े का माल, जूट का माल, खेल का सामान, हस्तशिल्प की वस्तुएं, वस्त्र आदि।

(घ) नकद मुआवजा सहायता की नई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) औद्योगिक उत्पादों के सम्बन्ध में, बिना लौटाए गए अप्रत्यक्ष करों की पुनः वापसी, नकद मुआवजा सहायता दरों को निर्धारित करने के लिए मुख्य घटक बनी रहेगी। तथापि, कराधान की प्रपाती संरचना को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(2) उत्पाद/विपणन विकास के लिए मुआवजा क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर केवल बहुत ही चयनात्मक ढंग से किया जाएगा।

(3) फल तथा सब्जियों जैसी कृषिगत मदों के सम्बन्ध में जो कि खराब हो जाती हैं, भारत के भीतर परिवहन की ऊंची लागत के लिए मुआवजे के एक विशेष तत्व की व्यवस्था की जाएगी।

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के सम्बन्ध में श्रम द्वारा मूल्यवर्धन नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक मुख्य घटक समझा जाएगा।

(5) नकद मुआवजा सहायता देने के सम्बन्ध में मूल्यवर्धन के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति न दिए जाने, अर्थात आर० ई० पी० हकदारी कम करके एफ० ओ० बी० प्राप्ति (पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत) का प्रतिबन्ध जारी रहेगा।

(6) भारत के भीतर कतिपय श्रेणियों की सप्लाइयों पर नकद मुआवजा सहायता देने की वर्तमान नीति, जिसमें उन्हें माने गए निर्यातों के रूप में लिया जाता है, जारी रहेगी।

[हिन्दी]

जिला उद्योग केन्द्र, संथाल परगना (बिहार) द्वारा स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए भेजे गए आवेदन पत्र

3865. श्री सलाउद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 तक गत तीन वर्षों के दौरान जिला उद्योग केन्द्र, संथाल परगना बिहार द्वारा स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए इस जिले में बैंकों की प्रत्येक शाखा के कितने मामले भेजे गए;

(ख) 31 दिसम्बर, 1985 तक इस प्रकार की सहायता कितने व्यक्तियों को दी गई तथा कितने व्यक्तियों को नहीं दी गई; और

(ग) सभी लोगों को सहायता कब तक दे दी जाएगी और इस बारे में ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत संथाल परगना जिले के जिला उद्योग केन्द्र ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में बैंकों को क्रमशः 2031 और 1517 आवेदनों की सिफारिश की थी। इनमें से बैंकों द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 में क्रमशः 491 और 598 आवेदन मंजूर किए गए वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में अभी सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक केवल उतने मामले मंजूर कर सकते हैं जितने मामलों का लक्ष्य उन्हें सौंपा गया हो। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जिला उद्योग केन्द्रों से यह कहा गया है कि वे योजना के अधीन बैंक शाखाओं के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य से 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन मंजूर न करें। बैंक शाखाओं को आवेदन प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण प्रस्तावों को निपटाना होता है। सहायता जारी करने का समय मुख्यतः ऋण की राशि से प्राप्त की जाने वाली परिसम्पत्तियों पर लगने वाले समय और कार्यचालन पूंजी की चरणबद्ध जरूरतों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

दंगों और उपद्रव पीड़ितों को बैंकों द्वारा सहायता

3866. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दंगों और उपद्रवों के पीड़ितों को राहत देने और उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1984-85 और 1985-86 के दौरान इस प्रकार के पीड़ितों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और उसका राज्यवार तथा जिलावार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां।

दंगों और उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को जो महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं : —

(1) अत्यावश्यक घरेलू सामान को बदलने के लिए प्रति परिवार 5000/- रुपये तक का ऋण मंजूर किया जा सकता है। इस ऋण पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है यह 3 से 5 वर्ष की अवधि में चुकाना होता है।

(2) हानि के अनुमान के आधार पर मकानों की मरम्मत या उन्हें फिर से बनाने के लिए अग्रिम मंजूर किए जाएंगे। इन अग्रिमों पर 12.5 प्रतिशत की रियायती दर से ब्याज लिया जाएगा।

(3) जिन ट्रक और परिवहन चालकों के वाहन उपद्रवों में नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें 12.5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिए जाएंगे।

(4) उन खुदरा व्यापारियों को भी ऋण दिये जाएंगे जिनकी दुकानें नष्ट हो गई हैं ताकि वे अपना कारोबार जारी रख सकें या फिर से शुरू कर सकें। इन ऋणों की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये हैं और इन पर 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ब्याज दिलाया जाएगा।

(5) क्षतिग्रस्त लघु एककों को 5 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा के नये अग्रिम दिये जाएंगे और इन पर 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ब्याज लिया जाएगा। ये ऋण 3 से 5 वर्ष की अवधि में चुकाने होंगे।

(6) 25 हजार रुपये तक के ऋणों के लिए मार्जिन राशि की शर्त नहीं होगी। 25 हजार रुपये से अधिक के अग्रिमों के मामले में, सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि को मार्जिन राशि मान लिया जाएगा। जिन मामलों में सरकार द्वारा कोई अनुदान/आर्थिक सहायता नहीं दी गई हो, उनमें ऋणकर्ता द्वारा नियमित आधार पर आमदनी शुरू होने के बाद धीरे-धीरे मार्जिन मनी एकत्र की जाएगी।

(ग) मार्च, 1985 और दिसम्बर 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार राज्यवार (सामूहिक) आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

दंगा पीड़ितों को मंजूर की गई राशि का राज्यवार विवरण

(राशि लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1985 के अन्त में कुल स्वीकृत राशि	दिसम्बर, 1985 के अन्त में कुल स्वीकृत राशि
गुजरात	4.09	—
दिल्ली	2962.04	3404.98
हिमाचल प्रदेश	29.88	45.27
पंजाब	—	39.00
पश्चिम बंगाल	115.64*	52.94**
राजस्थान	4.35	8.18
मध्य प्रदेश	613.50	732.75
उत्तर प्रदेश	759.32	829.61
बिहार	162.13	255.21
महाराष्ट्र	138.67***	60.88****
तमिलनाडु	9.74	—
जम्मू कश्मीर	—	18.68

* 16 बैंकों की सूचना के अनुसार

** 9 बैंकों की सूचना के अनुसार

*** 8 बैंकों की सूचना के अनुसार

**** कुछ बैंकों की सूचना के अनुसार

आंकड़े अनन्तिम हैं

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

"नान-मलबरि" सिल्क क्षेत्रों का विकास

3867. डा० टी० कल्पना देवी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सिल्क निर्माता संघ से सरकार को "नान-मलबरि" सिल्क क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/निर्णय लिया जा रहा है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भारी अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करके सिल्क में सुधार करने का है जिससे लोगों की आर्थिक दशा में सुधार किया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की छटनी

3868. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर योजना व्यय बचत के उपाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम के 6465 श्रमिकों की छटनी करने का निर्णय किया है, जैसाकि 3 मार्च, 1986 के "इकनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह आंकड़े स्वयं भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के बाद दिए गए;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा ही अध्ययन अपने मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो गैर योजना व्यय की अधिकतम बचत के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सरकार ने प्रमुख बन्दरगाहों पर कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के केवल विभागीय श्रमिकों की छटनी करने की स्वीकृति दी है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के आयात और निर्यात

विषयक परिचालनों में काफी कमी हो गई है। इससे लगभग 13 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी जिसे भारतीय खाद्य निगम इन श्रमिकों को बेकार मजदूरी का भुगतान करने पर व्यय कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) व्यय में कमी लाने की दृष्टि से दोनों विभागों अर्थात् खाद्य विभाग और नागरिक पूर्ति विभाग के लगभग 200 पदों को त्यागने के बारे में पता लगाया गया है।

हीरों के व्यापार पर छापों का प्रभाव

3869. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारियों द्वारा हाल में मारे गए छापों से हीरों का व्यापार जो इस समय पनप रहा है और जिससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और कामगारों को रोजगार मिलता है, बन्द हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या इस व्यवसाय में बही-खातों के मामले में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मार्ग निदेशों का पालन हो रहा है; और

(घ) क्या खाते रखने की नीरसता को दूर करने के लिए सरकार का विचार कम्प्यूटरों का इस्तेमाल आरम्भ करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) किए गए लेखा-बाह्य लेन-देन के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर हीरे के व्यापारियों के मामले में आयकर विभाग द्वारा तलाशियां ली गई हैं और आयोजित स्रोतों से प्राप्त केवल लेखा-बाह्य हीरे ही पकड़े गये हैं। तदनुसार आयकर की तलाशियों से हीरे के वास्तविक व्यापार पर कुप्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह बता पाना सम्भव नहीं है कि लेखा-पुस्तकें रखने के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का हीरे के व्यापारियों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं। परन्तु आयकर विभाग केवल उन मामलों में अभिग्रहण कार्रवाई कर रहा है जहां इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लेखा-पुस्तकें नहीं रखी गई हैं और/अथवा जहां पकड़े गये स्टाक को लेखा-पुस्तकों में दर्शाया नही गया है।

(घ) लेखा-पुस्तकें रखने की नीरसता को दूर करने के लिए आयकर विभाग चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरों का इस्तेमाल आरम्भ कर रहा है।

मशीनों के बीमा दावों की बही मूल्य से अधिक दी गई धनराशि पर आय-कर लगाना

3870. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनों के बही मूल्य से अधिक धनराशि के बीमा दावों के भुगतान के मामले में आयकर निर्धारण के लिए उस अतिरिक्त धनराशि को आय में शामिल किया जाता है;

(ख) क्या खरीद मूल्य से अधिक धनराशि के बीमा दावों के भुगतान के मामले में उस अतिरिक्त धनराशि पर आय-कर देय होता है अथवा पूंजी अभिलाभ कर देय होता है; और

(ग) प्योर ड्रिन्क्स, मोहन मीकिन्स कूल क्राउन्स और सी० जे० क्राउन्स के मामले में खरीद मूल्य से कितनी अधिक धनराशि के बीमा दावे किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकासशील और विकसित देशों के बारे में विश्व बैंक की नीति

3871. **डा० सुधीर राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कम विकसित देशों को मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करने की सलाह देता रहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक अमरीका आदि जैसे विकसित देशों को कोई सलाह देता है, जो वास्तव में कठोर प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों का अनुसरण करते हैं;

(ग) क्या भारत ने विश्व बैंक को विकासशील और विकसित देशों के बारे में समान नीति अपनाने की सलाह दी है अथवा देने का विचार किया है; और

(घ) क्या आयात के एक पक्षीय उदारीकरण की भारत की नीति का देश के प्रतिकूल व्यापार संतुलन में योगदान रहा है और कितना योगदान रहा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जहां तक भारत का संबंध है, विश्व बैंक के साथ अन्तः कार्यवाही बैंक के करार अनुच्छेदों और भारत की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों तथा प्राथमिकताओं के ढांचे के भीतर है। हमें उन नीति निर्धारणों के बारे में जानकारी नहीं है जो बैंक अन्य देशों के सम्बन्ध में कर रहा हो।

(घ) गत चार वित्तीय वर्षों के दौरान और सितम्बर, 1985 तक व्यापार घाटे अगले पृष्ठ पर दिये जा रहे हैं :—

वर्ष	करोड़ रु०
1981-82	5802
1982-83	5503
1983-84	5891
1984-85	5435
अप्रै-सित०, 85	4124

आयात नीति समग्र विदेशी मुद्रा स्थिति और अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। व्यापार घाटे का मुख्य कारण पैंट्रोलियम तथा पैंट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, खाद्य तेलों लोहा तथा इस्पात और चीनी जैसी बल्क मदों का आयात है।

[हिन्दी]

शोध कार्य के लिए बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची को आयकर में छूट

3872. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओरियेन्ट पेपर मिल्स, ब्रजराज नगर (उड़ीसा), ओरियेन्ट पेपर मिल्स, अम्बालाई (मध्य प्रदेश), हिन्दुस्तान मोटर्स, उत्तर पाड़ा (पश्चिम बंगाल) को शोध कार्य पर खर्च की जा रही धन-राशि पर आयकर में छूट मिल रही है;

(ख) क्या बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची को शोध कार्य के नाम पर आयकर में छूट दी गई है;

(ग) क्या बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा ने अपने वार्षिक बजट में न-तो इस संबंध में व्यय की गई राशि का उल्लेख किया और न ही उन्होंने ऐसा कोई शोध कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संबंधित शोध कार्य का पूर्ण ब्यौरा देते हुए आयकर में छूट देने के मामलों के संबंध में कोई उच्च स्तरीय जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

1984-85 और 1985-86 में पर्यटन के विकास के लिए नई परियोजनाएं

3873. **श्री सी० पी० ठाकुर :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनायें प्रारम्भ की गईं और 1985-86 में कौन-कौन सी प्रारंभ की जायेंगी; और

(ख) क्या बिहार सरकार से प्राप्त कोई परियोजना इस सूची में शामिल की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले प्रयासों को शामिल करते हुए, पर्यटन सुविधाओं का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। विभाग, परियोजना की संभाव्यता, राशियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही परियोजनाओं को हाथ में लेता है। 1984-85 के दौरान विभाग ने 45 केन्द्रीय स्कीमों के लिए राशियां रिलीज की हैं, जिनमें तीन परियोजनाएं बिहार के अन्तर्गत हैं। 1985-86 के दौरान विभाग ने अब तक 65 परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं जिनमें से दो परियोजनाएं बिहार में हैं।

न्यायालयों में आयकर, उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

3874. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क के छापों तथा जांच के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मामलों में सजा हो जाती है परन्तु दूसरी ओर आयकर के छापे निरर्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि इनसे प्रायः मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और इस बात के ठोस सबूत के अभाव में कि संदिग्ध व्यक्ति ने जानबूझ कर सरकार को धोखा देने की कोशिश की थी, न्यायालय आपराधिक दोष सिद्धि के विरुद्ध फैसला दे देते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निबटने का विचार है;

(ग) आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि के कितने मामले न्यायालयों में अटके पड़े हैं और कब से अटके पड़े हैं तथा उन्हें शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या विशेष आयकर न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जहां तक संभव है, सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों के आवासों पर छापे

3875. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बम्बई में आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर हाल ही में छापे मारे हैं जैसा कि दिनांक 20 फरवरी, 1986 के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिनके परिसरों पर छापे मारे गये और छापे के दौरान पकड़े गये आपत्तिजनक दस्तावेजों और सावधि जमा रसीदों का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन मामलों की जांच चल रही है।

विवरण

क्रम सं०	केस नं० एवं तारीख	अभियुक्त का नाम	संक्षिप्त में आरोप	प्रति प्राप्तियों का ब्यौरा/ तलाशियों का परिणाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आर० सी० 54/85 बम्बई दिनांक31-10-85	1. श्री पी० जी० मनशानी (सेवा निवृत्त) 2. श्री एच० आर. चसवाल 3. श्रीमती पी०एल०रोबेलो 4. श्री ए० वी० राममूर्ति संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के कार्यालय में नियंत्रक	अभियुक्त अधिकारियों ने सम्बद्ध दस्तावेजों को बिना निर्दिष्ट किए जिसके कारण वे ही जानते हैं, पैरा 138 के अधीन आयात लाइसेंसों को मैकेनीकली पृष्ठांकित किया था और बम्बई में कुछ पार्टियों को आर्थिकलाभ (अनुचित) पहुंचाया।	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के अधिकारियों के घरों की फरवरी, 86 में तलाशियां ली गईं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है : ए-1 कुछ अभिशासी दस्तावेजों को जब्त किया गया। ए-1 बैंक में नकद—1,50,000 रुपये नकद प्राप्त—20,000 रुपये वी० सी० आर०, टी०वी० मूल्य—400 रुपये	मामले की जांच पड़ताल प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
				ए-3 घरेलू सामान मूल्य—38,468 रुपये सोने के आभूषण — 13.7 ग्राम एफ० डी० आर० 40,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र—1,400 रुपये बैंक में नकद—6,000 रुपये 1966 में दो फ्लैट्स खरीदे 20,000 रुपये	
				ए-4 नकद प्राप्त — 4,000 रुपये बैंक में नकद—1,500 रुपये फिएट कार —20,000 रुपये स्कूटर एम० एम० एम०—7335	
2.	आर०सी०-15/86 बम्बई दिनांक 14-2-86	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (बम्बई) में श्री के० एम० बालकृष्णन, नियंत्रक	अभियुक्त ने सम्बद्ध दस्तावेजों को बिना निर्दिष्ट किए जिसके कारण वे ही जानते हैं पैरा 138 के अधीन आयात लाइसेंसों को मैकेनीकली पृष्ठांकित किया था और आर्थिक लाभ प्राप्त किया (बम्बई में कुछ पार्टियों को अनुचित लाभ)	ए-1 राष्ट्रीय बचत—42,000 रुपये एफ० डी० आर०—5000 रुपये बैंक में नकद—58,900 रुपये नकद प्राप्त—38.50 रुपये फ्लैट—42,000 रुपये घरेलू सामान—69,700 रुपये शेयर—86,430 रुपये सोने के आभूषण—40,000 रुपये	मामले की जांच चल रही है।

हरियाणा में आटा मिलों की स्थापना

3876. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में आठा मिलों की स्थापना के लिए दिसम्बर, 1985 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है।

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) मई, 1980 से केन्द्रीय सरकार की सामान्य नीति नई रोलर फ्लोर मिलों को स्थापित करने की अनुमति न देने की रही है। तथापि, देश में गेहूं की वर्तमान सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त नीति की समीक्षा की गई है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 30 मीटरी टन प्रतिदिन तक की क्षमता के सीमित संख्या में नए यूनिट स्थापित करने की इजाजत देने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने के लिए उद्यमियों से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उन पर आगे विचार करने के लिए उन्हें 30-4-1986 से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेज दें हरियाणा में नए यूनिट स्थापित करने के लिए 26-12-1985 से पूर्व प्राप्त हुए अनुरोधों को उस समय लागू नीति के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया था। अब प्राप्त हो रहे आवेदन-पत्रों पर 30 अप्रैल, 1986 के पश्चात् विचार किया जाएगा।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चावल पर दी गई राज सहायता

3877. श्री ब्रज मोहन महंती : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल के वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को चावल पर कितनी राशि की राज सहायता दी गई;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 2 रुपए प्रति कि० ग्रा० की दर पर बेचे गए चावल पर केन्द्रीय सरकार कितनी राजसहायता दी और राज्य ने कितना अंशदान किया;

(ग) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में 2 रुपए प्रति कि० ग्राम की दर पर चावल की बिक्री की राज सहायता प्राप्त योजना की जांच की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या 2 रुपए प्रति कि०ग्रा० की दर पर चावल बेचने की आन्ध्र प्रदेश की योजना सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमे 1985-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से राज्यवार, चावल के उठान और उस पर दी गई उपभोक्ता राजसहायता की राशि का ब्योरा दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1985-86 में 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे गए चावल पर उनकी राजसहायता 176.64 करोड़ रुपए के आसपास होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1985-86 (अप्रैल 1985 से जनवरी 1986) के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल के उठान और उस पर दी गई राजसहायता की राशि

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	उठाई गई मात्रा* (मीटरी टन में)	राजसहायता* (करोड़ रुपये में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	8,62,000	68
असम	2,65,000	21
बिहार	21,000	2
गुजरात	91,000	7
हरियाणा	8,000	1
हिमाचल प्रदेश	35,000	3
जम्मू तथा कश्मीर	79,000	6
कर्नाटक	3,54,000	28
केरल	11,98,000	94
मध्य प्रदेश	1,82,000	14
महाराष्ट्र	3,24,000	26

1	2	3
मणिपुर	21,000	2
मेघालय	74,000	6
नागालैण्ड	40,000	3
उड़ीसा	61,000	5
पंजाब	2,000	0.2
राजस्थान	6,000	0.5
सिक्किम	25,000	2
तमिलनाडु	3,77,000	30
त्रिपुरा	76,000	6
उत्तर प्रदेश	,46,000	12
पश्चिमी बंगाल	6,02,000	47
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमह	7,000	1
चण्डीगढ़	3,000	0.2
अरुणाचल प्रदेश	33,000	3
दादर तथा नगर हवेली	300	0.02
दिल्ली	1,?1,000	10
गोआ, दमन और दीव	30,000	2
मिजोरम	50,000	4
पांडिचेरी	8, 00	1

*आंकड़े अनन्तिम और अनुमानित हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के खाद्यान्नों पर राज-सहायता

3878. **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को खाद्यान्नों पर सहायता के रूप में लगभग एक सौ करोड़ रुपए दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो राजसहायता की उक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है जैसाकि उन्होंने हाल ही में हैदराबाद में बताया है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुल मिलाकर कितनी साड़ियां और धोतियां सप्लाई की गईं और केन्द्र कितनी राजसहायता दे रहा है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल के वितरण पर ऐसी राजसहायता के आंकड़े क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) पंचांग वर्ष 1985 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश द्वारा अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के माध्यम से वितरित करने के लिए केन्द्रीय पूल से केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर 9.78 लाख मीटरी टन चावल और 3.75 लाख मीटरी टन गेहूं का उठान किया गया था। चावल पर लगभग 77 करोड़ रुपये और गेहूं पर लगभग 25.5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राजसहायता थी।

(ग) और (घ) ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं।

सम्पत्ति की बिक्री के प्रयोजन के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

3879. डा० के० जी० अदियोडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50,000/-रुपए तक के मूल्य की भू-सम्पत्ति के विक्रेता को बिक्री नामे के पंजीयन के लिए पंजीयन प्राधिकारी को आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पंजीयन प्राधिकारी को आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से बचने और स्टाम्प फीस और पंजीकरण शुल्क से बचने के लिए सम्पत्ति का बिक्री मूल्य 50,000/-रुपए से कम दिखाया जाता है, यद्यपि वास्तविक बिक्री इससे बहुत अधिक मूल्य पर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 50,000/-रुपये की सीमा को बढ़ा कर कम से कम एक लाख रुपए करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्टाम्प फीस और पंजीकरण शुल्क की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग के पास अनुभवाश्रित साक्ष्य के रूप में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे आयकर अधिनियम की धारा 230 क के अन्तर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता और स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस के अपवंचन के बीच कोई सम्बन्ध सिद्ध किया जा सके। फिर भी, छोटे अचल सम्पत्ति धारकों को सम्भावित कठिनाई से बचाने के लिए तथा कार्यभार का प्रबन्ध प्रभावी रूप से करने के लिए यह आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष आयकर अदायगी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित सीमा हो।

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 230 क के अन्तर्गत विद्यमान सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(घ; भू-सम्पत्ति की बिक्री से संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क लगाना, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-II की प्रविष्टि 63 के अन्तर्गत राज्य का विषय है। स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्यों को सौंपा गया है, जो उसे वसूल करते हैं तथा ऐसे शुल्क से होने वाली आय को अपने पास रखते हैं। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जाता है। अत: यह सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है कि वह स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस के अपवंचन को रोकने के संबंध में उपचारी कार्रवाई करे।

भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल खरीदने की अनुमति देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

3880. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 27 लाख टन चावल खरीदने तथा 22 लाख टन चावल राज्य सरकार को राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को राजसहायता प्राप्त दर पर चावल सप्लाई करने हेतु प्रयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्तावों को सहमति प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान उत्पादन के संदर्भ में, चावल की खपत करने वाले राज्य में इतनी भारी मात्रा में वसूली करना क्षेत्र की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक नहीं होगा।

सिक्कों की जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही

3881. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सिक्कों की जमाखोरी करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मुख्य मंत्रियों को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि सिक्कों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनका आयात करने सहित पर्याप्त कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने अपने पत्र में क्या अन्य मुद्दे उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पत्र में उठाए गए अन्य मुद्दे ये थे :—

(i) सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम जैसे कि टकसालों में प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ करना, काम के घण्टों में वृद्धि, कलकत्ता टकसाल आदि में दूसरी पारी का आरंभ आदि और।

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में नई टकसाल की स्थापना के लिए उठाए जा रहे कदम।

[हिन्दी]

सिंथेटिक यार्न उद्योग को राहत

3882. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिंथेटिक यार्न उद्योग को 133 करोड़ रु० की राहत दी थी परन्तु यह राहत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) अगस्त, 1985 में वस्त्र उद्योग को दी गई राहतों के सम्बन्ध में, सुलभ कपड़ा योजना के अन्तर्गत कम कीमत वाला

कपड़ा बनाने वाली एन० टी० सी० मिलों ने शुल्क रियायतों के लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। शुल्क राहतों से कतिपय वस्त्र मदों की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ा है और 1985-86 के दौरान वस्त्रों की कीमत स्थिति आम तौर पर सन्तोषजनक रही है। तथापि, कतिपय क्षेत्रों में लाभों को पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं तक न पहुंचाए जाने की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसे मैंने आज अखबार में देखा है और मैंने एक नोटिस भी भेजा है। सदन में आपके द्वारा की गई एक निरापद टिप्पणी पर प्रैस ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह सदन सर्वोच्च है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिल गया है।

12.00 मध्याह्न

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे निवेदन कर लेने दीजिए। उसके बाद आप उसे उठा सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने से पूर्व उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हर कोई प्रैस की स्वतंत्रता का सम्मान करता है किन्तु महोदय, सदन की सर्वोच्चता··· (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। लेकिन उन्नीकृष्णन जी का नोटिस मैंने देखा है। प्रो० तिवारी, क्या आपने भी नोटिस दिया है ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपने पहले मेरा नाम पुकारा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, उन्होंने नोटिस दिया है। वह मुझे मिला है। उन्हें पूछने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा था कि क्या आपने भी विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

प्रो० के० के० तिवारी : नियमों और संविधान के अन्तर्गत आपकी टिप्पणी को चुनौती नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : लगता है उन्होंने भी दिया है। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा निवेदन है कि सदन के नियमों तथा संविधान के अन्तर्गत, आपके द्वारा की गई टिप्पणी की सदन के बाहर चर्चा नहीं की जा सकती। उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। हम सब प्रैस का सम्मान करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय को हंसी का पात्र बनाने और उनकी निंदा करने सम्बन्धी प्रश्न पर हमेशा के लिए निर्णय कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने सुन लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हर बात की एक हद होती है। अब आपने बात पूरी कर ली है।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने मेरे लिए क्या सीमा निर्धारित की है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सदन की कार्यवाही के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है···मेरे पास कौल और शकधर लिखित पुस्तक है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं···

प्रो० के० के० तिवारी : इसपर इससे बेहतर किताबें हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब आप लिखेंगे तो हम उसका उल्लेख कर देंगे।

17-3-1960 को लोक सभा में एक विनिर्णय दिया गया था कि जहां तक अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये जाने वाले विनिर्णयों का संबंध है, उन पर प्रेस या सार्वजनिक तौर पर विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता। आज प्रेस ने सूचित किया है कि आप सौभाग्य से प्रेस ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर चुके हैं कि आपका उनके साथ कोई विद्वेष नहीं है। महोदय, आपने यह कहा है और इसके परिणामस्वरूप प्रेस ने यह स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। मेरा तर्क है कि अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों के संबंध में लिए गए निर्णयों, विनिर्णयों के अनुसार जहां तक स्पष्टीकरण का संबंध है, स्पष्टीकरण सदन के बाहर नहीं दिए जाने चाहिए वे सदन के अंग होने चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि पूर्व दृष्टांत की अपेक्षा के अनुरूप आपको इस सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और आपका स्पष्टीकरण लोक सभा के अभिलेखों का अनिवार्य अंग बन जाएगा। आपने निर्णय सदन में दिया था इसलिए स्पष्टीकरण भी सदन में दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण अध्यक्ष के कक्ष में नहीं बल्कि सदस्यों के इस कक्ष में दिया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है।

महोदय, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : कक्ष सदन का एक अंग होता है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया स्पष्ट करिये कि आपका कक्ष इस कक्ष का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने एक नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे मिल गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : दिल्ली प्रेस ऐसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनन्त रमण, सचिव श्री सुभाष किरपेकर, तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए ··· जिन्होंने सम्भवतः कल एक असाधारण संकल्प पारित किया है और इस संकल्प ने आपके पद का न केवल मजाक उड़ाया है और उसको बेइज्जत किया है बल्कि इसने हमारे संविधानात्मक प्रजातंत्र के आधार को चुनौती दी है। मुझे हैरानी है कि कुछ परिचालित किया गया है। मुझे नहीं मालूम, यह लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रेस को एक ऐसा प्रलेख है जिसके लेखक का पता नहीं, जिस पर हस्ताक्षर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण भी आ गया है। हुआ यह कि लोक सभा सचिवालय के नाम से इस संकल्प का एक उत्तर परिचालित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस प्रलेख पर हस्ताक्षर नहीं हैं। मुद्दा यह है। यह असाधारण परिस्थिति है क्योंकि यह प्रलेख···

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अगर यह सही है तो जो इसके लिए उत्तरदायी है उससे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। मैंने आपको अलग से लिखा है। अच्छा होगा यदि आप इन प्रश्नों को स्पष्ट करेंगे :—

(1) उस विशेषाधिकार प्रस्ताव को जिसके बारे में मैंने नोटिस भेजा है।

अपने सांसद जीवन में इतनी अधिक उत्तेजित करने वाली बात मैंने पहली बार देखी है और इस तरह का बिना हस्ताक्षर का दस्तावेज जोकि प्रेस को परिचालित कर दिया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं इसे पढ़ूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : ······के लिए यह नितांत सही है। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह रहा प्रलेख। मैं इसे पढ़ता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने क्योंकि नियमों के अन्तर्गत टिप्पणियां की हैं···

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिए।

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसे करने का यह कोई तरीका नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने नियमों के अन्तर्गत टिप्पणियां की हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप किसी को स्पष्टीकरण दें, भले ही वह प्रैस या कोई और।

प्रो० मधु दण्डवते : यह गलत जगह पर सही स्पष्टीकरण है। यह स्पष्टीकरण यहां दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। अब, आप मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं है। कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। कोई नहीं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किसने इसे जारी किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। मैंने आप दोनों की बात सुनी है। अब, आप मेरी बात भी सुनिये। मैंने आप दोनों की बात सुनी है प्रो० साहब की भी बात सुनी है!

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पूर्व दृष्टांत उद्धृत किया है!

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है!

जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यक्ष होने के कारण, मेरे पास प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है और जब कोई माननीय सदस्य या जनता या प्रेस के लोग भी मेरे पास आते हैं तो मुझे उनसे मिलना पड़ता है और मुझे उनसे मिलना भी चाहिए। जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है, यह उसका एक अंग है। यहां यह चैम्बर है। परन्तु यह आपके चैम्बर का एक अभिन्न अंग है।

प्रो० मधु दंडवते : हम आपके चैम्बर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। हमें इसे यहां उठाना है। (व्यवधान) प्रो० रंगा आपको गलत समझकर आपके चैम्बर में व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए पहुंच जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा था, प्रो० साहब। चैम्बर यही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने स्पष्ट किया है। यही मैंने कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : हम आपके कक्ष में चाय पी सकते हैं। क्या हम इस कक्ष में भी पी सकते है? हम नहीं पी सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कुछ मर्यादाएं बनी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा है। मैं इस विषय पर आपसे असहमत नहीं हूं। क्या मैं था ? मैं नहीं था।

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० रंगा को एक गलतफहमी हो गई है। वह संविधान सभा के एक संस्थापक सदस्य हैं। उन्हें इसे गलत नहीं समझना चाहिए।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने भी भगत को बोलने की अनुमति दे दी है।

प्रो० मधु दंडवते : आपका व्यवस्था का कौन-सा प्रश्न है ?

श्री एच० के० एल० भगत : आपने जो कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के सभी माननीय सदस्यो से एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं। आपने सभा में कुछ कहा और आपने अपना निर्णय दे दिया और आपके निर्णय को निश्चित ही चुनौती नहीं दी जा सकती। परन्तु प्रैस के दिमाग में कुछ भावनाओं का विकास हुआ। उन्होंने आपके ध्यान में उन्हें लाया। आपके प्रैस से मिलने तथा उनकी बात सुनने तथा उनसे बात करने और उनसे जो आप कहना चाहते हैं कहने में मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। यह एक अच्छी बात है। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। मेरी बात में व्यवधान न डालें। मैंने अपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह सभा के बाहर हुआ है।

श्री एच० के० एल० भगत : थोड़ा इन्तजार करिये। आप वाद-विवाद कर सकते हैं। मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजित मत होईये। कोई बात नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह बिल्कुल ठीक बात है। उनसे मिलने में, कोई खराब बात नहीं है। (व्यवधान) मधुजी, मेरी बात में व्यवधान डालेंगे, मुझे आपसे यह आशा नहीं है। मैंने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला। मुझे उत्तेजित मत करिये।

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजित मत होइये।

श्री एच० के० एल० भगत : जो मैं कह रहा हूं, गोया मामला पहले ही साफ हो चुका है। मैं नहीं समझता कि कोई और सफाई देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अपने कक्ष में किसी से भी मिलने के लिए स्वतन्त्रत हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मेरी बात सुनिये। मैं खड़ा हो गया हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? कोई समस्या नहीं है। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहते बल्कि समस्या को हल करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे हल करने दीजिए। कोई समस्या नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कृपा की है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : स्पष्टीकरण को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर ध्यान दीजिये। मैं कुछ कह रहा हूं। आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ? आप अनावश्यक ही व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

श्री एच० के० एल० भगत : जो विवाद समाप्त हो गया है वह इसे फिर से उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

प्रो० मधु दंडवते : आप नाराज क्यों हो रहे हैं ? अन्यथा आप तो बहुत ही मधुर व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अच्छी नियत के साथ उठाया गया था। प्रत्येक बात सभा में कही गई है और आपके बीच में बोलने पर, मैंने कहा था कि, प्रैस हममें से एक है। मेरे दिमाग में किसी भी समय इसे बदनाम करने की बात नहीं थी। बिल्कुल कोई बात नहीं थी। यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए था। परन्तु यह एक प्रश्न था, कभी-कभी व्यक्ति शान्तिपूर्ण वातावरण में अध्ययन नहीं करते, जैसा कि भगत जो कह रहे थे, "मुझे उत्तेजित करने का प्रयास न करें।" यह बात है। हम सभी मनुष्य हैं। हम समय के साथ बह जाते हैं। कुछ भी नहीं था। प्रैस और हमें — साथ-साथ काम करना है। हम हमेशा ऐसे ही करते रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए। कई बार कितनी ही बातें कही गई हैं और हमने हर बात को अनदेखा किया है। कोई भी प्रश्न नहीं है। परन्तु जब लोग मेरे पास आते हैं तो स्वाभाविक ही मुझे उनसे मिलना पड़ता है। ये माननीय सदस्य हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं और जब उन्हें कुछ कहना होता है तो वे आते हैं और मुझे उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे बात करके हर बात को स्पष्ट करता हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जो कुछ आपने स्पष्टीकरण किया है, कृपया उसे यहां स्पष्ट कीजिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये। जो फायदा प्रैस के मित्रों को हुआ है, हमें भी वह फायदा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ था उसे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे आपके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। आपका अपना परम अधिकार है। आप इस सभा के अधिकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्नी जी यही मैं कह रहा हूं। आपकी सर्वोच्चता तथा सभा की सर्वोच्चता को कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती। आप सर्वोच्च हैं और आपकी सर्वोच्चता को बरकरार रखना होगा। इसे बरकरार रखना मेरा कार्य है। मैं इसे कायम रखूंगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम अपनी परिस्थिति में अपने को उच्च एवं स्तर पर कायम रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिल में किसी के प्रति कोई वैर-भाव नही है। किसी भी प्रकार का नहीं। हम सिर्फ कतिपय तथ्यों को देखते हैं और अगर उनको उचित दृष्टि से न लिया जाये तो उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : वे आपको धौंस दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : धौंस देने की कोई बात नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे एक बात कहनी है। हमें प्रसन्नता है कि आपने यह सही दृष्टिकोण लिया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए अर्थात् कल के निर्णय में केवल श्री जितेन्द्र प्रसाद के मामले का जिक्र था और प्रैस पर कोई आम आक्षेप नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इसे पढ़ा है और मैं कहता हूं कि जो आपने प्रैस को स्पष्ट किया था उसे यहां भी स्पष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय में सब कुछ है। आप इसे पढ़ें और आपको यह मिलेगा। मुझे इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : दस्तावेज का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं मेरे कार्यालय के किसी व्यक्ति ने कोई दस्तावेज परिचा-

लित नहीं किया है। नहीं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम संतुष्ट हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या हम यह माने कि चैम्बर में दिया गया स्पष्टीकरण सरकारी तौर पर दिया गया स्पष्टीकरण है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यहां जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है। मैंने जो कुछ कहा है, वह मेरा रिकार्ड है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० जयपाल रेड्डी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आप मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए। **(व्यवधान)**

12.15 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, बम्बई के वर्ष 1984-85 तथा ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काऊंसिल आफ इंडिया, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वर्ष 1986-87 की वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वाणिज्य और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ पैकेजिंग, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ पैकेजिंग, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2306/86]

[श्री पी० शिव शंकर]

(2) (एक) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2307/86]

(4) वर्ष 1986-87 की वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2308/86]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : चूंकि हम रामस्वरूप मामले के बारे में चर्चा करने में असफल रहे हैं, इस कारण बहुत-सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनका अभी-अभी सभा में जिक्र किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : पुन: यही बात कही जा रही है। इसकी अनुमति नहीं है। यह असंगत है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं असहाय हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मैं कुछ स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूं। यह मेरा विनिर्णय है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आप इस बारे में क्यों नहीं बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप बार-बार यही बात पूछते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सज्जन जो कुछ भी कहें, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस सभा के एक माननीय सदस्य, श्री नारायण चौबे अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आप कृपया श्री चौबे का ध्यान रखिए। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष यह मामले रखें ताकि इस हड़ताल का मामला समाप्त किया जा सके···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह विषय कार्यसूची में शामिल नहीं है।'' ''संगत मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2309/86]

श्री शरत देब (केन्द्रपाड़ा) : आप समाचार के मामले के बारे में पहले ही अपना विनिर्णय दे चुके हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप यदि कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे लिखित में दीजिए।

श्री शरत देब : मैं एक बात और कहना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री शरत देब : आपने जो भी टिप्पणियां दी हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, जीवन बीमा निगम के अधीन अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 490(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय पैकेज चाय, चाय की थैलियों, इंस्टैंट चाय और इंस्टैंट कॉफी के सम्बन्ध में इस शर्त के अध्यधीन उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें प्रदान करना है कि यथास्थिति, खुली चाय अथवा संसाधित कॉफी, जिनसे ये तैयार की जाती हैं, पर उत्पाद-शुल्क पहले ही अदा कर दिया गया हो।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० —2310/86]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० (302), जो 18 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 अप्रैल, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 357(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा०का०नि० 303(अ), जो 18 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 अक्तूबर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 794(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2311/86]

*कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

(4) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए/देखिए संख्या एल० टी० — 2312/86]

12.16 म०प०

विधेयक पर अनुमति

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1986 सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति देने सम्बन्धी समिति ने सभा में 20 मार्च, 1986 को रखे गए अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्न-लिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए :—

(1) श्रीमती इंदुमती भट्टाचार्य—7 से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(2) श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली — 18 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(3) श्री चरण सिंह—20 फरवरी से 18 अप्रैल, 1986 (पांचवां सत्र)।

(4) डा० जी० एस० ढिल्लो—20 फरवरी से 14 मार्च, 1986 (पांचवां सत्र)।

(5) श्री बी०वी० देसाई— 20 फरवरी से 18 अप्रैल, 1986 (पांचवां सत्र)।

(6) श्री भरत कुमार एस० ओडेदरा—3 मार्च से 31 मार्च, 1986 (पांचवां सत्र)।

(7) श्री बी० बी० रमैया—25 फरवरी से 24 अप्रैल, 1986 (पांचवां सत्र)।

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश को मानने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तद्नुसार सूचना दे दी जाएगी।

12.17 म०प०

लोक लेखा समिति

28वां प्रतिवेदन और 30वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संग्रह की गई राशि के प्रेषण में हुए विलम्ब के बारे में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 198 -82 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के पैरा 33 के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(2) मध्य रेलवे—दिवा और बसई रोड स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन के निर्माण तथा पूर्वोत्तर रेलवे—समस्तीपुर से दरभंगा तक लाइन का गेज बदलने के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (सातवीं) लोक सभा पर की गई कार्यवाही के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देव, यह असंगत हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : मैं रामस्वरूप के मामले के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं

उड़ीसा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप चेम्बर में आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। यहां उड़ीसा के बारे में नहीं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो आप अपना प्रस्ताव वापस लें। यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां उड़ीसा सरकार नहीं है। इसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती। इसकी चर्चा उस सभा में की जा सकती है।

अब नियम 377 के अधीन मामले।

12.18 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में महाराजपुर स्टेशन से मांडला जिले तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

श्री मोहनलाल झिकराम (मंडला) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन लोक महत्व का निम्नलिखित विषय मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं :

मध्य प्रान्त का मंडला जिला आवागमन की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। उसमें एक भी राज-मार्ग नहीं है। ब्रिटिश शासन काल में नैनपुर से जो दक्षिणी पूर्वी छोटी लाइन का प्रमुख जंक्शन है, मंडला फोर्ट तक रेलवे लाइन लाने का प्रावधान था, किन्तु अन्तिम स्टेशन मंडला फोर्ट पर न बनाकर नर्मदा नदी के उस ओर महाराजपुर में बनाया गया है, जो सभी दृष्टि से अनुपयुक्त है। इस बाबत मैंने आवेदन भी किया था कि इस रेलवे लाइन को महाराजपुर से आगे मंडला फोर्ट तक किया जावे जैसाकि रिकार्ड में है और टिकटें आदि आज भी मंडला फोर्ट के नाम से बनाई जाती हैं पर उसका सर्वे नर्मदा नदी के उस पार तक ही किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान नर्मदा नदी पर पुल बनाने का था, उसे छोड़ दिया गया है ।

[श्री मोहनलाल झिकराम]

महोदय, अंग्रेजों ने अपने कार्यकाल में इसे जानबूझ कर छोड़ दिया होगा, यह बात तो समझ में आती है क्योंकि वे विदेशी थे, उनको यहां राज्य करना था। जनहित और जनसेवा से उन्हें कोई लगाव नहीं था पर अब अपनी सरकार जो पिछड़े एवं अविकसित जिलों के विकास के लिए कृतसंकल्पित है, वह भी विगत 38 वर्षों से इस दिशा में सक्रिय नहीं जान पड़ती है।

अतः मेरा निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देते हुए महाराजपुर स्टेशन से मंडला फोर्ट तक रेलवे लाइन जो 5 किलोमीटर है, प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की कृपा करेंगे। यह जनहित में नितांत आवश्यक है।

(दो) राजस्थान के चुरू जिले के सूखा-पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत देने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र चुरू जो राजस्थान का रेगिस्तानी जिला है उसकी तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पिछले 10 वर्षों में आठ वर्ष अकाल पड़ने से किसान टूट चुका है। पानी व चारे के अभाव में पशुधन नष्ट होता जा रहा है। कमजोर वर्ग की क्रय शक्ति टूट गई है। राशन की दूकानें अपनी भूमिका निर्णायक रूप से नहीं निभा रही हैं। जिले की जनसंख्या पन्द्रह लाख के करीब है। वहां केवल अठारह हजार लोगों को अकाल राहत कार्य करने का अवसर मिल रहा है जो बहुत ही कम है। सरकार से मैं अपील करूंगा कि कम से कम एक लाख गरीब लोगों को अकाल राहत कार्य उपलब्ध कराया जावे। इसके लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य चालू कराये जावें जिससे पिछड़े क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हो सकेगी। पीने का पानी बिलकुल नहीं है, इसके अभाव में लोग अपने पशुधन को लेकर गांव छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जावे। मेरे क्षेत्र में ज्यादा ट्यूबवेल तैयार करवाए जा सकें, इसके लिए ट्यूबवेल खोदने की मशीन उपलब्ध कराई जावे।

(तीन) खलीलाबाद स्थित आनन्द शुगर मिल्स का प्रबन्ध सरकार द्वारा हाथ में लेने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, इस समय सम्पूर्ण देश में इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि बहुत से उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं अथवा उनका ज्यादा दिन तक चलाया जाना सम्भव नहीं है या कुछ उद्योग पूर्णरूपेण बन्द हो गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से बीमार उद्योगों पर दृष्टि रखने के लिए, उनके सुधार के लिए अथवा उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए एक विधेयक सदन में विचाराधीन है और जिसके पास हो जाने के बावजूद कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं शासन का ध्यान उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के खलीलाबाद स्थित आनन्द शुगर मिल की ओर ले जाना चाहता हूं। इस मिल को उद्योग-पतियों द्वारा मिल न चलाये जाने की असमर्थता के आधार पर बन्द कर देने की घोषणा का समाचार

निश्चित रूप से दु:खद है। मिल के बन्द हो जाने से एक ओर हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी छिन जायेगी, उनके बच्चे भुखमरी के शिकार हो जायेंगे, दूसरी ओर वह गरीब किसान, जिन्होंने अपने शरीर का रक्त सुखाकर गन्ने का उत्पादन किया है, उनके लाखों रुपए के बकाये का भुगतान का कोई आसार न दिखने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक असंतोष फैल गया है।

अत: मैं उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी, बेरोजगारी तथा मिल में कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों की जीविका के एक-मात्र साधन को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उक्त मिल के अधिग्रहण की मांग करता हूं।

(चार) प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक विभाग खोलने और आयुर्वेदिक डाक्टरों को एलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता

डा० प्रभात कुमार मिश्रा (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों की दयनीय अवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

आयुर्वेद प्राचीनतम पूर्ण वैज्ञानिक विज्ञान है तथा जैसा कि हमारे युवा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी धरोहर सुरक्षित रहे, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारी प्रचारी धरोहर है और विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। परन्तु न तो सही ढंग के आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाते हैं और न सही मान्यताएं सुविधाएं आयुर्वेदिक चिकित्सक को दी जाती हैं।

पराकाष्ठा यहां तक है कि आज भी म० प्र० में आयुर्वेदिक चिकित्सक जनपद औषधालयों में 300.00 रु० प्रतिमाह के वेतन में 15-15 सालों से कार्यरत हैं। बावजूद इसके कि वहां चिकित्सालय भवन भी नहीं हैं। न सिर्फ धरोहर वरन् मानवता पर भी यह कलंक है।

सरकार से अनुरोध है कि हर जिला अस्पताल में आयुर्वेद का एक विभाग खोला जाए।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों को वही मान्यतायें तथा वेतन और सुविधाएं दी जायें जो ऐलोपैथी वालों को दी जाती हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और हजारों लोगों को जो गांवों में रहते हैं उनकी मनचाही चिकित्सा प्रणाली का काम मिल सके। शहरवालों का भी आकर्षण आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यह पद्धति ही ऐसी है जिसका नुकसान रोगी को नहीं होता।

मेरी मांग है कि सरकार शासकीय स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार विदेशों में भी करे जिससे हमारी संस्कृति का ज्ञान अन्य देशवालों को हो और संपूर्ण विश्व के मानव समाज हजारों साल प्राचीन वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सके।

[अनुवाद]

(पांच) भायिन्दर क्षेत्र को बम्बई टेलीफोन निगम में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री एस० जी० घोलप (थाणे) : महोदय, पिछले 50 वर्षों से टेलीफोन प्रयोजनों के लिए भायिन्दर क्षेत्र बम्बई के सर्किल का हिस्सा था लेकिन हाल ही में नई बम्बई टेलीफोन निगम का गठन करते समय भायिन्दर क्षेत्र को बम्बई टेलीफोन निगम के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया है जबकि नई बम्बई और मुंबरा जैसे नए क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है इस प्रकार भायिन्दर क्षेत्र के लोगों के प्रति यह अन्याय का स्पष्ट मामला है और इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। अनुरोध है कि सरकार इस मामले की ओर दुरन्त ध्यान दे और भायिन्दर क्षेत्र को बम्बई निगम में तुरन्त शामिल कियाज ाये।

[हिन्दी]

(छह) भारतीय खाद्य निगम के समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री बीरबल : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष सरसों का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब घटकर 300 रुपए से 315 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गया है। किसान ने अच्छा बीज, मंहगी स्प्रे व मंहगी खाद लगाकर अथक परिश्रम से सरसों की फसल पैदा की, परन्तु उसे अपनी लागत एवं परिश्रम का कोई फल नहीं मिल रहा है। बाजार में सरसों की फसल आ चुकी है। यदि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो किसान की आर्थिक स्थिति पर प्रहार होगा।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार के कृषि मन्त्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि सरसों के भाव जो 400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं जबकि बाजार में वह आज लागत से कम रुपये के भाव पर बिक रही है। किसानों को अपनी फसल का लाभ ठीक रूप से मिल सके, इसके लिए सरकार को समर्थन मूल्य में खरीदने का अतिशीघ्र प्रबन्ध करना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। इस बात पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसी प्रकार तारामीरा व तोरिये का भी भाव गिरता जा रहा है। सरकार एफ० सी० आई० को सुचारू रूप से खरीदने के आदेश प्रसारित करे ताकि किसानों को अपनी फसल एवं मेहनत की कमाई का उचित लाभ समय पर मिल सके।

[अनुवाद]

(सात) सिक्किम, गंगटोक में एक हवाई पट्टी का निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिक्किम को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क यातायात में बार-बार रुकावट आती है। सिक्किम को देश के बाकी भागों के साथ विमान सेवा से जोड़ने का महत्व

और भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से वर्षा के मौसम के दौरान ऐसा होता है क्योंकि इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। कभी-कभी लगातार कई दिनों तक बाधा पड़ी रहती है जिससे राज्य के लोगों को बहुत कठिनाइयां आती हैं। अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य न केवल आम लोगों की पहुंच के बाहर हो जाते हैं बल्कि किसी आपतकालीन मांग से निपटने के लिए लोग राज्य से भी बाहर नहीं जा सकते।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य की राजधानी गंगटोक को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के स्थान पर बागडोगरा हवाई अड्डे से वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ना अनिवार्य है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि एक उपयुक्त हवाई पट्टी के लिए नागर विमानन विभाग ने सर्वेक्षण किया था। इस प्रकार के एक क्षेत्र का भी पता लगाया गया था परन्तु वहां समतल करने की आवश्यकता थी जिस पर पर्याप्त खर्चा आता था। राज्य सरकार ने सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नागर विमानन विभाग को खर्चा उठाने का अनुरोध किया। केन्द्र के साथ फिर से मामला उठाया गया है। अनुरोध है कि सिक्किम के हित में बल्कि देश के व्यापक हित में भी शीघ्र ही गंगटोक में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाए।

(आठ) देश में, विशेष रूप से दिल्ली में, बन्द के दिनों में पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपाय करने की मांग

***श्री हरिहर सोरेन (क्योंझर)** : सामान्यत: देश में और विशेष रूप से दिल्ली 'बन्द' आयोजित किये जाने की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बार-बार बन्द से लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है बंद का बहाना करके व्यापारियों का एक वर्ग अल्प समय के लिए दुकानें खोलते हैं और अनिवार्य वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। अन्य व्यापारी जो इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते वे अपनी दुकानों को इस डर से नहीं खोलते हैं कि बंद के आयोजक उनकी दुकानों में क्षति पहुंचाएंगे।

सबसे ज्यादा नुकसान कर्मचारियों के वर्ग को होता है। विभिन्न कार्यालयों और वाणिज्यिक काम्पलैक्सों में काम करने वाले कर्मचारियों को, परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली परिवहन निगम की बसें रुक जाने से कुछ निजी बस मालिक अपनी बसें चलाते हैं और सामान्य किराये की अपेक्षा बहुत अधिक किराया लेते हैं। स्कूटर वाले भी यात्रियों से बहुत अधिक किराया लेते हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारी इतना अधिक किराया खर्च नहीं कर सकते हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए बंद के दिनों में कर्मचारियों को परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। दिल्ली परिवहन निगम को अपनी बसों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ताकि बंद के कारण यात्रियों को तकलीफ न हो। सरकार को कुछ कदम तुरन्त उठाने चाहिए और

*मूलत: उड़िया में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री हरिहर सोरन]

इस प्रकार यात्रियों को सभा प्रकार की कठिनाइयों से बचाने के लिए सहायता करनी चाहिए।

(नौ) विभिन्न राज्यों में सरकारी भवनों के उचित अनुरक्षण के लिए योजना व्यय के अंतर्गत धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ होने से केन्द्र और राज्य सरकारों और भारत में उनके उपक्रमों ने कई योजनाओं को कार्यान्वित किया है जिसमें से इमारत, फैक्ट्री शेड आदि के निर्माण पर लगभग 40 प्रतिशत खर्च किया गया है। ये इमारतें और कारखाने हमारे देश की सम्पत्ति हैं। परन्तु उनके अनुरक्षण पर व्यय को गैर-योजना व्यय कहा जाता है और इस प्रयोजन के लिए अलग से पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया जाता। इससे इन इमारतों के भू-भाग पर गलियारों में तथा बीच में अन्य स्थानों पर जंगली पौधे, पेड़-पौधे उग जाते हैं। वहां हर साल सफेदी नहीं की जाती है और समय-समय पर रंग-रोगन नहीं किया जाता है। फिर भी विभिन्न सरकारों द्वारा कुछ मानक अपनाये जा रहे हैं। परन्तु इस तर्क के आधार पर उन्हें धन नहीं दिया जाता कि उन्हें गैर-योजना व्यय से कम करना होगा। इस प्रकार, इमारतों की हालत खराब होने दी जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। केन्द्रीय सरकार योजना आयोग तथा वित्त आयोग को योजना के लिए रखी गई निधि में से अर्थात विभिन्न राज्यों में पंचवर्षीय योजना निधि में से तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित इमारतों के रखरखाव के लिए धनराशि आबंटित की जानी चाहिए ताकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार इन इमारतों का रखरखाव किया जा सके। इस तथ्य के देखते हुए कि पी० एम० सी०, आई० सी० सी० आई०, एच० आई० एच० एम०, आई० यू० डी० पी०, डी० पी० ए० पी०, आर० एल० ई० जी०, एन० एम० ई० पी०, एच० ए० डी० पी०, आर० एच० एस०, आर० डब्ल्यू० एस० जैसी योजनाओं को योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निरन्तर धनराशि नहीं दी जाती। इस तरह की धनराशि का आबंटन योजना व्यय के रूप में समझा जाएगा न कि गैर-योजना व्यय के रूप में।

12. 30 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1986-87 (—जारी)

विदेश मन्त्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मांग संख्या 29, जोकि विदेश मंत्रालय से संबंधित है पर चर्चा

करेगी और इसे मतदान के लिए रखा जाएगा। इस कार्य के लिए 6 घंटे का समय निश्चित किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचय निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लिए अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
29	विदेश मंत्रालय	9,45,84,000	23,41,67,000	1,97,29,17,000	42,13,33,000

अध्यक्ष महोदय : सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमे उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

अब श्री आनन्द गजपति राजू बोल सकते हैं।

श्री आनन्द गजपति (बोबिली) : अध्यक्ष महोदय, भारत की संचित निधि में से विदेश मंत्रालय को आबंटित धन दिये जाने का मैं समर्थन करता हूं। हम इसका समर्थन करते हैं लेकिन कुछ मामलों में हम कुछ सुझावों के रूप में अपने विचारों का उल्लेख करना चाहते हैं।

महोदय, हमारी प्राचीन सभ्यता है और विश्व के मामलों में तथा विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना हमारे लिए अनिवार्य है। विदेश नीति के संबंध में आमतौर पर मतैक्य है - एक राष्ट्रीय मतैक्य — विभिन्न दलों के बीच और इस मतैक्य में भाग लेने में हम अपने कर्त्तव्य से पीछे नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात से शुरू किया जाए कि विषय बहुत व्यापक है और हम उन सभी मुद्दों पर विचार करना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता है तथापि हम कभी-कभी असफल होते हैं और यदि कोई गलती हो तो हमें उसके लिए माफ किया जाए।

12.34 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

कभी-कभी छोटे देश विशेषकर हमारे पड़ौसी देश तथा तटीय देश यह समझते हैं कि भारत इन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इसका विरोध करना होगा क्योंकि भारत अपने आकार के कारण अपना आधिपत्य स्थापित करने का रवैया नहीं अपनाता और इसको अनेक मंचों पर और स्थितियों में पूर्णरूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इसके अलावा शांति के लिए समतावादी समाज की स्थापना हेतु हमारी कल्पनाओं और आकांक्षाओं की झलक हमारी विदेश नीति में भी मिलनी चाहिए। इस समय यह बताना उचित है कि निर्गुट आन्दोलन में हमारी भूमिका का भी बहुत महत्व है। कुछ दिन पहले एक माननीय सदस्य ने निर्गुट आन्दोलन की प्रासंगिकता के बारे में कहा था और उन मंचों के बारे में भी उल्लेख किया था जिसका हम अपने कार्य निष्पादन को बेहतर बना सकते हैं तथा समतावादी समाज की स्थापना में अपना अधिक योगदान देने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

श्रीमान, संसार में कहीं भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की कोई तुलना नहीं है। हमें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का आर्थिक दृष्टिकोण से भी उपयोग या प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमें अच्छी परियोजनाएं प्राप्त हों और विकास की नीति शुरू की जाये।

नसाऊ में हाल में हुए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन से इस दिशा में एक संकेत मिला है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच में आदर्शवाद में व्यावहारिकता को लाया गया है। इस समय हमने यह बताने की कोशिश करने का फायदा उठाया है कि रंगभेद समाप्त किया जाना चाहिए और एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के सामने ऐसे तथ्यों को रखने में भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

ढाका में हाल का 'सार्क' सम्मेलन भी एक अन्तर्दर्शन था जिसमें बाइबिल के विचार अर्थात् 'अपने पड़ोसी या पड़ोसियों को प्यार करो' की झलक मिलती है। यह एक ठोस उपलब्धि है कि एक

सचिवालय स्थापित कर दिया गया है और कुछ ऐसी चीज हैं जिसकी हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। तो भी, यहां कुछ निराशाजनक क्षेत्र रह जाते हैं जिनकी ओर ध्यान देने और परिश्रम करने की आवश्यकता है। तीसरी दुनिया के देशों की समस्या अब भी लगातार बनी हुई है। यहां उत्तर-दक्षिण में सहयोग पर्याप्त रूप में नहीं हुआ है। उत्तर-दक्षिण सहयोग अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा है कि इसकी गति स्वाभाविक हो सके आर हम सरकार से यह देखने के लिए कुछ और कदम बढ़ाने के लिए अनुरोध करेंगे कि यह देश एक सार्थक स्तर पर लाया जाये।

आज, उपनिवेशवाद ने नव-उपनिवेशवाद को रास्ता दे दिया है और तीसरी दुनिया ने ऋण-दाता राष्ट्रों की भूमिका ले ली है। सामान्यत:, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरम्भ में तीसरी दुनिया के देश ऋणी देश थे और आज ऊंची ब्याज दर और पश्चिमी देशों की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, तीसरी दुनिया ने ऋणदाता राष्ट्रों की भूमिका अपना ली है। इसमें लैटिन अमरीका और अफ्रीकी-एशियाई देश आते हैं जिनमें अंशत: पूर्वी यूरोप से सम्बन्धित देश हैं। इसलिए, अमरीका के संघीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई ऊंची ब्याज दरें तीसरी दुनिया से धन को ले रही हैं और स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए।

प्रो० जी० जी० स्वैल (शिलांग) : हमारा एक कर्जदार देश है। क्या आप यह स्पष्ट बता सकते हैं कि यह कैसे एक ऋणदाता देश है।

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं स्पष्ट करता हूं। पश्चिमी देशों में ब्याज की दरें इतनी ऊंची हैं, और ये संघीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है जब भी वे ब्याज की दर एक प्रतिशत बढ़ाते हैं, तीसरी दुनिया के देशों का ऋण अरबों डालर तक बढ़ जाता है। इससे मेरे कहने का यह अर्थ है कि हम एक ऋणदाता राष्ट्र हैं।

ऋण का जाल सन्निकट है और भारत को इसे टालने की स्थिति में होना चाहिए।

बहुरेशा समझौता निस्सन्देह एक प्रतिगामी कदम है। बहुरेशा समझौते में परिवर्तन अवश्य करना चाहिए ताकि निर्यात पश्चिमी देशों को जाये। वे अपने बाजार हमारी कीमत पर सुरक्षित रख रहे हैं और हम भी इसी परिधि में आते हैं। यह एक महानगरीय देश है जो इस परिधि के देशों से फायदा उठा रहा है। इस तरह की स्थिति समाप्त की जानी चाहिए ताकि न केवल इस देश में परन्तु बाहर के देशों में भी अधिक समतावाद आये।

इसके अलावा पिछले 30-40 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे नीचे आ गया है। मैं मानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आज जो मंदी आई है वह पहले कभी नहीं आई। बड़ी मंदी के कारण, व्यापार बहुत नीचे आ गया है। यह एक प्रतिगामी कदम है और इसका निस्सन्देह विकासशील देशों, विशेषकर हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा जो कि हमारे ध्यान में आए हैं।

पश्चिमी देशों ने उन्नति के दशकों की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सत्तरवां और अस्सी

[श्री आनन्द गणपति राजू]

दशक उन्नति के दशक हैं परन्तु यह कभी नहीं हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप में उप-सहारा अफ्रीका और दूसरी जगहों पर लगभग अकाल जैसी परिस्थितियां हैं। इन चीजों को सुधारने में हमें भी भूमिका अदा करनी है क्योंकि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में हमारी प्रतिष्ठित भूमिका है।

सेवाओं के लिए संरक्षण हटाने की पश्चिमी देशों की कोशिश का जो कि वे गाट (जी० ए० टी० टी०) में इस साल करना चाहते हैं, डटकर विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि हम इस देश में बहुत सी रोजगार सम्भावनाओं को हाथ से निकल जाने देंगे और इस देश में हमें जो काम मिला हुआ है वह भी घट जाएगा। अतः विकासशील देशों के साथ मिलकर हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि पश्चिमी देशों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का अभियान रुक सके।

जी० एन० पी० का एक प्रतिशत उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों की उन्नति पर खर्च करने का आश्वासन दिया था। लेकिन यह प्रतिशतता 0.5 से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। इसलिए अगर आपका विभाग किसी न किसी प्रकार यह सुनिश्चित कर सके कि इसे बढ़ाकर एक प्रतिशत पर ले आया जाए, तो इस प्रक्रिया में हमें लाभ हो सकता है।

हम गरीब रहते हैं (मेरा मतलब यह नहीं कि हम पूर्णतः गरीब हैं परन्तु कुछ सीमा तक हैं) क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति को बदला जाना चाहिए। यदि विकसित देश विकासशील देशों को सहयोग नहीं देते, तो कम से कम विकासशील देशों को परस्पर सहयोग करना चाहिए और किसी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। जो एक आम सचिवालय आपने ढाका में बनाया है वह अब आटोमोबाइल या अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बना सकता है जिनसे कि इस देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है।

आजकल नौवें दशक में भारत और चीन को सम्भावित बाजार समझा जाता है जैसे कि सातवें और आठवें दशक में लैटिन अमेरिका को समझा जाता था। इसलिए पश्चिमी देशों द्वारा समेकित आन्दोलन होना चाहिए यह देखने के लिए कि इस देश में विशेषतया हमारे देश में क्रय शक्ति बढ़े क्योंकि धनवान ही, धनवान के साथ व्यापार करेगा और धनवान निर्धन के साथ व्यापार करना जरूरी नहीं समझता बल्कि वह निर्धन से फायदा उठाने की कोशिश करता है। अतः यह समानता के आधार पर होना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी संविदाएं की जा रही हैं और बहुत सी संविदाएं क्रियान्वित हो रही हैं। इससे भारत का लाभ होना चाहिए क्योंकि आज वह पहले से अधिक ठोस आधार पर खड़ा है।

ब्रांट कमीशन की रिपोर्ट खत्ते में डाल दी गई है और यदि इसका पुनरावलोकन किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाए तो यह निश्चय ही हमारी विकास सम्भावनाओं को बढ़ायेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सिद्धान्तवादिता के स्थान पर कुछ सीमा तक उपयोगितावाद अपनाया जाना चाहिए ताकि हमारे हितों की भी सुरक्षा हो और जो भूमिका हम अदा करें। दूसरे देशों द्वारा उसकी अधिक सराहना हो।

इस क्षेत्र की शान्ति के लिए हिन्द महासागर अधिक सम्भावित खतरा होता रहा है। यू० एस० जहाजी बेड़े के हाल ही में कराची आगमन को लेकर भी इस सदन में गरमजोशी हुई थी। अगर इस तरह की बातें हुई तो हिन्द महासागर क्षेत्र का और अधिक सैन्यीकरण होगा और तब हमारे लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हमारा रक्षा व्यय बढ़ रहा है जो और अधिक बढ़ जाएगा और इस तरह हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी।

इस उप-महाद्वीप में हथियारों की होड़ में भी कोई कमी नहीं आई है, इसे रोकने के लिए भी कुछ करना चाहिए। श्रीलंका में जातीय समस्या का सैनिक समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस जातीय समस्या से निपटना है और उत्तरी व पूर्वी राज्यों को शक्ति का हस्तांतरण होना चाहिए जो उस देश के एकात्मक संविधान के केवल अनुरूप ही नहीं हो अपितु कुछ और छूट भी दी जाएं और हमें सैनिक समाधान का जी-जान से विरोध करना चाहिए।

इसके बाद चीन के साथ हमारे मतभेदों को समाप्त करने की कोशिश भी सफल नहीं हुई है और अगर हम इन्हें समाप्त कर सकें तो निश्चय ही समय समय पर दो सांस्कृतिक देशों की व्यापार में और समय-समय पर होने वाले आदान-प्रदान के मामलों में आपस में संतुष्टि हो सके। सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ होने चाहिए। सोवियत संघ एक विश्वसनीय मित्र है। इस देश के विकास में उनके योगदान का हम एहसास करते हैं और इसे हमें और परिपक्व करना चाहिए जिससे इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध प्रतिपूरक आधार पर हो जायें। लैटिन अमरीकी सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि हमने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में इतनी रुचि नहीं ली है। अगर हम रुचि लें तो हमारा निर्यात भी बढ़ सकता है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो सकती है और हमारी स्थिति अच्छी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त हम एशियाई देशों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूर्व की ओर भी देखना है जहां से सूर्य उदय होता है और उनके साथ आर्थिक सहयोग भी आवश्यक है।

खाड़ी के और अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ सम्बन्धों को स्थिर बनाने के लिए हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा पश्चिमी गुट जोकि बुद्धिवाद और आधुनिकीकरण का उद्गम रहा है की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती हमें उनके साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने हैं। हमें अधिक से अधिक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो आधुनिकता के आधार पर हमारे देश को विकसित करने में लाभदायक होगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने विशेष रूप से वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने और पश्चिमी देशों को हमारे द्वारा निर्यात किये जाने वाले कच्चे माल के मामले में अपनी जो भूमिका निभाई है, उसको हम भुला नहीं सकते। वे इस देश में मूल्य वर्धित होनी चाहिए और एक शक्तिशाली मण्डी होने के नाते आने वाले दशकों में हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मैं एक सुझाव के रूप में कहता हूं, क्योंकि विदेश नीति मूल रूप से राष्ट्रीय सहमति है और यहां हमें सरकार की आलोचना नहीं करनी है लेकिन कुछ बातों का सुझाव देना है जिससे हमारा देश भली प्रकार से विकास कर सके। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि हमें समतावादी समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों कृषक समुदाय के लोगो, पिछड़े क्षेत्रों के लोगों और जिन

[श्री आनन्द गजपति राजू]

लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, इन सबका न केवल राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास किया जाना चाहिए। तभी निश्चय ही भारत के लोगों की आकांक्षायें पूरी होंगी। धन्यवाद।

श्री दिनेश सिंह (प्रताप गढ़) : सभापति महोदय, सदन बढ़ते हुए खतरों से, जिनमें हम रह रहे हैं अवगत हैं। जिन कारणों से द्वितीय युद्ध हुआ उनसे तो संकीर्ण राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व-वाद अधिक आया। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं, यह उनका ही परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ भिन्न भिन्न अंगों के साथ अस्तित्व में आया और दूसरों ने प्रयत्न किये कि भिन्न-भिन्न देशों के हितों का विश्व भर में ध्यान रखा जाये। दुर्भाग्यवश, इसमें कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वयं ही अपना आकर्षण प्रभाव खो दिया है और इसके संगठनों को अब आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो राष्ट्र इन संस्थाओं की सहायता करने की क्षमता रखते हैं और एक विश्व दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, वे अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनके संकीर्ण राष्ट्रवाद के उद्देश्य की पूर्ति विश्व संस्थाओं से बाहर अच्छी तरह से हो सकती है। लेकिन एक चीज कायम रही है और वह है क्षेत्रीयवाद। यद्यपि विश्व संस्थायें कार्य नहीं कर रही हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। यूरोपियन समुदाय, अफ्रीकी राज्य संघ—ये सब दूसरी क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर अभी भी अस्तित्व में हैं। वे संस्थाएं अब भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा उनकी अपेक्षा देशों के एक समूह में बेहतर ढंग से होगी।

दुर्भाग्यवश, क्षेत्रीय हितों से विश्वभर में इस बारे में राय नहीं बन पायी है। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि दुनियां में संघर्ष जोर पकड़ रहा है। पिछले दिनों एक समाचार पत्र में मैंने एक रोचक लेख पढ़ा जिसमें बढ़ते हुए संघर्ष के बारे में प्रकाश डाला गया है। यह 17 नवम्बर, 1985 के "दि गार्जियन" में छपा है। इसमें जो कहा गया है उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "विश्व में तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति निरक्षर है और चार में से एक भूखा है। एक व्यक्ति को 12 बार मारने के लिए काफी मात्रा में परमाणु हथियार विद्यमान होने के बावजूद सेना पर 8 ट्रिलियन डालर प्रति वर्ष खर्च पहुंच गया है। 40 वर्ष की हथियारों की होड़ ने उसे 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर के बीच खर्च करना पड़ा है। 11 मेगाटन के मुकाबले में 60,000 मेगाटन विस्फोटक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया गया। जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध वियतनाम और कोरिया में 1?0 लाख लोगों को मारा गया।"

लेकिन इससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई बेहतर, सद्भाव का वातावरण नहीं बना है। इसके विपरीत राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर निकारागुआ को ही लीजिए। संवैधानिक रूप से स्थापित सरकार को विश्व की एक बड़ी शक्ति द्वारा धमकाया जा रहा है, इसका कारण यह नहीं है कि वह सरकार अपने पड़ोसियों के लिए कोई कठिनाई पैदा कर रही है, इसलिए नहीं कि वह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लंघन करती है, लेकिन इसलिए

क्योंकि इसकी विचारधारा महाशक्ति की विचारधारा के अनुरूप नहीं है। चिंता की बात विश्व शान्ति, सहयोग पर आधारित एक नयी व्यवस्था बनाना नहीं है लेकिन रोचक बात यह है कि एक देश का हित और उससे भी बढ़कर एक देश की विचारधारा का भली प्रकार पालन हो। यदि दूसरे देशों को अस्तित्व में रहना है तो उन्हें उस देश की विचारधारा के अनुरूप चलना है।

लेकिन मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि इस बात का श्रेय संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों को जाता है कि वे इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए वे उनकी सरकार का साथ दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमें अभी भी आशा है कि सरकारों के कार्यों के बावजूद दुनियां में लोग शान्ति और आपसी सहयोग के लिए हैं। मैं समझता हूं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है अर्थात् ये लोग जाग गये हैं और अब कार्यवाही कर रहे हैं। चाहे ये लोग वियतनाम की स्थिति में अमरीका के लोग हों या चाहे अब ये लोग फिलिपीन के हों ! वे अपनी सरकारों की गलत नीतियों या तानाशाही के विरुद्ध विद्रोह की आवाज उठा रहे हैं।

लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। यह केवल निकारागुआ का ही प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति किसी भी जगह हो सकती है।

वास्तव में यह अफ्रीका और एशिया में अवश्य हो सकती है और इसलिए हमें अपने हितों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और अधिक सजग रहना होगा।

हाल ही में हमने अपने समुद्री तटों के बहुत पास बड़ी नौसेना शक्ति को देखा है। कल विदेश मंत्री ने इसके विरुद्ध एक कड़ा वक्तव्य दिया और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये ऐसे खतरे हैं जिनको हम नहीं कर सकते। हम इन खतरों के विरुद्ध क्या करते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : वक्तव्य देते हैं।

श्री दिनेश सिंह : यह हमारे दल की नीति नहीं है। यह अब माननीय सदस्य के दल की नीति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम इसका अनुमोदन नहीं करते हैं।

श्री अमल दत्त : हम यह कहते हैं कि सरकार ने वक्तव्य देने के अलावा क्या किया है ?

श्री दिनेश सिंह : बहुत अच्छा। इस समस्या पर एक वार्तालाप आरम्भ करने के लिए 6 महाद्वीपों के देशों को इकट्ठा करके सरकार ने बहुत प्रशंसनीय कदम उठाया है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उनका दल भी इस बात का समर्थन करता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभी अच्छी बातों का हम समर्थन करते हैं।

श्री दिनेश सिंह : आपका बहुत धन्यवाद। हम देशों की स्वतंत्रता में उनकी प्रभुसत्ता और उनके अपनी सीमाओं के भीतर अपनी मर्जी के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से रहने के अधिकार के समर्थन में

[श्री दिनेश सिंह]

सकारात्मक कार्यवाही करते रहे हैं। मैं राजनैतिक और सैनिक खतरों के बारे में बातचीत कर चुका हूं परन्तु आर्थिक खतरे भी हैं जो अधिकाधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं।

जहां तक विश्व बैंक का सम्बन्ध है, विश्व बैंक देश के विकास हेतु सहायता देने के लिए आगे आता है। जैसे ही विश्व बैंक से ऋण ले लिया जाता है वे उदारीकरण के लिए कहते हैं जिसका अभिप्राय है कि अधिक मुक्त रूप से आयात करने दिया जाए। जब चीजें आयात होती हैं तो इनके लिए भुगतान करना पड़ता है। इनके लिए किस प्रकार भुगतान किया जाये? इनका निर्यात द्वारा भुगतान करना पड़ता है। तब वे निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, सीमा शुल्क अवरोध और दूसरे परिमात्रात्मक अवरोध पैदा करते हैं। परिणामस्वरूप विकासशील देश निर्यात करने और अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। तब और ऋण लिए जाते हैं और ऐसी स्थिति हो जाती है कि देश को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने को कहा जाता है जैसे ही वे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं कच्चा माल, जो उन्नत देशों को भेजा जाता है वह और सस्ता हो जाता है और उनका विकसित देशों से आयात किया जाने वाला सामान महंगा हो जाता है। तब वे ऋण के फंदे में फंस जाते हैं जिसे मैं मौत का फन्दा कहना चाहूंगा। सौभाग्य से हमारे एक विदेश मंत्री हैं जो आर्थिक मंत्रालयों व योजना आयोग में आर्थिक मामलों से भी भलीभांति परिचित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बहुत अच्छा हम स्वीकार करते हैं।

श्री दिनेश सिंह : आपका दोबारा धन्यवाद। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे हमें मुद्रा अवमूल्यन या मौत के जाल में नहीं जाने देंगे जिनकी देश में चर्चा हो रही है और मैं सोचता हूं कि वह इसे अच्छी तरह जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह क्या कर सकते हैं? वह एक गरीब आदमी हैं।

श्री दिनेश सिंह : वह उस आशय से गरीब आदमी नहीं हैं जिस प्रकार आप उन्हें ऐसा कहते हैं।

श्री जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : वह अपने वित्त मंत्री को नहीं बता सकते। वह यह नहीं जानते कि वह क्या है।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं सोचता हूं इस सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक पुराने सपने को साकार करना है। दक्षिण-एशियाई-क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना में सहायता करने का सपना।

1.00 म० प०

सार्क पर मैं इतना ज्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि संसार में यही एक ऐसा क्षेत्र था,

जिसमें क्षेत्रीय सहयोग के लाभ नहीं थे और जैसा मैंने शुरू में कहा है —यद्यपि हम विश्व-स्तरीय संगठनों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे हैं, फिर भी कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर हम संगठन विकसित कर पाए हैं और इसीलिए एक क्षेत्रीय संगठन की उत्पत्ति, जिसके सदस्य हम भी हैं, किसी भी समय की एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि विशेषतया इस सरकार की उपलब्धि मानी जा सकती है और मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री और सभी अन्य लोगों को, जो सार्क की स्थापना में सम्मिलित थे, बधाई देना चाहूंगा।

लेकिन श्रीमान जी, मैं जब भी हमें इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिला तो मैंने पूर्व अवसरों पर भी जो कहा है, उसे मैं दोहराना चाहूंगा कि यहां प्रत्यक्षतः इन सदस्य देशों में सहयोग का सम्भावित आधार है, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच और भी अधिक है जो इस संगठन के दो सबसे बड़े देश हैं और इसीलिए हमें पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। यह एक कठिन स्थिति है क्योंकि सम्बन्ध दोनों पर निर्भर करते हैं। और यदि उन दोनों में से एक उतना उत्सुक नहीं है जितना कि दूसरा तो प्रगति धीमी रहेगी। परन्तु यदि दूसरा विरोधी दृष्टिकोण अपनाता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के लोग भारत के साथ सहयोग के विरुद्ध है। यह मेरा अनुभव है। मुझे पाकिस्तान के कुछ मित्रों से बात करने का अवसर मिला, वहां के लोग भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना चाहते हैं जैसे कि भारत के लोग।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : हमें अभी भी यही उम्मीद है।

श्री दिनेश सिंह : यह हमारी उम्मीद नहीं है अपितु वास्तविकता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार सहयोग दे।

यहीं पर कठिनाई पैदा होती है। अतः मैं पाकिस्तान के जिम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि वे भारत से सहयोग के बारे में सोचें। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध उतार-चढ़ाव की स्थिति में हैं। उनमें उतार की स्थिति अधिक और चढ़ाव की कम रही है। आज भी 'सार्क' के बाद और प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी तथा राष्ट्रपति जिया की दिल्ली में हुई बैठक के बाद दोनों सरकारों के बीच बेहतर मेल-मिलाप की आशा करते हैं। आशा यह थी कि सम्बन्ध सुधरेंगे परन्तु नहीं सुधरे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति जिया का पाकिस्तान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और लोकतंत्रीय प्रणाली की ओर अग्रसर है और मुझे उम्मीद है कि सरकार··· (व्यवधान)

श्री सैय्यद शाहबुद्दीन : पाकिस्तान में लोकतंत्र, असामान्य बात है ?

श्री दिनेश सिंह : नहीं मेरा अभिप्राय है इस समय कम मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एक अस्थायी असामान्यता है।

मैंने सोचा कि अन्ततः पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके अधिक अवसर हैं, क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं ?

श्री सैय्यद शाहबुद्दीन : यह ठीक है।

श्री दिनेश सिंह : मैं पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को अधिक महत्व देता हूं परन्तु हमारी कठिनाई है कि पाकिस्तान और भारत के बीच समझ बूझ की कमी है। हमारे रक्षा व्यय पर ही ध्यान दें। ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान को भारी मात्रा में रियायती दर पर शस्त्र मिले हैं तथा हमें तदानुसार व्यय करना है। ऐसा इसलिए भी है कि पाकिस्तान रक्षा की अपनी संकल्पना के कारण इस क्षेत्र में ग्राहक-राज्य का दायित्व निभा रहा है। हमने देखा कि न केवल अमरीकी नौ सेना ने वहां की यात्रा की है अपितु अमरीकी विदेश मंत्री श्री शुल्ज ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि आपात स्थिति पैदा होने पर वे पाकिस्तान को अपने रक्षा प्रयास के भीतर गिनते हैं। जिस देश से हम घनिष्ठ सम्बन्धों की अपेक्षा करते हैं उसके ग्राहक-राज्य बनने के कारण हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी और स्वयं पाकिस्तान के लिए भी समस्याएं पैदा होगी। और मुझे विश्वास है कि अधिकांश पाकिस्तानी जनता उस गठजोड़ से पृथक होकर पूर्ण स्वतंत्र नीति अपनाना चाहेगी जो दूरस्थ देशों के सिद्धान्तों और सुरक्षा आदि के विचारों से नियन्त्रित नहीं होगी। अत: 'सार्क के बड़े भागीदार के नाते, पाकिस्तान की तुलना में बड़ा देश होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम पाकिस्तान से सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रयास करें और ऐसे उपाय करें कि पाकिस्तान की जनता के साथ सम्पर्क कायम किया जा सके तथा दोनों देशों की जनता के बीच संबंध बनाने के लिए प्रयास करें ताकि हम प्रेम-भाव और सहयोग से रह सकें।

'सार्क' के मामले में, मुझे श्री लंका की आजकल की घटनाओं पर अत्यन्त खेद है। वहां हो रहा नरसंहार सबके लिए अत्यन्त दुःख और चिन्ता का विषय है। भारत सरकार ने भरसक प्रयास किया है ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जरूरत से ज्यादा।

श्री दिनेश सिंह : मित्र कहते हैं जरूरत से ज्यादा। मैं इसपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परन्तु ऐसा समझा जा रहा है कि जो सहायता हम देते रहे हैं उसका उपयोग सैनिक बल को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है तथा वे राजनीतिक समाधान के स्थान पर सैनिक समाधान की बात करना चाहते हैं। परन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है, यह बात स्वयं श्री लंका के राष्ट्रपति ने कही है। सर्वविदित है कि पहले पुलिस का इस्तेमाल किया गया फिर सेना का, फिर नौ सेना का तथा अब वायु सेना द्वारा अपनी जनता पर बमबारी की जा रही है। इस मामले को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का समर्थन नहीं करता हूं विशेष रूप से पड़ौसी और मित्र देशों के आन्तरिक मामलों में परन्तु मैं समझता हूं कि हमें श्री लंका के प्रति अधिक दृढ़ रुख अपनाना चाहिए तथा उनपर जोर देना चाहिए कि वे राजनीतिक समाधान की करें सैनिक नहीं।

सभापति महोदय : आपको कितना समय और चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, यदि यह पहली घंटी का संकेत है तो मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यह याद कराना चाहता हूं कि दो मामले ऐसे हैं जिनकी ओर उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। एक बात तो यह है कि हमें अधिक दृढ़ नीतियां तैयार करनी चाहिए और अपने मिशनों को भेजनी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि कई मिशन अपने कार्य से पूरी तरह परिचित नहीं है उन्हें मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने तथा राजनयिक समारोहों में भाग लेने के अतिरिक्त कुछ पता नहीं है। अतः किसी क्षेत्र में बेहतर समन्वय और उनके कर्त्तव्य संबंधी अधिक विशिष्ट समझ बूझ से हमारी विदेश नीति तैयार करने में काफी सहायता मिलेगी। विदेशी दूतावासों के लिए व्यक्तियों का चयन उनकी सुविधाओं तथा जल—वायु के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक तरह की क्षेत्र विशेषज्ञता आवश्यक है तथा यह तभी संभव है यदि हम दी जा रही सुविधाओं को बढ़ायें ताकि लोगों को क्षेत्र विशेषज्ञता प्राप्त करने में, एक लम्बे समय तक समस्या को समझने में प्रोत्साहन मिले, बजाए इसके कि वे एक भाग से विश्व के दूसरे नितान्त भिन्न भाग में स्थानान्तरित किये जायें। उन्हें एक भाषा सीखने को कहा जाता है तथा मजे की बात यह है कि उन्हें सीखी गई भाषा वाला देश फिर कभी नहीं मिलेगा। अतः इन छोटी-छोटी बातों पर कुछ अधिक ध्यान देने से काफी लाभ होगा।

इस अवसर पर मैं सरकार को उनके द्वारा किये गये रचनात्मक कार्य के लिए बधाई देता हूं। जिसका कि मैंने पहले उल्लेख किया अर्थात 'सार्क' तथा हमारी विदेश नीति का संचालन जिससे हमें पर्याप्त लाभ पहुंचा है। न केवल भारत में ही अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। सारे विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा है तथा हमारे प्रधान मंत्री को काफी लोकप्रियता तथा समर्थन मिलता है। विदेश मंत्री द्वारा कार्यभार संभाले जाने के बाद यह पहला बजट पेश हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं तथा उनकी सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : सभापति महोदय, श्रीमान··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : विदेश मंत्री के बाद राजदूत।

श्री जी० जी० स्वैल : पिछले एक महीने से जब से हम सत्र में है विदेश मंत्री की कुछ विदेशों द्वारा उनके सभा में दिये गये वक्तव्यों की आलोचना की गई है। परन्तु मैं समझता हू यह परिस्थिति के अनुकूल हैं।

हमें चोरी-छिपे कारंवाई करने की जरूरत नहीं है, न ही हमें नुक्तचीनी या टालमटोल करने की जरूरत है, न ही हमें गोल बात कहने की जरूरत है, न ही हमें भावुकतापूर्ण होने की जरूरत है, तथा मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि हमें अपने महान देश की टुकड़ों में बंटे होने की छवि को दूर करना है। तथा उन देशों के मंसूबों को दूर करना है जो हमारा उपहास करने की चेष्टा करते हैं। तथा हमारे देश को भट्टी बनाना चाहते हैं।

मैं समझता हूं हम ऐसी स्थिति में हैं कि जिस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है इस क्षेत्र में भारी अशान्ति फैल सकती है। विदेश मंत्री तथा विद्वान सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि कई बार गलत अनुमान लगाने के कारण युद्ध हुए हैं, तथा अब भी परमाणु युद्ध हो सकता है। अतः यह उचित

[श्री ओ०जी० रवैल]

है कि हम अपनी बात कहें कि किस सीमा तक हम जा सकते हैं और किस सीमा तक नहीं ताकि गलत अनुमानों से कोई कठिनाई पैदा न हो। कुछ स्पष्ट वक्तव्यों के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, चाहे वे पाकिस्तान के बारे में थे अथवा श्रीलंका के बारे में। उन्होंने अपने दायित्व को निभाया है तथा मैं उन्हें बधाई देता हूं।

इन घटनाओं के कारण हमारा मुख्य ध्यान श्रीलंका और पाकिस्तान की ओर है। जैसा कि श्री दिनेश सिंह ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जनता में सद्भावना है--उन पर यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हमारी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है हमें पाकिस्तान की एक इन्च भी भूमि नहीं चाहिए तथा उनके आंतरिक मामले में हमारा कोई हित नहीं है हम पाकिस्तान अथवा उसके किसी भाग को क्यों चाहेंगे? इसका कोई औचित्य नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की स्थिरता एवं समृद्धि में गहरी दिलचस्पी है, तो यह हमारी हार्दिक इच्छा को व्यक्त करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। यदि आज हमारे तथा पाकिस्तान के शासकों के बीच कोई मतभेद है—जिनकी ओर मेरे मित्र श्री दिनेश सिंह ने उल्लेख किया है -- तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सब हमारे पैदा किये हुए नहीं हैं। शान्ति एवं अनाक्रमण संधि के अन्तर्गत भेदभाव मिटाकर सद्भावना स्थापित करने का स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति जिया के सार्वजनिक भाषणों का हम स्वागत करते हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि इन वक्तव्यों को ठोस व्यवहारिक रूप दिया जाना चाहिए। हम उनके शिमला समझौते के बारे में व्यक्त भावनाओं के बारे में सन्तुष्टि चाहते हैं। शिमला समझौता अपने आप में अनाक्रमण संधि है। उसके साथ ही वे काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में ले जाने की बात कहते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है। पाकिस्तान में आधुनिकतम शस्त्रों के लाये जाने का, जिनका उपयोग अफगानिस्तान जैसे पर्वतीय क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, क्या उद्देश्य है? हम उनसे इस बात का भी सन्तोषजनक उत्तर चाहते हैं कि वे यूरेनियम समृद्ध करने की सुविधाओं का क्या कर रहे हैं जबकि उनके देश में कोई आणविक संयंत्र नहीं है, इस ईंधन को और कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उनसे यह भी जानना चाहते हैं कि अगर अफगानिस्तान उनकी समस्या है और इस कारण अगर वे जान-बूझकर एक महाशक्ति का ग्राहक राज्य बन गये हैं तो तब भारत की सीमा के साथ भारी सैनिक जमाव क्यों किया गया? हम इस बारे में संतुष्टि चाहेंगे कि जब हम पारस्परिक विवादों का द्विपक्षीय आधार पर निपटाने की बात करते हैं फिर वे विदेशी अड्डों को समाप्त न करने का आग्रह क्यों करते हैं, जैसा कि सर्वविदित है पाकिस्तान अपने आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, उसे एक बड़ी शक्ति के हितों का ध्यान रखना पड़ता है तो क्या इससे द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि द्विपक्षीय वार्ताओं में तीसरे देश के हस्तक्षेप से समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम चाहते हैं कि अगर वे सच्चे हैं, उनके शान्ति प्रयास सच्चे हैं तो उन्होंने अपने देश में विदेशी अड्डों को हटाये जाने से इन्कार क्यों नहीं किया? विदेश मंत्री ने कल एक और निराशाजनक बात की ओर संकेत किया। जब अमरीकी सातवां बेड़ा पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के दो नौ-सैनिक पोत कोलम्बो गये थे, क्या यह एक संयोग ही था अथवा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कोई गठजोड़ है? ये भारत को दबाने, उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्धों

के अतिरिक्त और किस प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं ? इसके अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच और कुछ एक समान नहीं है। एक उत्तर में है और दूसरा दक्षिण में। और इसलिए जहां यह अच्छी बात है कि हमें पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या के निपटाने के प्रयत्न तो करने चाहिए वहां हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यह बहुत आसान है। यदि ऐसी ही बात है जैसा कि विदेश मंत्री जी ने सदन में आकर बताया है कि हमारे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के बारे में तब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जायेगा जब तक अन्य समस्याएं न सुलझा ली जाएं तो मैं इसकी सराहना करता हूं मैं इस बात से सहमत हूं और कहता हूं कि जब तक ये समस्याएं न सुलझा ली जाएं तब तक हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता से केवल झूठी आशाएं और गलत अनुमान उत्पन्न होंगे। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, मुझे इतना ही कहना है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : झूठी आशा किन्तु अच्छी छवि।

श्री जी० जी० स्वैल : श्रीलंका के बारे में मैं सरकार को यहां पर उपस्थित अपने अन्य साथियों और श्री जी० एस० ढिल्लों को बधाई देना चाहता हूं जो किसी समय मेरे साथी थे वह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा करते थे।

प्रो० मधु दंडवते : जब वह वहां से हटे तो आप बैठने लगे थे।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं उन्हें श्रीलंका में मानव अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में जेनेवा में मानव अधिकार आयोग के समक्ष स्पष्ट बात कहने पर बधाई देता हूं। यह न केवल हमारी बल्कि पूरे विश्व की राय है। वास्तव में हम इस सम्बन्ध में बहुत देर तक चुप रहे हैं। सारा विश्व श्रीलंका में मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कह रहा है। बहुत से देशों ने आवाज उठाई है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसके बारे में कहा है। हमने ऐसा तभी किया है जब हमने देखा कि स्थिति बदतर होती जा रही है।

महोदय, मैं अपने देश के बहुत से लोगों के संदेह को व्यक्त करना चाहता हूं। हम श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने दुविधा की स्थिति को समझ नहीं सके। कभी तो वे सेना की मदद से इस समस्या को समाप्त करने की डींग हांकते हैं और अगले ही पल वह राजनीतिक हल के पक्ष में बात करते हैं। हमें उनका यह रवैया समझ में नहीं आया। मेरे विचार में हम उनसे यह अनुरोध करें कि वह इस सदन के सदस्यों को मूर्ख न समझें और यह न समझें कि शेष विश्व उनकी चालाकी को नहीं समझ पाया है। मैं श्रीलंका के नेताओं की ईमानदारी को मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि उनके देश जैसी स्थिति विश्व के किसी देश में नहीं हो सकती। किन्तु मुझे इस बारे में सन्देह है कि क्या श्रीलंका के नेता वास्तव में इस स्थिति में हैं कि वे अपने आप निर्णय ले लें। महोदय, आपने अपनी रिपोर्ट में श्रीलंका में विश्व के अन्य देशों की आसूचना एजेंसियों की उपस्थिति का जिक्र किया है। अपने भू-सामरिक हितों को बढ़ाने के लिए हिन्द महासागर और त्रिकोमाली खाड़ी तथा अन्य स्थानों पर अन्य देशों द्वारा अड्डे बनाये जाने का भी जिक्र किया है। इससे सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या श्रीलंका के

[श्री जी० जी० स्वैल]

नेता वास्तव में इस संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए यह भारत के लिए सीधी धमकी है।

महोदय, यदि आप नक्शे में देखें तो श्रीलंका बिल्कुल हमारी सीमा के साथ लगता हुआ है। आप वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई मुझ पर प्रहार करने का प्रयत्न करता है तो मुझे उसे चेतावनी दे देनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार में किसी पर अनुचित आघात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं केवल अतने उरुमूल का बचाव करूंगा और इस कोशिश में दूसरे का चेहरा बिगड़े तो यह एक अलग बात है। मेरे विचार में अब···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनके पास ब्लैक-बेल्ट का खिताब है।

श्री जी० जी० स्वैल : इसलिए, इससे पहले कि ऐसा हो हमें कुछ करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि इसके बारे में सदन में कुछ कहा जाये अथवा समाचार-पत्रों में कुछ छापा जाए। जब हमें ऐसा लगे कि भारत के हितों को नुकसान पहुंच रहा है—तब यह समस्या केवल श्रीलंका की समस्या नहीं रह जाती। हम इस देश में रह रहे 550 लाख तमिलों में खलबली नहीं मचाना चाहते। श्रीलंका को अपनी समस्या सुलझाने का पूरा-पूरा अधिकार है किन्तु हमारे सामने कोई समस्या या खतरा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें ऐसा होने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिएं। हमें यह संदेश न केवल श्रीलंका, बल्कि श्रीलंका के सभी मित्र देशों तक पहुंचाना है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि अन्त में ऐसा होता है तो विश्व में किसी को हमारी आलोचना करने का अधिकार नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति रीगन ने अपने सैद्धान्तिक हितों को कुछ खतरा पहुंचने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से हजारों मील दूर स्थित ग्रेनेडा में हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य समझा, और अगर वह आज यह सोचता है कि उन्हें अमेरिका से हजारों मील दूर बसे निकारागुआ में अपने सैद्धान्तिक हितों को खतरा पहुंचने के कारण हस्तक्षेप करना चाहिए, तो यदि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहें तो क्या वह वहां भी हस्तक्षेप करेगा।

किन्तु इतना सब कहने के बाद मैं विदेश मंत्री से कुछ कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कृपया ध्यान दें।

श्री जी० जी० स्वैल : अपनी सरकार को बधाई देना और समर्थन देना मेरा कर्तव्य है किन्तु इसके साथ-साथ कुछ ऐसी बातें बताना भी मेरा कर्तव्य है जिससे हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

(व्यवधान) क्यों नहीं ? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रश्न सुनने के बाद आपके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा (व्यवधान)।

प्रो० मधु दन्डवते : आपकी भविष्यवाणी बड़ी निर्मम है।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं आपको बताऊंगा। यह बात रिकार्ड में दर्ज हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। आपको इस समस्या की जानकारी नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे अच्छे मित्र हैं। मुझे आपके मंत्रालय से शिकायत है। उन्हें सार्थक ढंग से सोचने की आदत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : उन्हें समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं। क्या पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश ही हमारे निकटस्थ पड़ोसी है ? बर्मा के बारे में क्या हैं ? बर्मा हमारे निकटस्थ पड़ोसियों में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसा देश जिसकी सीमा हमारी सीमा को छूती हुई है, जो भूमि तथा समुद्र के क्षेत्रफल में केवल चीन से छोटा है, पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा ऐसा देश है जो प्राकृतिक सम्पदा से इतना भरपूर है कि सभी प्रकार से आत्म-निर्भर हो सकता है किन्तु फिर भी उसने कभी यह नहीं कहा कि वह हमारे देश और विश्व के अन्य देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता की परवाह नहीं करता। ऐसा देश जो हमारे इतने नजदीक है कि जिसके साथ बहुत व्यापार कर सकते हैं, ऐसा देश जिसके सांस्कृतिक संबंध इतिहास में बहुत पुराने हैं, ऐसा देश जिसके द्वारा एक बार हमला किये जाने पर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी, ऐसा देश जिसके कोको का उत्पादन करने वाले टापू हमारे देश की सीमा से लगते हुए हैं और अंडमान के शीर्ष पर स्थित हैं। ऐसा देश जिसके टापुओं को बड़ी आसानी से हमारे विरुद्ध सैनिक अड्डों में बदला जा सकता है और जहां का क्षेत्रीय पर्यावरण अत्यन्त आक्रामक है।

हम पाकिस्तान के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण न होने के कारण चिंतित हैं। हम दूरगामी परिणाम देखने के आदी नहीं हैं। जब कभी समस्या होती है हम फौरन ही उसे हल कर लेना चाहते हैं।

हो सकता है कि आप इसकी परवाह न करते हों। लेकिन अन्य देश करते हैं। जापान करता है। किन्तु हमारी उत्तर दिशा की ओर हमारा पड़ोसी देश चीन विशेषकर ऐसा करता है। बर्मा पर चीन का काफी अधिक प्रभाव है। हम राजनीति में तेज-तर्रार देश है। चीन यदि चाहे तो वह बर्मा में राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है। किन्तु, ऐसा करना तो दूर चीन का बर्मा के साथ बड़ा गहरा आर्थिक सहयोग है। पिछले वर्ष चीन के राष्ट्रपति ने अपनी पहली विदेश यात्रा में पहले बर्मा जाने का निर्णय किया और बाद में थाइलैंड। आप भली भांति जानते हैं कि हम जैसे हर समय विश्व में घूमते रहने वालों से, अलग चीन के नेता केवल तभी यात्रा करते हैं जब उन्हें कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है। चीन के राष्ट्रपति की बर्मा यात्रा के बाद हमने वहां पर किसको भेजा ? विदेश मंत्रालय के राज्य

[श्री जी० जी० स्वैल]

मंत्री को, जो इतने कुशल थे, नहीं भेजा।

चीन ने बर्मा के आर्थिक विकास में अरबों डालर की राशि लगा रखी है, जबकि हमने दस लाख डालर की तुच्छ और हास्यास्पद पेशकश की जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया···

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें बर्मा पर चर्चा करनी चाहिए। यह तो केवल इसलिए कहा था, ताकि आप और आपके अधिकारी देश के हित में इस प्रश्न पर विचार करें।

मैं एक अन्य पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विदेश मंत्री जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति लगभग सभी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर हैं। वह बंगलादेश भी गए और वहां आर्थिक समझौता किया गया। उसके बाद वह श्रीलंका गए। हम जानते हैं कि चीन पाकिस्तान को हथियार देता रहा है। हमें ऐसी भी रिपोर्ट मिली हैं कि ईरान ने ईराक के विरुद्ध आक्रमण के पीछे भी चीन का हाथ है। इस सबका क्या मतलब है ? इसका मतलब है कि चीन अपने राजनीतिक प्रभाव और चालाकी से भारत को घेर रहा है उसने न केवल अनेक मामलों में विदेशों में बल्कि हमारे निकट के पड़ोसी देशों में भी अपना राजनीतिक प्रभाव बना रखा है। हम इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ? क्या भारत की यही विदेश नीति होनी चाहिए —कि हमारे जैसा एक बड़ा देश अपने आप में खोया रहे और पड़ोसियों से झगड़ता रहे और अपनी भूमिका के बारे में कोई उदार अवधारणा न रखे। मैं विशेष रूप से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि आपका मंत्रालय हमारी भूमिका के बारे में कुछ और अक्लमंदी से सोचे।

अन्त में, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप जानते हैं, विदेश मंत्री को निश्चित रूप से यह जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वित्तीय संकट से गुजर रहा है। कुछ दिन पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि इस विश्व संस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत के अपने अंशदान के न किए जाने के परिणामस्वरूप विघटन का खतरा पैदा हो गया है।

हमने उस दिन अपने मित्र स्वर्गीय श्री ओलफ पाल्मे की प्रशंसा की। मुझे उनका संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया भाषण याद है मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केवल वही एक ऐसे विश्व नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह कहने का साहस किया कि अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्त-कोष में हुई कमी को विश्व के अन्य देशों द्वारा पूरा किया जाएगा। महोदय, मेरे विचार में यह एक और सुअवसर है। हम एक बड़े विकासशील देश होने के नाते और विकासशील देश का नेता होने के नाते इस काम में पहल करनी चाहिए और विश्व जनमत तैयार करने तथा संसाधनों को जुटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप जानते हैं कि

यूरोपीय समुदाय के देश भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। उनके राजदूतों ने वाशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री से इस सम्बन्ध में मिलना चाहा और उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया। इसके बारे में पूरा विश्व चिंतित है। क्या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए। यह एक दुर्लभ अवसर है और मैं विदेश मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करें कि क्या हम इस सम्बन्ध में पहल करके कोई लाभकारी भूमिका अदा कर सकते हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हू :—

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[श्रीलंका में तमिलों को आयोजित विनाश से बचाने के लिए पहल करने का अभाव।] (14)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की आवश्यकता।] (15)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[अमेरिका द्वारा आतंकवादियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कड़ा विरोध व्यक्त करने में असफलता।] (16)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[खालिस्तान की मांग कर रहे लोगों को शरण न देने के लिए ब्रिटेन को मनवाने में सरकार की असमर्थता।] (17)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं कहना चाहता हूं कि, विदेश मामलों के सम्बन्ध में हमारे देश की नीति अर्थात् गुट-निरपेक्षता, शान्ति और अच्छे पड़ौसी सम्बन्ध की नीति पिछले वर्षों के दौरान अत्यन्त खरी सिद्ध हुई है। यह भी स्पष्ट है कि समाजवादी देशों से हमारे सम्बन्ध भी बहुत लाभदायक तथा उपयोगी रहे हैं। शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े के अन्य व्यापक क्षेत्रों के प्रश्न में जाने से पूर्व, मैं अपने पड़ौसियों से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर संक्षेप में कहना चाहूंगा।

हाल ही कुछ समय से, हम अपने पडोसी देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा लगता है कि एक लम्बे समय के द्वेष के बाद चीन से हमारे सम्बन्ध काफी आशाजनक लगते हैं। वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं और दोनों देशों की यह इच्छा है कि हमें शान्ति और सहयोग के साथ रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इन सम्बन्धों में हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी देंगे।

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

कराची में अमेरिकी युद्धपोत के प्रवेश के सम्बन्ध में कल हमने चर्चा की। तब कई बातें कही गईं। लेकिन तब भी, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। यह एक बहुत अच्छी बात है कि दक्षिण एशियाई देशों ने एकजुट होने की कोशिश की है; शान्तिपूर्वक रहने का प्रयत्न किया है और अपने आर्थिक सहयोग में विस्तार करने का प्रयास किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन असल बात यह है कि जब हम एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें अपने जल क्षेत्र में जो शार्क मछली घुस आई है उसका भी पता लगाना है, वह है तीसरी शक्ति, स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो वह है अमेरिकी साम्राज्यवाद।

अब श्री लंका में क्या हो रहा है ? श्री जूनियस जयवर्धने द्वारा सैनिक समाधान की बात किये जाने से हम सभी परिचित हैं। लेकिन इसी बीच वहां नरसंहार जारी है। हमने समस्या का बातचीत के माध्यम से राजनैतिक हल निकालने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने की पेशकश की है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है। श्री दिनेश सिंह की इस बात का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं कि अपनी आक्रमण क्षमता को संगठित करने तथा तमिल समुदाय का उन्मूलन करने हेतु समय प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्री लंका ने संदिग्धतापूर्ण ढंग से चाल चली है। स्वायत्त शासन की मांग को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है ?

और वे करना चाहते हैं ? मुझे नहीं मालूम। हम इतने लम्बे समय से इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। पहले श्री पार्थसारथी और अब श्री बी० रमेश भंडारी। मुझे नहीं मालूम कि श्री पार्थसारथी को क्यों हटा दिया गया, किसी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से वरीयता नहीं दे रहा। लेकिन क्या यह सच है कि श्री लंका सरकार श्री पार्थसारथी को नहीं चाहती थी क्योंकि वे तमिल हैं। क्या वे हमारे ऊपर शर्तें नहीं लाद रहे हैं ? हमें इसका उत्तर पाना है। हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तमिलों तथा श्री लंका सरकार के बीच बातचीत होनी है। देखना है कि वे क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका सरकार से एक नया पत्र प्राप्त किया है। लेकिन इसको खुले रूप में चुनौती दी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। इस उलझनपूर्ण स्थिति में, मैं विदेश मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या हाल ही में हमारी सरकार द्वारा श्री लंका में तमिल समस्या के समाधान हेतु कोई नया पत्र प्राप्त किया गया है। (व्यवधान)

अब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अपने पड़ोस के सभी लोगों के साथ हमें सहानुभूति और भ्रातृत्व बनाये रखना है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। जब पाकिस्तान के लोग प्रजातंत्र के लिए लड़ते हैं, हम उन्हें समर्थन देंगे, जब बंगलादेश के लोग प्रजातंत्र के लिए लड़ते हैं तो हम उन्हें समर्थन देंगे; हमारी एक जिम्मेदारी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जिया-उल-हक की सरकार को पाकिस्तानी लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में हम ले सकते हैं। नहीं; हम नहीं ले सकते, हमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए तथा अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिये, लेकिन हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में जिया-उल-हक की सरकार को जरा भी स्वतंत्रता नहीं है; यह अमेरिकी साम्राज्यवाद की पिछलग्गू है। अमेरिकी लोग, दुनिया के सारे लोगों को भ्रम में डालने की जो साजिश कर रहे हैं यह उसी का एक

अंग है। वे हमारे लोगों के मन में भी भ्रम पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब पाकिस्तान "अनाक्रमण सन्धि" की बात करता है। ऐसा लगता है कि हम बचाव पक्ष वाले हैं। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि श्री जिया-उल-हक शान्तिदूत की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, वह नहीं निभा रहे। यह "अनाक्रमण संधि" क्या है ? 1949 में हमारे देश ने एक "अनाक्रमण संधि" की बात की थी; 1965 में, 1968 और 1977 में फिर की। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए कभी सहमत नहीं हुआ। शान्ति और मित्रता की हमारी संधि का, उस संधि का जिसकी हमने पेशकश की थी, क्या हुआ ? यह प्रश्न है, हस्तक्षेप न करने का, तथा दूसरे देशों को अड्डे नहीं बनाने देने का। वे इससे सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं ? एक ओर वे कह रहे हैं "अनाक्रमण संधि" और दूसरी ओर वे कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, वे इसको खुला रखना चाहते हैं। वे आणविक संयंत्रों का परस्पर निरीक्षण करने का प्रस्ताव भी रख रहे हैं। हम सिद्धान्तों के आधार पर इससे सहमत नहीं हुए हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। ऐसा सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। क्या सभी आणविक देश ऐसा करने की अनुमति देंगे। यह केवल पाकिस्तान तथा हमारे बीच सम्बन्धों का प्रश्न ही नहीं है। यह अमेरिकी साजिश का एक भाग है कि वे हमें अस्त्रविहीन बनाना चाहते हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि हमारे देश को आणविक हथियारों का उत्पादन करना ही चाहिए; यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। असल बात यह है कि हम उनके द्वारा अपने को छले जाने की अनुमति नहीं देंगे। हमें स्वयं ही पहल करनी चाहिए और अपने लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि हमने कौन सा रुख अपनाया है। हमारे द्वारा अपनी सफाई देकर बचाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा दृष्टिकोण सिद्धांत के आधार पर है। अब, पाकिस्तान तथा अमेरिका मांग कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया को आणविक अस्त्रों से मुक्त क्षेत्र बनाया जाय। अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि यही बात यूरोप में भी हो ? हमें उसे समझना है। यह तो ऐसी ही बात हुई कि इजरायली मांग करें कि पश्चिम एशिया को आणविक अस्त्रों से मुक्त रखा जाये ताकि वे अपना एकाधिकार जमा सकें और आणविक सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। यह एक प्रकार का ब्लैकमेल है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते और हम इस बात के द्वारा भी अपने को नहीं छले जाने देंगे।

अब अपनी आंतरिक स्थिति के विषय में भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिछलग्गू हो गया है। वे हमारे देश में "काम कर रही शक्तियों" को हमारे देश के टुकड़े करने तथा अस्थिरता पैदा करने के लिए उकसा रही हैं। मुझे एक रिपोर्ट मिली है, मैं चाहता हूं मंत्री जी इसकी पुष्टि करें। अपने देश में हम साम्प्रदायिक ज्वाला दहकते हुए देखते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि क्या उनकी यहां कोई साजिश तो नहीं है मुझे रिपोर्ट मिली है कि सी० आई० ए० में अमेरिका ने विशेष मुस्लिम विभाग तथा सिख विभाग की स्थापना की हुई है। ऐसी रिपोर्ट है। अब यह बात क्यों उठाई गयी है। हमारे देश में वह बाबरी मस्जिद है और उनके देश में यह हिन्दुओं के मन्दिरों पर आक्रमण है—वे हर बात को भड़काते हैं जिस से कि विघटनकारी कार्य आसानी से किये जा सकें।

2 फरवरी, 1986 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान के एक शीर्षस्थ कर्नल ने पंजाब के बारे में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। यह सब क्या है ? यह काम पंजाब में अराजकता फैलाने और स्वर्ण मंदिर पर अधिकार करने के लिए किया गया है। आजकल यह सब हो रहा है। उसके अलावा लोगों की, अति विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या करना,

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

भिंडरावाले जैसे व्यक्तियों को ऊपर लाना है और शस्त्रों का प्रशिक्षण देना, ये सब बातें योजनाबद्ध तरीके से की जा रही हैं। हमें यह भी पता है कि अब वे अमरीकी गुप्त कार्यवाही को तेज कर रहे हैं।

उन्होंने अमरीका में व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और सी० आई० ए० जैसी विभिन्न एजेन्सियों से लोगों को लेकर एक समिति गठित कर ली है। इस समिति का नाम है—"208 समिति" —इसका नाम व्हाइट हाउस ऐनेक्सी में बने कक्ष के नाम पर रखा गया है। इसके लिए 5000 लाख डालर का बजट रखा गया है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य सोवियत रूस समर्थक सरकारों को नष्ट भ्रष्ट करने का है। जो राष्ट्र अमरीका समर्थक नहीं है; आज वे सोवियत रूस के समर्थक बन गये हैं। उनके विचार से रूस समर्थक सरकारों का पतन करना उनका अधिकार है। उन्हें यह अधिकार किसने दिया है? उसके प्रति हमें बड़ा कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यद्यपि मैं सिद्धांत रूप से विभिन्न विदेशी मामलों में अपने देश के रवैये का समर्थन करता हूं किन्तु इस मंत्रालय के इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई है। इस प्रतिवेदन में भारत अमरीका संबंध के बारे में कहा गया है कि :

"भारत और अमरीका के दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर है।" क्या यह अंतर थोड़ा कहा जा सकता है। वह हमारे देश की घेराबन्दी करके हमारे देश में अस्थिरता लाना चाहता है। किंतु आपने संसद सदस्यों को यह बात इस तरह बताना ठीक समझा। यह मतभेद थोड़ा नहीं है। इससे जनता को भ्रम होगा। यह वास्तविकता का असत्य विवरण है।

हमें विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों को, जिनकी हम इतनी चर्चा करते हैं और जिनके प्रति हमारी इतनी निष्ठा है उन्हें निष्फल करने में अमरीका की जो भूमिका है उसे हमें समझना चाहिए। छह राष्ट्रों ने इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास किए हैं। हम श्री ओलोफ पाल्मे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह शांति के लिए शहीद हो गये। इस सम्बन्ध में अमरीका का क्या प्रत्योत्तर है? उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया। किन्तु सोवियत रूस ने उसके पक्ष में मत दिया है। छः राष्ट्रों के आह्वान के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाने के लिए सोवियत रूस ने आज भी अमरीकी कांग्रेस से अपील की है। उन्होंने परमाणु अस्त्रों का परीक्षण स्थगित रखने की एकपक्षीय घोषणा की है। यदि उनका यह विचार हो कि वे इसे जांचने की व्यवस्था का सत्यापन नहीं कर सकते हैं। इन छः राष्ट्रों के प्रयासों का सदुपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। इन छः राष्ट्रों ने कहा है कि वे इन के सत्यापन के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने को तैयार है। मेरा विश्वास है कि इन छः राष्ट्रों ने जो पहल की है, उसके समर्थन में हमें अपने देश में बहुत ही गहन लोकप्रिय अभियान चलाना होगा। यह अभियान प्रशासनिक स्तर अथवा मंत्रालय स्तर तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए अपितु इसे जन आन्दोलन के रूप में भी दिया जाना चाहिए।

मैं संयुक्त राज्य अमरीका की नीति के जिस एक दूसरे पहलू के बारे में कहना चाहता हूं, वह है लूटपाट कराने, जनसामान्य में असंतोष भड़काने और गुण्डागर्दी फैलाने की नीति जिसे वे इस देश

हर जगह चला रहे हैं। इसका सम्बन्ध निश्चित रूप से उस समाज से है जिसे वे बना रहे हैं। अमरीकी जनता के प्रति जिसने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया मेरे दिल में बहुत सम्मान है। किन्तु अब जो स्थिति है, उसे आपको समझ लेना चाहिये, कि उनकी अर्थव्यवस्था का रुख सैन्य औद्योगिक समूहों की तरफ मुड़ गया है। फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन के निदेशक श्री विलियम बेब्सटर ने कहा है :—

"हमारे समाज में ऐसे थोड़े से ही व्यापार या उद्योग हैं जो संगठित आपराधिक उद्यमियों के प्रभाव में न हों।"

सारा दृष्टिकोण ही आपराधिक वृति में बदल गया है।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

आपके दल का समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं उतना समय ले सकता हूं; जितना श्री दिनेश सिंह ने लिया है।

सभापति महोदय : उनके दल को चार घंटे मिले हैं। किन्तु आपको केवल 14 मिनट हैं। कृपया दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया, उन्हें बोलने दीजिए। वह समझदारी की बात कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब दक्षिण अफ्रीका का मामला लीजिए। वह किस प्रकार जीवित हैं? क्योंकि अमरीका उसका समर्थन करता है। राष्ट्र मण्डलीय राष्ट्राध्यक्षों के संगठन (चोगम) में हमारी भूमिका का उल्लेख बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं।

जब बेंजामिन मोलोसे को फांसी दी जा रही थी; तब हम श्रीमती थ्रेचर को समझाने की चेष्टा कर रहे थे। चोगम की क्या भूमिका है। हम इससे अलग क्यों नहीं हो जाते? उपनिवेशवाद की प्राचीन स्मृति के सिवाए चोगम की भूमिका ही क्या है। इसके अतिरिक्त दोनों कोरिया के पुनः मिलन प्रयास को कौन असफल कर रहा है? संयुक्त राज्य अमरीका जिसने दक्षिण कोरिया के तानाशाह के साथ गठबंधन कर लिया है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : निकारागुआ के बारे में एक शब्द कहना है। संयुक्त राज्य अमरीका को इस पर आक्रमण करने तथा इसे घेरने की उतावली है। यह वैध रूप से गठित गुट निरपेक्ष सरकार है। इसे अमरीका का खतरा बना हुआ है। निकारागुआ की हर आवश्यकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है।

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

महोदय, लीबिया के प्रति हमारा वह साफ रुख नहीं है जो होना चाहिए उसे अमरीका से धमकी मिलने पर हमें तत्काल कहना चाहिए था कि श्री रीगन अपना पागलपन बन्द करो।

महोदय, विश्व भर के लोग हमें एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। वे हमें बहुत बड़ी शक्ति तो नहीं मानते किंतु एक ऐसी नैतिक शक्ति मानते हैं जो न केवल राजनैतिक पहलुओं सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित कर सकती है अपितु सभी अन्य पहलुओं सम्बन्धी अर्थात् नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए तृतीय विश्व के देशों का संघर्ष, विकासशील देशों का पारस्परिक सहयोग और ऋणग्रस्तता के विरुद्ध संघर्ष जैसे विश्व की आर्थिक पहलुओं सम्बन्धी विश्व की घटनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। लैटिन अमरीका में ऋणग्रस्तता के इस प्रश्न ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। वह इसे अपना ऋण नहीं समझते। उनका यह कहना है कि 1970 में अमरीका ने प्रतिभा पलायन के रूप में तृतीय विश्व के देशों से 4.7 बिलियन डालर छीन लिए थे जिसके लिए अमरीका ने उन्हें यह सहायता दी है। उसने उन्हें 3.1 बिलियन डालर की सहायता दी है।

महोदय, अंकटाड ने इसके बारे में आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन किया है। अब एक शब्द प्रौद्योगिकी अन्तरण के सम्बन्ध में। 1985 में लाभांश, शुल्क और रायल्टी के रूप में अमरीका को विश्व के बाकी देशों द्वारा 23 बिलियन डालर रकम अदा करनी थी। क्या यही प्रौद्योगिकी का अन्तरण है? इन प्रौद्योगिकी का निर्माण अमरीका में तीसरे विश्व के उन कुशल व्यावसायियों द्वारा किया जा रहा है जो प्रतिभा पलायन के परिणामस्वरूप अब अमरीका में पहुंच गये हैं। तीसरे विश्व के देशों को साम्राज्यवादियों द्वारा लूटा जा रहा है। इनके विरुद्ध और दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना कार्य सूची में शामिल है। तीसरे विश्व के राष्ट्रों के नेता होने के नाते हमें इन निर्धन राष्ट्रों का दृढ़तापूर्वक नेतृत्व करना चाहिए तथा उनकी आवाज को बुलन्द करना चाहिए। मेरे विचार से हमारे अपने ही लोगों द्वारा इस दिशा में प्रतिरोध नहीं होगा बल्कि अपनी विदेश नीति के हर पहलू पर यदि आप और दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करेंगे तो वे आपको पूरा सहयोग देंगे।

1.59 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : सभापति महोदया, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं। सर्वप्रथम मैं इस तथ्य को उद्घाटित करना चाहती हूं कि भारत अपनी उसी विदेश नीति का अनुपालन कर रहा है जिस नीति की घोषणा हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमने देखा है कि कुछ देश कुछ देशों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात् वे स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से अपने आपको अलग कर लेते हैं किन्तु भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी सुदृढ़ विचारधारा पर अडिग रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी गुट निरपेक्षता की नीति बराबर घर करती जा रही है।

गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 1961 में 25 थी जो बढ़कर 1979 में 92 हो गई। इस समय गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के ग्रुप में 101 देश हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं कि सदस्य देश मौन बैठे रहें अथवा सबसे अलग रहें अथवा तटस्थ रहें। इसका एक विशेष कार्यक्रम है। इन देशों ने बहुत सी प्रमुख समस्याओं में हस्तक्षेप किया है तथा उन्हें सुलझाया है। उनका अनुरोध शांति कायम रखने का है। छोटे-छोटे देश अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और भारत शांति कायम रखने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन आयोजित करता रहता है।

2.00 म० प०

इन सम्मेलनों पर जो भी धन व्यय होता है, वह भले काम के लिए व्यय होता है। गुट-निरपेक्षता की भूमिका का निर्वाह करने तथा गुट-निरपेक्ष देशों का आन्दोलन चलाते रहने के लिए भारत विश्व के विभिन्न भागों में अनेक गतिविधियों में भाग लेता है। जैसा मैं कह चुकी हूं, शांति कार्यक्रमों में व्यय करना युद्ध कार्यक्रमों में व्यय करने से अधिक बुद्धिमानी का काम है। भारत सभी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखने को इच्छुक है और यह उसकी मित्रता के-ये विचार इस बात से सुनिश्चित हो जाते हैं कि भारत राष्ट्र मंडल का सदस्य बना हुआ है, जहां पर विभिन्न देशों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है। जबकि कुछ देश राष्ट्र मंडल से अलग हो गये हैं, तथापि भारत ने उसका सदस्य बने रहने की बुद्धिमानी की है।

लन्दन से प्रसारित सूचना पर हमें हंसी आती है। इस सूचना में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह अपनी मजबूरियों के कारण भारत-पाकिस्तान संबंधों को बिगाड़ रहा है। इसके बाद ही दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में उन्होंने यह कहा कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में कोई कमी नहीं आई है और भविष्य में ये संबंध और सुधरने की संभावना है। राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने काश्मीर के बारे में भी एक और वक्तव्य दिया था और वहां के अन्य राजनीतिज्ञों ने भी वही किया जिससे विवाद पैदा हुआ। जनरल जिया ने यह बात मानी कि काश्मीर का मामला उस समय तक अलग रखा जाएगा जब तक अन्य समस्याएं नहीं सुलझ जाती हैं। कुछ प्राधिकारियों द्वारा यह आवाज उठाई गई कि काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए। इसके बाद जनरल जिया-उल-हक इस बात पर अड़े रहे कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के अनुसार इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह दोहरी बात है। सैनिक आक्रमण करके अनधिकृत रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र को खाली करने से इंकार करके पाकिस्तान ने स्वयं राष्ट्र के संकल्प का उल्लंघन किया। भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है अत: उसने पाकिस्तान के साथ मैत्री समझौते का प्रस्ताव रखा। भारत के इस प्रस्ताव से कि दोनों में से कोई भी देश अपने यहां किसी तीसरे देश को सैनिक अड्डे बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहता है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया और अपनी विभिन्न मजबूरियों से पाकिस्तान ने ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद जिया-उल-हक ने यह प्रस्ताव रखा कि दोनों के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण न किया जाए और भारत ने इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया। भारत द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति

[श्रीमती शीला कौल]

दिए जाने से सभी प्रसन्न होते, किन्तु पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर पुन: विचार करने लगा।

पुंछ, राजौरी और हरिपुर क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा भारी सैनिक जमाव बढ़ाए जाने और सैनिक गतिविधियां तेज किये जाने के समाचार मिल रहे हैं। पाकिस्तान की कथनी और करनी में विरोध दिखाई देता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि भारत के प्रति पाकिस्तान की क्या विदेश नीति है क्योंकि मुझे वह स्पष्ट नहीं है।

भारत सरकार पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयत्न करता रहा है जो इस बात से स्पष्ट है कि दोनो देशों के बीच उच्च स्तर पर अनेक बैठकें होती रही हैं। पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम अस्त्रों के एकत्र किए जाने पर भारत ने कितने ही अवसरों पर अपनी यह चिन्ता व्यक्त की है कि इस तरह जिन संसाधनों को विकास और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए सदुपयोग किया जा सकता है, उन्हें वहां से हटा कर दूसरे कार्यों पर खर्च किया जाता है। हम इस पर पाकिस्तान के विचार, अगर उनसे मालूम किये जा सकें, जानने के उत्सुक हैं।

हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका कठिन समय से गुजर रहा है। किस प्रकार समस्या को हल करना है, यद्यपि यह उनका अपना काम है फिर भी हमारा उससे सम्बन्ध है और अगर श्रीलंका की समस्या हल हो जाये तो हमें प्रसन्नता होगी। श्रीलंका में गम्भीर स्थिति चल रही है और तमिलों की हत्या की जा रही है। शान्तिपूर्ण हल के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाने चाहिए।

दिसम्बर, 1985 में हमारे लिए एक अच्छा मौका था जब नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की ढाका में बैठक हुई और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना की गई। यह क्षेत्र काफी समय से उपेक्षित रहा है तथा ये विकासशील राष्ट्र हैं और उन्हें एक दूसरे पर अपने विश्वास को खोये बिना बातचीत करके पता लगाना चाहिए कि वे कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हिन्द महासागर के अंचल में श्रीलंका, बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान की सीमा पड़ती है और इन राष्ट्रों को लाभ होगा अगर हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित कर दिया जाये। भारत के लिए यह बहुत चिंता का मामला है कि दियागोगार्सिया में एंग्लो-अमरीकी अड्डे का विकास किया जाएगा।

माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह ने राष्ट्र संघ का जिक्र किया था और यह बताया था कि यह किस प्रकार से संकटों से गुजर रहा है। हमारा यह विश्व एक छोटी सी जगह है और क्या यह बेहतर न होगा कि हम एक साथ शान्तिपूर्वक रहें बजाय अलग-अलग रहने के? युनेस्को की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पश्चात हुई थी। विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, जोकि विश्व शान्ति और प्रगति के मूलाधार हैं, युनेस्को आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। इस अच्छे कार्य में हमें युनेस्को का एक अभिन्न अंग बने रहना चाहिए।

मुझे अपने दूतावासों के सम्बन्ध में कुछ कहना है। विदेशों में नियुक्त किये जाने वाले हमारे

लोग अपने-अपने कार्य में प्रशिक्षित होते हैं। परन्तु हम अक्सर देखते हैं कि उन्हें उस भाषा में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता जहां पर उन्हें नियुक्त किया जाता है। एक बार जब वे वहां चले जाते हैं तो वे उस भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं परन्तु भाषा सीखने के पश्चात उन्हें दूसरे दूर के देशों में नियुक्त कर दिया जाता है जहां पर उनके द्वारा सीखी गई भाषा का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में कुछ लोग हैं जिस कारण मैं यह बात कह रही हूं। एक सज्जन थे जिन्होंने अपनी बुलगारिया में नियुक्ति के दौरान लगभग 3 वर्षों तक बुल्गारी भाषा सीखी। परन्तु उनका सिंगापुर तबादला कर दिया गया। अब सिंगापुर में उस भाषा का क्या उपयोग किया जा सकता है? ये सभी बहुत ही छोटी बातें हैं परन्तु हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की नियुक्ति करते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मेरे विचार से हमारे लिए कोई भी दूतावास और कोई राष्ट्र महत्व की दृष्टि से छोटा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में हमारा सबका केवल एक-एक मत है। मुझे याद है कि साइप्रस के एक मंत्री ने यह भावना व्यक्त की थी कि उनका छोटा देश है और मैंने उत्तर दिया था कि वे बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं, और हालांकि हमें बड़ा कहा जा सकता है, परन्तु हम सबका एक-एक मताधिकार ही तो है। अतः कोई राष्ट्र छोटा नहीं है और उन देशों में जो बड़े नहीं हैं, दूतावासों को अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए और उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए और इन दूतावासों के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए। मुझे बोलने का जो समय दिया गया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदया, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा करते हुए, मैं आपके समक्ष अपनी विदेश नीति की कतिपय विशेषताएं रखूंगा और आपके माध्यम से इसके सम्बन्ध में अपने कुछ विचार सभा के सामने रखूंगा।

महोदया, यह संतोष का विषय है कि हमारी विदेश नीति निरन्तर गुटनिरपेक्षता, मित्रता और शान्ति पर आधारित रही है। हमारे देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में जो भूमिका अदा की है वह सुविदित है। इसी प्रकार से हमारे देश ने निरस्त्रीकरण और शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो भूमिका निभाई है वह भी प्रशंसनीय रही है।

जहां तक विकासशील देशों का सम्बन्ध है, विश्व शांति और निरस्त्रीकरण उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्योंकि विकास और शांति सदैव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और विशेषकर परमाणु युद्ध न केवल उस देश को नष्ट कर देगा जिस पर हमला किया जाएगा बल्कि वह सम्पूर्ण मानव सभ्यता को समाप्त कर देगा। अतः इस दृष्टिकोण से निरस्त्रीकरण और शांति के हमारे प्रयास ध्यान देने योग्य हैं और इन विकासशील राष्ट्रों तथा तीसरे विश्व के देशों के प्रयासों के बिना दो महान शक्तियों का यह संयुक्त बयान देना सम्भव नहीं था कि परमाणु युद्ध कोई नहीं जीत सकता है और ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। हालांकि इस दिशा में बहुत प्रगति अभी करनी है और मुझे विश्वास है कि हम इस प्रगति की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

जहां तक क्षेत्रीय संघ की स्थापना का सम्बन्ध है, गत वर्ष 'सार्क' की स्थापना इस क्षेत्र के लिए

[श्री शरद दिघे]

एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इस संस्था की स्थापना में हमने एक महान भूमिका निभाई है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी विदेश नीति के सभी पहलुओं का जिक्र नहीं करूंगा, परन्तु मैं भी अपने दो पड़ोसी अर्थात् श्रीलंका और पाकिस्तान का उल्लेख करना चाहूंगा जैसा कि अन्य सदस्यों ने अपने भाषणों में किया है।

अब, जहां तक श्रीलंका का सम्बन्ध है, मैं अपने प्रधान मंत्री को, दृढ़ और पक्का रुख अपनाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने जब वह माले में थे तो स्पष्ट तौर पर यह प्रश्न उठाया था; "श्रीलंका हमें बताये कि क्या वह भारत के शांति प्रयासों को जारी रहने देना चाहता है अथवा नहीं।" जब श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष दोहरा रुख अपना रहे थे तो यह बिल्कुल जरूरी था कि उनसे स्पष्ट रूप से पूछा जाये कि क्या वे वास्तव में इस झगड़े के निपटाने में हमारा हस्तक्षेप चाहते हैं।

एक समय पर श्री जयवर्धने ने विशेष रूप से कहा था कि "मैं इस समस्या को जो मेरे विचार से एक सैनिक समस्या है सैनिक तरीके से हल करना चाहता हूं और ऐसा करने के बाद, मैं उसके राजनीतिक पहलू को हल करूंगा।" अतः वह श्रीलंका की समस्या पहले सैनिक समस्या के रूप में देखते हैं; और उसे सैनिक सहायता से हल करने के बाद वह उसे राजनीतिक समस्या के रूप में हल करना चाहेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि "सेना अब अधिक सज्जित तथा अधिक प्रशिक्षित है और मैं उनसे आशा करता हूं कि वे वर्ष के अन्त तक इस गुरिल्ला हिंसा को समाप्त कर देंगे।" अतः उनका प्रमुख जोर श्रीलंका की समस्या को सैनिक दृष्टि से हल करने पर है। अगर ऐसा है तो तमिलों की यह हत्या लम्बी अवधि तक जारी रहने की सम्भावना है।

अतः जहां तक श्रीलंका का सम्बन्ध है हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है और उन पर राजनीतिक दबाव डालना चाहिए ताकि कोलम्बो अपनी नीति का प्रभावी रूप से पुनर्गठन करके अपने सैनिकों को अपने देश के उस भाग में नागरिकों की निरन्तर हत्याएं करने से रोके। अतः, मेरा सुझाव यह है जैसे कि हमने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या वे हमारा हस्तक्षेप चाहते हैं, उसी प्रकार साहसपूर्ण कदम उठाकर उन पर राजनीतिक दबाव डालना भी आवश्यक है जिससे नरसंहार को रुकवा कर दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार किया जा सके ताकि जातीय समस्या को राजनीतिक रूप से हल किया जा सके और न कि सैनिक तरीके से।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि हमारी नीति पर थोड़ा पुनर्विचार आवश्यक है। पाकिस्तान काफी समय से दोहरी बातें कर रहा है; और निरन्तर परस्पर विरोधी आधार लेता रहा है। शायद जिया हमें चलाना चाहते हैं, और यह महसूस करते हैं कि वह समय-समय पर भिन्न-भिन्न वक्तव्य देकर इस महान देश को लगातार बेवकूफ बनाया जा सकता है। परन्तु, सौभाग्य से, हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत ही पक्का और साहसपूर्ण आधार अपनाया है। मैं समझता हूं कि उनकी पाकिस्तान यात्रा, वर्तमान समय में, स्थायी तौर पर टाल दी गई है। यहां तक कि हमारे विदेश मंत्री की यात्रा को भी जो इस माह करनी थी स्थगित कर दिया गया है। यह एक ठीक

तथा पक्का रुख है जिसकी आवश्यकता है जबकि हमारे पास पक्के सबूत हैं कि पंजाब के उग्रवादी आंदोलन में उस देश से न केवल निरन्तर हथियारों को भेजा जा रहा है बल्कि प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तथा हमारे देश में समस्या पैदा करने और कतिपय राज्यों में स्थिति को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान में कैम्प चल रहे हैं।

इस तरह काश्मीर में समस्या पैदा की जा रही है, और पंजाब में भी। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस देश की साम्प्रदायिक समस्याओं में हस्तक्षेप करना उनका अधिकार है। अगर स्थिति यह है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें उन्हें बार-बार बातचीत के लिए मनाने के लिए उनके पीछे-पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जब वे दुतरफा बातें कर रहे हैं, दो बोलियां बोल रहे हैं तो किसी भी मामले को, जो दोनों देशों के सामने हैं, तय करना सम्भव नहीं होगा। 17 दिसम्बर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधान मंत्री की बैठक से बहुत आशायें थीं, परन्तु तब से दोनों देशों की समस्याओं में बहुत कम प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच जो तीन-चार मामले हैं उन पर अपना आधार दृष्टिकोण छोड़े बिना केवल उन पर चर्चा के लिए बार-बार बैठकें करने का कोई समय तय करने मात्र से अग्रेतर प्रगति नहीं की जा सकती। सियाचिन-हिम-चट्टान पर अगर निरन्तर हमले किये जाते हैं और अगर उन पर पाकिस्तान द्वारा लगातार अपना अधिकार दर्शाया जाता है तो जहां तक बहुत से मामलों का सम्बन्ध है उनका कोई हल नहीं निकाला जा सकता।

जैसा कि मैं कह रहा था कि मूल मामले पर अगर पाकिस्तान अपनी स्वयं की नीति पर आग्रह करता है और उससे एक इंच भी सरकना नहीं चाहता तो दोनों देशों के बीच के मामलों का कोई हल नहीं निकाला जा सकता और इस पर मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के संबंधों की समस्या, श्रीलंका और भारत के संबंधों की समस्या अलग-अलग नहीं है; वे विश्व समस्या का एक अंग है जिसमें अमरीकी साम्राज्यवाद निश्चित ही एक महान भूमिका अदा कर रहा है और यह पूरी तरह से नजर रख रहा है कि भारत को उसके पड़ोसी राज्यों द्वारा इन समस्याओं को हल न करके और समस्या उत्पन्न करके लगातार परेशान किया जाता रहे ताकि भारत प्रगति न कर सके, भारत में विकास कार्य रुक जायें और यह अपने धन को देश की रक्षा या अन्य कार्यों पर लगाये ताकि भारत इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली राष्ट्र न बन पाये।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदया, आरम्भ में मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर पहले बोलने का मौका देने के लिए आपका, प्रो० मधु दंडवते और श्री शाहबुद्दीन का धन्यवाद करता हूं।

विभिन्न देशों में हमारे दूतावासों में काम करने वाले भारतीय अधिकारियों के बारे में तथ्य को माननीय मंत्री को बताते हुए मुझे वास्तव में दुःख हो रहा है। वे दिन-प्रतिदिन की घटनाओं की सरकार को जानकारी नहीं देते हैं; और वे देश-विरोधी गतिविधियों की, जो हो रही हैं, उनकी सही जानकारी सरकार को नहीं देते हैं। वे सम्बन्धित राष्ट्राध्यक्षों को उनके देशों में अलगाववादियों विशेषकर खालिस्तानियों आदि को शरण न देने के लिए जोर नहीं देते हैं। यह बताते हुए भी बड़ा

[डा० ए० कलानिधि]

दु:ख हो रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य दुर्घटनाओं के मामले में जब भारतीयों की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के सम्बन्धित परिवारों को ठीक से जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है; तथा उनको मुआवजा देने में बहुत विलम्ब किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से इस बात पर ध्यान देने का निवेदन करता हूं।

मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा अगर मैं माननीय मंत्री की जानकारी में विदेश सचिव के बारे में तथ्य नहीं लाता, ···**···एक लेख में जो गत सन्डे टाइम्स में छपा है; श्री ठाकुर द्वारा एक जीवन्त लेख लिखा गया है।···**···(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : मेरे विचार में इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

सभापति महोदया : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

डा० ए० कलानिधि : यह एक खुला रहस्य है। (व्यवधान) ···**···

श्री बी० आर० भगत : आप एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। जो व्यक्ति अपना बचाव पक्ष पेश नहीं कर सकता, उसका नाम क्यों बीच में लाते हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह वाद-विवाद के संदर्भ में बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : जिस व्यक्ति का इन्होंने उल्लेख किया है वह अपना पक्ष नहीं रख सकते। कृपया उनके नाम को हटा दें।

श्री बी० आर० भगत : यह तथ्य भी नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ठीक है, आप इससे इन्कार करते हैं।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

डा० ए० कलानिधि : उन्होंने कहा है कि विदेश सचिव न···**···श्रीलंका के श्रेष्ठतम समुद्री तट पर अपने परिवार को ले गये जबकि तमिल लोग मारे जा रहे थे तथा लोग आंसू बहा रहे थे। क्या मंत्रालय के लिए उचित है कि विदेश सचिव को इस प्रकार मौज मनाने की अनुमति दी जाये ? यह नीरो के कृत्य के तुल्य है जबकि रोम जल रहा था। जब सरकारी कर्मचारियों का आचरण शोभनीय नहीं हो तब क्या सरकार के लिए यह उचित है कि ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट राजदूत

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जैसे पदों पर नियुक्त किया जाये, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमिल नेताओं जैसे बालसिंहम और चन्द्र हासन को निकाले जाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं—वह स्वर्गीय श्री चेलबा नायकम के पुत्र हैं जिन्हें हम श्रीलंका का गांधी कहते हैं। मैं विदेश मंत्री से इस पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। मुझे पिछले वर्ष अमरीका की विधान सभा में जाने का अवसर मिला। यह खेद का विषय है कि भवन के हॉल में या कहीं भी एक भी स्मृति चिन्ह नहीं रखा गया। छोटे से छोटे देश ने भी अपनी संस्कृति और परम्पराओं के स्मारक रखे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि भारत अपनी संस्कृति कला और परम्परा के चिन्ह भी स्थापित नहीं कर पाया जबकि दूतावाओं पर हिन्दी की क्रियान्विति के लिए अधिक धन व्यय किया गया है, कुछ समय पहले राज भाषा समिति सचिव अमरीका गईं तथा बहुत सा धन व्यय किया, तथा हम उस भाषा पर धन व्यय कर रहे हैं जबकि यह भाषा संविधान की अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक भाषा है।

महोदय, कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मंत्री महोदय ने सूचित किया कि अमरीकी एयर क्राफ्ट कैरियर एन्टरप्राइज तथा पांच अन्य पोत कराची पहुंचे तथा पाकिस्तानी पोत कोलम्बो पहुंचे। इससे भारत के लोग तथा विशेषरूप से तमिलनाडु के लोग चिन्तित हैं।

पिछले 15 महीनों में 6000 तमिल मारे गये तथा 3 लाख लोग लंका छोड़कर आये। आप राजनीतिक समाधान करना चाहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के बाद सैनिक कार्यवाहियां बढ़ा दी गई हैं तथा ब्रिटिश इजरायली तथा अमरीकी शस्त्रों का अधिक उपयोग हो रहा है। तब भी आप कहते हैं कि आप मूक दर्शक बने रहेंगे तथा आप राजनीतिक समाधान चाहते हैं।

महोदय, आज के इण्डियन एक्सप्रेस में समाचार छपा है, मुझे उसे उद्धृत करने की अनुमति दी जाये।

> "लंका सेना द्वारा 9 तमिलों की हत्या" कोलम्बो, 20 मार्च, कम से कम 9 तमिल पिछले बृहस्पतिवार को श्रीलंका सेना द्वारा उत्तर बाबूनिया नगर से लगभग 40 कि०मी० की दूरी पर, नेडुन केनी में मौत के घाट उतार दिए गए तथा 16 को बन्दी बना लिया गया, नागरिक समिति स्रोतों ने बताया।"
>
> इस बारे में सरकारी विवरण प्राप्त नहीं हो सका।
>
> "स्रोतों ने बताया कि सैनिक बहुत सी गाड़ियों में जिनमें सशस्त्र गाड़ियां भी सम्मिलित थीं बुधवार की रात को आये तथा बृहस्पतिवार को प्रातः तलाशी अभियान शुरू किया।"
>
> "स्रोतों ने आरोप लगाया कि तलाशी का उद्देश्य स्थानीय जनता को डरा कर वह क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश करना था।"

महोदय, अम्पारा जिले में निर्दोष किसानों को मारकर जला दिया गया तथा परिस्थिति अभी भी भयानक बनी हुई है और राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने "लन्दन टाइम्स" को दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान

[डा० ए० कलानिधि]

घोषणा की है कि वह राजनीतिक समाधान का सहारा नहीं ले रहे हैं जबतक कि तमिल उग्रवादी मार नहीं दिये जाते और बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाते। मैं भारत सरकार के रवैये को समझ नहीं पाया। आप ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत क्यों करते हैं जोकि राजनीतिक समाधान के लिए तैयार नहीं है, जोकि कोलम्बो से कान्डी तक पदयात्रा करके सिंहलियों को तमिलों के विरुद्ध उकसाने के लिए उत्तरदायी है। इतिहास को इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। हमें इसे याद रखना चाहिए। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पूरी परिस्थिति के तथा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति की पुनरीक्षा करें। परन्तु आप अभी भी राजनीतिक समाधान की बात करते हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के एक गतिशील मंत्री ने दूरदर्शन पर कहा है श्रीलंका द्वारा सैनिक शक्ति द्वारा विनाश किए जाने के मुकाबले में भारत राजनीतिक समाधान चाहता है। श्री लंका की स्थिति बिगड़ रही है तब तमिलनाडु के युवा मंत्री शान्तिपूर्ण बातचीत की बात कहते हैं।

महोदय, निर्दोष महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है परन्तु आप युवकों को आतंकवादी कहते हैं। परन्तु आप भूल गये कि वे आतंकवादी क्यों बने ? वे अपने अधिकारों के लिए अपने जीवन के संघर्ष, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं।

दूसरी स्थितियों में आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आपका मानदण्ड क्या है। जब फिलस्तीन मुक्ति मोर्चे का प्रश्न आता है आप तुरन्त उसे मान्यता देते हैं तथा नामीबिया के मामले में आप बढ़कर कार्य करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के मामले में आप समस्या को समझते हैं। परन्तु लंका में नरसंहार को आप समझ नहीं पाते इसके विपरीत आप उनके नेताओं को देश से निकालते हैं। आपके सचिव उनके लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें अभी भी हो रही है तथा आप उन्हें नेता कहने को तैयार नहीं हैं। आप उन्हें उग्रवादी कह रहे हैं। वहां के तमिल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि दक्षिण अफ्रीका तथा श्री लंका में नर संहार में कोई अंतर नहीं है।

माननीय प्रधान मंत्री को दक्षिण अफ्रीका की याद तो आती है, शायद इसलिए कि उनका नाम गांधी है, जहां पर कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था तथा वह लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर, सम्मेलनों में तथा वार्ताओं में वह दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने और रंगभेद समाप्त करने की बात करते हैं। श्री लंका के जुल्म के बदले उनकी सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि लंका सरकार को भारत में रह रहे लंका के विस्थापितों के व्यय का 5% वहन करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मंत्री का कहना है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि श्रीलंका के तमिल विस्थापित सम्मानपूर्वक श्रीलंका लौट सकें। हमारी सरकार श्रीलंका में तमिलों के संहार को रोकने के लिए केवल यही राजनीतिक प्रयास है।

मंत्री पद का तीस वर्ष का अनुभव रखने वाले हमारे मंत्री महोदय कहेंगे कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार अभिसमय में श्रीलंका द्वारा अल्पमत के लोगों पर

किये जा रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। तुरंत ही श्रीलंका के राष्ट्रपति 1983 के संधि प्रस्तावों के क्रियान्वित किए जाने की बात कहने लगते हैं। तीन वर्षों की टालमटोल तथा सैनिक तैयारी तथा सभी स्थानों पर सुरक्षा सेनाओं के कैम्पों की स्थापना के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री अब अमन की बात करते हैं। प्रान्तीय परिषदों के गठन की उसके चुनावों की बात करते हैं, उनके प्रमुख की तथा परिषद के चुनावों की बात करते हैं। श्रीलंका में लाखों तमिलों के मृत शरीरों पर अखण्डता लाई जाएगी।

जब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आये तब उस समय की सरकार ने पूरे विश्व के समक्ष राजनयिक विरोध किया। भारत सरकार ने बंगला देश की मुक्ति में सहायता दी। परन्तु वर्तमान भारत सरकार तमिलनाडु सरकार का विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 40 करोड़ रुपए देकर संतुष्ट है। लोक सभा में हमें बताया गया कि यह एक राष्ट्रीय मामला है और तमिलनाडु का ही मामला नहीं है। हमारे विदेश सचिव श्रीलंका गये तथा श्रीलंका में हमारे उच्चायुक्त भारत आए तथा उन्होंने भारत सरकार को स्थिति की जानकारी दी।

हम ऊंचे स्वर में चिल्लाते रहे हैं कि हिन्द महासागर की त्रिन्कोमाली का क्षेत्र अमरीकी नौ सेना को दे दिया गया है जो हिन्द महासागर की आंख है। वहां के 101 तेल टैंकर अमरीकी नौ सेना को महीनों तक तेल उपलब्ध करेंगे। हमारी नौ सेना का पूर्व-पश्चिम जाना श्रीलंका के तट का चक्कर काटकर जाना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के नाम पर अमरीकी नौ सेना श्रीलंका के चारों ओर खानें बिछा रही हैं। कोलम्बो के निकट अमरीका द्वारा सबसे ऊंचा ट्रांसमीशन टावर हमारी नौ सेना की गतिविधियों तथा अन्य देशों के फ्लीटों के आने जाने पर देखरेख रखेगा। हमारा दक्षिणी तट अति संवेदनशील बन गया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि श्रीलंका हमारे तट के निकट एक दूसरा दिआगो-गार्सिया है। फिर भी हमारी अन्तर्राष्ट्रीय राजनयता में नैतिकता है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमें श्रीलंका तथा भारत के मध्य अपनी नौ सेना तैनात करने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्रीलंका की नौ सेना द्वारा हमारे मछुआरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

सेतुसमुंद्रम नहर परियोजना को एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में रक्षा मंत्रालय द्वारा हाथ में लिया जाना चाहिए। वर्तमान उप-राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्रीत्व के समय इस परियोजना के सामरिक महत्व पर बल दिया था। यह नहर हमारे दक्षिणी तट की रक्षा करेगी। क्या अपने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए हमें ऐसा रक्षात्मक उपाय भी नहीं करना चाहिए। यह हमारी विदेश नीति का अंग है।

श्रीलंका के विरुद्ध हमारी आर्थिक नाकेबन्दी की मांग करनी चाहिए जिसकी विचारधारा दक्षिण अफ्रीका से भिन्न नहीं है। श्रीलंका के शांति सम्बन्धी वक्तव्यों के भुलावे में नहीं आना चाहिए। श्रीलंका में समग्र तमिल जाति का उन्मूलन करने के बाद वह लंका में सभी राज्य विहीन लोगों का सफाया कर देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति की इस धोखेबाजी का अवश्य प्रतिकार करने के लिए पर्याप्त

[डा० ए० कलानिधि]

उपाय करने चाहिए ।

अंत में अपने प्रिय नेता डा० कलेगनेर एम० करुणानिधि द्वारा बार बार किए गये अनुरोध को दोहराते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि हमें श्रीलंका के साथ राजनयिक सम्बन्ध समाप्त कर देने चाहिए तथा उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। यदि उसके बावजूद श्रीलंका के राष्ट्रपति सही रुख नहीं अपनाते तो समस्या का समाधान अपनी सेना पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमने सभी अन्य उपायों का उपयोग कर लिया है। मैं समझता हूं कि श्रीलंका की जातीय समस्या का एकमात्र समाधान सैनिक कार्यवाही है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : आदरणीय सभापति महोदय, विदेश विभाग की जो लगभग 62 करोड़ रुपया की मांग नं० 29 सदन में प्रस्तुत हुई हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। विदेश में हिन्दी के प्रचार के लिए सिर्फ दस लाख रूपया रखा गया है। मैं निवेदन करनाचा हूंगा कि हमारी इस राष्ट्र भाषा के प्रचार के लिए अधिक से अधिक खर्च किया जाना चाहिए। कि हम देखते हैं विदेशी लोग जब भी यहां आते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं और जब हिन्दुस्तान के लोग वहां जाते हैं तो उन्हें अंग्रेजी या उनकी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। मैं इस सदन के द्वारा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी नीति होना चाहिए कि हिन्दी का प्रचार विदेशों में अधिक से अधिक हमारे यहां कबीर का दोहा है। 'कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर,' उसी प्रकार हमारे देश की नीति है कि सबसे दोस्ती है और बैर भी किसी से नहीं है। हमारे पड़ोसी देश जो हमेशा की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए हैं, लेकिन हमारे देश के लिए एक सिरदर्द बने हुए है। हमें ऐसा व्यवहार नीति रखना चाहिए कि हमने दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया है और वहां से वैसा ही भी बढ़ता है तो अच्छी बात है नहीं तो जैसे को तैसे का व्यवहार होना चाहिए तभी हम अपने सम्मान की सुरक्षा रख सकते हैं। हमारे भारतीय योगी या महात्मा जो बाहर जाते हैं, वहां हमारी भारतीयता का प्रचार करते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो देश-भक्त हैं उनको समुचित सम्मान मिले। जो भारतीय यहां से जाएं और अगर हमारी भारतीयता को किसी तरह की ठेस पहुंचाते हैं तो हमें उनको वापिस बुलाने का ध्यान भी रखना चाहिए जिससे हमारे भारत के लिए कोई बदनामी का मौका न हो। अभी जैसा कि पूर्व-वक्ताओं ने बताया श्रीलंका और पाकिस्तान के सम्बन्ध में तो हमको किसी दूसरे के नुकसान के लिए नहीं बल्कि अपना ताकत बढ़ाने के लिए, अपने देश को और सुरक्षित रखने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे हमें परमाणु बम बनाने या सैन्य बल को बढ़ाने की जरूरत हो तो हम पीछे नहीं रहना चाहिए। परमाणु बम दूसरों के नुकसान के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग हमारी ओर आंख उठाकर न देख सकें। एक शेर की कहानी भी आपको बता देना चाहता हूं। एक शेर बहुत अहिंसक था। किसी साधु ने उसको उपदेश

दिया था कि तुम्हें इतनी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। वह मान गया। जब वह मान गया तो लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। जब पुनः साधु मिला तो शेर ने कहा कि लोग हमें पत्थर मार रहे हैं। साधु ने कहा कि मैंने खाने के लिए मना किया था लेकिन दहाड़ने के लिए मना नहीं किया था। इसी तरह से हमारी नीति होनी चाहिए। अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसका मुकाबला तौर-तरीके से होना चाहिए तभी हमारे सम्मान की सुरक्षा हो सकती है। भारतीय नागरिक जो विदेशों में जाते हैं उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो हमारे दूतावास हैं वे उनकी समुचित सहायता नहीं कर पाते हैं। उसकी हमको जांच करनी चाहिए कि इसके क्या कारण हैं। हमारे भारतीय जहां कहीं भी जाएं उनको सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् (सलेम) : सभापति महोदय सर्व प्रथम मैं इस अवसर पर प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और विदेश मन्त्री श्री भगत को बधाई देता हूं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश का सिर ऊंचा रखा है। "नाम" की अध्यक्षता के दौरान भारत का योगदान ऐतिहासिक ही नहीं रहा है बल्कि अनेक मामलों में क्रान्तिकारी भी रहा है हमने 'नाम' का इस हद तक बहुत प्रभावकारी आन्दोलन बनाया है कि दूसरी शक्तियाँ अब 'नाम' को गम्भीरता से ही नहीं देखती है बल्कि लोगों के मन में कुछ डर बढ़ गया है। उनको डर है गुट निरपेक्षता और शान्ति की हमारी नीतियों से ताकत बढ़ेगी और अन्ततः पूरे विश्व को अपने में लपेट लेगी जिससे विश्व की महाशक्तियों के प्रयासों और उनकी चालों का अन्त हो जायेगा। जहां तक निरस्त्रीकरण और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति के बारे में भारत के योगदान का सम्बन्ध है राष्ट्र संघ और 'चोगम' तथा 24 मंत्रियों के ग्रुप की अप्रैल 1985 की बैठक यह एक ऐसा योगदान है जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा गया है और इसका हमेशा उल्लेख किया जाएगा। इतना सब होते हुए भी जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी भूमिका का सम्बन्ध है, कुछ ऐसी बात हो रही है, जिनके बारे में मैं विदेश मन्त्री को बताना चाहता हूं। यह विदेशों में स्थित हमारे विभिन्न दूतावासों के कर्मचारियों के संबंध में है। मैंने विदेशों के स्थित कई दूतावासों का दौरा किया है। मुझे पता चला है कि जिन को हम स्थानीय तौर पर रखते हैं उन कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। सांविधिक रूप से उन देशों में इनको जो मजदूरी दी जानी चाहिए उसमें भी कम दी जाती है। अपनी बात विस्तार में कहने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग सभी विदेशों में हमारे देश की तरह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हैं, विशेषतया पश्चिमी गुट और यूरोपियन गुटों में। जब हम विदेशों में जाते हैं तो अनेक कर्मचारी, जो स्थानीय रूप से सहायक, चालक, प्रोटोकोल सहायक, आदि के रूप में रखे जाते हैं संसद सदस्यों तथा दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों से मिलते हैं। वे हमें बताते हैं कि उन्हें दूसरे दूतावासों में काम कर रहे कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है। यह सुनकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब हमें मालूम होता है कि दूतावासों में कर्मचारियों के संविधान के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता और उनकी विभिन्न संविधियों के अंतर्गत अन्य सेवा शर्तें भी नहीं होती हैं। श्रीमन्, मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच करें। यह केवल दूतावासों पर ही नहीं अपितु विदेशों में स्थित हमारे मिशनों पर लागू होता है। यह अच्छी परम्परा नहीं है कि इन विदेशी मिशनों और दूतावासों द्वारा प्राप्त छूट व सुविधाओं का गलत ढंग से प्रयोग करना ठीक नहीं है। यह

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम्]

सच है कि हम विदेश सेवा में लगे हुए नियमित कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं देते। यह बहुत दुःख की बात है कि हमारी विदेश सेवा के कुछ कर्मचारी जो विदेशों में तैनात हैं, दूसरे दूतावासों से प्राप्त निमन्त्रणों का स्वागत करते हैं और भोजन का अर्थ केवल भोजन से नहीं बल्कि मदिरा से भी हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उन की भली प्रकार देखरेख नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय हित के लिए बहुत अधिक योगदान किया है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रगति एक ही रात में नहीं हुई है और न ही यह कर्मचारियों के प्रयत्नों के बिना हुई है और मैं यह नहीं कहता कि दूसरे दूतावासों की तरह ही उनके साथ व्यवहार क्यों नहीं किया जाता। जब आप उनकी तुलना करते हैं तब उनकी तुलना भारत में सरकारी सेवा में लगे हुए लोगों के साथ न करें, क्योंकि भारत में रहन- सहन का खर्चा निश्चित रूप से पश्चिमी देशों की तुलना में कम है। कोई भी मनुष्य उनके वी०सी०आर० टेलिविज़न, इत्यादि को देखकर अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन वास्तव में बात यह है कि जब वे भारत में वापस आते हैं तो वे वी० सी० आर० टेलिविजन फ्रिज के अलावा क्या लाते हैं। क्या वे वास्तव में बचत के रूप में विदेशी मुद्रा अपने साथ लाते है ? अगर कोई उत्तर जानना चाहता तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनकी मिशनों में नियुक्ति होती है विशेषतया यू० एन० मिशनों में। वह धन की बचत कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूतावासों में काम करते हैं उनकी बचत बहुत कम है जिससे उनकी आवश्यकताएं ही पूरी हो पाती हैं। मैं विदेश मंत्रालय से विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों, विशेषरूप से जो विदेश सेवा में हैं और जो विदेश सेवा में नहीं हैं की समस्याओं को देखने के लिए कहूंगा। मुझे विश्वास है कि कई संसद सदस्य जो विदेश गए है, मुझ से सहमत होंगे कि विशेष रूप से निचले स्तर के कर्मचारी जैसे चालक प्रोटोकोल सहायक, आदि अपनी शिकायतें संसद सदस्यों को बताते हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू मैं दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को विदेशों में तैनात किए जाने के बारे में बता रहा हूं। मैं प्रथम श्रेणी की बात नहीं करता हूं क्योंकि यह तो प्रथम श्रेणी की भारतीय विदेश सेवा 'ए' है। परन्तु मेरा मतलब तो भारतीय विदेश सेवा 'बी' से है। इसमें बहुत पक्षपात किया जाता है। उचित नियमों का पालन नहीं किया जाता इस संबंध में चक्रानुक्रम प्रणाली अपनायी नहीं जा रही है जोकि अपनायी जानी चाहिए।

लेकिन वास्तव में हो यह रहा है कि यदि कोई आई० एफ० एस० 'बी' का कोई सदस्य विशेष नौकरशाही के नजदीक है चाहे मंत्री के नजदीक न हो, तो वह काफी लम्बे समय तक और यदि सम्भव हुआ तो पूर्ण सेवा-काल विदेश में गुजारने की व्यवस्था कर लेता है। जबकि दूसरे विदेश मंत्रालय में केवल क्लर्क बनकर नकारात्मक मनोवृत्ति से फाइलें धकेलते रहते हैं और यह शिकायत तब तक जारी रहेगी जब तक कोई चक्रीय प्रणाली कार्यकुशलता के लिए नहीं लाई जाती।

सभापति महोदया, मैं श्रीलंका के विषय में कहना चाहूंगा जोकि मेरे बहुत से साथियों द्वारा मेरा प्रिय विषय समझा जाता है। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है तमिलनाडु से आने वाले संसद सदस्य केवल श्रीलंका के बारे में बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश, मेरे विचार में अब बाकी देश के और अधिक

संसद सदस्य श्रीलंका के विषय में अपनी आवाज उठा रहे हैं और यह जानकर खुशी होती है कि सारा देश श्रीलंका सरकार के कार्य करने के ढंग से चिंतित और हैरान तथा आतंकित है। सभापति महोदया, मुझे यकीन है कि माननीय विदेश मंत्री को याद होगा कि पिछले वर्ष जब मैंने इसी विषय पर हुए वाद-विवाद में भाग लिया था तो मैंने कहा था कि श्री लंका के तत्कालीन राष्ट्रपति और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति की व्यंग्य से झूठ बोलने की प्रवृत्ति है और मैं सोचता हूं कि हाल ही में गुजरा वक्त मेरे कथन को ठीक सिद्ध कर देगा। उस समय मैंने यह कहा था जो रिकार्ड में दर्ज है, कि यह वही राष्ट्रपति हैं जिसने प्रसिद्ध कैंडी अभियान का नेतृत्व किया था और यहां तक कि उस समझौते को भी तोड़ दिया था जो यदि लागू हो जाता तो शायद जातीय समस्या कभी पैदा न होती।

अब यह वही राष्ट्रपति हैं जो कह रहे हैं "नहीं, मैं द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय, बातचीत करूंगा और मैं मामले को निपटा लूंगा।" वह हमारे प्रधा मंत्रीन से बातचीत करने आये लेकिन अंत में उन्होंने वापिस जा ार कहा कि "मेरा राजनैतिक अनुभव भारतीय प्रधान मंत्री की उम्र से ज्यादा है। "उन्होंने अहंकार से यह कहा कि "भारतीय प्रधान मंत्री मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए।" उन्होंने यह कहा और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ वह ऐसा कहते हैं और दूसरी ओर शांति का लाभ उठाते हुए हैलीकोप्टर, तोपवाले जहाजों और अन्य सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने युद्धविराम लड़ाई बन्द करने के लिए नहीं किया अथवा समझौते के लिए नहीं किया। वह इस पर केवल इसलिए सहमत हुए ताकि वह अपने आपको अच्छी तरह शस्त्र सज्जित कर सकें और अन्तत: दुर्भाग्य"ाली तमिलों पर जो केवल समानता की मांग कर रहे हैं, इज्जत से रहने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो द्वितीय श्रेणी के नागरिक या कुत्तों जैसा व्यवहार न किए जाने की मांग कर रहे हैं, को कुचलने के लिए प्रहार कर सकें।

सभापति महोदया, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हैलीकोप्टर, तोप जहाजों और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग सैनिकों के लिए नहीं अपितु असैनिक नागरिकों के नरसंहार के लिए हो रहा है। घरों में रहने वाले लोगों को अचानक अपनी झोपड़ियों के चारों ओर आग मिली क्योंकि सिंहली अंगरक्षकों ने उन पर आधुनिक बमों की वर्षा कर दी थी। वास्तविक स्थिति यह है। सभापति महोदया, हम दिन-रात बेइज्जती सहन करके चुप क्यों रह रहे हैं। कभी-कभी व्यक्तिगत तौर पर भी। एक ओर हमारी बेइज्जती होती है और दूसरी ओर हम अपना हाथ फैलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हम मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हैं। आजकल श्रीलंका सरकार वास्तव में हम पर ताना मार रही है और बिना बोले हमें कह रही है कि "हमें आपकी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है।" हम अब भी कैसे चुप रह सकते हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें अपनी सेना भेजनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है इस जवान उग्रवादियों को अपने हितों के लिए लड़ने दिया जाए। हम सैनिक सामग्री के रूप में सहायता की मांग भी नहीं कर रहे हैं। वे जानते हैं कि इसे कैसे पाना है और वे इसे स्वयं पा लेंगे। भारत सरकार को कम से कम नैतिक समर्थन देना चाहिए। ठीक है, बंगला देश के लिए तो हम दुनिया के चारों तरफ गए। हमारी प्रधान मंत्री ने दुनिया के एक शहर से दूसरे शहर, एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक उड़ान भरी और हमने जोर देकर यह कहा कि "बंगला देश में नरसंहार हो रहा है।" अब हम कम से कम

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम्]

सदन में भी क्यों नहीं कह सकते कि श्रीलंका में नरसंहार हो रहा है? अब पूरे संसार में जाने की आवश्यकता है, केवल जनेवा में नहीं, अपितु दुनिया की प्रत्येक राजधानी में जाने की और कम से कम यह कहने की आवश्यकता है कि श्रीलंका सरकार का व्यवहार निंदनीय है। वे मानवीय अधिकारों के प्रत्येक मानदण्ड का उल्लंघन कर रहे हैं। वे मानव-जीवन को दिया जाने वाला कम से कम सम्मान भी नहीं दे रहे हैं मानवीय-शान की बात तो छोड़िए वह तो गौण है।

सभापति महोदया, यह समय भारत सरकार के लिए यह कहने का नहीं है कि हम सेना भेजेंगे अपितु राजनैतिक समाधान पर जोर देने का है। हां, ये केवल तमिलनाडु के लोग या भारत के लोग ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोग अनुभव करते हैं कि शान्तिपूर्ण स्थायी समझौते का एकमात्र तरीका बातचीत द्वारा समझौता करना है। लेकिन जब कत्ल हो रहे हैं तो क्या हम चुप रहेंगे? क्या दुनिया के लोग हमारा साथ देंगे और कहेंगे कि "जब श्रीलंका में तमिलों के एक गाल पर थप्पड़ मारा जा रहा है तो उन्हें दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए क्योंकि वे ईसा-मसीह के बच्चे हैं? क्या हमारे पास यही उत्तर है? या हम यह कहने जा रहे हैं कि नहीं उल्टा मारो, हम आपका समर्थन करेंगे।" हमारे पास जो विश्व शक्ति है उससे हमें कम से कम इस नरसंहार को तो रोकना चाहिए। सभापति महोदया, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविक स्थिति विश्व के सम्मुख रखने के लिए एक औपचारिक सरकारी नीति बनानी चाहिए जिससे विश्व को यह पता चले कि तमिलों की वहां हत्या की जा रही है, सैनिकों की नहीं, किसी फौजी कार्मिकों की नहीं, आतंकवादियों की नहीं—लेकिन—बेकसूर नागरिकों की जान ली जा रही है। वह बदनसीब औरत है जिस पर वहां बलात्कार किया जा रहा है। वह छोटा बच्चा है जिसकी वहां हत्या की जा रही है। वह बच्चा नवयुवक नहीं जिसका वहां कत्ल किया जा रहा है। श्रीलंका में मारे जाने के लिए युवक ही कितने शेष रह गए हैं।

सभापति महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के बारे में कहूंगा। श्रीलंका की सरकार अभी भी बन्दूक का सहारा नहीं छोड़ रही है और कह रही है कि "हम आपके लिए प्रान्तीय परिषद आदि बनाएंगे" और फिर उन्होंने समाचारपत्रों में तथाकथित गुप्त बात-चीत होने और गुप्त समझौते होने की खबर दे दी है। यह हाल ही की बात है कि उन्होंने यह रवैया अपनाना शुरू कर दिया है और न सिर्फ श्रीलंका या दक्षिण एशियाई समाचारपत्रों बल्कि भारतीय प्रेस में भी किसी तरह अपना स्थान बना लिया है। वे भारतीय समाचारपत्रों में भी अपने समाचार जो सत्य नहीं होते छपवा लेते हैं। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि वह भारतीय समाचारपत्रों को पूरी तरह से अवगत रखें कि उन्हें क्या करना चाहिए, हमें कुछ भी छिपाना नहीं है। हम वास्तव में चाहते हैं कि श्रीलंका में शान्ति हो। हम श्रीलंका को भारत का अंग बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक उन्नति हो। हमारा पड़ोसी देश अगर ऐसा हो जहां शान्ति, संस्कृति तथा विकास हो, तो उस पर हमें गर्व होगा। लेकिन हम ऐसी स्थिति में विक्षुब्ध अनुभव करेंगे जब हमारे उस पड़ोसी देश में दिन-रात हत्याएं हो रही हैं।

वास्तव में भूमि समझौता नीति को श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध एक दूसरे हथियार के रूप में

प्रयुक्त किया जा रहा है। तमिलों को बांधकर पुराने परम्परागत घरों से बाहर निकाल तथाकथित शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। ये शिविर केवल जंगल है जहां कोई छत नहीं है। तमिलों की शिकायत है कि उन्हें वहां अधिक संख्या में इकट्ठे गोली से मार दिया जाता है और इकट्ठे ही दफना दिया जाता है। जो इस समय अभी कर रहे हैं वह बात शायद हिटलर ने भी न सोची हो। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कहाँ से यह शिक्षा प्राप्त की है।

मैं निश्चय ही समझता हूं कि इस समस्या का हल इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि "भारतीय सेना को श्रीलंका में घुस जाने के लिए कह कर समस्या का समाधान हो जाएगा।" ऐसा नहीं होगा। ऐसे प्रयास के उलटे परिणाम भी होंगे। इसीलिए कोई आंख मूंद कर ऐसी बात नहीं कह रहा लेकिन यह तो अवश्य कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिक देर तक सोती न रहे। उसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए। श्रीलंका का राष्ट्रपति और श्रीलंका की सरकार हमारे साथ चाल चल रहे हैं। वे हमें बतायेंगे कि वे स्वयं ही बंटे हुए हैं। वे कहेंगे कि आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री वास्तव में उग्र प्रतिक्रियावादी हैं, जबकि राष्ट्रपति शान्ति चाहने वाले क्रान्तिकारी व्यक्ति हैं। वे एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं। सबके एक जैसे विचार हैं। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले तीस वर्षों से वे यही तरीका अपनाते आ रहे हैं।

मैं यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि हम श्रीलंका को मनमानी न करने दें। भारत सरकार को अपना साहस दिखाना चाहिए। सम्पूर्ण विश्व में भारत का सम्मान है, अगर हम विश्व समुदाय के पास जाकर बतायें कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो निश्चय ही श्रीलंका के लोगों को राहत तथा शान्ति दिलाने में कामयाब होंगे, जिसकी उन्हें जरूरत है।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, हमारे सामने घट रही श्रीलंका की दुःखद गाथा पिछले वर्ष हमारे कूटनीतिक प्रयत्नों की विफलता का प्रमाण है। यदि यह स्थिति केवल श्रीलंका में होती तो मैं सरकार को क्षमा कर देता, लेकिन हमारे चारों ओर ऐसी ही घटनायें हो रही हैं। अफगानिस्तान में विदेशी आधिपत्य निरन्तर बना हुआ है। नेपाल सामंतवादी व्यवस्था के अधीन कराह रहा है। पाकिस्तान और बंगलादेश प्रजातांत्रिक व्यवस्था से वंचित है। बर्मा में भारतीय उद्भव के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हिन्द महासागर में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सैनिकीकरण किया जा रहा है और वहां बड़े राष्ट्रों के बीच वैमनस्य आणविक शस्त्रों की होड़ तक बढ़ता जा रहा है। ईरान और ईराक में आज भी लड़ाई जारी है। यह हमारे देश के समीप ही हो रहा है और हमारे सुरक्षा वातावरण की दृष्टि से इस चिन्ताजनक दृश्य को हम विवश देख रहे हैं हम असहाय हैं अथवा असहाय प्रतीत होते हैं। हम यदाकदा आकर्षण शब्दावली का प्रयोग करते हैं लेकिन अब हम इस घटनाक्रम पर अपना कोई प्रभाव डालने की स्थिति में दिखाई नहीं देते।

ऐसा प्रतीत होता है कि गत एक वर्ष में भारतीय कूटनीति को एक विशेष शैली दी गई है, उसमें एक विशेष स्तर उभरा है जो सर्वथा असंगत है। कूटनीति अकेले पुष्प और शैम्पेन ही नहीं है, वह काकटेल पार्टी और शानदार रात्रि भोग तक ही समाप्त नहीं हो जाती। वह गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार कर अनुमान लगाना है। ऐसे विश्व में जिसमें सिद्धांतों के बल पर नहीं बल्कि शक्ति के इशारे

[सैयद शाहबुद्दीन]

पर अधिकांशत: काम चलता है, अपने राष्ट्रीय हितों की निरन्तर देखभाल रखना ही कूटनीति है।

3.00 म० प०

हम देखते हैं कि हमारे व्यवहार में अस्थिरता है। आरम्भ में शुभेच्छा किन्तु उसके बाद निराशा चक्र शुरू हो जाता है। बड़ी-बड़ी खबरें छपती हैं लेकिन हमारी घोषणाओं में असंगति होती है। मामूली-सी बातों को कभी-कभी इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है कि उससे हमारी दूर दृष्टि और दूरस्थ क्षितिज धूमिल हो जाता है। हमारी नीति में सहसा परिवर्तन हो जाता है और उसमें अस्थिरता आ जाती है और इस तरह पडौसी देशों से हमारे विवाद पैदा हो जाने की दु:खद स्थिति हमें भुगतनी पड़ती है।

भारत ऐतिहासिक देश है, कृत्रिम राज्य नहीं। मैं न तो युद्ध की बात करना चाहता हूं और न ही शांतिदूत बनना चाहता हूं। परन्तु मैं विश्व के इस भाग की जिसे दक्षिण एशिया कहा जाता है, स्पष्ट नियति में विश्वास रखता हूं। दक्षिण एशिया एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है तो दूसरी ओर हिन्द महासागर का नीला पानी हिलोरे ले रहा है। हमारी एक मंजिल है जिस तक हमें पहुंचना है, इस भाग में हमारी महत्वपूर्ण स्थिति है। यहां हमारा बड़ा प्रभावशाली अस्तित्व है। कोई भी देश हमारी उपेक्षा नहीं कर सकता। हमें अपने देश के आकार का कोई पश्चाताप नहीं है। किसी की बात मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इस क्षेत्र में तदनुरूप हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है। जिसे हम आकर्षक शब्दों में, दिखावे या शैली से पूरा नहीं कर सकते। मेरा आरोप है कि गत एक वर्ष से हमारी कूटनीति में प्रदर्शन अधिक और सार तत्व कम रहा है। हमें इस नीति को त्यागना चाहिए। विदेश मंत्री से यह मेरी अपील है।

हमें आवेशपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। हमें सहृदयता और समझाने-बुझाने की नीति अपनानी चाहिए। क्रोध उचित नहीं है। सौहार्द्र की आवश्यकता है। हमें बदले की भावना से काम न कर शांति और नम्रता से काम करना चाहिए।

मैं देखता हूं कि न केवल राजनीतिक वातावरण अपितु आर्थिक वातावरण भी पूरी तरह निराशाजनक है। पिछले एक वर्ष में हमने क्या प्राप्त किया है रिपोर्ट में भी विफलताओं को स्वीकार किया गया है। इसमें माना गया है कि विदेशी ऋण की शर्तें सख्त होती जा रही हैं। यह कहा गया है कि विदेशी मदद कम हो रही है। इसमें कहा गया है कि वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वार्ताओं में हमने कोई प्रगति नहीं की है। व्यापार की शर्तें हमारे अधिकाधिक विरुद्ध होती जा रही है यदि हम समाचारों के शीर्षक देखें तो शिल्प विधि की उपलब्धता यदि कठिन नहीं है तो भी जब हम वास्तव में वार्ता करते हैं हम देखते हैं कि शर्तें कठोर से कठोर होती जा रही हैं। निजी स्रोतों से विकास पूंजी में हमारा भाग कम से कम हो रहा है। आई० डी० ए० में हमारा भाग 40% से घटकर 22% रह गया है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने, तथा ऐसी नीतियां अपनाने के लिए कहा जा रहा है जो विकासशील देशों के लिए उपयुक्त हों।

कभी-कभी मैं राजनयिकों पर चेयरमैन माओ जैसी हंसी बिखेरी जाती देखता हूं। राष्ट्रपति रीगन हमारे प्रधान मंत्री को पत्र लिखते हैं। उन्होंने हमारे पत्र की पावती दी है। जिसे हम इस प्रकार दिखाते फिरते हैं जैसे हमारे राजनीतिक प्रयास सफल हो गए हैं और विश्व इस समय परमाणु निशस्त्रीकरण के कगार पर है तथा इसमें हमारे प्रयास सफल हो रहे हों। मैं इसमें कुछ आशा की झलक पाता हूं। श्री दिनेश सिंह ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान 'सार्क' ने अस्तित्व बना लिया है। यह एक प्रकार से अपोषित बच्चे के रूप में है जो अभी घुटने के बल चलने में भी समय है चलने की तो बात ही क्या है ? मैं समझता हूं कि भारतीय कूटनीति के लिए इस समस्या को सुलझाना अधिक महत्व रखता है। राष्ट्रों के आंतरिक झगड़ों के कारण 'सार्क' आगे नहीं बढ़ रहा। सभी राष्ट्र इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

कुछ समय पूर्व मैंने बताया था कि हमारा ऐतिहासिक दायित्व है। परन्तु दीर्घकालीन हितों के संबंध में हमारी संकल्पना है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें दक्षिण एशिया में इस वातावरण के साथ झूझना है। हमें समस्या की तह तक पहुंचना है। पड़ोसियों में अविश्वास की भावना क्यों पाई जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि विश्व हमारा शत्रु है। हमें कुछ गौर करने की आवश्यकता है जिसमें हम विफल हुए हैं। क्या हम वे सभी कुछ कर रहे हैं जो 'सार्क' की भावना के अनुसार हमें करना चाहिए। मुझे भय है कि बात ऐसी नहीं है। क्या हमने अपने पड़ोसियों को स्पष्ट रूप से जिता दिया है कि दीर्घकालीन आधार पर उनके साथ व्यापार में सहयोग तथा बाहरी खतरों के विरुद्ध उप-महाद्वीप की साझी सुरक्षा व्यवस्था करने को तैयार हैं ? क्या हमने अपने पड़ोसियों को आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार हम तकनीकी दृष्टि से विकसित हैं हम अपनी शिल्प विधि से उन्हें लाभान्वित करने को तैयार हैं ? क्या हम कह सकते हैं कि आत्म-निर्भरता की कामना करते हुए हम अपने सभी पड़ोसियों की क्षमता बढ़ाने को उत्सुक हैं। हमें इन छोटे राष्ट्रों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत उनका हितैषी है और उन्हें भारत पर विश्वास करना चाहिए और उनकी प्रभुसत्ता को भारत से कोई खतरा नहीं हो सकता है। सहयोग का अर्थ अधीनता नहीं है।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे ? कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें। 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी विधेयक को लेना है।

सैय्यद शाहबुद्दीन : मैं तीन मिनट और लूंगा। मैं मानता हूं कि समय की कमी है और मैं मुख्य बातें कहने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिण एशिया के राष्ट्र परस्पर अपरिचित नहीं हैं। थोड़े बहुत मतभेदों के होते हुए भी हम परस्पर भाई-भाई हैं। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे दुःख-सुख साझे हैं। एक संयुक्त परिवार के कर्त्ता के रूप में हमें उनको नेतृत्व देना है और उनकी उन्नति करनी है। एक संयुक्त परिवार का कर्ता परिवार को सुख देने लिए अपने सुखों का बलिदान करता है।

एक माननीय सदस्य : हिन्दु संयुक्त परिवार।

सैय्यद शाहबुद्दीन : यह हिन्दू संयुक्त परिवार है, यदि हमारे राजनयिक संबंधों में हिन्दू

[सैय्यद शाहबुद्दीन]

परम्पराएं लागू हों तो मुझे बहुत खुशी होगी जरूरत के समय हम मौजूद रहते हैं, अब समय आ गया है कि हम दक्षिण एशिया पर अपना दृष्टिकोण तैयार करें दक्षिण-एशिया को अमरीका, सोवियत संघ, चीन इत्यादि बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। मैं कोई अपवाद की बात नहीं कर रहा। राजनीति में कोई स्थाई मित्र अथवा स्थाई शत्रु नहीं होते। वे हमारी कठिनाइयों से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना कर एक हो कर ही हम उन्हें दूर रख सकते हैं।

हम गुट-निरपेक्षता की बात करते हैं। गुट-निरपेक्षता से राष्ट्रीय हित बढ़ने चाहिए। परन्तु गुट-निरपेक्षता की पूरी संकल्पना ही भ्रामक बन गई है। यह समाप्त होती जा रही है। ग्राहक राष्ट्र भी अपने को गुट-निरपेक्ष कहते हैं। पूरी तरह संबद्ध राष्ट्र भी अपने को गुट-निरपेक्ष देश कहते हैं इसीलिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन प्रभावी नहीं हो रहा है। यह इतना व्यापक बन गया है कि सही रूप से अच्छे और बुरे की पहचान नहीं की जा सकती। आप किसी भी विशेष दिशा में निश्चित दबाव नहीं डाल सकते। इसीलिए इसकी आवाज समाप्त हो गई है। हाल ही में जब एक गुट-निरपेक्ष राष्ट्र को एक महान शक्ति से खतरे का सामना करना पड़ रहा था तो हम जो इस आन्दोलन के सभापति थे, चुप रहे।

नये युग का प्रारम्भ हो गया है। हमारे उद्देश्यों और नीतियों का फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पार्टी समाप्त हो गई, यह 100 दिन तक चलती रही। अब हमें कठोर श्रम करना चाहिए। उड़ान समाप्त हो गई है। विमान को गिरा दिया गया है। अब हमें धरती पर आकर वास्तविकता का सामना करना चाहिए। मेरे लिये केवल एक ही विकल्प बचा है और वह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। यह ऐतिहासिक कार्य है। हमें पहल करने से बचना नहीं चाहिए तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मैं एक बार फिर सरकार को चेतावनी देता हूं कि बलिदान की भावना को अपनायें। हमारे क्षेत्र में शान्ति, मैत्री, सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प है परमाणु युद्ध तथा इस क्षेत्र के सभी लोगों का विनाश। इस दुःस्वप्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अगर हमें परमाणु संकट को टालना है, यदि हमें दोस्ती और सहयोग का वातावरण बनाना है तो केवल हम अपने संसाधनों पर ही निर्भर नहीं कर सकते। जैसाकि मैंने कहा है हम प्रतिदिन या प्रत्येक घटना को आधार बना कर अपनी राजनयिक गतिविधियां या प्रक्रिया नहीं चला सकते।

हमें एक दीर्घकालीन नीति विकसित करनी चाहिए। हमें शान्ति, मित्रता और सहयोग की एक बहुपक्षीय दीर्घकालीन नीति तैयार करनी चाहिए, जैसाकि हम पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, सार्क में समग्र रूप से क्षेत्र की आर्थिक परियोजना की प्रक्रिया के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे समग्र रूप से इस क्षेत्र के नैसर्गिक विकास के कार्य में पर्याप्त सहायता मिलेगी और प्रत्येक देश अपने क्षेत्र की

आर्थिक आवश्यकताओं की वित्त-पूर्ति में कुछ भूमिका निभा सकेगा। सार्क में हमें उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी द्वार खोल देने चाहिए। मुझे सन्देह है कि हमारा सारा सहयोग—सारे तीसरे विश्व के साथ आर्थिक सहयोग मात्र 3 करोड़ रु० ही है—मैंने विदेश मंत्रालय का बजट देखा है। विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग देने में हमारा स्थान अग्रणी है और अपने ही क्षेत्र में भूटान और नेपाल के अलावा, यह सहयोग मात्र 3 करोड़ रु० ही है। मान लीजिए बंगलादेश अगर अपना एक द्वीप किसी एक महाशक्ति को दे दे और कहें—ठीक है, हम एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र है; हमने यह किया है; आप इसका जो मर्जी कीजिए, तब इस चाल को बचाने के लिए अपनी प्रभुसत्ता को बचाने के लिए हमें अरबों-खरबों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर भी, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारा तकनीक रवैया काफी संकुचित है।

मेरे अन्य सुझाव ये हैं। हमें प्राथमिकता की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिससे अंततः दक्षिण एशिया में एक साझा बाजार स्थापित किया जा सके। हमने अपने उप-महाद्वीप में जो नकली सीमाएं लगाई हुई हैं उन सबको एक तरफ रख, हमें संस्कृति और मानव-मूल्यों को अपनाना चाहिए।

हमें विश्व के सभी मामलों चाहे वे राजनैतिक हो या आर्थिक, के प्रति एक-समान नीति बनाने के लिए सभी पड़ोसी देशों के साथ विचार-विमर्श करने की आदत डालनी चाहिए।

अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं—क्योंकि मैं भी एक दफा विदेश मंत्रालय में कार्य कर चुका हूं उनके ध्यान में कुछ संस्थागत मामले लाना चाहता हूं। भगवान् के लिए विदेश कार्यालय में आदेश देने वालों में तालमेल होना चाहिए। आज हमारे मित्र और शत्रु राष्ट्रों को यही पता नहीं है कि वास्तव में विदेश मंत्री कौन है, विदेश सचिव कौन है, कौन नीति निर्धारित कर रहा है। नीति निर्धारण में तालमेल होना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर हमें अलग-अलग विचारों वाले दल/व्यक्ति नहीं भेजने चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रीय नीतियों पर लगातार चलते रहना चाहिए।

दूसरे विदेश सेवा के बारे में उत्साह भंग हो चुका है; जिस सेवा में कार्य करने का मुझे भी शुभावसर मिल चुका है, युवा लोगों में यह लोकप्रिय नहीं हैं। इसे और आकर्षक बनाने के लिए आपको कुछ-न-कुछ करना होगा। क्योंकि भारत के भविष्य के लिए, महान भारत के लिए जो न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति होगा बल्कि विश्व की घटनाओं में अच्छी भूमिका निभा सकेगा, उस बारे में अपनी इच्छाओं और आशाओं को वास्तविकता और कार्य रूप में बदलने का हमारे पास यही साधन है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : सभापति महोदया, माननीय सदस्यगण, हमारी विदेश नीति का जोरदार समर्थन करने के लिए, मैं सभा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसे जोरदार समर्थन कहूंगा—मेरे पुराने सहयोगी और माननीय सदस्य श्री शहाबुद्दीन द्वारा सख्त विरोध के बावजूद सभा में आज हमारी विदेश नीति का जोरदार समर्थन किया गया···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह अब भी हमारे सहयोगी हैं।

श्री के० आर० नारायणन : मैं उन्हें मित्र कहूंगा।

भारत की विदेश नीति का वास्तविक उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। लेकिन जैसाकि पंडित नेहरू ने कहा है कि, कभी-कभी हमें अपने राष्ट्रीय हितों को विश्व शांति और विश्व सहयोग के संदर्भ में भी देखना पड़ता है, इस बारे में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः एक ऐसी विदेश नीति का अनुसरण करना बहुत ही कठिन कार्य है जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ-साथ पूरे विश्व के हितों पर भी ध्यान दिया जाए। इसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है; इनमें से कुछ का श्री शाहबुद्दीन ने भी जिक्र किया है, जैसे पड़ोसियों के साथ आने वाले कठिनाइयां, कुछ पड़ोसियों के साथ समस्याओं का समाधान अपने राष्ट्रीय हित और अपने उद्देश्यों को सामने रखते हुए।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय विदेश नीति असफल नहीं रही है, बल्कि मुश्किल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और बहुत ही विषम भौगोलिक स्थिति में गुजरते हुए भी सफल रही है। श्री शहाबुद्दीन ने हथियारों की दौड़, विभिन्न झगड़ों और हमें कम होती जा रही सहायता का जिक्र किया है। उन्होंने बहुत ही देशभक्तिपूर्ण और वाग्मितापूर्ण ढंग से भारत की स्पष्ट नियति का उल्लेख किया है। यह एक गलत अर्थ में प्रयोग होने वाला मुहावरा है, अतः मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा।

उन्होंने भारत की भड़कीली कूटनीति की आलोचना की है; मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारी वर्तमान भूमिका का इतना तीव्र विरोध किया है कि यह भारत की कूटनीति का भड़कीला आप्रेशन जैसा हो गया है। मैं समझता हूं कि हमें महत्वाकांक्षी और निर्भीक होने के साथ-साथ थोड़ा अधिक विनम्र भी होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम हथियारों की होड़ को कम नहीं कर पाये हैं। हम बिगड़ रही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। हम उत्तर से दक्षिण के देशों के लिए अधिक सहायता पाने में भी असफल रहे हैं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में यह जटिल समस्याएं हैं।

महत्वपूर्ण यह है कि हम विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष देशों के साथ और विकासशील देशों के साथ मिलकर गुट-निरपेक्षता का झंडा ऊंचा करने में सफल रहे हैं और हमने निशस्त्रीकरण करने और न्यायोचित आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए बड़ी शक्तियों द्वारा निरन्तर डाले जा रहे दबाव को टालने की कोशिश की है। भारत जैसे देश, जहां इसकी अपनी कई समस्याएं हैं और इसे कई समस्याएं घेरे हुए हैं, मैं समझता हूं हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, और इसीलिए विश्व में इसका ऊंचा स्थान है। उन्होंने 'नरम दबाव' की बात कही है। ठीक है, एक अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि बात नम्रतापूर्वक करो और साथ में बड़ी छड़ी रखो।" मैं समझता हूं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि हमारे आस-पास जो उत्तेजक स्थितियां हैं, उनमें हमारे प्रधान मंत्री, हमारे राष्ट्र ने इन समस्याओं से निपटने के लिए काफी आत्मसंयम और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है।

श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, मैं उसका संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि यह भारत के लिए काफी कष्टप्रद है, यद्यपि यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है, फिर भी इसमें हम अन्तर्ग्रस्त हैं और इससे यह क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, हमने दृढ़ता से बातचीत की है। पिछले

दिनों विदेश मंत्री ने सभा में श्रीलंका में हो रही हिंसा और हत्याओं को तत्काल रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है, और यही तथ्य है जो हमें इस समस्या को निपटान के लिए पूरी राजनीतिक सूझबूझ दर्शाने के लिए मजबूर करता है।

हमें डर है कि अगर श्रीलंका में हिंसा और हत्याएं जारी रहती है तो यह न केवल तमिलों के लिए त्रासदी होगी बल्कि श्रीलंका के लिए यह और भी अधिक त्रासदी होगी। यह समस्या निश्चित रूप से राजनीतिक ढंग से हल की जा सकती है। अगर मैं यह कह रहा हूं क्योंकि हम श्रीलंका से बुद्ध के विचारों को ध्यान में रखकर बातचीत कर रहे हैं। यह स्थिति अहिंसा से ही हल की जा सकती है। अन्यथा वहां यह समस्या उलझ जाएगी, जिसे हल करना मुश्किल हो जाएगा।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : राष्ट्रपति जयवर्धने राजनीतिक हल की बजाय सैनिक हल चाहते हैं। हमारा राजनीतिक हल के बारे में बात करने का क्या लाभ है ?

श्री के० आर० नारायणन : श्रीलंका द्वारा अन्य वक्तव्य भी दिये गये हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि श्रीलंका के राजनीतिज्ञ, नेतागण और खुद वहां की जनता यह अनुभव करेगी कि यह उनके अपने संकीर्ण हित में ही है कि वे राजनीतिक रास्ते से, शान्तिपूण ढंग से अपने लोगों से बातचीत करेंगे; और अपने लोगों के साथ एक सर्वमान्य हल निकाल लेंगे। आखिरकार तमिल भी उनकी अपनी जनसंख्या ही है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आशा के विपरीत आप ऐसा सोच रहे हैं।

श्री के० आर० नारायणन : हम आशा के विपरीत ऐसी आशा नहीं लगाए हुए हैं। स्थिति की कुछ मजबूरियां हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि निभाने के लिए हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। हमें अपनी भूमिका निभानी है और हम इसे निभा रहे हैं। हम यह भूमिका अधीरता से नहीं निभा रहे हैं, बल्कि सोच-समझकर निभा रहे हैं। हमें आशा है कि श्रीलंका में शान्ति और सद्भाव पैदा होगा। और जब ऐसा होगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण और समझौते के आसार पैदा होंगे तो हम अपना सहयोग देने को हर वक्त तैयार रहेंगे।

डा० ए० कलानिधि : मुझे डर है कि वहां सारी तमिल-जाति समाप्त कर दी हो जाएगी।

श्री के० आर० नारायणन : मैं नहीं समझता कि वहां ये सारे लोग मारे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि कितनी भी हिंसा हो, बहादुर तमिलों का विनाश नहीं किया जा सकता। मुझे इसमें विश्वास है। मुझे श्रीलंका के लोगों में विश्वास है। मुझे श्रीलंका के तमिल लोगों में विश्वास है। मुझे आशा है कि बाकी विश्व के सहयोग से उनकी अवश्य जीत होगी। और भारत भी चुप नहीं बैठा हुआ है। हम अन्य लोगों और अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं। हम इसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे, बल्कि प्रभावी ढंग से अन्य राष्ट्रों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें श्रीलंका में व्याप्त स्थिति से अवगत करा रहे हैं ताकि इसका हल निकल सके।

डा० ए० कलानिधि : क्या आप समझते हैं कि आपने उन्हें समय दिया है ताकि वे अत्याधुनिक हथियार ले सकें ? (व्यवधान)

श्री के० आर० नारायणन : मैं श्रीलंका के बारे में केवल यह बात कहना चाहता हूं। अगर भारत जैसा महान् राष्ट्र इस समस्या के प्रति भावुक होकर और धैर्य खोकर कार्य करे तो इसका फल अच्छा नहीं होगा।

हमने पाकिस्तान के प्रति संयम की नीति बरती है। स्वतंत्रता के पश्चात् हम पाकिस्तान के साथ रहते रहे हैं और हम उसी के साथ रहेंगे। मुझे आशा है कि दोस्ती और सहयोग के रास्ते में आने वाली कई कठिनाइयों के बावजूद भविष्य में भी हम पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रह पायेंगे।

मैं कुछ बातें व्यापक रूप में कहना चाहता हूं। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय हित, उप-महाद्वीप और क्षेत्र में भारत की स्थिति विश्व में हमारी भूमिका से जुड़ी हुई है। हमारी अपनी एकता, अपने विकास से हमारी ताकत और शक्ति बनती है, लेकिन यह तो विश्व नीति है जो बदले में हमारी दृढ़ता और एकता का समर्थन करती है।

प्रारम्भ से ही हमने गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्ष नीति कोई मंच नहीं है, न ही यह कोई भावुकतापूर्ण एवं नाजुक नीति है परन्तु भारत एवं अन्य नये राष्ट्रों की आजादी के लिए यह एक प्रभावी नीति है। प्रारम्भ से ही हम यह महसूस करते आ रहे हैं कि अगर हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और विश्व में भारत ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो विश्व में शान्ति, न्याय एवं समानता की स्थापना होनी चाहिए। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से हम शान्ति, गुट-निरपेक्ष तथा सौहार्दपूर्वक इकट्ठे रहने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

शस्त्रों की होड़ का मसला पिछले काफी समय से हमारा ध्यान आकर्षित किए हुए है, विशेष रूप में पिछले एक या डेढ़ वर्ष से हमारी विदेश नीति के कार्यकलापों में यह अत्यन्त प्रभावी मसला रहा है।

पांच महाद्वीपों में, तीसरी दुनिया के पांच नेताओं के साथ हमारे प्रधान मंत्री जी का आह्वान न सिर्फ छः देशों में शान्ति स्थापित करने के लिए सशक्त अभिव्यक्ति थी, अपितु सम्पूर्ण विश्व में शान्ति स्थापित करने का प्रयास था। हमने महसूस किया है कि आणविक निरस्त्रीकरण के लिए अमरीका तथा अन्य सरकारों के साथ हमें राजनयिक माध्यमों से काम करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्पूर्ण विश्व में जनसहमति या जनजागृति पैदा करनी है। तथा महाशक्तियों पर दबाव डालना है। शस्त्रों की निरन्तर होड़ को नियन्त्रित करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहा है। इसीलिए इस विषय को हमने गुट-निरपेक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष महत्व दिया है।

सभापति महोदय : इस समय 3.30 बजे हैं। मंत्री जी कुछ मिनट का समय अभी और लेंगे।

उसके बाद हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। मेरा विश्वास है कि सदन इसका अनुमोदन करेगा।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : मंत्री जी अपना भाषण जारी रखिये।

श्री के० ग्रार० नारायणन : हमारी विदेश नीति का प्रारम्भ से ही एक और उद्देश्य भी रहा है और वह यह है कि उपनिवेशवाद का विरोध करना तथा इस क्षेत्र में, आज की दुनिया में पुरातन उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है परन्तु नया उपनिवेशवाद बढ़ता जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया जैसे स्थानों पर उपनिवेशवाद की अखिरी छाप जातिवाद तथा पुरातन उपनिवेशवाद के रूप में मौजूद है। हमने संयुक्त राष्ट्र तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से प्रभाव डालने की कोशिश की है तथा हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जातिवादी सरकार के अन्याय पर ध्यान केन्द्रित करवा के संयुक्त राष्ट्र को पुन: सक्रिय करने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्र मंडल मंच द्वारा दक्षिण अफ्रीका की समस्या पर ध्यान दिया जाना जोकि विश्व में आजकल प्रमुख मसला है, यह भी हमारी एक विशेष उपलब्धि है। चाहे "प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल" को सफलता मिले या न मिले, इसने एक नई पहल की है। हमारे प्रधान मंत्री जी के कहने पर दक्षिण अफ्रीका तथा जातिवाद के सम्बन्ध में राष्ट्र मंडल ने नये तरीके से अगुआई की है।

समय की कमी के कारण मैं संक्षिप्त में कहूंगा। हमारी विदेशी नीति के एक और पहलू को मैं लूंगा, जिसमें दक्षिण-दक्षिण वार्ता (साउथ-साउथ डायलाग) विकासशील देशों के बीच वार्ता तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (साउथ-साउथ कोआपरेशन) की समस्या। चूंकि उत्तर-दक्षिण सहयोग या वार्ता में गतिरोध है। अत: हम विकसित और विकासशील देशों के बीच उस गत्यावरोध को दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मात्र इसी बात की प्रतीक्षा में नहीं हैं। हमने विकासशील देशों में सक्रिय सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया है। और ऐसा तीसरे विश्व के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है और आर्थिक संगठनों के साथ सहयोग किया है। हाल ही में मैं अफ्रीका गया था, मैंने देखा है कि वहां के लोग भारतीय प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वह हम से आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग करना चाहते हैं। मेरे विचार में अपनी विदेश नीति के इस पहलू द्वारा हमने विकासशील देशों में सहयोग की दिशा को एक नया आयाम दिया है।

सभापति महोदया, अब मैं अपने देश के सम्बन्ध में तथा हाल ही में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन के सम्बन्ध में, जिसके बारे में मेरे मित्र श्री शहाबुद्दीन तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है, दो शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं, मतभेदों और संघर्षों के बावजूद भी उपरोक्त संस्था का प्रादुर्भाव होना कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। इन समस्याओं और संघर्षों के कारण जो सहयोग की भावना पहले दबी पड़ी थी अब वह मुखरित हो गई है और यह सहयोग स्वाभाविक तरीके से हुआ है। सहयोग के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता यह खुद-ब-खुद पनपता है। और दक्षिण

[श्री के० आर० नारायणन]

एशिया में यह इसी तरह पनपा है और इसका श्रेय दक्षिण एशियाई नेताओं की सूझबूझ को दिया जा सकता है। हम इस सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन हमें दक्षिण एशिया की वास्तविक स्थिति को मद्देनजर रखना चाहिए और यदि हमने इस संबंध में बेसब्री दिखाई तो हो सकता है सहयोगरूपी यह शिशु ठीक तरह से घुटनों के बल सरक नहीं पाये और न ही ठीक तरह से उसका विकास हो पायेगा। अतः सभापति महोदया, मैं इन शब्दों के साथ कि भारत ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विकट परिस्थितियों के बावजूद सूझबूझ द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सभी सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का सदुपयोग करके शान्ति कायम करने की दिशा में तथा मेल-मिलाप कराने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

3.35 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे सुमन : मैं प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा 19 मार्च, 1986 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 मार्च, 1986 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.36 म० प०

रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक*

(धारा 9 में संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा)

*दिनांक 21-3-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : —

"कि रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.36½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 394 क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : सभापति जी, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक (नये अनुच्छेद 394 क का अन्तःस्थापन) को पुरःस्थापित करता हूं।

———

*दि० 21-3-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2 में, प्रकाशित।

3.37 म० प०

श्री जी० एम० बनातवाला का

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 16 क का अन्तःस्थापन, आदि) [— जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 7 मार्च, 1986 को श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर सदन और आगे चर्चा करेगा। अर्थात :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री मूल चन्द डागा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ यह निर्णय लिया है कि हम इस देश से गरीबी का उन्मूलन कर देंगे। यदि आप इस बात को समझने का प्रयत्न करें, मैं इसके सपोर्ट में आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं··· (व्यवधान)···हमारी सरकार ने 1989-90 तक देश में 25 प्वाइंट तक गरीबी कम करने का लक्ष्य रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह प्रतिशत 40 था और वर्ष 1984-85 में गरीबों की कुल संख्या 27 करोड़ 30 लाख थी, जबकि 1989-90 तक यह संख्या घट कर 21 करोड़ 10 लाख रह जाने का अनुमान है। गरीबी दूर करने का प्रयास अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा और हमारे देश के प्रधान मंत्री ने एक उद्घाटन के समय यह कहा था कि सातवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी के विरुद्ध पूरी शक्ति और संकल्प के साथ लड़ाई छेड़नी है और हमें इस संकल्प को पूरा करना है।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोग इस दिशा में कितना-कितना रुपया किस-किस क्षेत्र में खर्च करने जा रहे हैं। सातवीं योजना में, अभी जो बजट पेश हुआ है, उसके अनुसार, आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम पर जहां हमने पिछले साल 1,239 करोड़ रुपये खर्च किए थे, अब हम उसमें वृद्धि करके 1,851 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसके अलावा नेशनल रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम के लिए पिछले साल के 230 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले इस बार 443 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यह होगा हमारे एन० आर० ई० पी० में। आर० एल० ई० जी० पी० में कुल 6033 रुपये हम लोग खर्च करेंगे, जबकि पिछले साल इसमें हमारा खर्चा 4 हजार करोड़ रुपये का ही रहा है। इन स्कीमों के अलावा हमने यह निर्णय लिया है कि रूरल हाउस निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये खर्च

किए जाएंगे जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मकान बनाने के लिए ऋण भी दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में काफी बड़ी धनराशि रखी है। इसके अलावा सैल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अन्तर्गत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों को अपना काम चलाने के लिए ऋण दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्राइसम स्कीम के अन्तर्गत भी विकास के कार्यक्रम चालू हैं। बनातवाला साहब आप जानते हैं भारत के लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं। इतनी योजनाओं के चलते हुए, जहां अरबों रुपया आई० आर० डी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी०, सैल्फ एम्प्लायमेंट और ट्राइसम तथा डी० पी० ए० पी० के प्रोग्रामों में खर्च किया जा रहा है वहां आप और चाहते क्या हैं। जो आपने अपने बिल में पेश किया है उसके द्वारा क्या आप यह चाहते हैं कि उनको घर बैठे भत्ता दिया जाए जिससे वे निठल्ले और बेकार हो जाएं। आप देखिए हमारी सरकार ओल्ड ऐज पेंशन दे रही है। गांवों में वृद्धों को घर बैठे पेंशन दे रही है। अगर आपके यहां के लोग काम करने वाले हैं, वे चाहते हैं कि हम काम करके अपनी सोसायटी को बनाएं, तो इतने सारे कार्यक्रम इस देश के अन्दर चल रहे हैं, उनके माध्यम से वे अपनी सोसायटी को बना सकते हैं। हमारे कल्याणकारी राज्य की सातवीं योजना में इस प्रकार के कामों को करने वालों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बजट को आबंटित किया है। उसके बाद भी आपकी ओर से इस प्रकार का बिल आता है कि घर बैठे हुए लोगों को अलाउंस दें, तो आपका यह निर्णय ठीक नहीं है।

मैंने एक प्रश्न किया था, उसके अन्तर्गत मुझे जवाब देते हुए कहा गया और फिगर्स बतलाई गईं वे इस प्रकार थीं :—

[अनुवाद]

> "31 दिसम्बर, 1985 को रोजगार केन्द्र के रजिस्टरों की स्थिति के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार रोजगार की इच्छुक शिक्षित (अन्तिम स्कूली शिक्षा तथा अधिक शिक्षा प्राप्त) महिलाओं की संख्या 25.25 लाख थी जिनमें से सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं भी हो सकतीं।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि इतनी पढ़ी-लिखी महिलाएं बेकार हैं :—

[अनुवाद]

> "यह उत्तर 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार दिया गया है।"

[हिन्दी]

उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इनके विकास के लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया है। इस

[श्री मूल चन्द डागा]

प्रकार से देश के अन्दर इतने कार्यक्रम चलने के बाद भी और ये सब कार्यक्रम एक प्लान के अनुसार चलते हैं, हम लोगों ने एक प्लान सोच लिया है और उसी के अनुसार हम लोग विकास करना चाहते हैं। फिर भी आप इस प्रकार का बिल लाते हैं कि बैठे हुए लोगों को भत्ता दिया जाए, तो यह बात ठीक नहीं है।

महोदया, आज पढ़े-लिखे लोग, केरल में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए काम करते हैं। भूमि में काम करने में कोई बुराई नहीं है,और हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने श्रम को बहुत इज्जत दी है, जो मेहनत करता है, उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है।··· (व्यवधान)···खासकर यू० पी० के जो लोग हैं वे जानते हैं, वे गंगा के किनारे बैठकर भजन और कीर्तन करते हैं, कोई भजन गाने वाला है, तो कोई हाथ देखने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी लोग जन्तर-मन्तर करके लूटने वाले हैं लेकिन राजस्थान का आदमी बहुत बहादुर है, वह बहादुरी से काम करता है, मजदूरी और मेहनत करता है, वह जमीन से लड़ना जानता है। हम इस प्रकार के कानून को नहीं देखना चाहते। कल्याण-कारी राज्य में हमारा ध्येय यह है कि हम लोग गरीबों के लिए कम्युनिटी एस्सेट्स पैदा करना चाहते हैं। हम खेतिहर मजदूरों को काम देना चाहते हैं।

हमारे यहां मजदूरी को मजदूर नहीं मिलते हैं। आपके बिहार में लोग आलसी हैं जो कि कत्था चूना खाते हैं।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान की खूबियां बता दीजिये।

श्री मूल चन्द डागा : मैं क्या बताऊंगा, हल्दीघाटी का इतिहास बता रहा है। मुझे कहते हुए शर्म आएगी। राजस्थान तुम्हारी रक्षा करने वालों का देश है, वह वीरगाथाओं का देश है, जिस पर भारत गर्व करता है। राजस्थान ने राणा प्रताप जैसे वीर पैदा किये हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में हमारी विजय हुई है।

आज मारवाड़ी सारे हिन्दुस्तान में फैल गए हैं, उन्होंने अपने आप को देश के हर टुकड़े के साथ जोड़ दिया है।

सभापति महोदया, आप देखिये कि आपके बंगलौर में भी कितने राजस्थानी हैं। वह अपनी मजदूरी करते हैं, मेहनत करना जानते हैं। कौनसी जगह है जहां प्रवासी राजस्थानी नहीं गए हैं। सारी भाषाओं को और एकता को कायम करने में राजस्थानियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। राज-स्थानी कन्नड, तमिल और मलयालम भी जानते हैं, बोल सकते हैं। वह अन्तर्भाषीय हैं और अब अन्तर्जातीय विवाह भी करने लग गये हैं। वह असम में भी रहने लग गए हैं। राजस्थान के प्रति आपका आदरभाव बढ़ना चाहिए, वहां के गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए।

मैं कहना चाहता था कि जो लोग बिल लाये हैं,

[अनुवाद]

समापति महोदया : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री मूल चन्द डागा : अनुच्छेद 41, 42 और 43 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आते हैं। अनुच्छेद 41 इस प्रकार है :—

> "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

पूरी बात संविधान के अनुच्छेद 41 में आ जाती है।

[हिन्दी]

आर्टिकल 41 के नीचे समाज कल्याण विभाग की बात है। सरकार के समाज कल्याण विभाग ने विकलांगों के लिए निर्णय लिया है कि 2 परसेंट उन लोगों को सर्विस दी जाये। आज विकलांग लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं। यह मैंनडेटरी प्रावीजन बना दिया गया है कि गवर्नमेंट के विभागों में विकलांगों को काम दिया जाये, जो वृद्ध हैं, उनको पैंशन दी जाये और जो कोढ़ से पीड़ित हैं, उनको सहायता दी जाये। कल ही हमारी मंत्री महोदया उत्तर दे रही थीं :—

[अनुवाद]

> "अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।"

[हिन्दी]

परसों श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी तो मंत्री जी ने कहा था कि श्रमिकों को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी, उन्हें छुट्टियां दी जाएंगी, उनके बच्चों की पढ़ाई, और खेल-कूद की सारी व्यवस्था की जाएगी और ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी। गवर्नमेंट का इरादा है कि बंधुआ मजदूरी को बिल्कुल समाप्त किया जाये। इस प्रकार के जो हमारे सिद्धांत हैं, उन पर ही हम आज चल रहे हैं। हमारे कदम इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार का बिल लाने से लोग आलसी और निकम्मे बनेंगे। पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। भगवान ने काम करने के लिए जो हाथ-पैर दिये हैं, उन हाथ-पैरों से काम करना चाहिए। गीता और कुरान दोनों में यह लिखा है कि इंसान को काम करना चाहिए। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं होता है।

फाइनांस बिल पर वित्त मंत्री जी के नये प्रपोजल आये हैं, आशा है बनातवाला जी उस पर गौर करेंगे। बनातवाला जी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, इस कारण इस बिल को बहादुरी से वापस ले लें।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदया, मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

महोदया, भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो राज्य द्वारा कार्यान्वित किये जाने चाहिएं, किन्तु दुर्भाग्यवश हम उनमें से कई क्रियान्वित नहीं कर सके। और कुछ अनुच्छेदों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में तो प्रयास ही नहीं किए गए।

महोदया, अनुच्छेद 41 ऐसा ही अनुच्छेद है जिसमें अब संशोधन किया जाना है। ऐसे कई अनुच्छेद हैं, उदाहरण के लिए समान शिक्षा के बारे में, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण—अथवा कम से कम समान महत्व का—सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के बारे में है। ये अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों में हैं।

मैंने विचार से अनुच्छेद 41 सभी नीति निदेशक तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर देश की नींव रखी जानी चाहिए। यदि अपने देश को जीवित रखना है तो हमें ये अनुच्छेद मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाना चाहिए।

महोदया, पिछले 38 वर्षों से हम योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाये हुए हैं। इसमें विभिन्न वर्गों में काफी पूंजी का निवेश किया गया है और उनका आधुनिकीकरण किया गया है। इन सब बातों के बाद आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए थी? इस समय स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए थी किन्तु वास्तविकता क्या है? हम देखते हैं कि वर्ष 1950-51 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में केवल 3.5 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है, और ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय में औसतन प्रति वर्ष केवल 1.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1977-78 में कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे थी और वर्ष 1983-84 में यह 37.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

महोदया, वर्ष 1984 में देश में कुल 28.85 करोड़ श्रमिकों में से 18.75 करोड़ के पास ही रोजगार था। मुझे मालूम है कि सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किये हैं जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। मुझे निश्चय ही इस बात की प्रसन्नता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक धन देने पर बल दिया गया है। मेरी राय में केवल इतना करने से ही बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। इस प्रकार थोड़े समय के लिए तो रोजगार मिल जाता है, किन्तु सरकार कब तक इस प्रकार रोजगार देती रहेगी? क्या आप समझते हैं कि इससे बेरोजगारी की समस्या अन्तिम रूप से दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि 25 फरवरी, 1986 को सरकार द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए अद्यतन आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

"रोजगार के इच्छुक शिक्षित और अशिक्षित पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के सम्बन्ध

में उपलब्ध अद्यतन जानकारी इस प्रकार है :—

पुरुष	—	218.22 लाख
स्त्रियां	—	44.47 लाख
कुल	—	262.69 लाख
शिक्षित	—	132.62 लाख
अशिक्षित	—	112.37 लाख"

जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण युवकों के लिए पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः लाखों ग्रामीण युवकों ने अपने नाम रोजगार केन्द्रों में दर्ज नहीं कराये हैं।

जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो हम सभी का यह अनुभव रहता है कि बेरोजगार युवा लड़के तथा लड़कियां जो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हैं, निराश हो चुके हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बंगलौर नगर निगम में 250 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसके लिए 25000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। हम देखते हैं कि हर पद के लिए 100 से कम आवेदन नहीं हैं। अनुपात 1:100 का है। यह बेरोजगारी की समस्या की भीषणता दर्शाता है। यह समस्या कैसे हल की जाए ? अब यह आशा उत्पन्न हुई है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। यह कहां त सम्भव है, हमें अभी यह देखना है। किन्तु इस संबंध में मैं कुछ बातें सदन के सम्मुख विचारार्थ रखना चाहता हूं।

4.00 म० प०

$3\frac{1}{2}$ दशकों तक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था रहने के बाद परिणाम क्या हुआ है ? ग्रामीण तथा शहरी जनता में अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 1983-84 में शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति आय 3929 रुपये थी और ग्रामीण इलाकों में 1324 रुपये। हमारे पूंजी निवेश ने इन दोनों के बीच की खाई को पाटने की अपेक्षा उसे और चौड़ा कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निवेश, तकनीक में सुधार और आधार ढांचा बनाने पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। $3\frac{1}{2}$ दशकों के योजनाबद्ध विकास के कारण हमारा समाज दो अलग-अलग वर्गों में बंट गया है—एक वर्ग संगठित, समृद्ध आधुनिक क्षेत्र वाला है और दूसरा परम्परागत, असंगठित तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्र का है। बड़े उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं मिलता। ये अधिक पूंजी निवेश और विद्युत की आवश्यकता वाले हैं। वर्तमान इलेक्ट्रानिक युग में जिसमें रोबोट तथा स्वचालित मशीनों का बोलबाला है, बड़े उद्योगों का जोर श्रम की बचत कर माल या सेवाएं उपलब्ध कराने पर रहता है। इसलिए हमें विकास की ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए जो रोजगार उन्मुखी हो। हमारे पास पर्याप्त बड़े उद्योग हैं। अब हमें उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करने का अवसर देना चाहिए। हमें बड़े पैमाने के उद्योगों से हट कर मझौले, छोटे ग्राम स्तर के छोटे उद्योगों तथा हथकरघा और हस्तशिल्प आदि के विकास पर ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें यही सिखाया है। हमें

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

स्वतंत्रता प्राप्त किये 39 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर सके क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहे।

ऐसा इसलिए है कि भारत ग्राम प्रधान देश है। ग्रामों पर भारत निर्भर है देश की प्रगति ग्रामीण भारत की प्रगति पर निर्भर है। परन्तु हमारे ग्रामीण भारत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इसी कारण हम सभी जगह बेरोजारी देखते हैं। अगले पन्द्रह वर्षों में हमारे प्रयास ग्रामीण भारत को शहरी भारत के साथ जोड़ने पर केन्द्रित होने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में हम सम्पत्ति के बंटवारे तथा ग्रामीण-शहरी रहन-सहन के स्तर में कम विषमता और असमानता के साथ प्रवेश करें। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिएं कि सन् 2000 तक कोई भी व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे न रहे। इसका हल यह है कि कृषि के विकास पर जोर दिया जाये। हमें बहुत ही बड़े स्तर पर कृषि ऋण कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए, ताकि अगले 15 वर्षों में प्रत्येक कृषक परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें और उन्हें 15 वर्षों के बाद और कोई सस्ता ऋण देने की आवश्यकता न पड़े। हमें यह देखना होगा कि इन 15 वर्षों में हमारे देश के सभी कृषक परिवार पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं अथवा आत्मनिर्भर हो जाएं। जब तक ग्रामीण भारत में ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण उद्योगों के विकास में वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता देने के लिए एक सहायक योजना होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में, हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री पुजारी भली प्रकार से जानते हैं। वह एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और ग्रामीण भारत का उद्धार कर सकते हैं। वह ऐसा पहले से ही कर रहे हैं और वह इसे अब बड़े स्तर पर कर सकते हैं।

4.03 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

महोदया, एक और बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, यह है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदया, अब पीठासीन नहीं हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : अचानक ही सभापति महोदया के स्थान पर सभापति महोदय आ गए हैं।

महोदय, हम बड़े गर्व के साथ दावा करते रहे हैं कि हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं। मैं सहमत हूं कि हरित क्रान्ति आई है और हमारा खाद्यान्न उत्पादन 1500 लाख टन तक पहुंच गया है और अब हम यह भी कहते हैं कि हम खाद्यान्न के निर्यात करने की स्थिति में हैं। परन्तु हमारे देश में वास्तविक स्थिति क्या है ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के कितने लोगों को प्रति दिन दो समय का खाना मिलता है। जब हमारे देश के लगभग 35 से 40 प्रतिशत लोग गरीबी की

रेखा के नीचे रह रहे हैं तो वे दिन में दो बार खाना कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? अतः यह गर्व सच्चाई से बहुत दूर है। अतः, हमारा उद्देश्य यह पता लगाने का होना चाहिए कि लोगों को प्रतिदिन दो समय का खाना क्यों नहीं मिल पाया है। वे इतने गरीब हैं कि खाद्य वस्तुएं भी नहीं खरीद सकते। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार इनको खरीदने की क्षमता रखे। इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

अपने कर्नाटक राज्य में, जब हम सत्ता में आये थे तो हमने मतदाताओं से वायदा किया कि जिस परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है उस परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में रोजगार नहीं दे सकते, या तो हम उन्हें गैर-सरकारी कारखानों में रोजगार दिलाएंगे या किसी प्रकार से स्वयं रोजगार के तहत उन्हें कमाऊ सदस्य बनाएंगे। अतः महोदय, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम प्रत्येक परिवार में एक कमाने वाला सदस्य अवश्य हो। यह सरकार का उद्देश्य होना चाहिए और यही कर्नाटक सरकार कर रही है। अतः हमें बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ईमानदारी के साथ विचार करना चाहिए और हमें देश से गरीबी को दूर करने के लिए भी गम्भीरता से सोचना चाहिए, अन्यथा अगर हम अपने बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं देंगे तो हमारे देश में क्रान्ति हो सकती है। हमारे देश के सैंकड़ों हजारों लोग बेरोजगार हैं। पहले सिर्फ लड़के नौकरियों के लिए प्रार्थना पत्र देते थे परन्तु अब लड़कियां भी आवेदन कर रही हैं और कभी-कभी तो उनकी संख्या लड़कों से भी अधिक होती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करें। मैं यह मानता हूं कि सरकार के हाल के कार्यक्रम कुछ रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं परन्तु आज इससे जिस समस्या का हम मुकाबला कर रहे हैं पूर्णतया हल नहीं होगी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करें तो गरीबी की रेखा के नीचे कोई न हो। इसके लिए हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जिनका जोर ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास पर हो न कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों पर।

इन शब्दों के साथ मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

———

4.05 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के

अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 20 मार्च, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

————

अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : मैं अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1986, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

————

4.06 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 16 क का अन्तःस्थापन, आदि) [—जारी]

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, हमने राजनीतिक आजादी प्राप्त की और राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के बाद हमें आर्थिक आजादी और सामाजिक आजादी प्राप्त करनी है। आर्थिक आजादी प्राप्त करने लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रथम पंचवर्षीय

योजना बनाई और अब हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। योजनाओं के द्वारा हमने काफी प्रगति की, काफी विकास किया और बेरोजगारी की समस्या को भी हल करने में काफी सफल हुए। इस स्थिति में सबसे बड़ी बाधा हमारी प्रगति और विकास में अगर है, तो जनसंख्या की वृद्धि है। जब तक जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसको नहीं रोक पाएंगे, तब तक हम कितना भी प्रयास करें, हम आर्थिक आजादी वास्तव में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारे माननीय सदस्य, श्री जी० एम० बनातवाला, कार्य करने का जो अधिकार फण्डामेंटल राइट में रखना चाहते हैं, उसकी कभी भी उपलब्धि नहीं हो सकती है। मैं श्री जी० एम० बनातवाला से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने में वे अपना सहयोग दें। यदि वास्तविक रूप में सही भावना से इस बिल को ला रहे हैं, मूल अधिकार में राइट-टू-वर्क रखना चाहते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देना चाहिए। यदि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, कान्स्टीचूशन में अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव रखा है, वह वास्तव में हृदय से नहीं रखा है, दिल से नहीं रखा है। वे वास्तव में आर्थिक आजादी की सफलता में सहयोग नहीं देना चाहते।

दूसरी बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आर्थिक आजादी का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया। हमने इस कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में बड़े ढंग से, बड़ी दिलचस्पी से लिया। हमने बीस सूत्री कार्यक्रम रखा। उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में डेढ़ करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की। इस काम के लिए हमने 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और और अब हमारा लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का है। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत जो 48 प्रतिशत था, वह घट कर 37 प्रतिशत रह गया है। अब हमारा लक्ष्य है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत घट कर 22 प्रतिशत आ जाए। अब इस कार्यक्रम में सफलता के लिए सभी जन प्रतिनिधियों का योग होना आवश्यक है। एम० एल० एज का योग होना आवश्यक है, एम० पीज का योग होना आवश्यक है, पंचायत समितियों के प्रधानों और जिला परिषदों के प्रमुखों का योग होना आवश्यक है और इस कार्यक्रम में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। यह हमारे सामने प्रश्न है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आई०आर० डी० पी० में जो अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा कौन सा दूसरा रास्ता निकालें जिससे अनुदान का दुरुपयोग न हो, यह प्रश्न भी हमारे सामने है। हम किस प्रकार से इसका मानीटर करें, इसके बारे में सोचना है। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। आई० आर०डी०पी० के साथ-साथ एन०आर०ई०पी० भी है। उसका ग्रामीण क्षेत्र पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एसेट्स बने हैं। स्कूल के भवन बने हैं और हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पहले कोई पक्का मकान गांव में नहीं होता था, आज गांव-गांव के अन्दर पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। आज ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में सभी पंचायतों के जो भवन हैं, वे पक्के बने हुए हैं। आज स्थिति यह है

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

कि सोसाइटियों के मुख्यालयों में सोसाइटी के जो भवन बने हुए हैं, वे भी पक्के हैं। यह प्रगति का सूचक है, यह विकास का सूचक है और विकास के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी मिला है। आर० एल० ई० जी० पी० का कार्यक्रम जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 15 अगस्त, 1983 को चालू किया था, उस कार्यक्रम में भी बड़ी भारी सफलता मिली है। सड़कों का निर्माण हो रहा है और छोटे-छोटे बांध बन रहे हैं और यह जो विकास का काम हो रहा है, उससे लोगों को रोजी मिल रही है। हमारी प्रगति काफी हो रही है, विकास भी हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं परन्तु एक बात विशेष तौर पर सोचने की बहुत ही आवश्यकता है और श्री राजीव गांधी उसके बारे में सोच रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी सोच रही है और वह हमारी शिक्षा नीति के बारे में है। उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना है और यह हमारे सामने एक चुनौती है। इसके बारे में कल एक शिक्षा सेमिनार में डिस्कशन होने जा रहा है और उसके अन्दर बहुत से शिक्षाविद अपने सुझाव लेकर आएंगे कि किस प्रकार शिक्षा को जाब-आरियेन्टेड बनाया जाए। इसके बारे में उसमें विचार होगा। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो, जिससे हम उसको जाब-ओरियेन्टेड बना सकें और उसके बारे में जो भी सुझाव देना चाहते हैं, वे अपने सुझाव प्रस्तुत करें। लोक सभा में भी इसके बारे में डिस्कशन होगा और उस डिस्कशन के लिए हम जितने भी मेम्बर्स हैं, तैयारी करके आएं और अपना बढ़िया कन्ट्रीब्यूशन करें और कंस्ट्रक्टिव सुझाव प्रस्तुत करें। शिक्षा नीति को परिवर्तित करके हम जितने भी लोगों को एम्पलायमेंट दे सकें, वह एम्पलायमेंट देने का प्रयास करें। यह एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण कार्य होगा। हम जानते हैं कि एम्पलायमेंट की प्राब्लम के कारण लोग बेकार हैं और बेकार होकर बहुत से इस प्रकार के लोग हैं, जिनमें हिंसा की प्रवृत्ति प्रवेश कर गई है। यह हम सभी जानते हैं। इसलिए इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और हमें कुछ रचनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे और रचनात्मक कदम उठाकर ही हम इस प्रकार की अव्यवस्था को मिटा सकेंगे। यह मैंने शिक्षा नीति के बारे में अपनी बात रखी है।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को हम कोई न कोई रोजी का साधन दें। वह रोजी देने पर स्थिति बन सकेगी। इससे हमारे यहां गरीबी को मिटाने में भी काफी कामयाबी मिलेगी। एक स्थिति यह है कि आजकल बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे ही बड़े-बड़े अधिकारी बनते हैं, आई० पी० एस० अफसरों के बच्चे ही आई० पी० एस० अफसर बनते हैं। एक स्थिति यह है कि गरीब परिवारों में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है और इस तरह वह परिवार किसी भी सहारे से वंचित रह जाता है।

वृद्धों और विकलांगों को पेंशन देने के बारे में आपने निर्णय लिया है। लेकिन यह पेंशन आजकल के जमाने में बहुत कम पड़ती है। कहीं यह पेंशन 40 रुपये माह, कहीं यह पेंशन 50 रुपये माह दी जाती है। आज की महंगाई को देखते हुए यह पेंशन 100 रुपये माह होनी चाहिए। वृद्धों और विकलांगों को कम से कम सौ रुपये महीना पेंशन दी जानी चाहिए। जो रिलीफ हम इन लोगों को देना चाहते हैं तभी वह रिलीफ इन लोगों को मिल सकेगा।

बहुत सी विधवाएं हैं। उनको कोई कार्य नहीं मिलता है। इसलिए वे अवैध कार्यों की तरफ

चली जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम विधवाओं को भी पेंशन देने का प्रोविजन करें। इस सम्बन्ध में मैंने एक बिल भी पेश किया है। जब वह बिल आएगा तब मैं अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। विधवाओं को पेंशन देने की कोई व्यवस्था सरकार अवश्य करे।

मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीच्युशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राईट टू वर्क की डायरेक्शन दी गई है। अगर यह डायरेक्शन लागू कर दी जाती है तो संविधान के आर्टिकल 226 के अन्तर्गत बहुत सी एप्लीकेशंस आ जाएंगी और सरकार को बहुत सा पैसा रोजगार भत्ता देने में ही खर्च करना पड़ेगा। इससे देश के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा और देश की स्थिति अच्छी नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं इस बिल का जो श्री बनातवाला जी ने प्रस्तुत किया है, घोर विरोध करता हूं।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, हमने छ: पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर ली हैं और अपने देश के लाखों लोगों के जीवन स्तर को उठाने के भगीरथ प्रयासों के बावजूद अभी भी हमारे समाज में गरीबी और बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हमारा संविधान शायद विश्व के सर्वोत्तम संविधानों में से है। यह एक ऐसा लचीला संविधान है जिसे विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों के सर्वोतम अंशों को लेकर तैयार किया गया है। डा० जेनिंग के अनुसार यह विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। डा० जेनिंग लंदन विश्वविद्यालय में एक महान संविधान विशेषज्ञ हैं। सर्वोत्तम संविधान और हमारे द्वारा पिछले 36 सालों में किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी की काली छाया इस धरती पर विचरण कर रही है। इसलिए मुझे श्री जी०एम०बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के पीछे छिपी भावनाओं के प्रति बड़ी सहानुभूति है। पिछले 36 सालों के दौरान हमारी नीतियां गरीबी को खत्म करने और बेरोजगारी को कम करने की रही है। गरीबी बेरोजगारी के परिणामस्वरूप है। योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य खासकर छठी और सातवीं योजनाओं का लक्ष्य······

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिए। क्या सदन की इच्छा है कि इस विधेयक के लिए समय को बढ़ाया जाए ?

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आप समय दो घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। मेरा विचार है कि सदन इससे सहमत होगा।

श्री वाई० एस० महाजन : हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य के रूप में बेरोजगारी को कम करने के हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद देश में बहुत अधिक बेरोजगारी है। छठीं और सातवीं योजना के दौरान हमने गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के विशेष प्रयास किये हैं। हमारे पास बहुत सी परियोजनाएं, योजनाएं और कार्यक्रम हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की

[श्री वाई० एस० महाजन]

जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने इसकी विस्तार से चर्चा कर ली है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये सभी योजनाएं देश के विभिन्न भागों में गरीबी को दूर करने के विभिन्न तरीके हैं। देश में बेरोजगारी को कम करना कोई आसान समस्या नहीं है। बेरोजगारी के अनेक रूप हैं। हो सकता है कि एक आदमी रोजगार कर रहा हो पर बहुत गरीब हो। वह रोजगार तो कर रहा हो पर उससे उसे इतना नहीं मिलता हो कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके इसलिए वह गरीब है। इसलिए हमारी समस्या जैसी कि हमारे योजना—निर्माताओं ने उपयुक्त कल्पना की थी, गरीबी को दूर करने की है और गरीबी को दूर करने के लिए बेरोजगारी दूर करना एक प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें बाधक रही हैं। इसके अलावा पारम्परिक तौर पर बहुत से लोग गरीबी से बाहर आना नहीं चाहते। वे अपने जीवन स्तर को सुधारना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को कम नहीं करना चाहते। काश, बनातवाला जी गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं पर ध्यान देते। हर कोई मानेगा कि पिछले 35 सालों के दौरान इस देश ने यथासंभव प्रयास किए हैं। हमने अपनी योजनाओं को पूरा किया है और इनके माध्यम से हमने हर साल 5% विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया है जोकि आसान बात नहीं है। यह एक बहुत कठिन काम है। हमने पिछले 30 सालों के दौरान यह काम किया है लेकिन इस देश में गरीबी अभी भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हम बढ़ती जनसंख्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आजादी के समय हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी। अब यह 74 करोड़ है। 35 करोड़ से बढ़कर अब हम 74 करोड़ तक पहुंच गए जबकि इस अवधि के दौरान जमीन उतनी की उतनी ही रही हम अपनी आवास संपत्ति को आगे बढ़ा नहीं सके। हमारी कुशलता और तकनीकी क्षमता में थोड़ा सुधार हुआ है पर अनुपात के अनुसार नहीं, और इसलिए अमरीका, फ्रांस और जर्मनी की तुलना में हमारे पास प्रति व्यक्ति संसाधन बहुत कम हैं।

यह प्रमुख कारण है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण आर्थिक विकास के परिणाम बहुत हद तक निष्फल हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम बढ़ती जनसंख्या की इस बाधा को दूर नहीं करते तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है जिसकी श्री बनातवाला ने कल्पना की है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित 1982-83 की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि विश्व की जनसंख्या में 850 लाख की वृद्धि हुई है और भारत का स्थान इसमें सबसे ऊपर है जहां 150 लाख जनसंख्या बढ़ी है। हम जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी करने में सफल हुए हैं पर हर साल जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है।

एक माननीय सदस्य : यह विकास का मापदंड है।

श्री वाई० एस० महाजन : जी हां, ठीक कहा। 1982-83 में 150 लाख वृद्धि दर में कमी

के बावजूद इसमें वृद्धि हो रही है क्योंकि आधार व्यापक हो गया है। जनसंख्या में कुल वृद्धि पहले से कहीं अधिक है। जब तक हम जनसंख्या में हर साल होने वाली निवल वृद्धि को कम नहीं करते तब तक हम अपनी आर्थिक समस्या को हल नहीं कर सकते। 'गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी हमें देखभाल करनी है। मेरा विचार है कि लोगों के अंधविश्वासों धार्मिक पूर्वाग्रहों और पारम्परिक विचारों के कारण हमारे समक्ष विरोध की एक उल्लंघनीय दीवार खड़ी है। मुझे आशा है कि संसद सदस्य और इस देश की सारी जनता परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन आन्दोलन बनाने और इस कार्यक्रम के आसान बन जाने के कारण पांच साल के अन्दर जन्म दर को शून्य करने में हमारा साथ देगी। जापान में 1951-61 के दशक में गर्भपात के क्रूर तरीके के माध्यम से जन्म दर को दस साल में ही घटाकर एक प्रतिशत ले आया गया। इसलिए गरीबी और बेरोजगारी को दूर किए बिना अपनी योजनाओं और आर्थिक कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाए बिना अपने देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। फिर भी मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के पीछे जो भावनायें हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। इन भावनाओं को हमारे संविधान में पहले ही स्थान प्राप्त है। संविधान निर्माताओं ने एक निदेशक सिद्धांत को पहले ही शामिल किया हुआ है कि हर एक को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वयोवृद्ध और बूढ़े लोगों की भी देखभाल की जानी चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र में हमने एक बड़ा कदम उठाया है। तीन साल पहले हमारी सरकार ने कहा था कि निराधारी योजना के अन्तर्गत उन लोगों को कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए जिनके पास आजीविका के साधन नहीं है, या जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जो बूढ़े हो गए हैं। हम हर महीने उन्हें पेंशन देते हैं। यह प्रगति की दिशा में एक महान कदम है और मुझे आशा है कि अन्य राज्य इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे। ऐसा श्री अन्तुले ने महाराष्ट्र में अपने मुख्य मंत्री-कार्यकाल के दौरान किया था। अतः मेरा विश्वास है कि इन कारणों को दूर किए बिना श्री बनातवाला के विधेयक के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे संविधान में प्रत्येक को काम करने का अवसर दिया गया है। लेकिन वह इसे ऐसा न्यायिक अधिकार बनाना चाहते हैं जिसे न्यायालय भी लागू कर सके। ऐसा कानून पास करने से क्या फायदा है। कानून कागजों तक सीमित रहेगा अगर आप इसे लागू नहीं कर सकते। श्री बनातवाला की सफलता की कामना करते हुए मेरा विचार है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक समय से पूर्व लाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : देश के प्रत्येक बेरोजगार नागरिक को काम पाने के अधिकार संबंधी इस विधेयक को प्रस्तुत करने के श्री बनातवाला के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। लेकिन जैसा कि मेरे मित्र श्री महाजन ने कहा है कि हमें गरीबी और बेरोजगारी के मूल कारणों का पता लगाना होगा। यदि हम विश्व के विकसित और विकासशील देशों को देखें तो अधिक विकसित देशों के समक्ष जनसंख्या में कम वृद्धि शून्य या नकारात्मक वृद्धि की समस्या है जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है चाहे अफ्रीका में हो या एशिया में और चाहे भारत हो या इंडोनेशिया हो। लेकिन जैसा कि मेरे मित्र श्री महाजन ने कहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में सबसे अधिक है। इस पर कुछ नियंत्रण लगाए जाने चाहिए। हम सबके पास

[श्री विजय एन० पाटिल]

अधिकार है और हमारे संविधान ने हमें भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने आदि अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन नागरिकों को एक निहित अधिकार प्राप्त है अर्थात् परिवार बढ़ाने का अधिकार। कुछ नागरिक अपने परिवार में 10 गुनी, कुछ तीन गुनी, कुछ 4 गुनी और कुछ 15 से 20 गुनी वृद्धि करते हैं। इस अधिकार को नियंत्रित किया जाना चाहिए और सरकार को ऐसी परिवार यूनिट के बारे में विचार करना चाहिए जिसे सहायता दी जानी चाहिए। क्या यह सहायता पांच सदस्यों के परिवार को दी जानी चाहिए या 35 सदस्यों के परिवार को भी।

मैंने सेवानिवृत्त दो भाइयों का एक उदाहरण देखा है। एक गरीबी में रह रहा है तो दूसरा जोकि मध्यम वर्ग का है, मौज कर रहा है। उन्होंने अपनी जिन्दगी समान स्तर से शुरू की थी। एक डाक विभाग में काम करता था तो दूसरा सेना में। डाक विभाग में काम करने के बाद सेवा निवृत्त हुए व्यक्ति के परिवार में 32 सदस्य हैं और सेना में काम करने वाले व्यक्ति के केवल पांच—स्वयं वह, उसकी पत्नी, बेटा, बहू और उनका एक बच्चा। डाक तार विभाग में काम करने वाले व्यक्ति के छः लड़के और दो लड़कियां हैं। सभी विवाहित हैं। छः लड़कों की बहुएं अर्थात् कुल 12 व्यक्ति और बच्चों को मिलाकर परिवार की कुल सदस्य संख्या 32 है। तो प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को 32 व्यक्तियों को सहायता देनी चाहिए या 5 व्यक्तियों को। इस बारे में हमें अब निर्णय लेना है। हमें इस दृष्टिकोण से सोचना होगा। 1947 में 35 करोड़ जनसंख्या थी जोकि अब 74 करोड़ से भी अधिक है। इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो आएगी। चीन ने अपनी जनसंख्या को 2020 ई० तक घटा कर 35 करोड़ तक करने की योजना बनाई है जोकि भारत की जनसंख्या 1947 में थी। वह ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा और इसे वास्तव में भिखारियों का देश कहा जाएगा। अतः मेरा सुझाव है कि अप्रत्यक्ष नियंत्रणों की बजाय कुछ प्रत्यक्ष नियंत्रण लगाए जाने चाहिए, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। हम लोगों को अनुदान और सहायता दे रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे जनसंख्या को नियंत्रित रखें तथा 4 सदस्यों के परिवार के आदर्श को अपनाएं। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देने और नियंत्रण लगाने चाहिए ताकि समाज के सभी वर्ग परिवार कल्याण के उपायों को अपना सकें। हम ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 50 रुपया दे सकते हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है या जब तक उनके एक ही बच्चा रहेगा। इससे राजस्व तो व्यय होगा पर भविष्य में इससे देश को फायदा होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारें इस बारे में नियम बना सकती हैं कि एक परिवार के दो पुत्रों से अधिक केन्द्रीय या राज्य सरकार की नौकरी में नहीं रखे जा सकते। सरकार का दायित्व है कि वे आवश्यक वस्तुओं को सस्ती या नियंत्रित दरों पर उपलब्ध करायें। इस बारे में नियम बनाये जा सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए राशन-कार्ड में तीन से अधिक बच्चों के नाम न दर्ज कराये जाएं।

सभापति महोदय : अन्य बच्चों के लिए क्या उन्हें काला-बाजार से खरीदना पड़ेगा ?

(व्यवधान)

श्री विजय एन० पाटिल : अगर वे 12 बच्चे पैदा करते हैं तो, क्या हम उन सबको एक साथ सहायता देंगे; जबकि एक व्यक्ति एक ही बच्चा पैदा करता है तो उसने इस देश के साथ क्या गलत काम किया है ? छोटे परिवार की कसौटी के आधार पर ही छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को राज्य सहायता, अनुदान और अन्य प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। जो व्यक्ति भर्ती के समय अविवाहित हों उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए और अन्य प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक हम जनसंख्या वृद्धि को शून्य-स्तर तक नहीं ले आते, तब तक संविधान में दी गई गारंटी से कोई लाभ नहीं होने वाला, जो कानून लागू ही नहीं किया जा सकता वह प्रभावी कानून नहीं है। ऐसा कानून बनाने से कोई लाभ नहीं है।

अन्त में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि संविधान के 41वें अनुच्छेद को हटाने की मांग करने की बजाय, इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए और राज्य सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अनुसार इस बारे में प्रभावी उपबन्ध बना सकती हैं ? और अन्त में हम यह जोड़ सकते हैं—कि उन लोगों के लिए जिनका छोटा परिवार है। तभी हम, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक जो प्रगति की है और अपने नेताओं के गतिशील नेतृत्व में, हमारे किसानों और श्रमिकों ने जो प्रगति की है, तभी उसका लाभ उठाया जा सकता है। हमें विश्व बैंक की ओर ऋण लेने और विकसित देशों की ओर सहायता के लिए नहीं देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति जी, मैंने श्री बनातवाला जी के बिल पर बहुत गम्भीरता से विचार किया है और मुझे लगता है कि यदि इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो "राइट-टू-वर्क को" बदलकर "राइट-टू-नॉट-वर्क" करना पड़ेगा। हमारा अपना अनुभव है कि जो लोग देहात से शहरों में आते हैं, वे लोग एक बार किसी तरह से किसी कम्पनी में नौकरी में घुस जाते हैं, आर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स में चले जाते हैं, तो जो 12-14 घंटे काम करते थे, वे घंटे, दो घंटे भी काम नहीं करना चाहते हैं। ट्रेड यूनियन उन्हें प्रोटैक्ट करती है और इसकी जनरल रिएक्शन यह होती है कि कम्पनी का मालिक लोगों को रखना नहीं चाहता है और यदि रखता भी है, तो कोशिश उसकी यही रहती है कि कम से कम लोग रखे जाएं। इससे एम्प्लॉयमेंट के फर्दर स्कोप नहीं खुल सकते हैं। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट की पोटेंश्यलिटी बहुत कम हो जाती है।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : श्रीमन, सभा में गणपूर्ति नहीं है। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है···अब गणपूर्ति पूरी है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : श्रीमन, मैं कह रहा था कि आदरणीय बनातवाला जी राइट टू वर्क के बदले इस देश की करोड़ों महिलाओं के बिहाफ पर एक बिल राइट टू फेमिली प्लानिंग लाते, तो बहुत ही अच्छा होता। महिलाएं कहती हैं कि हमें आप बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बना सकते हैं और हमें यह अधिकार होना चाहिए···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : परिवार नियोजन का अधिकार या परिवार कल्याण का कर्त्तव्य ? आप क्या चाहते हैं ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : एक ही बात है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है कि परिवार को सीमित करने का अधिकार महिलाओं को हो। राइट टू वर्क पर बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अमरीका, कनाडा और इंग्लैंड का अपना अनुभव है कि जहां लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, वहां के लोग निकम्मे हो जाते हैं। काम करना नहीं चाहते हैं। जिन विदेशियों के बारे में हम कहते हैं कि उन्हें सैंस आफ वर्क बहुत है, मैंने देखा है कि वह ड्रग खाकर सो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को खबर नहीं करते हैं कि उन्हें कोई नौकरी मिली है या नहीं मिली है। नौकरी के लिए वह कोई प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि अन-एम्प्लॉयमेंट एलाउन्स उन्हें इतना मिल जाता है जिससे वह अपनी जिन्दगी खींच लेते हैं। बहुत अच्छी जिन्दगी तो उससे नहीं बिता सकते हैं, लेकिन खींच लेते हैं।

अपने देश में भी कुछ राज्यों में अन-एम्प्लायड ग्रेजुएट्स को कहने के लिए तो एलाउन्स मिलता है। लेकिन वह नाममात्र का मिलता है। मैंने देखा है कि वह आदमी निकम्मा हो जाता है, कोई काम नहीं करना चाहता। छोट-मोटा काम उस खेत में कर लेता है जिसमें उसके बाप और दादा लगे हैं, काम में थोडा हिस्सा बंटा लेता है, लेकिन चेष्टा नहीं करता कि घर से बाहर निकलकर कोई रोजगार खोजे इसलिए मैं बनातवाला जी की भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या बडी भीषण है, लेकिन उन्हें कोई भत्ता मिले, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, बल्कि मेरा कहना होगा कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध कराए जाएं।

हमारे यहां 20-सूत्री कार्यक्रमों में जितने भी रोजगार के अवसर लोगों को दिए गए हैं, वह सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, उसमें बड़ी धांधली है, उसका पैसा बिचौलिए मार जाते हैं और लोग तबाह व परेशान हैं। इस बात को मैंने पहले भी सदन में उठाया था, और अब फिर विनम्रता से

कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार हर राज्य के लिए ऐसा मानिटरिंग सैल बनाये जो देखे कि आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० में जो रोजगार के अवसर लोगों को दिलाये जाते हैं, क्या वह मिलते हैं ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें 10 से 15 प्रतिशत लोगों को भी फायदा नहीं हो पाता है।

सैल्फ एम्प्लायमेंट में आपने बैंकों के द्वारा जो लोगों को रोजगार दिलाने का अवसर दिया है, उसमें भी बड़ी धांधली है। इसी सदन में सैंकड़ों बार यह मामला उठाया गया है और कुछ न कुछ कहकर उसे टाल दिया गया है। बेकारी की समस्या आप बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाकर देखें कि किस तरह लोग वहां बेरोजगार हैं। लोग बार-बार पूछते हैं कि वहां के युवक क्राइम क्यों करते हैं ? मैं कहता हूं कि वह क्राइम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? आप बताइये क्या करेंगे ?

[अनुवाद]

"खाली दिमाग शैतान का घर।"

[हिन्दी]

मैं कहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या को आप गम्भीरता से लीजिये, लेकिन मैं श्री बनातवाला जी की भावना से सहमत नहीं हूं कि बेरोजगारी के लिए कोई भत्ता दिया जाये।

[अनुवाद]

***श्री सत्य गोपाल मिश्र** (तामलुक) : सभापति महोदय, विधेयक के प्रस्तावक ने यह विधेयक पेश किया है, हालांकि कई मामलों पर मेरे उनसे मतभेद हैं, मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं। मैं उन्हें इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करके उन्होंने बेरोजगारी की गम्भीर समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया है। यह समस्या देश के करीबन प्रत्येक परिवार की समस्या है। आज भारत इस समस्या से ग्रस्त है और निश्चय ही इस पर बोलते हुए कुछ अधिक समय की आवश्यकता होगी। मैं माननीय सभापति महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे अधिक समय दिया जाए।

विधेयक के प्रथम भाग में, संविधान में एक नये अनुच्छेद 16 क के अन्तःस्थापन की बात कही गई है, जो कि पहले अनुच्छेद 41, जो कि नीति निदेशक सिद्धान्तों के बारे में था, में सम्मिलित था। इसका अर्थ यह है कि जो उपबन्ध पहले नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आते थे अब मूल अधिकारों के अन्तर्गत आएंगे, क्योंकि यह विषय रोजगार अवसरों और रोजगार की गारंटी से सम्बन्धित हैं, अतः इसको सभी का समर्थन और मंजूरी मिलेगी। विधेयक में वृद्ध लोगों और बीमार लोगों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है। इस उपबन्ध पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के बारे में भी यह व्यवस्था है कि एक निश्चित स्तर तक सबके लिए शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सत्य गोपाल मिश्र]

अत: विधेयक का क्षेत्र काफी व्यापक है और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए काफी समय की आवश्यकता है। श्रीमन्, हमारे संविधान में "समाजवादी उद्देश्य" के बारे में कहा गया है और इसमें "समानता" आदि जैसे भारी शब्द रखे गए हैं। मेरे लिए ये शब्द वास्तव में सार्थक हैं। सभी लोगों के लिए समान अधिकार तभी हो सकते हैं जब रोजगार की गारंटी भी मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित की जाए। राज्य को यह जिम्मेदारी उठानी होगी। इस विधेयक में यह उपबन्ध अच्छे ढंग से रखा गया है। हमारे देश की जनसंख्या विशाल है। अगर हम इस विशाल मानव शक्ति का उपयोग कृषि और उद्योग में, योजनाबद्ध ढंग से कर सकें, तो देश में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। अगर हम अपनी मानव शक्ति का प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से, सही ढंग से और पूरी तरह कर सकें तो, देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी।

लेकिन, श्रीमन्, यह खेद का विषय है कि आजादी के 37-38 वर्षों के पश्चात् भी देश के प्रत्येक परिवार में और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। दूसरी ओर, अगर हम समाजवादी विश्व की ओर देखें तो पाएंगे कि यह विषय उनके संविधान में सम्मिलित हैं। आज इन देशों में बेरोजगारी नहीं है, आप किसी भी समाजवादी देश में जाएं तो पायेंगे कि वहां कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। उनके द्वारा अपनाई गई आयोजना और आर्थिक नीतियों का ही यह परिणाम है। लेकिन, श्रीमन्, हमारी सरकार इस ओर सोचने की बजाए, उल्टी दिशा में जा रही है। कुछ वर्षों से उन्होंने वित्तीय स्थिति के नाम पर भर्ती पर रोक लगा रखी है। इसका अर्थ है, सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान न करने का निर्णय लिया है और इसी प्रकार सभी स्थानों पर कार्य कर रही है। सरकार की इस नीति के फलस्वरूप, न केवल युवा लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे, न केवल रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं लेकिन बैंकिंग क्षेत्र, रेलवे आदि विभिन्न सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है। सार्वजनिक कार्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। श्रीमन्, यहां मैं पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल द्वारा मुझे लिखे गए पत्र का हवाला देना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि वे महसूस करते हैं कि एक विशिष्ट गांव में एक डाकघर खोलने की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में भर्ती पर लगी रोक के कारण, इस समय डाकघर खोलना सम्भव नहीं है। जब रोक हट जायेगी, तो वह डाकघर खोलने की स्थिति में होंगे। इस तरह देश में, भर्ती पर रोक की वजह से, काम पर असर पड़ रहा है। संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में "समाजवादी ध्येय" की बात कही गई है। लेकिन सरकार इन्हें मानने की बजाय, उल्टी दिशा की ओर जा रही है। इसके अलावा सरकार ने आधुनिकीकरण के नाम पर मशीनों और कम्प्यूटर आदि का सहारा लिया है, जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में लोगों की छंटनी होगी और रोजगार के अवसरों में भारी कमी होगी। कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है और विभिन्न उद्योगों और अन्य संगठनों में ऐसा वातावरण बनाया गया है कि आधुनिकीकरण के नाम पर युवकों को मिलने वाले रोजगार के अवसरों में कमी होती जा रही है।

श्रीमन्, इसके अलावा हम देखते हैं कि देश में राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। आतंकवादी और साम्प्रदायिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अन्य कारणों के साथ-साथ राष्ट्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां और आन्दोलन पनप रहे हैं। हताश युवक जीने का अन्य कोई रास्ता न पाकर, धीरे-धीरे अवांछित तथा गलत रास्ते पर चलने लगता है। जीवित रहने की उत्कंठा से प्रेरित हो वे कभी साम्प्रदायिक तत्वों की बातों में फंस जाते हैं, कभी विघटनकारी आन्दोलनों में, तो कभी समाजविरोधी गतिविधियों की ओर बढ़ने लगते हैं। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है और सरकार को इससे सावधान रहना चाहिए। श्रीमन्, जो देश की सरकार चला रहे हैं उन्होंने अर्थात कांग्रेस (आई) दल ने 1980 के चुनावों में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वचन दिया था कि प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक व्यक्ति को अवश्य रोजगार दिया जाएगा। समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों के समय ऐसे झूठे वायदे करती है, ताकि युवक उसके बहकावे में आ जाएं। पश्चिम बंगाल से, एक कांग्रेस संसद सदस्य—श्री गनी खान चौधरी—केन्द्र में केबिनट मंत्री हैं। उन्होंने हर जगह अपने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वे 10,000 रोजगार अवसर दिलवायेंगे। लेकिन जब मतदान समाप्त हुआ; समस्या पैदा हुई, क्योंकि इतने रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई गई थी। हम सबको इसकी जानकारी हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि 1980 के चुनावों में कांग्रेस ने जो प्रत्येक परिवार के कम-से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही थी उसका क्या हुआ? उस वादे का ब्याज क्या हुआ? कांग्रेस झूठे वादे करती रहती है और चुनावों के समय देश के युवकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झूठे वादे करती रहती है और गुमराह करती है। एक दफा सत्ता में आ जाने के पश्चात्, वह इन सभी वादों को भूल जाती है। और रोजगार के नये अवसर प्रदान करने की बजाय, वे विद्यमान रोजगार के अवसरों को भी कम कर रही हैं।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक मुद्दा और उठाना चाहूंगा। श्रीमन् हमारे देश में रोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। वह कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते। हमारे देश की मंडी कुछ लोगों तक ही सीमित है अगर आर्थिक कठिनाई के कारण यह 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं इनको ऊपर कैसे उठाया जा सकता है अगर इनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जा सके तभी वे बाजार से सामान खरीद सकते हैं और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। उद्योगों और व्यापार में प्रफुल्लता बढ़ने से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उनकी क्रय शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह केवल क्रान्तिकारी भूमि सुधारों द्वारा किया जा सकता है। क्रांतिकारी भूमि सुधार ही केवल एक रास्ता है जिसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। 50% से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रखते हुए, इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान कभी भी सम्भव नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि वह देश को 21वीं सदी की ओर ले जा रहे हैं। इतिहास के नियमानुसार हम 21वीं सदी में अवश्य जाएंगे चाहे वह इसे पसन्द करें या न करें। लेकिन क्या हमारे प्रधान मंत्री लाखों बेरोजगार नवयुवकों को भी 21वीं सदी की ओर ले जाएंगे। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? मैं अपने भाषण को लम्बा नहीं करना चाहता। मैं बहुत सी बातें पूछना चाहता हूं मैं शिक्षा के विषय को तो अभी तक नहीं ले पाया हूं। सरकार भी नई शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसर बहुत कम हो गए हैं। प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल खोलने से शिक्षा के अवसर बहुत कम हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के बजाय, सामान्य लोगों को शिक्षा देने के बजाय आपने कुछ लोगों के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल

[श्री सत्य गोपाल मिश्र]

बनाने की योजना बनाई है। सामान्य व्यक्तियों के लिए सामान्य शिक्षा का प्रसार कैसे हो सकता है। बेरोजगारों को कैसे लाभ मिल सकता है ? जो लोग देश की सरकार को चला रहे हैं उनके पास कोई नीति, योजना और महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं है। वे समस्याओं का समाधान नहीं करते वे किसी समस्या के बारे में नहीं जानते। वे केवल चुनावों के समय बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं जानता हूं कि श्री बनातवाला के इस विधेयक का मंत्री जी हमेशा जैसा उत्तर ही देंगे। तब वह श्री बनातवाला से अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए। आखिरकार बनातवाला जी इसे वापस लेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक की यह नियति है। यह इसमें हमारी भूमिका है। चूंकि मैं समझता हूं कि सभा के समक्ष यह अति महत्वपूर्ण विधेयक है अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकृति देकर, उसे पारित कर दें। श्रीमन् इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि यह जो प्रस्ताव आया है यह बनातवाला जी की तरफ से आया है। मैं इसे बहुत बड़ा परिवर्तन मानता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले और न मिलने पर उसे भत्ते के रूप में कुछ दिया जाय, यह हिस्सा अगर अलग भी रख दिया जाय तब भी मैं सोचता था कि कोई कम्युनिस्ट साथी इस बात को प्रस्ताव के रूप में रखेंगे···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने रखा था, बैलट में आया नहीं।

श्री केयूर भूषण : बनातवाला जी के सम्बन्ध में यह एक आम धारणा है कि मौलवियों, पंडितों और इस तरीके से जो पुराणपंथी हैं उनके अन्दर उनकी गिनती होती है मगर पुराणपंथी होते हुए भी एक नवयुवक का जो विचार है उसको वह लाये इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं।

इस बिल के सम्बन्ध में इसके साथ और भी आगे कुछ जोड़ना था और वह न जोड़ने के कारण यह चर्चा केवल चर्चा मात्र रह जायेगी। इस बिल का कोई महत्व नहीं रह जायेगा क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक हाथ को काम मिले तो सबसे पहले सामन्ती दिमाग को बदलना होगा। जब तक सामन्ती दिमाग रहेगा, सारी व्यवस्था सामन्ती ही रहेगी। इसलिए सामन्ती दिमाग बदलने का प्रयत्न सबसे पहले हो। उस सामन्ती दिमाग के रहते क्या समाज की व्यवस्था आप बदल पायेंगे ? समाज की यह व्यवस्था नहीं बदल सकेगी। अगर समाज की व्यवस्था को बदलना हो तो उसकी सारी अर्थव्यवस्था भी बदलनी होगी।

इसके साथ ही आप देखेंगे अगर एक तरफ बनातवाला जी इस बात के लिए सहमत होते हैं कि प्रत्येक को पूरे तरीके से समान अधिकार हो तो जिस तरह से आज पुरुष वर्ग के अधिकार हैं वही 50 प्रतिशत नारी समाज को भी अधिकार होने चाहिए। इसका समर्थन भी मैं समझता हूं वे करेंगे—ऐसा मुझे विश्वास है, यदि आज नहीं तो कल करेंगे। आज के इस माहौल से ऐसा पता लगता है कि एक

बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन आयेगा और हम उस स्थान से आगे बढ़ेंगे जहां से बढ़ने का विश्वास नहीं हो रहा था। चाहे वह पर्दा प्रथा हो— डागा जी के क्षेत्र में या किसी दूसरे क्षेत्र में और चाहे किसी भी समाज में क्यों न हो, वह अब हटने वाली है। यह भी एक परिवर्तन सामने आयेगा। (व्यवधान)

जहां तक शिक्षा की बात है, उसकी पद्धति में हमें परिवर्तन लाना होगा क्योंकि उसके बिना सामाजिक व्यवस्था में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वह नहीं आ पा रहा है। सम्भवतः उद्योग-प्रधान शिक्षा ही इस देश में कारगर हो सकेगी। ऐसी व्यवस्था लाकर हमें देखना होगा कि प्रत्येक हाथ को इस देश में काम मिल रहा है या नहीं तथा राष्ट्रीय विकास में प्रत्येक का योगदान हो रहा है या नहीं। इस थर्मामीटर के आधार पर सारी पद्धति को हमें बदलना होगा। दूसरी तरफ जो सामन्ती व्यवस्था है, हमारी अर्थ-व्यवस्था में, उसको भी तोड़ना होगा।

आज कुछ ही माध्यम हैं जिनके द्वारा हम प्रत्येक हाथ को काम दे सकते हैं। एक तो औद्योगिक विकास होना चाहिए जिसमें प्रत्येक की भागीदारी हो। जब उत्पादन में उसका हाथ होगा, उद्योग, कल-कारखाने, खदान—इनका उपयोग आम नागरिकों के लिए होगा तभी प्रत्येक हाथ को हम काम दे पायेंगे। आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर मंदिरों के पास जितनी जमीन है, जागीरदारों के पास भी उतनी जमीन नहीं होगी। इसी प्रकार से मस्जिदों, गुरुद्वारों के पास सारी पूंजी धर्म के नाम पर जो इकट्ठा है, क्या इस व्यवस्था को बिना बदले आप प्रत्येक हाथ को काम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आज हम देखते हैं पंजाब में किसान-मजदूर खेती करना चाहते हैं लेकिन वहां पर आज भी कई नामों से पांच, सात सौ या हजार एकड़ के फार्म बने हुए हैं। उत्पादन तो हो रहा है और खाद्यान्न के मामले में हमारा देश स्वावलम्बी भी हुआ है लेकिन जो उत्पादन है वह किसके पास जा रहा है? क्या वह हल जोतने वालों के पास जा रहा है? नहीं जा रहा है। वे लोग तो भूखे ही रह गए हैं क्योंकि उनके पास जमीन ही नहीं है। इसलिए आपको फिर सो सीलिंग का कानून लागू करना होगा और जो हल जोतने वाले हैं उनको जमीन देनी होगी तभी जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वह आ पायेगा।

5 म० प०

इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन भी बहुत आवश्यक है। यह धार्मिक दृष्टि से देखना चाहें तो भी आप देखेंगे कि पैगम्बर साहब के एक ही लड़की थी और श्री रामचन्द्र, जोकि हमारे आदर्श हैं उनके दो ही लड़के थे। इस प्रकार धार्मिक चिन्तन जो है वह भी आध्यात्मिक चिन्तन की ओर झुका हुआ है। इस्लाम का यह कहना कि अगर आज की रोजी हमने कमा ली है और कल के लिए हमारे पास जो कुछ है, उस कल के लिए संग्रह न करें, तो यह महान समाजवादी लक्ष्य है। इसके आधार पर उसका वितरण परिवारों में हो। सपने में अगर ह रामचन्द्र को दान की विधि बताई गई और उसके बाद उन्होंने सम्पूर्ण राजपाठ दान कर दिया, केवल बेजमीन और मोहताज लोगों के लिये, तो यह हमारी महान संस्कृति है। उसके मूल तत्व में जायेंगे, न कि आडम्बर जो कि ऊपर का छिलका है, उस छिलके के लिये अगर उसी को मान बैठेंगे, तो उससे जो हम चाहते हैं, जैसा कि बनातवाला जी

[श्री केयूर भूषण]

भी चाहते हैं, हर हाथ को काम मिले, तो वह काम नहीं हो पाएगा। इसके बदले में अगर वे संशोधित बिल लाते हैं और उसमें यह कहते हैं कि हमको अपनी सामाजिक व्यवस्था, जो कि आज का चिन्तन है, जो सामन्ती चिन्तन है, उसमें बहनों को अधिकार देने के लिये तैयार नहीं है, समान हक देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी कमाई हुई पूंजी में से जिस बहन के साथ हमने जिंदगी बिताई है, उसको उसमें से हिस्सा देने के लिये तैयार नहीं है, उसके जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कैसे रोजगार दे सकेंगे। इन सब स्थितियों के साथ मेरा पूरा विश्वास है कि आपका चिन्तन उसी ओर जा रहा है, जिसको देश चाहता है। देश का प्रत्येक हाथ राष्ट्र के विकास में जुड़े, जिसके अन्दर सब धर्मों के लोगों का परस्पर सहयोग हो। इसके साथ-साथ प्रत्येक का सम्पूर्ण जीवन उसके लिये समर्पित हो, यही उद्देश्य महात्मा गांधी का रहा है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे कम्युनिस्ट साथी विश्वास करें या न करें, मगर बात सच है, अगर सामन्तों का यही रवैया रहा, जमीन किसानों के पास नहीं गई, तो बिना मुआवजे के जमीन लेकर किसानों को बांटेंगे। यदि परिवर्तन शांति के साथ नहीं हुआ तो खून की क्रांति हो सकती है। युग बदल रहा है। देश और दुनिया की यही मांग है। एक स्थान पर सभी धर्मों की एकता हमारे जीवन में आ रही है, जिसमें हर एक मजहब के लोग एक ही स्थान पर होंगे। हम एक जगह पर कालोनी बनाते हैं, वहां सभी धर्मों के लोग—हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई—रहते हैं। जब एक ही स्थान पर रहेंगे, तो एक ही स्थान पर कीर्तन होगा, एक ही स्थान पर गुरुद्वारा होगा और एक ही स्थान पर गिरजाघर भी होगा। फिर यह सवाल कि यह मंदिर है, मस्जिद है, नहीं उठेगा। जैसी कि राष्ट्र की मांग है, यह परिवर्तन होने जा रहा है और उस मांग के साथ हमारे बनातवाला जी जुड़ गए हैं, इस बात की खुशी होते हुए, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। वे संशोधित प्रस्ताव के रूप में आयें, जिसमें सब लोगों को समान अवसर हों, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। नहीं तो केवल एक विचार के लिए विचार आ जाता है, तो उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, बनातवाला जी के विचार से असहमत होना मुश्किल मालूम होता है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि देश से गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे। गरीबी और बेरोजगारी का बहुत ही निकट का रिश्ता है। जब संविधान बन रहा था, तो उस समय फाउंडिंग फादर्स ने आर्टिकल-41 को तात्कालिक आर्थिक दृष्टि को देखते हुए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा था, बुनियादी हक में नहीं रखा था। उन्होंने इस बात की उम्मीद की थी कि जैसे-जैसे देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, वे इस बात की कोशिश करेंगी कि हर व्यक्ति को खास तौर से बूढ़े लोगों को मदद मिले। जो बीमार हों, उनको मदद मिले, जो किसी तरह से मुसीबतजदा हों, उनको मदद मिले और जो बेरोजगार हों, जिनका कोई रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिले और इस तरह की स्थिति हमारी हो जाए, उसके लिए हमें काम करना है। अभी हमारे मित्र श्री जैन ने बताया कि 37 साल की आजादी के बाद भी हमारे बीच में बहुतेरे लोग ऐसे हैं, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो रही है। आज देश में 90 लाख 70 हजार लोग ऐसे हैं, जोकि बेरोजगार हैं और

उनको कोई काम नहीं मिला हुआ है। यह मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं जोकि इस सदन में दिये गये थे। इस तरह से आंकड़े अगर दिये जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि आज देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है, गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर है और आज बहुत से इलाकों में अशांति है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते लेकिन यह भी हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सरकार इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है। पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, तो उसमें मुख्य उद्देश्य यह रखा था कि समाज में विषमता को कम करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे इसीलिए सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि खत्म हो गई है और सातवीं योजना प्रारम्भ हो गई है। अभी तक हम बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकें लेकिन गरीबी मिटाने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं और वे चल रही हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि जितनी राशि हमने छठी पंचवर्षीय योजना मे इसके लिए आवंटित की थी, उससे 65 फीसदी अधिक राशि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित करने जा रहे हैं। अब कहां पर त्रुटियां हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किस कारणों से गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, खास तौर से गरीबों के लिए, उनका लाभ उनको मिल रहा है या नहीं, यह देखना है। हमारे प्रधान मंत्री जी इस बात से अवगत हैं और इस कारण से आप जानते हैं कि हर एक इलाके का वे दौरा कर रहे हैं। वे आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, हरिजनों के बीच में जा रहे हैं और गरीबों के बीच में जा रहे हैं वह जानकारी हासिल करने के लिए कि उन्हें उनका लाभ मिल रहा है या नहीं और नहीं मिल रहा है, तो किस कारण से नहीं मिल रहा है और इसके मिलने का क्या उपाय होना चाहिए। तो बनातवाला साहब इस बात से सहमत होंगे कि सरकार पूरी तौर से इस बात के लिए चिंतित है कि देश से गरीबी मिटे और बेरोजगारी मिटे।

अभी हमारे मित्र श्री अय्यर साहब ने कहा कि अभी तक डाइरैक्टिव प्रिंसिपिल्स में आर्टीकिल 41 में जो बात रखी गई थी, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ अंश में काम नहीं हुआ है। मुझे यह सुनकर कुछ ताज्जुब हुआ क्योंकि बहुत से राज्यों में और करीब-करीब सभी राज्यों में इस दिशा में काम हुआ है। कर्नाटक में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम चल रही है, तमिलनाडु में एम्पलायमेंट गारेन्टी स्कीम चालू है। ग्रेजुएट्स, पोस्ट-ग्रेजुएट्स या मैट्रीकूलेशन पास को अनएम्पलायमेंट एलाउन्स दिया जा रहा है। हर एक राज्य में और वेस्ट बंगाल में भी ऐसा है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को बता दूं कि सभी राज्य में और करीब-करीब हर राज्य में बेरोजगारी का एलाउन्स दिया जा रहा है। बहुत अंश तक हम इस बात को पूरा कर चुके हैं। मैं आर्टीकिल 41 में जो लिखा है, उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

[अनुवाद]

राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अन्तर्गत बेरोजगारों बूढ़ों, बीमार लोगों तथा बीमार और विकलांग आवंटित आकांक्षाओं के मामले में कार्य का अधिकार, शिक्षा तथा सरकारी सहायता के लिए प्रभावी उपबन्ध करेगी।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

[हिन्दी]

एजूकेशन की बात है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने सबके लिए निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया और मॉडल स्कूल खोलने की बात हम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, उसके मुताबिक जो मॉडल स्कूल बन रहे हैं, उनमें खास तौर से जहीन और बुद्धिमान बच्चों को भर्ती किया जायेगा। वे बच्चे चाहे जिस वर्ग के भी हों, सभी वर्गों के बच्चों को उनमें मौका दिया जायेगा जिससे कि सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। उन मॉडल स्कूलों के लिए इम्तिहानों के द्वारा भर्ती किया जायेगा। जो भी बच्चा इम्तिहान पास करेगा उसका दाखिला होगा।

हमने 1955 में बिहार में नेत्रहाट स्कूल खोला था। उसमें कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर बच्चों को भर्ती करते हैं। गरीब परिवारों से जो बच्चे आते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देते हैं और अच्छे परिवारों से जो आते हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं देते हैं। लेकिन योग्यता के आधार पर ही उसमें प्रवेश होता है। हमारे यहां परसेन्टेज की बात नहीं है। इसी तरह से मॉडल स्कूलों में भी विद्यार्थी लिये जायेंगे।

बहुत से राज्यों में सेकेण्डरी एजूकेशन तक सरकार ने ले ली है। पता नहीं बंगाल में ली गई है या नहीं ली गई है, बिहार में ले ली गई है। सारे स्कूल सरकारी बन गये हैं। हमारे मॉडल स्कूल जिला स्तर पर होंगे और उनमें विद्यार्थियों को कोई विशेष खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें आधुनिक तरीके से चलाने की बात होगी।

नयी शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी स्कूल अच्छे ढंग से चलाये जाएं। इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर देने जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को स्कूलों में इतना प्रशिक्षित कर दिया जाए कि वे चाहे किसी व्यवसाय में या किसी भी उद्योग में जाकर काम कर सकें। व्यवसाय के साथ शिक्षा को हम समन्वित करने जा रहे हैं।

मूल चन्द डागा कह रहे थे कि हमने दो परसेंट हैंडीकेप्ड लोगों के लिए नौकरियां अनिवार्य कर दी हैं। अगर इस तरह से व्यापक दृष्टि से आप देखेंगे तो हर जगह सरकार की कोशिश यह है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में ऐसे काम चालू किये जाएं जिसमे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अगर हम ज्यादा उद्योग चलाते हैं, ज्यादा कारखाने खोलते हैं तो उनमें भी अधिक रोजगार मिलने की बात होती है। हमने हैंडलूम सेक्टर में स्पेशल फण्ड क्रियेट किया है ताकि अधिक लोगों को उसमें रोजगार मिले।

इसी तरह से सेल्फ एम्पलाएमेंट स्कीम है। जो लोग कर्ज लेकर व्यवसाय चलाना चाहते हैं, सरकार की नीति है कि उनको कर्जा दिया जाए। मेरा अनुभव यह है कि अधिकांश नौजवान नौकरी करना चाहते है। उनकी कुछ प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि नौकरी जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका काम नहीं चलेगा। इस स्कीम के द्वारा सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक नौजवान व्यवसाय की

तरफ जाएं। मगर हर जगह यह चीज संभव नहीं हो सकती।

हमारे यहां ओल्ड एज पेंशन स्कीम चल रही है। सेल्फ एम्पलाएमेंट में हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मिनिमम रोजगार गारन्टी स्कीम महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में चालू है। दूसरे राज्यों में भी चलेगी। इसके अन्तर्गत देहातों में भी काम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहां देहातों में रहते हैं, इसलिए सरकार का ध्यान देहातों की तरफ गया है। वहां सरकार ने एन्टी-पावर्टी प्रोग्राम चला रखे हैं। लेकिन उन प्रोग्रामों को ईमानदारी से चलाने की बात होनी चाहिए, उनमें भ्रष्टाचार न हो। उसमें बेइमानी न हो सके, भ्रष्टाचार न हो, ताकि उनको पूरा-पूरा लाभ मिल सके, यह हम सबका फर्ज बनता है कि इस काम में सहयोग दें, ताकि सफलता मिल सके। जो गरीबी और बेरोज-गारी की वजह से परेशान हैं, जो देश में तनाव है, उसका मुकाबला हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन आज कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी बन गई हैं, आई०पी०एल०एफ०, डी०एस०फोर. नक्सलाइट के कई ग्रुप बन गए हैं, ये तमाम लोग हैं जो हिंसात्मक रास्ते पर चलकर हक हासिल करने की बात लोगों को बताते हैं। गांधी के देश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना है, सरकार के साथ सहयोग करके हमें अपने हक लेने हैं और हक हमको मिलेगा। सरकार चाहती है, जब सरकार ने यह तय किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान में यह संशोधन किया गया है कि सोशलिस्ट स्टेट बनानी है तो उसके मायने ही यह हैं कि उसकी जवाबदेही होती है, सरकार की जवाबदेही है और सरकार अपनी जवाब-देही को पूरा करेगी।

मैं बनातवाला साहब से यही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप बिल लाते हैं तो कुछ न कुछ खलबली मच जाती है, बात सही है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है कि सब लोग इससे एग्री करते हैं और सरकार का यह फैसला है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, अलाउंस देकर, डोज देकर अन-प्रोडक्टिव तरीके से इनको खर्च नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि रिसोर्सेस को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, देश का विकास हो सके, एक स्टेबल ढंग से आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, स्वचालित हो, स्वावलंबी बने, यह हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर हमें चलना है।

इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं बनातवाला साहब से नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आपने जो बिल पेश किया है, उसका मकसद पूरा हुआ, सभी लोगों ने इस पर चर्चा की और सर-कार का ध्यान आकर्षित किया और इसके बारे में तमाम लोग सोचेंगे। आप मेहरबानी करके इस बिल को वापस ले लीजिए, सरकार अपना काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, माननीय सदस्य जी०एम० बनातवाला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इतना महत्वपूर्ण बिल यहां पर लाए हैं, यह बहुत आवश्यक था। "काम का मौलिक अधिकार" इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश जो

[श्री रामाश्रय प्र [illegible] सिंह]

अपने आपको समाजवादी रास्ते पर चलाने का दावा करता हो, उसके अन्दर काम के लिए मौलिक अधिकार होना ही चाहिए, यह बात उसके संविधान में दर्ज होनी चाहिए, यह जरूरी है। अपने नागरिकों को काम का मौलिक अधिकार देने के साथ-साथ यह भी होना चाहिए कि एक आदमी को एक ही काम मिलना चाहिए, जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। सभापति जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जबकि यह बहस पुरजोर तरीके से हो रही है हम देख रहे हैं कि एक-एक आदमी इस देश के अन्दर दस-दस, बीस-बीस काम लिए हुए हैं, इसके होते हुए देश से बेकारी दूर करने की बात कैसे हो सकती है। दस आदमी की जगह एक ही आदमी काम कर रहा है। वह आदमी हमारे यहां एम० पी० भी है, वही आदमी खेती करता है, वही आदमी सम्राट होटल चलाता है, वही आदमी 5 स्टार होटल चला रहा है, वही आदमी सिनेमा चला रहा है, ये सारे काम एक ही आदमी कर रहा है, तो इससे बेकारी कैसे दूर हो सकती है। हमारे साधन कोई रबड़ की तरह तो हैं नहीं कि खींचकर बढ़ाए जा सकते हों, इसलिए सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले एक काम के लिए एक ही आदमी होना चाहिए। खेती के बारे में एक कहावत है "बोवे, रोपे, काटे धान, वही है सही किसान।" ऐसे आदमी को किसान मानना चाहिए, लेकिन आज हम यहां बैठे हुए हैं और 200 एकड़ की किसानी हो रही है। इस तरह से यह गलतफहमी लोगों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। बेकारी की समस्या क्या है ? नियोजनालय के दफ्तर के रजिस्टर के आधार पर 170 लाख बेकार देश में हैं।

सन् 1981 में रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में 170 लाख लोग बेकार थे जो अब बढ़कर 250 लाख हो गए हैं। इस प्रकार देहात में जिनका कोई रजिस्टर में नाम नहीं है वे 750 लाख के करीब हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नब्बे लाख से ऊपर मैट्रिक से ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर बेकार हैं। यह जो बेकारी बढ़ रही है इसने हमारे देश को एक दलदल में डाल दिया है। इन बेकारों का काम क्या होगा। अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा बहुत सी चीज हमारे देहात में बन गई है। नौजवानों की जमायत है जो अस्त्र-शस्त्र से लैस होती है। ऐसे विघटनकारी तत्व हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। वे उन नौजवानों को सिखाते हैं कि यह देश तुम्हारा नहीं है। इस देश में तुमको काम करने का अधिकार नहीं है। जब तक तुम इस तरह का रास्ता नहीं अपनाओगे तब तक काम नहीं मिलेगा। राज्य में जो गैर-राज्य के लोग हैं उनको हटाओ तभी तुमको काम करने का अधिकार मिलेगा। आज उसी का नतीजा है कि क्षेत्रीय पार्टियां जन्म ले रही हैं। क्या कोई उनका उसूल है। उसके बाद भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं। इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण ही वर्षों से बेकारी बढ़ती जा रही है। हमारी तरफ तो दो साल के अन्दर दो हजार आदमी मारे गए हैं। ये सब नौजवानों के हाथों से ही मारे गए हैं और बहुत सी लूट भी हो रही है। बेकारी चरमसीमा पर पहुंच गई है और सरकार कहती है कि बेकारी भत्ता दो। संविधान में यह जरूर आना चाहिए कि कोई भी सरकार हो उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह हरेक को काम दे। जब तक वह काम नहीं देती तो आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है। इसलिए इस तरह के विधेयक को संविधान के अन्दर सम्मिलित करना जरूरी है। आज युवक और छात्र, क्षेत्रीय और जातिवाद के नारों से प्रभावित हो रहे हैं और विभाजन की ओर उनका दिमाग जा रहा है। ये सारी चीजें बेकारी की ओर चलती हैं। इसकी ओर भी आपको गौर करना होगा। सन् 1981 में पांच

करोड़ पचास लाख खेत मजदूर बेकार थे और हर साल तकरीबन दस लाख खेत मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो बेकार हैं वे काम खोजते नहीं हैं। यह गलत है। आज तो गांवों से काम के लिए लोग बहुत दूर-दूर जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लाखों आदमी ऐसे हैं जो दो सौ या तीन सौ रुपये की माहवारी नौकरी पर जिन्दा हैं। कैसे वे लोग जिन्दा रह सकते हैं। अगर आप सर्वे करायेंगे तो पता चलेगा कि फायदा किसको है। छोटे-छोटे उद्योगपतियों को सस्ते में श्रमिक मिल जाते हैं और इस तरह से स्वयं बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। ये जो बेकार लोग हैं इनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनके श्रम का शोषण हो रहा है। इसका कारण यही है कि वे लोग बेकार हैं और उनके पास काम नहीं है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि काम मुहैया हो रहा है और दूसरी तरफ विद्यालय खोलने जा रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूल में टैस्ट होगा। जो बच्चा एयर कंडीशन में रहता है और जिसका खाने-पीने का प्रबन्ध बढ़िया है और जिसका दिमाग तेज है वही बच्चा टैस्ट में बैठेगा। ...(व्यवधान)

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : माननीय सदस्य हमारे बिहार के रहने वाले हैं इसलिए उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नेत्रहाट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप समझते हैं वे एयर कंडीशन में रहने वाले हैं या गरीब परिवार के भी उसमें हैं। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को सुनकर काफी तकलीफ हुई है। जो लड़का अच्छे वातावरण में पला है और जिसका रहन-सहन व खाना-पीना अच्छा है वही लड़के उसमें पास हो जाते हैं। कुछ अपवाद जरूर हो सकता है कि जिसमें गरीब के लड़के भी आ जाएं। उनको गाड-गिफ्ट कहा जा सकता है। वैसे आप देख ही रहे हैं कि वही लड़के जाते हैं जो सुख-सम्पन्न परिवार के हैं और अच्छी तरह से रहते हैं। जिन लोगों का रहन-सहन अच्छा होता है, जिन्दगी सुख में बीतती है, खाना-पीना बढ़िया होता है, उनके बच्चे ही ऐसे स्कूलों में प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए सरकार ने जितने ऐसे स्कूल खोले हैं, उनमें गरीबों के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता। सारी जगह एक जैसी स्थिति है। ग्रामीण स्कूलों में गरीब तबके के लोगों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है और उसका बच्चा यथावत स्थिति में ही रहेगा, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। उसी का यह नतीजा है कि देश में चारों तरफ आग लगी हुई है। इसलिए आपको कुछ सोचना होगा कि कहां क्या कमी है। यदि आप यही सोचकर काम करेंगे कि हमारी पार्टी बहुमत में है, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, हमारी तादात यहां बहुत है तो उसी वजह से आज चारों तरफ आग लगी हुई है कि आपका ध्यान गरीबों की तरफ नहीं जाता। उसका एक प्रमाण यह है कि बेकार लोग गलत-गलत काम कर रहे हैं। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, देश को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा और बेकारों को काम जरूर देना होगा, उसे काम का अधिकार देना होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि जिस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, वह देश कंगाल हो जाता है। इसलिए आपको निडरता के साथ, हिम्मत के साथ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा। आप दोनों चीजों पर नियंत्रण लगायें, अधिकार दोनों तरफ से लें, लेकिन आप डरते हैं कि कहीं हमने परिवार नियोजन के विरुद्ध कानून बना दिया तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश के हित में आपको कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर भी अंकुश लगे और गरीब लोगों को ही राहत मिले। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते,

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

आप कानून बनाने वाले नहीं हैं। क्योंकि यह बिल यहां बनातवाला जी ने पेश किया है, वैसे उन्होंने इसी सदन में एक और बिल पेश किया था और उसका उद्देश्य भी ठीक था। आपने महिलाओं के लिए एक दूसरा बिल इस सदन में पेश किया। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आप डरपोक हैं, आपमें हिम्मत की कमी है, आप धर्म की आड़ लेना चाहते हैं। अपने क्षणिक फायदे के लिए आप धर्म की आड़ लेकर, इस तरह के काम करना चाहते हैं। लेकिन आज उसको लेकर सारे देश में देखिए क्या हो रहा है, सारी जगह शोर है। यदि हमारा देश धर्म-निरपेक्ष है तो चाहे वह हिन्दू महिला हो, चाहे मुसलमान महिला हो या इसाई महिला हो, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते और उसी का फल आप भोग रहे हैं और आपके साथ-साथ देश की जनता भी भोग रही है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि बनातवाला जी जो बिल लाये हैं, आप इस कानून को मान लीजिए, यह सबके हित में। वैसे तो हमारे मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, अनुभवी हैं, सक्षम हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बिल को स्वीकार कर लीजिए। वैसे तो सरकार की ओर से हमेशा कहा जाता रहता है कि हमने इतने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आपने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़नी चाहिए। आपके यहां खाद्यान्न का अम्बार है और 300 लाख टन अन्न का भण्डार पड़ा हुआ है, लेकिन आपके जन-वितरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जहां आप पहले 14 लाख टन खाद्यान्न की खपत करते थे, अब वह घटकर 11 लाख टन रह गई है। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि 3 लाख टन खाद्यान्न में कमी कैसे आई, इसी से आप इस बात का अन्दाज लगा सकते हैं कि गरीबों की क्रय शक्ति कितनी कम हो गई है। वे अनाज खरीद ही नहीं सकते। इसलिए आपका यह कहना गलत है कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1984-85 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रजनन कार्यक्रम के लिए आपने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, आपने बजट में 400 करोड़ रुपये दिखलाया लेकिन आप खर्च केवल 132.? करोड़ रुपये ही कर सके। जब आपने बजट में 400 करोड़ रुपया दिखलाया था फिर आपने उसको पूरा खर्च क्यों नहीं किया। फिर आप कैसे गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठायेंगे। इसी तरह, वर्ष 1984-85 में ही, भोजन के एक कार्यक्रम के लिए आपने बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया लेकिन आप उसमें से केवल 10 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये। इसलिए आपको लोगों को बताना होगा कि जब आप बजट में कुछ रुपया आबंटित कर देते हैं, तो उसको खर्च क्यों नहीं कर पाते। इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, और उसके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की। गरीब लोगों के साथ धोखा करके किसने पैसे को खर्च करने में कोताही बरती। क्योंकि यह पैसा गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रखा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर सके। दूसरे मैं एक साधारण सी बात और कहता हूं। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं, लेकिन कभी आपने क्या राज्य सरकारों की ओर ध्यान दिया कि वे कैसे इसका दुरुपयोग करती हैं, पैसे का घोटाला करती हैं। जब मैं पिछले दिनों अपने क्षेत्र

में घूम रहा था तो मुझे पता लगा कि मेरे यहां मसौढ़ी ब्लाक की छाता पंचायत में एक अधिकारी ने 90 हजार रुपया इसी पेंशन का खाया था। मैंने उसकी शिकायत कलैक्टर से की, बी० डी० ओ० से की और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप उसकी जांच करवा लीजिए। उस अधिकारी ने झूठी टीप बनाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 90 हजार रुपया ले लिया। क्या इसी तरह से आप राज्य सरकारों पर ध्यान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी पैसा आप राज्य सरकारों को दें, उस पर पूरा ध्यान रखें कि वह पैसा कैसे खर्च किया जाता है। इसको सहर्ष स्वीकार कर लें जिससे बेकार लोगों को काम मिल जाए और आप जो कहते हैं कि हम समाजवादी रास्ते पर चलते हैं और समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, तो यह लोगों की समझ में भी आ जाए कि सचमुच में हमारी जो सरकार है, वह समाजवादी समाज के रास्ते पर चल रही है और सांवैधानिक अधिकार के रूप में हमें यह काम प्राप्त करने का अधिकार दे रही है। धन्यवाद।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। देश में बेरोजगारी को हटाने के लिए और हरेक आदमी को काम देने के लिए संविधान में संशोधन का बिल हमारे साथी श्री बनातवाला जी लाए हैं, लेकिन उनको यह भी पता है कि संविधान संशोधन से सब काम नहीं बनता है। कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए संविधान में संशोधन हो या न हो, लेकिन सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों को काम दे और देश से बेरोजगारी को दूर करे और शिक्षा-प्रणाली ऐसी करे जिसके कारण लोगों को रोजगार उपलब्ध हो।

सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में, बीस सूत्रीय कार्यक्रम और कई कार्यक्रमों को चलाकर सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च केन्द्र, सेंट्रल और कुछ बैंकों से कर्ज लेकर किए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी हम वही काम करने जा रहे हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि जब तक हम अपनी बढ़ती हुई आबादी पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक हम संविधान में कितने ही संशोधन करें, कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आबादी बढ़ती रहेगी, हमारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती हैं। सारी दुनिया में बढ़ती हुई आबादी को रोकने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हिन्दुस्तान में जिस ढंग से इसको रोकने के लिए ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हमारी सरकार की तरफ से इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु हमारे देश के लोगों की तरफ से इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे देश के हर नागरिक को, चाहे वह ग्रामीण लोग हों, विधायक हों, कार्यकर्ता हों, सबको हिम्मत के साथ इस काम को करने के लिए साथ देना जरूरी है।

सभापति महोदय, यदि आबादी बढ़ती रहेगी, तो चूंकि हम अनाज सर्पलस पैदा करने में सफल हो गए हैं, इसलिए बढ़ती हुई आबादी को अनाज तो दे सकेंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे पाएंगे। जब रोजगार आदमी को नहीं मिल पाएगा तो वह भूखा भी रहेगा। इसलिए संविधान में हम इस बारे में कोई संशोधन कर सकते हैं या नहीं, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने महाराष्ट्र में एम्पलॉयमेंट गारन्टी स्कीम और आर०एल०ई०जी०पी० की योजनाएं चलाई हैं। मेरा मान्यवर इस बारे में निवेदन यह है कि जो आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए फेमिली प्लानिंग नहीं करता है, तो उसको ज्यादा

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, ताकि वह इस ओर आकर्षित हो और फेमिली प्लानिंग कर इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सके। उसको हम इस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि उसके परिवार के एक या दो बच्चों को नौकरी दे दें और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम उसको कुछ सुविधाएं दे सकते हैं। वोकेशनल एजूकेशन और जॉब ओरिएण्टेड एजूकेशन हम किसको दे रहे हैं, इस ओर हमें देखना चाहिए। डिग्री को हमें काम से डिलिट करना चाहिए। इस कार्य में भी उस फेमिली को हमें प्रथम क्रमांक देना चाहिए जो अपनी फेमिली प्लानिंग करता है। इसमें हमें मेरिट और डीमेरिट की बात को भी हटाना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसी फेमिली के लिए हमें मॉडल स्कूल में भर्ती में प्रायर्टी, एल०पी०जी० कनैक्शन को देने में प्रायर्टी, जमीन के बंटवारे और सरकारी नौकरी के बारे में प्रायर्टी और प्रमोशन के बारे में प्रायर्टी देनी चाहिए। जब तक हम फेमिली प्लानिंग करने वाले को प्रथम प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक लोग उसको नहीं मानेंगे, और जब तक लोग उसे नहीं मानेंगे, तब तक यह काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं हिम्मत के साथ कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को हटाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए सरकार को हिम्मत के साथ परिवार नियोजन का काम लेना जरूरी है। अगर पहले लोगों का मत परिवर्तन करेंगे और बाद में फेमिली प्लानिंग करेंगे, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। दुनिया में सभी धर्म के राज्य हैं, सभी जगह फेमिली प्लानिंग का जिक्र हो रहा है। चाइना बिल्कुल आगे जा रहा है, वहां भी सभी धर्मों के लोग हैं राजनीतिक भी हैं लेकिन वहां भी लोग फेमिली प्लानिंग हिम्मत के साथ कर रहे हैं।

मैं देहात की बात कहूंगा, मैं ज्यादा एम्पलायमैंट एक्सचेंज की तरफ नहीं जाऊंगा। हमारे देहातों और शहरों में एक ऐसा बड़ा खतरा है कि आदमी के लिए काम नहीं है और काम के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से हम टैक्नीकल आदमी चाहते हैं, जिस ज्ञान और स्पैशेलाइजेशन का आदमी चाहते हैं, वह मिलता नहीं है। जब कोई आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है तो कहा जाता है कि आपके लिए कोई काम नहीं है। बैंकिंग सिस्टम का आपको पता नहीं है, कम्पयूटराइजेशन और वोकेशनल व हार्टिकल्चर का आपको पता नहीं है। इसलिये मैन-पावर प्लानिंग में सुधार होना बहुत जरूरी है। खाली संविधान में सुधार करने से काम नहीं चलता जब तक हम यह नहीं करेंगे कि किसको कहां काम दें उसमें सुधार नहीं करेंगे तो रोजगार उपलब्ध नहीं होगा।

नेशनलाइज्ड बैंकों ने इसमें काफी हिस्सा लिया है, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन प्राइवेट सैक्टर वाले लोग इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को काम देने के लिये प्राइवेट सैक्टर को भी आगे आना चाहिये। यहां सदन में कई बार चर्चा हुई है। गवर्नमेंट को इसमें कदम उठाना चाहिये। जब तक प्राइवेट सैक्टर वाले गरीबों के लिए, कम-से-कम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का परसैंटेज पूरा नहीं करते तब तक कोई सैंट्रल हेल्प नहीं देनी चाहिये। इससे हो सकता है कि हमारे देश का उत्पादन कुछ घटे या बढ़े, लेकिन जब हम डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्राइवेट सैक्टर के लोग भी आगे आयेंगे और हिस्सा लेंगे।

गरीबी हिन्दुस्तान के लिये अभिशाप है। आबादी बढ़ाना, फैमिली प्लानिंग न करना यह भी

गरीबी का हिस्सा है। इससे कई नौजवानों को काम नहीं मिलता और वह बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वह फरस्ट्रेशन के कारण निकम्मे हो जाते हैं और कुछ उमर के बाद वह काम नहीं कर सकते हैं। हमारे हैल्थ मिनिस्टर ने भी कहा था कि बेरोजगारी के कारण लोग बीमारी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है।

महाराष्ट्र ने एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम लागू किया है, कुछ दूसरे स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटक ने भी इसका एनाउन्समैंट किया है। हिन्दुस्तान की सरकार को खुद एम्पलायमैंट गारन्टी स्कीम पूरे देश में लागू करनी चाहिये और उत्पादन शुरू करके काम उसमें शुरू करके रोजगार देना आवश्यक है। उसको एक छोटा कार्यक्रम यह भी लागू करना चाहिये। मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि जो परिवार फैमिली प्लानिंग करते हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिये। जो फैमिली प्लानिंग नहीं करते उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेने की जरूरत नहीं है।

मैं समाजवाद के पक्ष में पूरा हूं और कुछ समाजवादी देशों में मैं देखकर भी आया हूं। समाजवाद देशों में और कैपिटलिस्ट कन्ट्रीज में भी फैमिली प्लानिंग हो रहा है, वहां ग्रोथ-रेट मायनस हो रहा है। हिन्दुस्तान में बराबर आबादी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में एम्पलायमैंट गारन्टी स्कीम अच्छा चलता है. वहां प्लानिंग में 180 करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन जो राज्य एम्पलायमैंट देता है, उसको भी पैनल्टी लगती है, प्लानिंग में उसको कम पैसा मिलता है। जब ड्राउट आता है, तो भारत सरकार उसके लिए कम पैसा देती है। उसको भी सोचना जरूरी है कि आगे यह चलेगा या नहीं। कांस्टीट्यूशन में एम्पलायमैंट गारन्टी करना जरूरी है, जिन राज्य सरकार ने समझ लिया कि ठीक है और उन्होंने इसे रोजगार देने को लागू कर दिया।

सरकारी आन्दोलन के माध्यम से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के मुताबिक जब किसान और वर्कर दोनों चलेंगे तो मेरे ख्याल से उससे एक डेवलपमैंट इंस्ट्रयूमैंट बनेगा और उसके कारण देहात में एम्पलायमैंट भी बढ़ सकती है। शहरों में जो बढ़ती हुई आबादी और इनवायरमेंट की समस्या बनी हुई है, वह भी हल हो जायेगी। आज देहात के हित की केवल बातें ही की जाती हैं, लेकिन देहात की तरफ गम्भीरता से सोचा नहीं जाता है। मेरा ऐसा विचार है कि सहकारी आन्दोलन के माध्यम से ही देहात का विकास हो सकता है। महाराष्ट्र में जो सहकारी आन्दोलन चल रहा है, उसके द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रोजगार दिया गया है। वहां पर अब जो नये मुख्य मंत्री बनकर आये हैं, वह पहले भी महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पहले एक कानून बनाया था कि जब तक सहकारी आन्दोलन और निजी उद्योग में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कमजोर वर्ग के लोगों को परसेंटेज पूरा नहीं किया जायेगा तब तक उन्हें बैंक गारन्टी, गवर्नमेंट गारन्टी या कोई सरकार की सुविधा नहीं दी जायेगी। यही कारण है कि आज देहातों में कोआपरेटिव अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पीपुल्स पार्टिसिपेशन भी होना आवश्यक है। जब तक हम खुद आगे नहीं आयेंगे, सरकार बेरोजगारी हटाने में सफल नहीं होगी। वैसे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने में काफी हद तक कामयाब हुई है।

आज हम राइट टू वर्क की बात कहते हैं। बांडिड लेबर में भी रीहैबिलटेट की बात करते हैं।

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

हम जिस प्रकार बांडिड लेबर को रीहैबिलटेट करना चाहते हैं, वैसे पूरी तरह रीहैबिलटेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक सुझाव है कि शिक्षा नीति, बेरोजगारी और रोजगारी इन तीनों का आपस में ताल-मेल होना चाहिये और कमजोर वर्ग के लोगों को सभी स्थानों में प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में काफी गड़बड़ी हो रही है। ऐसी खबरें अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिलती रहती हैं। यही कारण है कि गरीब को मेरिट नहीं मिल पाता है। आप सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार दो और बांडेड लेबर के बच्चों को आश्रम स्कूल्स में प्राथमिकता देकर एजुकेशन देने की व्यवस्था करें। उनको जॉब आरियंटिड शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे कि पूरी पढ़ाई करने के बाद कहीं न कहीं नौकरी मिल सके।

एक माननीय सदस्य : ऐसे कैसे हो सकता है। वह कैसे मॉडल स्कूल में जा सकेंगे।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : वह जा सकते हैं। मैं शिक्षण संस्थायें चला रहा हूं, इस कारण मुझे इसकी जानकारी है।

···(व्यवधान)···

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मॉडल स्कूल और पब्लिक स्कूल की बात अलग है। आप वहां जाकर देखिए तभी सही बात का पता चलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ले चलिए।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : हम खुशी से जायेंगे। इसी से आपको कोआपरेटिव के बारे में प्यार पैदा होगा। देहात में रहने वालों के जो नेचुरल रिसोर्सिज हैं, जो एम्पलायमेंट पोटेंशन हैं, उसका सर्वे करने के बाद ही उस इलाके में वैसी शिक्षा देने की आवश्यकता है। इससे वोकेशनल एजुकेशन मिलने के बाद उनको वहीं रोजगार मिल सकेगा। आज सब बच्चों में यह कानफिडेंस नहीं है कि हम कोई धंधा या व्यवसाय कर सकेंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली ही ऐसी रही है जिससे हम किसी पर डिपेंड हो जायें और भीख मांगें। आप उन्हें पेट भरने के लिये साधन अवश्य मुहैया करें।

मेरा एक सुझाव यह है कि राज्य में, या इलाके में जगह-जगह नैसर्गिक सम्पत्ति है। उसके साथ शिक्षा जोड़ देंगे तो भी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपील करूंगा कि शिक्षा और बेरोजगारी का आपस में तालमेल हो जाएगा तो भी यह बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि फैमिली प्लैनिंग के बगैर चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही धनराशि ले आयें, यह काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (बोलपुर) : मुझे सोचना चाहिए था कि इस विधेयक को दूसरी तरफ के सदस्य भी गम्भीरता से लेंगे क्योंकि इसका दायित्व उन्हीं पर है यह सत्तारूढ़ दल का दायित्व है जिसमें मेरे बहुत प्रिय मित्र श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह अस्थायी तौर बैठे हैं। निःसन्देह वह अवश्य ही हमारी पार्टी में आयेंगे मैं समझता हूं सरकार इस विधेयक को संवैधानिक संशोधन की तरह नहीं लेगी और विधि मंत्री इसमें हस्तक्षेप करने आये हैं इस विधेयक पर प्रधान मंत्री स्वयं चर्चा नहीं करते तो कम-से-कम सत्ताधारी दल द्वारा और वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, योजना मंत्री द्वारा तो अवश्य ही चर्चा में भाग लेना चाहिए था। मैं अपने अच्छे मित्र का महत्व कम नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह जिस प्रकार के साथियों में रह रहे हैं वहां इन मामलों को साधारण रूप से लिया जाता है। इस मामले को साधारण रूप में नहीं लिया जाना चाहिय। यह विधेयक एक राष्ट्रीय दस्तावेज समझा जाना चाहिए जिसमें इस देश के उन लाखों बेरोजगार युवकों के प्रति वचनवद्धता का उल्लेख हो जो काम करना चाहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तथा जो समाज की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहते तथा हास्याप्रद नहीं बनाना चाहते और अपनी शक्ति से देश का विकास करना चाहते हैं और अपने परिवार के खर्चे में भागीदार बनना चाहते हैं। उनकी कोई गल्ती न होने पर भी वे दया के पात्र ओर हास्याप्रद स्थिति में रह रहे हैं। क्या हम अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। इस देश में यह सदन की सबसे बड़ी जनसभा है। इस सदन ने संविधान में संशोधन किया है ताकि समाजवाद की प्रस्तावना में शामिल किया जा सके। यह सदन योजनाओं को अनुमोदित करता है। यह सदन जो लोगों के प्रति उत्तरदायी है इसलिए इस सदन में इसे पूर्णतया निष्पक्ष रूप से लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं. मैं उस तरह का रवैया नहीं अपनाया जा रहा है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के 40 साल बाद भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग 3 करोड़ है वे पढ़े-लिखे है। इंजीनियर, डाक्टर, लेखाकार आदि बेरोजगार हैं। स्नातकोत्तर, स्नातक तथा मैट्रिक पास पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। इनमें से कई लोगों ने अपना नाम रोजगार कार्यालय में इस आशा से पंजीकृत करवाया कि इसके माध्यम से किसी साक्षात्कार में जाने के लिए कम से कम किसी तरह की सूचना तो प्राप्त होगी।

मैं अपने मित्र श्री सिंह से सहमत हूं कि हमारे जैसे विशाल देश में नौकरी के अवसर अधिक होने चाहिए तथा लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यापार व उद्योगों की ओर अग्रसर करना चाहिए। परन्तु क्या यह इतना आसान है। मैं स्वयं भी तथाकतिमय सरकारी एजेंसियों जैसे प० बंगाल के लघु उद्योग निगम के साथ सम्बद्ध रहा हूं तथा मैं यह जानता हूं कि यह कितना मुश्किल है जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा जो बाधाएं हैं उनके कारण युवा व्यक्तियों के लिए एक छोटे स्तर का उद्योग लगाने या कुटीर उद्योग शुरू करना भी कितना मुश्किल है क्योंकि उनकी कोई पहुंच नहीं है तथा उनके पास पूंजी का सहारा भी नहीं है।

यह किसका कसूर है ? ग्रामीण बेरोजगारों के बारे में हमारे पास सांख्यकीय आंकड़े भी नहीं हैं। श्रीमान जी आप भी इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। आप भी ग्रामीण चुनाव-क्षेत्र से आए हैं, यह मैं नहीं जानता। यह भी मैं नहीं जानता कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं अथवा शहरी

[श्री सोमनाथ रथ]

क्षेत्र से। कोई सांख्यकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्वतंत्रता के चार दशकों के बाद, इस देश के नौजवान अच्छे मानव की तरह जीवित रहने के अधिकार के लिए शोर मचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोग पीने के पानी के लिए शोर कर रहे हैं। वे इस देश के कुछ सभ्य जनसुविधाओं के बारे में, अच्छी शिक्षा की सुविधाओं के बारे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए इलाज की सुविधाओं के बारे में मांग कर रहे हैं। वे इन सुविधाओं से वंचित हैं। वे उन्हें नहीं मिल रहीं हैं। एक बात पर जोर देने की आवश्यकता है। प्रत्येक माननीय सदस्य चाहे वह किसी भी राज्य से है बिना झिझक के मान चुका है कि बेरोजगारी की समस्या एक बहुत ही विकट समस्या है। प्रश्न यह है कि इसे कैसे सुलझाया जाए। नौकरियां कहां हैं ? नौकरियां कहां से आयेंगी ? एक समय सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे सबसे ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराता था। अब पिछले तीन सालों में रेलवे में लगभग साढ़े तीन लाख स्थान रिक्त हैं। नए रिक्त स्थान बनाए जा रहे हैं। लेकिन नौकरियां नहीं दी जा रहीं। न ही किसी सरकारी सेवा में और न ही केन्द्रीय क्षेत्र में नौकरियां दी जा रही हैं क्योंकि भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा है। आज भी अभी इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एक डाकघर की स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा है। अब रेलवे नौकरियां नहीं जुटायेगी। नई नौकरियां उत्पन्न नहीं की जा रही हैं। पुराने रिक्त स्थान नहीं भरे जा रहे हैं। नई भर्ती पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। आप कृपया इस देश की हर फैक्ट्री, विशेषतया बड़े औद्योगिक घरानों और एकाधिकार गृहों से मालूम कीजिए, आपको मालूम होगा कि मजदूरों की कुल संख्या नीचे गई है। आप कृपा करके मालूम कीजिए। मुझे इससे सम्बन्धित बहुत से मजदूर-संघों से जुड़े रहने का अवसर मिला है। बहुत से बड़े औद्योगिक संस्थान जैसे आई० टी० सी०, पहले जिसका नाम इम्पीरियल टोबेको था और फिर जिसका नाम इंडियन टोबेको रखा गया और अब इसका संक्षिप्त रूप आई० टी० सी० कर दिया गया है, में नोकरियों संख्या गिर रही है। वे उद्योग अधिकाधिक परिष्कृतता के लिए शोर मचा रहे है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। श्रमिक विरोध ही कर सकता है। वे परिष्कृतता लागू कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप नोकरियों की सम्भावनाएं कम हो रही हैं। क्या हम कह सकते हैं कि वर्तमान कारखानों में और औद्योगिक संस्थानों में निवेश के अनुपात में नौकरियों की संख्या है ? नहीं, क्योंकि इन दिनों आधुनिक कारखानों और आधुनिक कार्यशालाओं को स्थापित किया जा रहा है और वे बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इनमें पूंजी निवेश पर जोर दिया जाता है, श्रम-निवेश पर नहीं। नौकरियां उत्पन्न नहीं की जा रही हैं। ऐसा केवल निजी क्षेत्र में ही नहीं है अपितु, सब जगह है। यह एक गम्भीर मामला है। मैं आपको नाम दे सकता हूं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने इस बात को सदन में उठाया है—केवल अभी ही नहीं, बल्कि मेरा अभिप्राय है सातवीं और छठी लोक सभा मे। विशेषतया सातवीं लोक सभा में यह समस्या बहुत तीव्र हो गई थी। केन्द्र सरकार के संस्थान बन्द कर दिए गए हैं। अब लोगों को काम से निकाल दिया गया है। इसके विकल्प में उन्हें कोई रोजगार या मुआवजा नहीं दिया गया है। कार्टर पुलर कम्पनी लिमिटेड जो थी क्या उसके बारे में मंत्री महोदय ने यह पता लगाने में रुचि ली है ? कन्टेनर्स क्लोजर्स कम्पनी लिमिटेड और भारतीय रबर उद्योग लिमिटेड जो थीं वे केन्द्र सरकार के नियन्त्रणमें आई० आर० सी० आई० द्वारा संचालित की जा रही थीं। उन तीनों कम्पनियों को बन्द कर दिया

गया है और उनके कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया है। इस सच्चाई के अलावा उनमें से बारह कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि वे अपने बच्चों का थोड़े भोजन व थोड़े दूध के लिए चीखना सहन नहीं कर सके। उनका कहना है कि इस स्थिति को देखने से तो मर जाना अधिक अच्छा है जिसमें एक पिता अपनी कोई गलती न होते हुए भी अपने बच्चों को थोड़ा दूध या भोजन नहीं जुटा सकता। यह उसका कोई अपराध तो नहीं है कि वह भारत में पैदा हुआ। हमारे पास सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे पास देश में प्र्याप्त भूमि है, मेहनती लोग हैं, ऐसे लोग जो पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त साधन सामग्री उपलब्ध न होते हुए भी खेती का काम कर रहे हैं और एकमात्र अपनी कठिन मेहनत तथा लगन के कारण फसलें पैदा कर रहे हैं, आपके लिए नकद फसलें पैदा कर रहे हैं ताकि आप विदेशी मुद्रा कमा सकें। तो क्या इन परिवारों को दो वक्त खाना मिल पाता है ?

पाटिल जी, परिवार नियोजन के बारे में बात करना बहुत अच्छा है जैसे कि इस देश का अभिशाप परिवार नियोजन है। इस देश का अभिशाप वह प्रणाली है जिसे आपने अपनाया है, वह अर्थव्यवस्था है जो आपने इस देश में लागू की है। क्या आप रोजगार जुटाने के बारे में सोच सकते है ? हम केवल सफेदपोश रोजगारों की ही बात नहीं कर रहे। सम्भवत: भूमि सुधार के विना क्या आप अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार दे सकते हैं ? यह प्रश्न लोगों को दफ्तरों व कारखानों में सफेदपोश नौकरियां देने का नहीं है बल्कि यह तो लोगों को काम उपलब्ध कराने का है ताकि वे अपनी जीविका कमा सके। वे सहायता पर जिन्दा नहीं रहना चाहते। क्या लोग सहायता या बेरोजगारी भत्ते पर जिन्दा रहना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। अभी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि समय को बढ़ा दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे के लिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आवश्यकता हुई तो इसे दोबारा भी बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि सदन सहमत हो तो समय को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाएगा।... हां, समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। श्री सोमनाथ चटर्जी, अगर आप तीन मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं श्रीमान जी, तीन मिनट में ठीक से बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं बाद में भाषण जारी रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले अवसर दोबारा आरम्भ करेंगे।

5.59½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब सोमवार 24 मार्च, 1986, 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 मार्च, 1986/3 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53